खण्ड-389, अंक-10
बृहस्पतिवार, 4 फाल्गुन, शक संवत् 1910
(23 फरवरी, 1989 ई0)

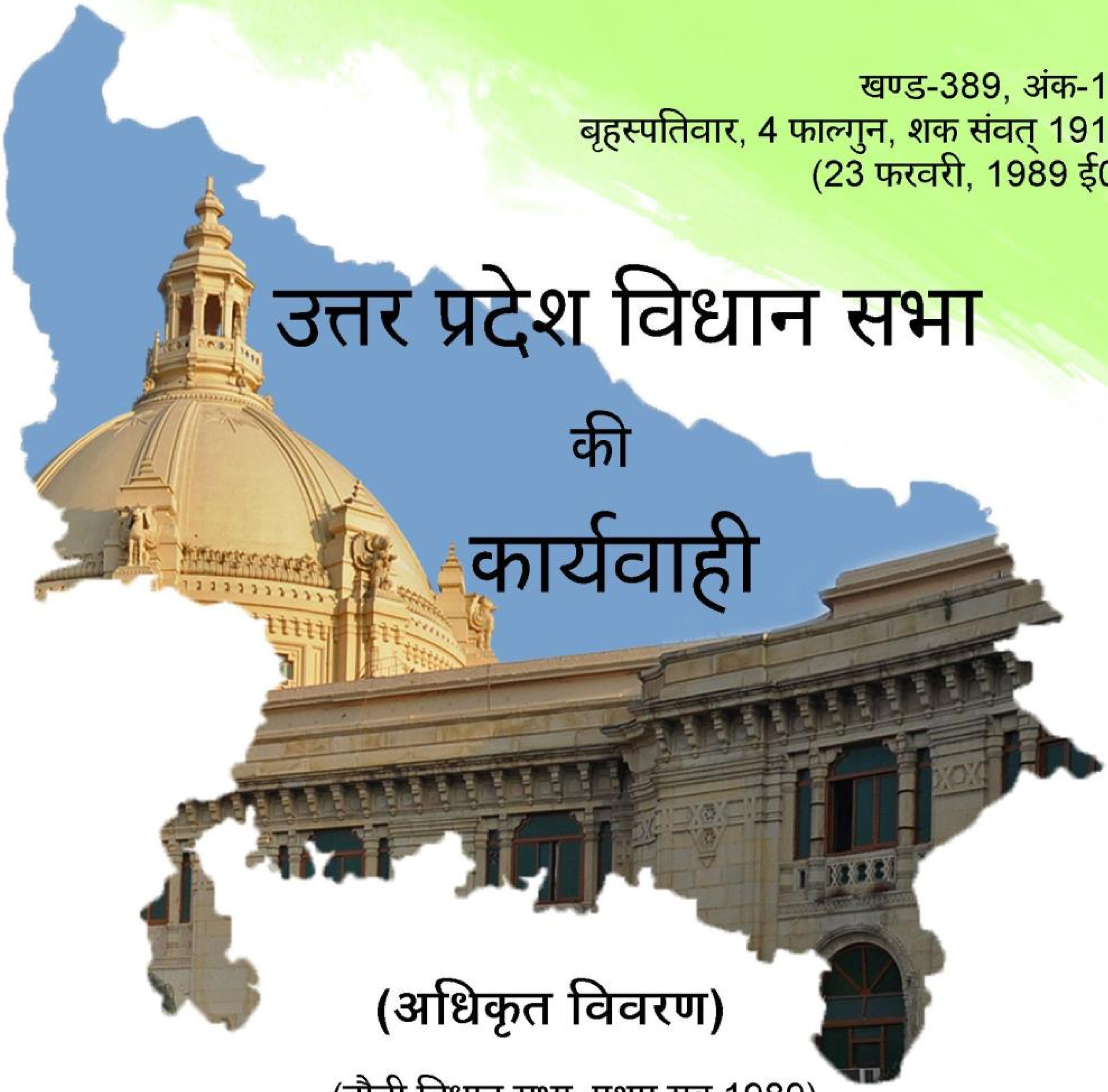

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(नौवी विधान सभा, प्रथम सत्र 1989)

खण्ड 389 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1989

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क
प्रश्नोत्तर	1–6
जनपद आजमगढ़ की सदर तहसील में चकबन्दी कार्यों में धांधली के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	6
जिला सीतापुर के जिला चिकित्सालय के वरिष्ठ अधीक्षक द्वारा की जा रही अनियमितताओं के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	6
जनपद बलिया में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	6
जिला मेरठ की तहसील बागपत तथा सरधना में पेयजल की कमी के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	6
जिला मथुरा के गोकुल क्षेत्र में जंगली गायों से फसलों को नुकसान के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	6
जनपद सुल्तानपुर की तहसील अमेठी के बार एशोसियेशन के अधिवक्ताओं की हड़ताल के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	6
जिला वाराणसी में वरुणा नदी के जल को उपयोग न कर पाने से पीने के पानी की कमी के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	6
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	66–7
संविधान (बासठवां संशोधन) विधेयक, 1988 (पटल पर रखा गया)	7
श्री गोपीनाथ वर्मा द्वारा अपनी नियम 301 की सूचना को स्वीकार न किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	7
श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी द्वारा अपनी विशेषाधिकार हनन की सूचना को विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द करने की मांग	73–7
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा पूर्व अनुमोदित कार्यक्रम में संशोधन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	76–8
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (जारी)	77–8
नियम 56 के अन्तर्गत शलाका द्वारा विषयों के चयन को गलत बताते हुए विषय की महत्ता एवं अविलम्बनीयता के आधार पर सूचनाओं को प्राथमिकता पर लिए जाने का अनुरोध	8
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	86–9
वित्तीय वर्ष 1989–90 के व्ययक पर सामान्य चर्चा (जारी) ..	100–12
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	12
प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों तथा महाविद्यालयों के तदर्थ शिक्षकों को नियमित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर वक्तव्य का स्थगन	12
गोरखपुर में अधिवक्ताओं द्वारा 31 जनवरी, 1989 से न्यायालय के वहिष्कार के परिणाम स्वरूप उत्पन्न स्थिति के संबंध में वक्तव्य	130–13
वित्तीय वर्ष 1989–90 के एक भाग के लिए लेखानुदान (प्रस्तुत किया गया)	135–13
नत्थी	138–13

विधान सभा प्रदेश मेरठ

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, दिनांक 23 फरवरी, 1989

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे।

अचल सिंह, श्री	फतेहपुर	मनोहर लाल, श्री	उन्नाव
अफजाल अन्सारी, श्री	गाजीपुर	माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	बस्ती
अमर चन्द्र, श्री	आगरा	मुलायम सिंह यादव, श्री	इटावा
अमर नाथ सिंह, श्री	फतेहपुर	मुस्तमन्द अली खां, श्री	मथुरा
अमीर आलम खां, श्री	मुजफ्फरनगर	मैनेजर सिंह, श्री	बलिया
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री	बरेली	राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
अरविन्द तिवारी, श्री	जालौन	राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री	एटा
अरुण प्रताप सिंह, श्री	गोण्डा	रामगोविन्द चौधरी, श्री	बलिया
अलमेलु अम्माल, कुमारी	बस्ती	रामचन्द्र बख्श सिंह, श्री	बाराबंकी
अवनीश कुमार सिंह, श्री	बदायूं	रामनरेश शुक्ल, श्री	प्रतापगढ़
अशरफ इमाम, श्रीमती	मिर्जापुर	राम सजीवन, श्री	बांदा
इकबाल अहमद, श्री	आजमगढ़	रीना कुमारी, श्रीमती	मुरादाबाद
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री	बहराइच	रेवतीरमण सिंह, कुंवर	इलाहाबाद
इम्तियाज मोहम्मद खां, श्री	बुलन्दशहर	लालता प्रसाद निषाद, चौधरी	गाजीपुर
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री	झांसी	विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री	बलिया
काजी मोहिउद्दीन, श्री	सहारनपुर	विजय लक्ष्मी, श्रीमती	बलिया
काशी सिंह ऐरी, श्री	पिथौरागढ़	विमला सिंह, श्रीमती	गाजियाबाद
कुशल पाल सिंह, श्री	मथुरा	शफीकुर्रहमान वर्क, श्री	मुरादाबाद
कोकब हमीद, श्री	मेरठ	शौनाथ सिंह, श्री	बिजनौर
कौशिक रमाशंकर, श्री	मुरादाबाद	शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर	कानपुर
गजराज सिंह, श्री	गाजियाबाद	शूरवीर सिंह सजवाण, श्री	टेहरी-गढ़वाल
गौरी शंकर, श्री	इटावा	श्रीनाथ सिंह, श्री	वाराणसी
गौरी शंकर भइया, श्री	बलिया	संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री	वाराणसी
चारुशीला, श्रीमती	मुजफ्फरनगर	संजय सिंह, डा0	सुल्तानपुर
चेतराम गंगवार, श्री	बरेली	सतीश अजमानी, श्री	खीरी
जय नारायण शर्मा, श्री	मेरठ	सत्यपाल सिंह, श्री	शाहजहांपुर
दलजीत सिंह, श्री	रामपुर	सुखपाल पाण्डे, श्री	बस्ती
दीप चन्द्र सोनकर, श्री	जौनपुर	सुनील शास्त्री, श्री	गोरखपुर
नरेन्द्र पाल सिंह, श्री	बरेली	सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री	देवरिया
परमाई लाल, श्री	हरदोई	सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री	रायबरेली
फजलुल बारी, श्री	गोण्डा	सैयद अली अशरफी, श्री	पीलीभीत
बल्देव सिंह आर्य, श्री	उत्तरकाशी	सैयद सईदुल हसन, श्री	बुलन्दशहर
बुधपाल सिंह "खुर्जावाले", श्री	बुलन्दशहर	हितेश कुमारी, श्रीमती	बुलन्दशहर
बुनियाद हुसैन अन्सारी, श्री	सीतापुर		

मुख्यालय मुकेरिया

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, दिनांक 23 फरवरी, 1989

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

सुदूर ग्रामीण अंचलों में बसे गरीब भूमिहीन कृषि मजदूरों हेतु सस्ती आवास योजना की मांग

**1—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सुदूर ग्रामीण अंचलों में बसे गरीब भूमिहीन कृषि मजदूर जो टूटे छप्पर और झोपड़ी में निवास करते हैं, को पक्का आवास उपलब्ध कराने की क्या शासन के समक्ष कोई योजना विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार हुडको और आवास विकास परिषद् जैसे संगठनों को देहात के ऐसे आवास विहीन लोगों हेतु मकान बनाकर उपलब्ध कराने के लिए अधिकृत करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)—

वर्तमान में ग्रामीण अंचलों में बसे गरीब भूमिहीन कृषि मजदूरों को आवास उपलब्ध कराने की कोई नई योजना शासन के विचाराधीन नहीं है क्योंकि शासन द्वारा पहले से ही अनुसूचित जाति/जनजाति के भूमिहीन कृषकों, मुक्त बंधुवा श्रमिकों के लिए दो योजनायें चलायी जा रही हैं ।

भारत सरकार के ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के अधीन प्रदेश के सभी क्षेत्रों में इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत मैदानी क्षेत्र में 6,000 रु0 की लागत तथा पर्वतीय एवं कठिनाई वाले क्षेत्रों में 7,800 रु0 की लागत के पक्के आवास पूर्ण रूपेण अनुदान पर उपलब्ध कराये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त इसी वर्ष 2 अक्टूबर से एक वृहद् निर्बल वर्ग ग्रामीण आवासीय योजना को चलाया गया है जिसके अन्तर्गत मैदानी क्षेत्रों में 6,000 रु0 की लागत के एवं पर्वतीय एवं कठिनाई वाले क्षेत्रों में 7,800 रु0 की लागत के आवासों का निर्माण कराया जा रहा है । इन आवासों के लिए लाभार्थियों को क्रमशः 4,000 एवं 5,800 का अनुदान मैदानी तथा पर्वतीय क्षेत्र में दिया जा रहा है और 2,000 रु0 का ऋण व्यवसायिक बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। उक्त दोनों योजनाओं में इस वर्ष 2,22,265 मकानों का निर्माण कराया जाएगा ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

मान्यवर, मेरा प्रश्न देखने का कष्ट करें, मैंने अपने प्रश्न द्वारा यह जानना चाहा था कि जिस प्रकार हुडको और आवास विकास परिषद् जैसे संगठनों द्वारा शहरी क्षेत्र में मकान बनाकर उपलब्ध कराये जाते हैं इसी प्रकार क्या इन्हीं संगठनों द्वारा मकान बनाकर प्रदेश के सुदूर अंचलों में बसे, गरीब, भूमिहीन एवं कृषि मजदूरों को भी मकान उपलब्ध कराये जायेंगे और क्या ऐसी योजना सरकार के विचाराधीन है ? माननीय मंत्री जी कृपया इसका उत्तर देने का कष्ट करें ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, हमने अपने उत्तर में यही बताया है कि हमारी 2 योजनायें इस संबंध में प्रदेश में इस समय चल रही हैं जो ऐसे लोगों को आवास उपलब्ध कराने की व्यवस्था करती हैं।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मेरा प्रश्न यह नहीं है, मैंने सीधा प्रश्न किया कि जो निर्बल वर्ग के लोग हैं, जो गैर हरिजन हैं, ग्रामीण अंचलों में रहते हैं, उनके लिये क्या सोचा है ? शहरों में तो आपने तमाम गृह आवास की योजनायें चलायी हैं, यहां पर आवास विकास परिषद् की भी योजनायें हैं, हुडको की भी योजना है, और आवास निर्माण की समितियां भी काम करती हैं, जो आवास देती हैं। शहर और ग्रामीण जीवन के अन्दर फर्क और विषमता की सीमा कम हो, क्या इस तरह की योजना जनहित में वहां भी चालू करने पर विचार करेंगे अथवा नहीं ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

हमारी दो योजनायें अनुसूचित जाति, जनजातियों को भवन उपलब्ध कराने की चलायी जा रही है। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार योजना के अन्तर्गत इन्दिरा आवास योजना है और दूसरी योजना के अंतर्गत गरीबों के लिए 2 लाख मकान इस साल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। जिसके तहत 4 हजार रु0 उन्हें अनुदान के रूप में और 2 हजार रु0 बैंकों से ऋण उपलब्ध कराया गया है। मान्यवर, यह जो योजना इस वर्ष चलायी गयी है 2 लाख मकान बनाने की, इसके लिये तो माननीय रघुबर दयाल वर्मा जी को माननीय मुख्य मंत्री नारायण दत्त तिवारी जी को बधाई देनी चाहिए।

यह पहला अवसर है जब इतना बड़ा वृहद् कार्यक्रम गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिए चलाया गया है। पिछले 40 सालों में विभिन्न योजनाओं में कुल 2 लाख 41 हजार मकान हम बना पाये गरीबों के लिये और इस वर्ष एक वर्ष में 2 लाख 22 हजार मकान हम गरीब परिवारों को उपलब्ध करा रहे हैं। इसके लिये माननीय वर्मा जी को शासन को बधाई देनी चाहिए। जहां तक निर्बल वर्गों की बात है, ग्रामीण क्षेत्रों में जिनके पास मकान नहीं है, उनके लिये अभी हमने कोई योजना तो नहीं बनाई है। लेकिन, एक ग्रामीण आवास नीति पर शासन स्तर पर विचार किया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत निर्बल वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं विमुक्त बंधुवा श्रमिक, ग्रामीण भूमिहीन मजदूर एवं शिल्पकार, विधवा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवार और अल्प आय वर्ग के लिये, उन्हें आवास निर्माण के लिए भूखण्डों का आवंटन किस प्रकार किया जाय, विभिन्न आय वर्ग के लिए आवासों के निर्माण/पुनर्निर्माण के लिये उपयुक्त वित्तीय संसाधन किस प्रकार उपलब्ध कराये जायं, आवासों के निर्माण के साथ-साथ आवश्यक अवस्थापना सुविधायें-बिजली, शौचालय, नाली, खड़ंजे, निर्धूम चूल्हे, मल के उचित निस्तारण की व्यवस्था और मार्ग प्रकाश वगैरह की व्यवस्था किस प्रकार की जाय, इसके अलावा निर्माण लागत किस तरह से कम करके मकान

उपलब्ध कराये जा सकते हैं, और स्थानीय जो सामग्रियां उपलब्ध होती हैं मकान के निर्माण के लिये, उनका हम किस तरह से बेहतर उपयोग कर सकते हैं, किस तरह से नयी तकनीक देकर ग्रामीण अंचलों में जहां पर अकुशल श्रमिक हैं, राजगीर हैं, उनको किस तरह से प्रशिक्षण देकर कम लागत में बेहतर मकान बनवा सकते हैं, इन चीजों पर, ग्रामीण आवास नीति के लिये, शासन स्तर पर विचार किया जा रहा है।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि आपने जिन दो योजनाओं का उल्लेख किया है, उनमें इन्दिरा आवास योजना और दूसरी जो योजना है, उनका ज्यादा लाभ उपभोक्ताओं को न होकर अफसरों को ज्यादा हो रहा है। आप जो 6 हजार रुपया देते हैं, उसमें वह 3 हजार का मकान बनाकर देते हैं, बाकी 3 हजार अधिकारियों की जेबों में चला जाता है। इस धनराशि का उपयोग सर्वथा जनसामान्य के हित में हो सके, इसके लिये क्या आप इस रुपये को ऋण के रूप में या अनुदान के रूप में उपभोक्ताओं को दिलवाने की व्यवस्था करेंगे और मकान बनवाने की पालिसी को समाप्त करेंगे ? मकान वह स्वयं बनायें, चाहे मानचित्र आपका ही हो।

दूसरी बात ग्रामीण आवास नीति की आपने जो व्याख्या की है, उसके संबंध में मैं जानना चाहता हूं कि इस नीति को आप कब से क्रियान्वित करेंगे और इसमें कितना समय लगेगा ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

श्रीमन्, माननीय राणा साहब को शायद जानकारी नहीं है। अभी तक तो हमें शिकायतें मिलती थीं कि 6 हजार जो आप उन्हें उपलब्ध करा रहे हैं, वह पूरा का पूरा उन्हें नहीं मिल रहा है, अक्सर सरकारी कर्मचारी/अधिकारी उसमें से कुछ हिस्सा खा जाते हैं और पूरा धन उन्हें उपलब्ध नहीं हो पाता था, इसी उद्देश्य से इस वर्ष शासन ने निर्णय लिया कि कोई अधिकारी या कर्मचारी इन गरीबों के मकान नहीं बनवायेगा, बल्कि लाभार्थी जिनके लिये मकान बन रहे हैं, वे स्वयं अपने मकान का निर्माण करायेंगे। श्रीमन् जैसे एक गांव में 10 हरिजन परिवार हैं और उनको मकान बनाना है, तो वहां दस हरिजन परिवार के लोग बैठकर कोई अपना एक अध्यक्ष चुनेंगे और उस अध्यक्ष के नाम से और उस गांव सभा के संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी का ज्वाइंट खाते में पैसा जमा कर दिया जायगा और इसमें सामग्री क्रय करने का पूरा अधिकार अध्यक्ष को होगा और वह स्वयं सामग्री क्रय करेगा। यह आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं और इसी के अनुरूप प्रदेश में हर जगह मकानों का निर्माण हो रहा है। मैंने स्वयं कई जिलों में दौरा किया है और हमारे अधिकारीगण भी दौरा किये हैं, ऐसी शिकायतें अब कम ही मिल रही हैं कि भवन निर्माण में पैसा खाया जा रहा है, या अधिकारी हड़प कर रहे हैं। राणा साहब अपनी कांस्टीट्एन्सी में स्वयं दौरा करके देख लें कि इस नीति का पालन हो रहा है, वह इसको देखेंगे तो पायेंगे कि अब बेहतर तरीके से मकान निर्माण हो रहा है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जैसा कहा है, उसी के संबंध में मैं जानना चाहूंगा कि जिन लोगों की वार्षिक आमदनी 1 हजार रुपये या 2 हजार रुपये के बीच में है और जिस योजना की आपने अभी यहां व्याख्या की है, इन्दिरा आवास योजना और जो आवास आप बनवा रहे हैं, क्या इनमें 6 हजार रुपये तक देने के बाद, आप 4 हजार अनुदान के रूप में और 2 हजार ग्रामीण बैंकों से कर्जा दिलवाते हैं ? इन मकानों में जो लागत आ रही है, वह श्रीमन्, 12 हजार की आती है और वही व्यक्ति इन मकानों को पाने का हकदार है, जो अपनी तरफ से मेहनत मजदूरी करके उसमें 4 हजार रुपया लगाने की क्षमता रखता हो । तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस राशि को बढ़ाकर आप 10 हजार रुपये कर देंगे, जिससे इसी आय वालों को यह मकान उपलब्ध हो सकें ।

दूसरी बात मैं जानना चाहता हूं कि जो ग्रामीण आवास नीति की आपने व्याख्या की है क्या उसमें देहात में हडको राज्य आवास योजना को इस नीति में जोड़ने की नीति निर्धारित करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

श्रीमन् जो 6 हजार लागत के मकानों का निर्माण कराया जा रहा है, उसमें मकान का जो नक्शा है, जो उसकी लम्बाई-चौड़ाई है, उसके हिसाब से 6 हजार रुपया काफी है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, इसकी जांच करा देंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, जब लम्बाई-चौड़ाई बढ़ा दी जायेगी तो उसकी लागत भी बढ़ जायेगी । 6 हजार रुपए का जो नक्शा दिया गया है, वह उसमें पूरा हो जायेगा । मैंने स्वयं जाकर भी इसे कई स्थानों पर देखा है ।

श्री अध्यक्ष–

इस पर काफी प्रश्न हो चुके हैं । अब आगे बढ़ता हूं ।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, एक बात और माननीय सदस्य को बता दूं जो उन्होंने ग्रामीण आवास नीति के सम्बन्ध में प्रश्न यहां पर रखा है। ग्रामीण आवास नीति पर शासन स्तर पर विचार किया जा रहा है कि किस तरह से हम हडको को ज्यादा से ज्यादा इसमें इन्वाल्व कर सकें और व्यवसायिक बैंकों को इसमें इन्वाल्व कर सकें । जिस तरह से शहरी इलाके में काम किया जा रहा है उसी तरह से ग्रामीण इलाके में भी सहकारी समितियां बनाकर उनके माध्यम से अल्प आय वाले मकान बना कर लोगों को उपलब्ध कराये जा सकें। इन सब चीजों पर नई ग्रामीण आवास नीति के तहत शासन स्तर पर विचार किया जा रहा है ।

स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मानते हुए पान मसाले के डिब्बों, पुड़ियों पर "स्वास्थ्य के लिए हानिकारक" लिखे जाने हेतु निर्देश

**2—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकार ने पान मसाला को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मानते हुए कोई फैसला लिया है कि पान मसाला के डिब्बों, पुड़ियों पर "स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है," लिखा जाना चाहिए ? यदि हां, तो फैसला कब लिया गया और अब तक वैधानिक चेतावनी क्यों नहीं छापी जा रही है ?

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री बिहारी लाल दोहरे)—

उत्तर प्रदेश कैंसर कन्ट्रोल बोर्ड द्वारा दिनांक 23-2-1988 को अपनी बैठक में यह संस्तुति की गयी थी कि जिस प्रकार सिगरेट के पैकिटों और विज्ञापनों पर चेतावनी उल्लिखित रहती है, उसी प्रकार तम्बाकू एवं पान मसाला के पैकिंग और विज्ञापनों पर भी संविधिक चेतावनी, "स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है," का उल्लेख किया जाय । इसके लिए सिगरेट (उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) अधिनियम, 1975 में संशोधन संसद द्वारा ही किया जा सकता है । भारत सरकार को तद्नुसार संशोधन पारित करने हेतु उक्त आशय का संकल्प विधान मण्डल के वर्तमान सत्र में लाने की कार्यवाही की जा रही है ।

श्री हृदय नरायन दीक्षित—

मान्यवर, एक वर्ष पहले इसी आदरणीय सदन में यह मामला काम रोको प्रस्ताव के माध्यम से उठाया गया था । उस समय स्वास्थ्य मंत्री जी की तरफ से कहा गया था कि इस आशय की चेतावनी का प्रारूप भेज दिया जायेगा । आज एक साल के बाद माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी कह रहे हैं कि संकल्प इस सत्र में लाया जायेगा । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उस संकल्प का प्रारूप क्या है ? दूसरा, पान मसाले में जिन कैमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिनसे कैन्सर पैदा होने का खतरा है उत्तर प्रदेश कैंसर कंट्रोल बोर्ड ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है, क्या उन कैमिकल्स के विवरण को भी पैकेज में छपाने का प्रस्ताव प्रारूप में प्रस्तावित है?

जन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री गोपी नाथ दीक्षित)—

मान्यवर, जब संकल्प आ रहा है तो उसके आने से पहले उसके विवरण को प्रस्तुत करने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, स्वास्थ्य, राज्य सरकार का विषय है । इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो चीजें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं, उन पर प्रतिबन्ध लगाने की दिशा में सरकार कोई विचार करेगी ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

मान्यवर, जहां तक इस प्रश्न का सवाल है, पान मसाले पर प्रतिबन्ध लगाना भारत सरकार का काम है । इस पर परिवर्तन करना भारत सरकार की नीति के अनुसार होगा । अगर अन्य किसी प्रकार से औषधि के कारण कोई असुविधा या कठिनाई हो रही हो तो उस पर शासन विचार करेगा ।

श्री गोपाल दास यादव–

मान्यवर, सेक्सन 45 ड्रग कास्मेटिक एक्ट के तहत इसका लाईसेन्स दिया गया है। यह मालूम है कि इस चीज से हानि है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 2 साल में उन्होंने इसके कितने नमूने एकत्र करवाये हैं और उनमें जांच के बाद क्या-क्या केमिकल्स पाये गये हैं, और आज तक उन्होंने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

मान्यवर, श्री यादव जी तो औषधि के विशेषज्ञ हैं। वह स्वयं जानते हैं कि इन सारी बातों को केन्द्रीय औषधि कन्ट्रोल बोर्ड ने ध्यान में रखकर अधिनियम में परिवर्तन करने का निश्चय किया है।

(श्री अध्यक्ष द्वारा श्री शारदानन्द अंचल को पुकारे जाने पर)

श्री गोपाल दास यादव–

यह उत्तर नहीं आया है।

श्री शारदानन्द अंचल–

माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में, माननीय मंत्री जी भी स्वीकार करते हैं कि पान मसाला हानिकारक है क्योंकि बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में ऐसी सूचना दी है। क्या सरकार विचार करेगी कि उसकी बिक्री को रोक दिया जाय ?

(मा0 मंत्री जी द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री शारदानन्द अंचल–

मा0 मंत्री जी ऐसे बैठे हैं जैसे पान मसाला वालों से मिले हुए हैं। अगर प्रतिबन्ध लगा देंगे तो कांग्रेस को चन्दा मिलना बन्द हो जायगा। इसीलिये कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठें।

श्री शारदानन्द अंचल–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

आप जो बोल रहे हैं कुछ नहीं लिखा जायगा।

श्री शारदानन्द अंचल–

[x x x] इसके विरोध में मैं सदन का त्याग करता हूं।

(श्री शारदानन्द अंचल सदन त्याग कर चले गये)

डा0 दिनेश जौहरी–

अब यह हर घर में लोकप्रिय है। इससे कैन्सर भी हो रहा है। क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में पिछले एक वर्ष में पान मसाला से हुए कैन्सर के कोई केसेज पाये गये ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

टिप्पणी–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री राम आसरे वर्मा–

अभी मा0 मंत्री जी से प्रश्न किया गया था कि जो संकल्प प्रस्तुत करने की कार्यवाही कर रहे हैं, उसका प्रारूप क्या है ? उन्होंने कह दिया कि पहले बताना उचित नहीं है । इसी प्रश्न के उत्तर में कह रहे हैं कि उक्त आशय का संकल्प विधान मण्डल के वर्तमान सत्र में लाने की कार्यवाही की जा रही है । मैं जानना चाहूंगा कि ''उक्त आशय'' से क्या तात्पर्य है?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

पान मसाला के डिब्बे पर लेबिल लगाने का ।

श्री हृदय नरायन दीक्षित–

मेरा भी एक प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

इस पर बहुत प्रश्न हो चुके । अब आगे चलते हैं ।

(श्री अध्यक्ष द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या–1 तथा 2 पुकारा गया किन्तु प्रश्नकर्ता सदस्य चूंकि उपस्थित नहीं थे, अतः श्री अध्यक्ष द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या–3 पुकारा गया)

श्री हृदय नरायन दीक्षित–

मैं भी एक प्रश्न पूछना चाहता था आपने अनुमति नहीं दी ।

श्री अध्यक्ष–

अब हो गया, आप बैठें ।

(श्री हृदय नरायन दीक्षित के खड़े रहने पर)

श्री अध्यक्ष–

इस तरह से कैसे काम चलेगा ?

श्री हृदय नरायन दीक्षित–

जैसे आप चला रहे हैं, वैसे नहीं चलेगा ।

श्री अध्यक्ष–

अच्छा, आप अपना प्रश्न कर लीजिये ।

श्री हृदय नरायन दीक्षित–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस आशय का संकल्प लाने के बारे में अभी माननीय मंत्री जी ने सदन में बतलाया है, मुझे तो लगता है कि उस संकल्प की अभी रूपरेखा तैयार नहीं हुई है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो संकल्प वे लाने वाले हैं उस संकल्प के प्रमुख बिन्दु क्या हैं ? यह बतला दें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय दीक्षित जी, आपकी सूचना के लिए बतला दूं कि अल्पसूचित तारांकित प्रश्न के लिये 11.20 बजे तक का समय है और अब आप प्रश्न कर रहे हैं 11.25 बजे? आप जरा देखा करिये और समझा करिये। अब आप कृपा करके बैठें।

श्री हृदय नरायन दीक्षित–

आपने तो अभी इस नियम को बतलाया है, पहले तो ऐसा कोई नियम नहीं था । अब यह बात दूसरी है कि आप अपनी [xxx] करना चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

अच्छा, अब आप कृपा करके बैठें । मैं आपकी जानकारी के लिये बतला रहा हूं, आपका प्रश्न हो गया या बाकी है ?

श्री हृदय नरायन दीक्षित–

प्रश्न तो हो गया, अब आप मंत्री जी से इसका उत्तर दिलवा दें ।

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

मान्यवर, संकल्प के लिये उन्होंने स्वयं ही कहा है कि लगता है कि अभी वह पूरा तैयार नहीं है । इस उत्तर में कहा गया है कि इस सत्र में 31 मार्च तक यह संकल्प प्रस्तुत किया जायेगा । अभी मार्च का पूरा महीना पड़ा हुआ है और इस फरवरी में भी कुछ दिन शेष हैं, अब इसके क्या बिन्दु हैं, इसे कैसे अभी बतलाना सम्भव है ?

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में शैक्षिक पदों पर चयन हेतु मंत्री, हरिजन एवं समाज कल्याण की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुतियों को लागू किया जाना

*1–श्री चेतराम–

क्या स्वास्थ्य मंत्री प्रदेश के राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में शैक्षिक पदों पर चयन के लिए आरक्षण के प्रश्न पर विचार करने एवं संस्तुति देने हेतु मा0 मंत्री हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति की आख्या एवं संस्तुति आने तक प्रवक्ताओं की तदर्थ नियुक्ति तात्कालिक प्रभाव से स्थगित करेंगे ? यदि प्रवक्ताओं की अति आवश्यकता हो तो क्या सिर्फ आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी ही लेने का कष्ट करेंगे ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी नहीं। समिति की आख्या एवं संस्तुति आने तक तदर्थ नियुक्तियां स्थगित रखना जनहित में उचित नहीं है क्योंकि इससे छात्रों की शिक्षा में अवरोध और रोगियों की जांच एवं उपचार में व्यवधान उत्पन्न होगा ।

जी नहीं । शासन द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार ही आरक्षित पदों पर तदर्थ नियुक्तियां की जायेंगी ।

महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज झांसी में स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा की डिग्री को मान्यता न मिलने का प्रश्न

*कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि महारानी लक्ष्मी बाई मेडिकल कालेज झांसी के विभिन्न विभागों में स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा पिछले आठ वर्षों से प्रदान

टिप्पणी–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

की जा रही है किन्तु मेडिकल काउन्सिल आफ इन्डिया (एम0 सी0 आई0) ने इसकी स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा की डिग्री को अभी तक मान्यता प्रदान नहीं की है ? यदि हां, तो सरकार ने इस कालेज की स्नातकोत्तर डिग्री को मान्यता दिलाने हेतु अब तक क्या प्रयास किये हैं तथा क्या मंत्री जी इसकी पी0जी0 डिग्री को इसी वर्ष एम0सी0आई0 से मान्यता दिलाने का प्रयास करेंगे ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां ।

कतिपय बिन्दुओं पर यथोचित सुधारात्मक कार्यवाही की गई है एवं शेष बिन्दुओं के विषय में इसी वर्ष समस्त आवश्यक कार्यवाही करके मान्यता दिलाने का भरसक प्रयास किया जायेगा ।

बहराइच जनपद के चिकित्सा विभाग में कन्टीजेन्सी के स्पेशल आडिट कराये जाने की मांग

*3–श्री देवता दीन–

क्या स्वास्थ्य मंत्री की जानकारी में है कि जनपद बहराइच के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने 25-5-88 से 25-6-88 तक क्रमिक अनशन किया था तत्पश्चात कर्मचारियों एवं अधिकारियों के बीच 29-6-88 को तत्कालीन संयुक्त निदेशक (बाल रोग) की मध्यस्थता पर सशर्त हड़ताल समाप्त हुई थी और उस शर्त में शर्त संख्या–4 के अनुसार 86-87 व 87-88 में बहराइच जनपद के चिकित्सा विभाग के कन्टीजेन्सी के स्पेशल आडिट कराने को भी स्वीकार किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त आडिट किया गया ? यदि नहीं, तो आडिट न कराये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री बिहारी लाल दोहरे–

जी हां ।

उक्त आडिट अभी नहीं किया गया है । उसे तुरन्त कराने के लिए निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, को निर्देशित कर दिया गया है ।

श्री देवता दीन–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानकारी करना चाहता हूं कि समझौता करने के 8 महीने के बाद अब निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को इन्होंने निर्देशित किया है आडिट कराने के लिये, तो यह आडिट कब तक करायेंगे और अब इसमें कितने दिन और लगेंगे ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

मान्यवर, प्रश्नकर्त्ता माननीय सदस्य ने जो कहा है, यह कार्य बहुत लम्बा था, सारे जनपदों के समस्त चिकित्सालयों में क्रय की गयी औषधियों की जांच करने का काम था, इसलिये इसमें बिलम्ब हुआ है, अब आडिट यथाशीघ्र पूरा करा लिया जायेगा ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अभी अपने उत्तर में कहा है कि यह बहुत लम्बा कार्य था और इसलिये कार्य को करने में देर हो गयी। माननीय सदस्य ने पूछा था कि आडिट क्यों नहीं कराया गया यह तो अभी प्रारम्भ भी नहीं कराया गया है। यह स्पेशल आडिट होने की बात थी जिसे 8 महीने के बाद भी अभी प्रारम्भ

ही नहीं कराया गया है, इसका क्या कारण था ? कहते हैं कि अब निर्देश दिये हैं जबकि 8 महीने का समय बीत चुका है और लगता है कि स्पेशल आडिट करने का निर्देश भी तभी दिया गया है जबकि माननीय सदस्य का प्रश्न आ चुका है, इसके बारे में मा0 मंत्री बतला दें ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

मैंने यह नहीं कहा है कि आडिट नहीं करायेंगे, पूरा आडिट कराने का आदेश दे दिया गया है । इसके पहले टेस्ट आडिट महालेखाकार की ओर से हुआ था, टेस्ट आडिट में कोई गम्भीर आरोप नहीं पाये गये। इसके बावजूद भी आदेश दिये गये हैं कि जो समझौता हुआ था उसी समझौते के अनुसार आडिट को पूरा कराया जाय ।

श्री त्रिभुवन प्रसाद–

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बतलाया है कि टेस्ट आडिट में गम्भीर आरोप नहीं पाये गये । माननीय मंत्री जी यही बतला दें कि उसमें जो अनियमिततायें पायी गयी हैं, वह क्या हैं ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

मान्यवर, यह महालेखाकार का नोट हमारे पास मौजूद है जो बहुत लम्बा है, यदि आप इजाजत दें तो उसे पढ़ दूं । वैसे जो कमियां इस में बतायी गयीं थीं, उनमें से अधिकांश कमियों की पूर्ति कर दी गयी है और जो 28 त्रुटियां बतायी गयीं थीं, इसमें से 14 त्रुटियों को भी दूर कर दिया गया है ।

श्री देवता दीन–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने यह नहीं बताया कि यह आडिट कब तक समाप्त हो जायेगा ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

मान्यवर, मैंने अभी यह कहा है कि पूरे जनपद के समस्त चिकित्सालयों को क्रय की गयी दवाओं की जांच करानी है, उसमें कितना टाइम लग सकता है, यह मेरे लिए पहले से बता पाना असंभव है कि कितना समय लगेगा ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

डिबार्ड फर्म से अपर कृषि निदेशक (चावल) द्वारा सैकड़ों मशीनों की आपूर्ति किया जाना

*1–श्री मनेजर सिंह (अनुपस्थित)–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उद्योग निदेशक, उ0 प्र0, कानपुर द्वारा अपने मेमोरेन्डम सं0 19096 दिनांक 9-10-1986 द्वारा मे0 एलाइड इण्डस्ट्रीज़ ट्रेडर्स, लखनऊ को एक वर्ष के लिए आपूर्ति हेतु डिबार कर दिया गया था ? यदि हां, तो क्या श्री राम स्वरूप ओझा, अपर कृषि निदेशक (चावल) द्वारा उसी डिबार्ड फर्म से भूमि सुधार निगम के माध्यम से सैकड़ों मशीनें डिबार होने के बाद आपूर्ति करवायी हैं? यदि हां, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल)–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

[गुरुवार, दि0 23 फरवरी, 1989 के निर्धारित तारांकित प्रश्न]

नान मेडिकल असिस्टेंटों को फिक्स टी0 ए0 न दिये जाने का औचित्य

*1–कुंवर मानवेन्द्र सिंह (अनुपस्थित)–

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कार्यरत कर्मचारियों जिनका कार्यक्षेत्र पांच हजार जनसंख्या पर है, को फिक्स टी0 ए0 मिलता है ? यदि हां, तो नान मेडिकल असिस्टेंट जिनका कार्य क्षेत्र पच्चीस हजार जनसंख्या पर है, को फिक्स टी0 ए0 न दिये जाने का क्या औचित्य है ? क्या मंत्री जी उपरोक्त विसंगति को समाप्त कर नान मेडिकल असिस्टेंट को भी फिक्स टी0 ए0 दिये जाने के आदेश करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

जी हां । कुष्ट निवारण कार्यक्रम के अन्तर्गत नान मेडिकल असिस्टेंट अपने कर्तव्य एवं दायित्व के अधीन 25,000 की जनसंख्या के क्षेत्र में कार्य करते हैं जिसके लिए उन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता की सुविधा दी जाती है । इन्हें नियत यात्रा भत्ता दिए जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ।

संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ द्वारा 7 जनवरी, 1988 को आयोजित तृतीय श्रेणी के पद की परीक्षा में अनुसूचित जाति का कोटा

*2–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ द्वारा दिनांक 7 जनवरी, 1988 को प्रवर वर्ग सहायक/अवर वर्ग सहायक पद हेतु कोई साक्षात्कार परीक्षा आयोजित की गयी थी ? यदि हां, तो क्या इस परीक्षा में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों हेतु कोई आरक्षण था ? यदि हां, तो उक्त वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा कितने पद भरे गए ? उक्त साक्षात्कार परीक्षा हेतु गठित चयन समिति में कोई अनुसूचित जाति का अधिकारी मनोनीत था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बिहारी लाल दोहरे–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री हृदय नरायन दीक्षित–

मान्यवर, यह प्रश्न बड़ा सरल सा है, जिसका उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया है कि सूचना एकत्र की जा रही है । मान्यवर, प्रश्न मात्र यह है कि संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ द्वारा प्रवर वर्ग सहायकों/अवर वर्ग सहायकों की नियुक्ति हेतु एक परीक्षा आयोजित की गयी थी, उसमें अनुसूचित जाति व जनजाति के अभ्यर्थियों

का आरक्षण था या नहीं । यह एक सरल सा प्रश्न पूछा गया था । यह सूचना मान्यवर टेलीफोन से ही यदि माननीय मंत्री जी मंगाते तो आ जाती, परन्तु माननीय मंत्री जी ने टालने की नीयत से यह उत्तर दे दिया कि सूचना एकत्र की जा रही है । अब केवल मा0 मंत्री जी यह सूचना दे दें कि वहां पर कोई परीक्षा आयोजित की गई थी या नहीं और उसमें अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों का आरक्षण था या नहीं ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

श्रीमान्, इस समय आप जानते हैं कि कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है, इसलिए जो सूचना हम देना भी चाहते थे, वह इन कार्यों से नहीं दे पा रहे हैं ऐसा कभी कभी हो जाता है ।

श्री शारदा प्रताप–

मान्यवर, यह संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान मेरे क्षेत्र से ही संबंधित है और शासन की नीति भी यही है कि जितने भी पद हैं, वह आरक्षण द्वारा ही भरे जाएं । साथ ही एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि जिन परिवारों की जमीनें इस संस्थान में ली गई हैं, उन्हें भी उसी प्रकार से जिस प्रकार से अमेठी, रायबरेली व सुल्तानपुर में ली गई जमीनों के संबंधित परिवार वालों में से नौकरी दी गई हैं, क्या प्रभावित परिवारों को तृतीय श्रेणी व चतुर्थ श्रेणी या जिस पद के वह योग्य हों अब तक किसी को दी गई है या भविष्य में अब किसी को दिए जाने पर विचार हो रहा है और दूसरी बात जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा है कि वहां पर हड़ताल चल रही है, तो यह हड़ताल माननीय मंत्री जी कृपया बतायें कि कब से चल रही है ?

श्री अध्यक्ष–

हड़ताल का प्रश्न तो आपका दूसरा है, इस प्रश्न से यह संबंधित नहीं है, इसके लिए आप दूसरा प्रश्न करें ।

श्री शारद प्रताप–

नहीं मान्यवर, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि हड़ताल चल रही है तो मेरा वह क्षेत्र है, जिसके बारे में मुझे पूरी जानकारी है । दूसरी बात यह कि यह प्रश्न 5 नवम्बर, 1988 का है । मान्यवर, आप संरक्षण दें तभी किसी बात का हल निकल सकता है कि माननीय मंत्री जी जिस जगह पर रहते हैं वहां से यह संस्थान सिर्फ 10 कि0मी0 की ही दूरी पर है, इतनी लम्बी अवधि में यह सूचना चाहते यदि तो एकत्रित कर सकते थे, लेकिन शासन की यह परिपाटी है कि जिस प्रश्न को यह टालना चाहते हैं तो कह देते हैं कि सूचना एकत्र हो रही है । मान्यवर इससे ज्यादा और शर्मनाक बात क्या हो सकती है। जो अधिकारी वहां पर विद्यमान हैं, वह इस प्रश्न का जवाब देना नहीं चाहते हैं, इसीलिए मा0 मंत्री जी ने भी यही जवाब दे दिया इसीलिए मैं जानना चाह रहा था कि वहां पर हड़ताल कितने दिनों से है और दूसरा प्रश्न मेरा यह था कि जिन लोगों की जमीनें अधिकृत की गई हैं, उन परिवारों में से अब कितनों को आपने नौकरी दे दी है और कितनों को अब समायोजित करने जा रहे हैं?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

मान्यवर जहां तक सम्मानित सदस्य शुक्ला जी का प्रश्न है कि 10 किलोमीटर की दूरी है तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर यह 10 किलोमीटर की दूरी न भी होती, जिनसे उत्तर प्राप्त होना है और वह प्राप्त नहीं होता है, तो वह चाहे निवास स्थान से ही मिला क्यों न हो, तो भी मुश्किल था । उनका कहना है कि जिन काश्तकारों की भूमि ली गई है, उनके प्रत्येक परिवार के सदस्य को वहां पर नौकरी दी जाए । इस संबंध में शुक्ला जी मिले भी थे और उन कृषक परिवार के लोग भी मिले थे । मैं कहना चाहता हूं कि बहुतों को नौकरी दे दी गई है ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, यह तो दुबारा प्रश्न आयेगा । यह तो स्थगित प्रश्न है ।

श्री हृदय नरायन दीक्षित–

मान्यवर, सरकार का जो अनुसूचित जाति के लोगों के साथ रवैया है, उसको आप देख लें । 5 नवम्बर, 1988 का प्रश्न है और उत्तर कहीं आया है । तो मैं जानना चाहता हूं कि 5 फरवरी, 1988 से लेकर इस प्रश्न के संबंध में जितनी जानकारी हो उसी को बता दें ।

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जितना मालूम था, बता दिया है ।

नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ से सम्बद्ध विश्वविद्यालय का नाम एवं लागू पाठ्यक्रम

*3–श्री अशोक बाजपेयी (अनुपस्थित)–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ का स्थानीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज किस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध (एफीलिएटेड) है? उक्त मेडिकल कालेज में जी0 एच0 एम0 एस0 अथवा बी0 एच0 एम0 एस0 कौन सा पाठ्यक्रम लागू किया गया है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ, कानपुर विश्वविद्यालय तथा आगरा विश्वविद्यालय, दोनों से सम्बद्ध है । इस महाविद्यालय में वर्ष 1982-83 के पूर्व से जी0 एच0 एम0 एस0 पाठ्यक्रम में तथा वर्ष 1982-83 से बी0 एच0 एम0 एस0 पाठ्यक्रम में शिक्षा प्रदान की जाती रही है किन्तु वर्ष 1982-83 से जी0 एच0 एम0 एस0 पाठ्यक्रम में नए प्रवेश बन्द कर दिए गए हैं ।

*4–श्री मैनेजर सिंह–

[5वें गुरुवार के लिए स्थगित]

मेडिकल कालेज रहित मण्डल एवं बरेली व मुरादाबाद मण्डलों में मेडिकल कालेज खोलने की मांग

*5—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के कौन-कौन से मण्डल ऐसे हैं जिनमें मेडिकल कालेज नहीं है ? प्रदेश में डाक्टरों की कमी तथा मेडिकल कालेजों में प्रवेश पाने के इच्छुक छात्रों की संख्या को देखते हुए सरकार अविलम्ब बरेली तथा मुरादाबाद मण्डल में मेडिकल कालेज स्थापित करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बिहारी लाल दोहरे—

जी हां, फैजाबाद मण्डल, गढ़वाल मण्डल, कुमायूं मण्डल, बरेली मण्डल तथा मुरादाबाद मण्डल ऐसे हैं जिनमें मेडिकल कालेज नहीं हैं ।

जी नहीं ।

भारत सरकार व मेडिकल कौंसिल आफ इण्डिया ने समस्त प्रदेशों में नए मेडिकल कालेज खोले जाने पर प्रतिबन्ध लगा रखा है ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो प्रतिबन्ध लगाए गए हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि डाक्टरों की संख्या अधिक है । मैं जानना चाहता हूं कि बरेली और मुरादाबाद मण्डल मुख्यालयों पर क्या शासन में भारत सरकार की नीति को देखते हुए, मेडिकल कालेज खोलनेका यह मामला विचाराधीन है और सदन में आश्वासन देंगे कि 500 बेड का अस्पताल खोला जायेगा ? अगर इन दो स्थानों पर मेडिकल कालेज नहीं खोला जा सकता है तो क्या 500 बेड का अस्पताल न खोले जाने का क्या कारण है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

मान्यवर, बरार जी का बरेली का मामला है । वह जानते हैं कि शासन ने वहां पर 500 बेड के अस्पताल के खोले जाने का निर्णय ले लिया है, लेकिन उसके लिए जमीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है, भूमि खोजी जा रही है । माननीय सदस्य उसमें मदद कर दें, तो जल्दी हो जाए और जल्दी ही कार्यवाही हो जाए ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, बरेली और मुरादाबाद दोनों का है ।

श्री अध्यक्ष—

बरेली काफी था ।

डा0 दिनेश जौहरी—

मान्यवर, दो वर्ष पहले यही सवाल किया था और यही उत्तर दिया गया था और आज भी वही उत्तर दिया जा रहा है । पूरे बरेली, मुरादाबाद और कुमायूं मण्डलों में कोई सुविधा नहीं है । वहां के लोगों को दिल्ली, मेरठ और लखनऊ जाना पड़ता है, फिर मंत्री जी कह रहे हैं कि जमीन खोजी जा रही है क्या वह बतायेंगे कि कब तक अस्पताल खोलने की घोषणा करेंगे ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

मान्यवर, जिन पांच मण्डलों की बात माननीय सदस्यों ने कही है उसमें फैजाबाद मण्डल में भूमि प्राप्त करने का चयन कर लिया गया है । चार लाख रुपए में जो ग्राम समाज की 25 बीघा जमीन है और 17 बीघा जमीन क्रय करने की आवश्यकता है। बरेली के बारे में मैंने निवेदन कर लिया । मुरादाबाद में जो 500 बेड का अस्पताल बन रहा है वह 70 प्रतिशत बन चुका है और कुमायूं मण्डल में 200 बैड का अस्पताल बन गया है । सम्भवत: 12 मार्च को माननीय मुख्य मंत्री जी उसका उद्घाटन करेंगे । गढ़वाल मण्डल में 200 बैड का अस्पताल बनाने का सवाल है वह श्रीनगर में बन रहा है और वह अक्टूबर तक बन जायेगा । बरेली में जितनी जल्दी जौहरी साहब भूमि दिला देंगे, उतनी जल्दी बन जायेगा ।

डाक्टर दिनेश जौहरी–

भूमि तो आपके अधिकारियों को ढूंढनी पड़ेगी । वह कोई मदद नहीं कर रहे हैं ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं हम भूमि ढूंढ़ने में उनका सहयोग करें । मैं माननीय मंत्री जी से कहता हूं कि वे हम लोगों के साथ सहयोग करें तो बहुत जल्दी भूमि मिल जायेगी । उन्होंने कहा कि और जगहों पर यह-यह काम हो रहा है लेकिन बरेली में तीन-चार साल से बराबर यही बात कही जा रही है कि भूमि नहीं मिल रही है । मैं यह पूछना चाहता हूं कि आज तक वहां पर भूमि ढूंढ़ने के लिए क्या-क्या प्रयास किए गए हैं । इसके बारे में जानकारी देने का कष्ट करें क्योंकि हमेशा यही उत्तर दिया जाता है ।

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

मान्यवर, मैं सम्मानित सदस्य बरार जी के साथ बरेली जाने के लिए तैयार हूं वह हमारे साथ चलें ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, अगर यह हमारे साथ जायेंगे तो हम इनको बिल्कुल ठीक करके भेज देंगे । इनका स्वागत है ।

श्री किशोरी लाल सकलानी–

मान्यवर, क्या गढ़वाल मण्डल में भी कोई मेडिकल कालेज देहरादून में खोलने के लिए शासन विचार कर रहा है ?

श्री अध्यक्ष–

इससे इसका ताल्लुक नहीं है ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, बरेली चार जिलों का मुख्यालय है । मंत्री जी ने सारे मण्डलों की सूचना दे दी । बरेली के साथ क्यों भेद-भाव किया जा रहा है ? इन्होंने हमारे सहयोग की जरूरत नहीं समझी । जब प्रश्न आ गया तब हमारे सहयोग की जरूरत पड गई ।

श्री अध्यक्ष–

वह आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

इससे काम होने वाला नहीं है । . . (व्यवधान) इसके लिए कोई समय निश्चित कर दें कि भूमि उन्हें कब तक मिल जायेगी ? कब तक इस मण्डल के साथ सौतेला व्यवहार चलता रहेगा ? किस समय तक वह इसके लिए भूमि अधिग्रहीत कर देंगे ?

श्री अध्यक्ष–

अब इस पर काफी सवाल हो गए हैं ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

आप समय निर्धारित करवा दें कि कब तक वहां पर भूमि लेने की कार्यवाही कर देंगे ? हमसे आज तक नहीं पूछा गया और अब हमारा सहयोग मांग रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

उन्होंने कह दिया कि वह आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

आप सदन में समय निश्चित करा दें । वह आ जायं । जो सहयोग होगा वह हम देंगे ।

डाक्टर दिनेश जौहरी–

आप इसके लिए समय निश्चित करा दें ।

श्री शारदा प्रताप–

दो-तीन महीने में करा देंगे, यह कहलवा दें ।

श्री अध्यक्ष–

जौहरी साहब आपके लिए मुनासिब नहीं है

डाक्टर दिनेश जौहरी–

मान्यवर, आप मंत्री जी को 25 तारीख को हमारे साथ जाने के लिए निर्धारित करा दें । निर्देश दे दें । मान्यवर, वहां से मरीज दिल्ली और मेरठ जाते हैं । वहां पर चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं है ।

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

मान्यवर, प्रदेश के प्रत्येक मण्डल और मेडिकल कालेज हों यह आवश्यक है और शासन भी इस दिशा में चिन्तित है । लेकिन भारत सरकार की नीति के अनुसार नए मेडिकल कालेज खोलना सम्भव न होने के कारण वहां पर 500 और 200 बेड के अस्पताल खोलने का निश्चय किया गया है। जिन स्थानों पर भूमि मिल गयी और संसाधन संभव हो सके वहां पर अस्पतालों को बनाने का प्रारम्भ हो गया। बरेली स्वयं में एक बहुत बड़ा शहर है। वहां भूमि ढूंढने के काम के लिए चिकित्साधिकारी, जिला अधिकारी तथा अन्य संबंधित अधिकारियों से बराबर कहा जा रहा है लेकिन भूमि नहीं मिल पाई है। अब सूचना दी है कि पीलीभीत रोड पर भूमि मिलने की सम्भावना प्रकट की है कि शायद मिल जाय। पहली अप्रैल अगर वह हमारे साथ चलेंगे जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं तो जरूर चलेंगे। (व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, संभावनाओं पर उत्तर नहीं होगा।

डा0 दिनेश जौहरी—

माननीय मंत्री जी प्रश्न को गम्भीरता से नहीं ले रहे हैं उसे हलकेपन से ले रहे हैं (व्यवधान) बरेली के साथ मजाक कर रहे हैं (व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, साफ उत्तर दिलाइये।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने एक निश्चित तारीख बताई है साथ जाने को तैयार हैं।

डा0 दिनेश जौहरी—

यह हल्केपन से प्रश्न को ले रहे हैं पहली अप्रैल निश्चित कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

डा0 जौहरी जी आप बड़े समझदार लोगों में से हैं (व्यवधान)

डा0 दिनेश जौहरी—

इस मामले में साफ आश्वासन चाहते हैं। पहली अप्रैल की बात कर रहे हैं।

श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या यह 1989-90 में इसका कार्य आरम्भ कर देंगे ? सम्भावनाओं से काम नहीं चलेगा क्या वह बरेली मण्डल में 5 सौ बेड के अस्पताल का काम प्रारम्भ कर देंगे ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

मान्यवर, भूमि अधिग्रहण करने का काम केवल अकेले मैं नहीं कर सकता हूं। इसलिये भूमि प्राप्त करने के बारे में कोई समय निश्चित करना संभव और आसान काम नहीं है। भूमि का अधिग्रहण करना होगा उसके लिए समय निश्चित नहीं कर सकता हूं कि एक या दो महीने में भूमि मिल जायेगी इसलिये कब तक बनना प्रारम्भ हो जायेगा इस प्रकार का आश्वासन देना संभव नहीं है। मैं जरूर यह आश्वासन देता हूं कि माननीय सदस्य बरार साहब के साथ मैं भी सहयोग करूंगा, अधिकारियों से कहूंगा कि वह सब मिल कर यथाशीघ्र भूमि प्राप्त करने का प्रयास करें।

श्री जयदीप सिंह बरार—

जब यह कहते हैं कि आसान नहीं है तो यह किस लिए बैठे हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप चाहते हैं कि प्रश्नों के समय तक मैं सदन को स्थगित कर दूं ?

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, आप प्रश्न देखें जब इस तरह के प्रश्न आते हैं तो व्यवस्था दें कि भूमि अध्याप्त करने में क्या दिक्कत आती है दफा 4 और 6 में नोटीफिकेशन करवायें। इसलिए यह बतायेंगे कि कब तक यह कार्य कर देंगे ?

श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या भूमि प्राप्त करना विधायक का काम है मंत्री जी आश्वासन दें कि भूमि अध्याप्त कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ?

डा0 दिनेश जौहरी–

मान्यवर, अधिकारी भी इसी तरह से टालमटोल करते हैं। मंत्री जी कहते हैं कि मैं चलने के लिये तैयार हूं और पहली अप्रैल की बात कर रहे हैं। रुहेलखण्ड के साथ पहले से सौतेला व्यवहार हो रहा है वहां कोई मेडिकल कालेज नहीं है और न ही 5 सौ बिस्तर का अस्पताल खोलना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा–

ऐसे कैसे काम चलेगा आप व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष–

मैं कह रहा हूं आप मेरे कक्ष में आ जायं, जो कुछ मेरे से संभव हो सकेगा मैं करूंगा।

डा0 दिनेश जौहरी–

कक्ष में आने से काम नहीं चलेगा। हम इसके विरोध में सदन का त्याग करते हैं।

(डा0 दिनेश जौहरी तथा श्री श्याम बिहारी सिंह सदन त्याग कर चले गये।)

जनस्वास्थ्य रक्षकों की सेवा शर्तें एवं उनको दी जाने वाली सुविधाएं

*6.–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनस्वास्थ्य रक्षकों की सेवाओं के लिए कौन-कौन सेवा शर्तें लागू की गई हैं और उन्हें कौन-कौन सी सुविधाएं प्रदान की गई हैं?

श्री बिहारी लाल दोहरे–

जन स्वास्थ्य रक्षक राजकीय कर्मचारी नहीं हैं अपितु जन स्वास्थ्य प्रदर्शक हैं। अतः कोई सेवा शर्तें इन पर लागू करने का प्रश्न नहीं उठता। इनको प्रतिमाह रुपये 50/- मानदेय अनुमन्य हैं।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, क्या मंत्री जी बतायेंगे कि प्रदेश में कुल कितने जन स्वास्थ्य रक्षक कार्यरत हैं और कितने समय तक कार्य करने के लिये शर्तें लगाई गयी हैं?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

मान्यवर, इस समय प्रदेश में कुल 85 हजार जन स्वास्थ्य रक्षक कार्यरत हैं और उनके वेतन एवं रखने का निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया गया है।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, इनको सरकार 50 रु0 प्रतिमाह मानदेय देती है। मंत्रियों, विधायकों और कर्मचारियों को, जिनको मानदेय भी दिया जाता है, वेतन भत्ते बढ़ गये लेकिन जिन लोगों को मानदेय पर रखा जाता है तो उसको न बढ़ाये जाने का क्या औचित्य है और यह 50 रुपये मानदेय किस वर्ष में तय किया गया था?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

मान्यवर, 1 जुलाई 1986 से निश्चय हुआ था और 3-12-86 से जन स्वास्थ्य रक्षक रखे गये थे और जैसा कहा है कि यह भारत सरकार की योजना है तो उसी के अनुसार कार्य हो रहा है।

श्री हृदय नरायन दीक्षित–

मंत्री जी ने बताया कि 1986 में 50 रुपये मानदेय तय हुआ था और 1986 से अब तक साढ़े तीन साल हो गये हैं, क्या मंत्री जी जन स्वास्थ्य रक्षक की सेवाओं को देखते हुए, उनसे परिवार कल्याण और देहातों में दवाईयां बांटने का काम भी लिया जाता है, काम के घंटों को देखते हुए यह मानदेय बढ़ाने की घोषणा करेंगे?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

मान्यवर, पहले ही कहा है कि यह भारत सरकार की योजना है इसलिए उत्तर प्रदेश शासन घोषणा नहीं कर सकता है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, 85 हजार उत्तर प्रदेश में जन स्वास्थ्य रक्षक काम करते हैं जिन्होंने यदा कदा अपनी समस्याओं को लेकर अंदोलन किया है जिससे स्वास्थ्य सेवायें प्रभावित होती हैं। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार को क्या मंत्री जी लिखेंगे कि इनके मांगें मुनासिब हैं और मानदेय बढ़ाया जाना चाहिए?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

मान्यवर, इनके विचारों से मैं सहमत हूं कि इनका मानदेय बढ़ाया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में केन्द्र के स्वास्थ्य मंत्री यहां आये थे तो मा0 मुख्य मंत्री जी के कक्ष में इस सम्बन्ध में वार्ता हुई थी, मैं स्वयं उनसे मिला था और निरन्तर प्रयासरत हूं कि इनका मानदेय बढ़ाया जाये।

जनपद वाराणसी एवं लखनऊ में आम एवं अन्य फलों के विकास योजनाओं की जानकारी

*7–श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर) (अनुपस्थित)–

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी एवं लखनऊ जिला अन्तर्गत आम इत्यादि फलों का उत्पादन बढ़ाने हेतु कोई कार्यक्रम शासन द्वारा बनाया गया है? यदि हां, तो किसानों को इस योजना में किस प्रकार की सहायता एवं सुविधाएं प्रदान करायी जा रही हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल–

प्रदेश शासन द्वारा लखनऊ तथा वाराणसी जनपदों में ''आम विकास योजना'' तथा ''प्रदेश के चयनित क्षेत्रों में फलों एवं फल पट्टियों के विकास की योजना'' चलायी जा रही है। 'आम विकास योजना' के अन्तर्गत कृषकों की बागों का रेखांकन कराकर पौधरोपण में सहयोग प्रदान किया जाता है तथा कृषकों को पौध प्रसारण हेतु बडिंग-इन सीटू का प्रशिक्षण दिया जाता है और प्रदर्शन भी करवाया जाता है। 'चयनित क्षेत्रों में फलों एवं फल पट्टियों के विकास की योजना' में वाराणसी जनपद के चयनित विकास खण्ड चिरईगांव, काशी विद्यापीठ तथा आराजी लाइन्स एवं लखनऊ जनपद के चयनित विकास खण्डों माल, मलीहाबाद तथा काकोरी के चयनित फल उत्पादकों को कीट रसायनों तथा फूट एवं पावर स्प्रेयर पर 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के जिला प्रशासनिक अधिकारियों की पदोन्नति एवं चयन की प्रक्रिया

*8—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में जिला प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति 12 वर्ष पूर्व की गई थी और इनके प्रोन्नति का कोई पद सृजित नहीं किया है न ही प्रोन्नति के कोई अवसर ही प्रदान किये गये हैं? क्या निदेशक, परिवार कल्याण ने अपने पत्र दिनांक 6 सितम्बर, 1988 द्वारा शासन से प्रत्येक मण्डल में इनकी पदोन्नति हेतु एक सहायक निदेशक प्रशासन का पद वेतनमान रुपया 1250·00 से 2050·00 में सृजित करने की संस्तुति की है? क्या यह सही है कि नए स्टाफिंग पैटर्न में इस पद की स्वीकृति भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांक 29 सितम्बर, 1987 को प्रदान कर दी है? यदि हां, तो जिला प्रशासनिक अधिकारियों को कब तक पदोन्नति कर दिया जायेगा और इनके चयन की प्रक्रिया क्या रखी जायेगी?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

जी हां।

जी हां, निदेशक से संस्तुति प्राप्त हुई थी। भारत सरकार द्वारा स्वीकृत नये स्टाफिंग पैटर्न का सम्पूर्ण प्रकरण संप्रति शासन के विचाराधीन है।

प्रदेश के आयुर्वेदिक व यूनानी चिकित्सालयों हेतु चिकित्सकों का वर्ष 1987 में हुए चयन में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का कोटा

*9—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि अक्टूबर, 1987 में प्रदेश के आयुर्वेदिक व यूनानी चिकित्सालयों में नियुक्ति हेतु एक हजार चार सौ पदों के लिए साक्षात्कार हुआ था ? यदि हां, तो क्या इस हेतु स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए 5 प्रतिशत स्थानों का आरक्षण था ? क्या यह सत्य है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए आरक्षित लगभग 70 स्थानों के लिए मात्र 32 अभ्यर्थी ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे फिर भी उन्हें चयनित नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बिहारी लाल दोहरे—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

मान्यवर, इसमें क्या सूचना एकत्र की जाने वाली है ? प्रश्न था कि 1987 में 1,400 पदों के लिए साक्षात्कार हुआ था? यदि हां, तो क्या इस हेतु स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए 5 प्रतिशत स्थानों का आरक्षण था ? क्या स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के आरक्षित 70 स्थानों के लिए मात्र 32 प्रार्थना पत्र आये और वह भी भरा नहीं गया, तो मात्र इतनी सूचना देना है कि 70 स्थान आरक्षित किये गये थे और उसमें से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के 32 प्रार्थना पत्र आए । उनको भी आपने स्थान नहीं दिया । स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ यह जबरदस्त माखौल किया जा रहा है । इस सम्बन्ध में मैं स्वयं स्वास्थ्य मंत्री जी से मिला था और

कई स्वतंत्रता संग्राम सैनानी भी थे, उन्होंने मंत्री जी से शिकायत की थी कि हमारे आश्रितों को नियुक्त करने के लिए 10-10 और 15-15 हजार रुपये की हमसे रिश्वत मांगी जा रही है। इसलिए इसको टाला जा रहा है। मंत्री जी अब इतना ही बता दें कि इस छोटे से प्रश्न की सूचना मंगाने के लिए कब-कब पत्र लिखे गये और क्या प्रयास किये गये ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

मान्यवर, सूचना एकत्र करने के जो प्रयास किये जाते हैं वह किये गये।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

अब यह कब तक आ जाएगी ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

यथाशीघ्र आ जाएगी।

वित्तीय वर्ष 1988-89 में जनपद मेरठ में मुफ्त वितरित होने वाले बीजों के मिनीकिट पैकेट

*10–श्री राजेन्द्र शर्मा–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ में किन-किन बीजों के मिनीकिट पैकेट वित्तीय वर्ष 88-89 में खरीफ फसल योजना में मुफ्त वितरित किये गये हैं ?

कृषि राज्य मंत्री (श्री शिव बालक पासी)–

जनपद मेरठ में वित्तीय वर्ष 88-89 में खरीफ फसल योजना में धान तथा मक्का के बीजों के मिनीकिट के क्रमशः 153 तथा 349 पैकेट मुफ्त वितरित किये गये हैं।

श्री राजेन्द्र शर्मा–

मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं कि यह मिनीकिट किनके द्वारा भेजे और यह विकास खण्डों को किन-किन तारीखों में बांटे गये ?

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

यह मिनीकिट्स तराई बीज विकास निगम व हमारे कृषि विभाग द्वारा दिये गये।

श्री राजेन्द्र शर्मा–

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कृषि विभाग द्वारा जो मिनीकिट्स बांटे गये, यह किन तारीखों में बांटे गये और क्या यह सही कि यह वहां पर विलम्ब से पहुंचे ?

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

अब इसकी तो निश्चित जानकारी नहीं है, यह तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो हमारा खरीफ अभियान था, उसके पहले ही यह बांटे गये थे।

श्री राजेन्द्र शर्मा–

मान्यवर, क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह बीज फसल बोने के बाद पहुंचे और बाद में समय निकल जाने पर यह किसानों को जबरदस्ती दिए गये ?

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

फसल बोने से पहले भेजे गये हैं।

श्री विजय सिंह राणा–

माननीय प्रश्नकर्ता के प्रश्न और मंत्री जी के उत्तर को देखते हुए विरोधाभास मालूम पड़ता है । माननीय सदस्य का कहना है कि फसल बोने के बाद में पहुंचे और बांटे गये और मंत्री जी के पास बांटने की तारीख नहीं है, तो वह यह बता दें कि यहां से मेरठ कब भेजे गये और सदस्य की जो आशंका है कि बाद में बांटे गये, उसकी क्या वह जांच करायेंगे कि वह कब बांटे गये थे और देर से बांटने की जिनकी जिम्मेदारी है, उनके विरुद्ध क्या वह कार्यवाही करेंगे ?

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

मान्यवर, प्रश्न आप देखें-जनपद मेरठ में किन-किन बीजों के मिनीकिट पैकेट वित्तीय वर्ष 88-89 में खरीफ फसल योजना में मुफ्त वितरित किये गये हैं, तो इसमें तारीख का कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है । उसमें तारीख का कोई प्रश्न नहीं था ।

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा–

अनुपूरक प्रश्न के अंदर ऐसी बात पूछने का पूरा प्राविधान है ।

(व्यवधान)

श्री मलिक मोहम्मद कमाल युसूफ–

मान्यवर, जब सवाल स्वीकार हो गया और आपने उसका उत्तर देने को कह दिया तो वह मूल प्रश्न में हो या न हो उसका उत्तर देना चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

उनके पास बांटने की तारीख नहीं है ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मंत्री जी यह बता दें कि फसल के बाद बांटे गये या नहीं, अगर फसल के बाद बांटे गये तो इसकी जांच करा दें और जो अधिकारी, कर्मचारी दोषी हैं उनके बारे में बता दें ?

(व्यवधान)

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

जो मिनिकिट बांटे गये वह समय से और खरीफ सीजन के पहले बांटे गये यह मेरी निश्चित जानकारी है । अगर माननीय सदस्य के पास कोई सूचना हो और वह जानना चाहते हों तो वह बता दें ।

(व्यवधान)

श्री मलिक मोहम्मद कमाल युसूफ–

मान्यवर मंत्री जी ने कह दिया, कि मेरी निश्चित जानकारी है, तो जब उनके पास तारीख ही नहीं है, तो वह अपनी निश्चित सूचना का आधार बता दें ।

*11–श्री राज किशोर सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

लखनऊ के0 जी0 मेडिकल कालेज में न्यूरोलाजी वार्ड सिरम हेप्राटाइटिस वायरस का इन्फेक्शन होने की शिकायत

*12–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ मेडिकल कालेज का न्यूरोलाजी वार्ड सिरम हेप्राटाइटिस नामक वायरस बीमारी के इन्फेक्शन से ग्रस्त है ? यदि हां, तो उस इन्फेक्शन को दूर करने के क्या उपाय किये गये हैं ? क्या यह सही है कि अप्रैल, 1987 में सरदार अमरीक सिंह को न्यूरोलाजी के जनरल वार्ड से सिल हेप्टो टाइटिस का इन्फेक्सन हुआ जिन्हें बाद में मेडिकल वार्ड 4 के बेड नम्बर 12 पर स्थानान्तरित कर दिया गया जहां वे जीवन मौत का संघर्ष करते रहे ? यदि हां, तो सिलहेप्टोटाइटिस के इन्फेक्शन समाप्त करने के क्या उपाय किये गए ?

श्री बिहारी लाल दोहरे–

के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ में न्यूरोलाजी वार्ड सिरम हेप्राटाइटिस वायरस के इन्फेक्शन से ग्रस्त नहीं है । अतः उसके दूर करने का प्रश्न नहीं उठता ।

सरदार अमरीक सिंह दिनांक 25 मार्च, 1987 को न्यूरोलाजी वार्ड में भर्ती हुये थे । उन्हें सिल हेप्टोटाइटिस का इन्फेक्शन नहीं हुआ था, बल्कि वे राइट हीमीप्लीजिया काज इन्ट्रासेरेक्ल हेमेरेज विद हाइपरटेंशन विद माइल्ड गैस्ट्राइटिस रोग से पीड़ित थे । न्यूरोलाजी वार्ड में इलाज के उपरान्त स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के कारण उन्हें दिनांक 4 अप्रैल, 1987 को अस्पताल से छुट्टी दी गई थी, उन्हें मेडिकल वार्ड में स्थानान्तरित नहीं किया गया था ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मैंने मंत्री जी से प्रश्न पूछा था कि न्यूरोलाजी वार्ड, सिरम हेप्राटाइटिस नामक वायरस बीमारी के इन्फेक्शन से ग्रस्त है, उसमें मंत्री जी ने आज की हालत बताई है, जिस समय के हालात उनसे पूछे थे मई, 1987 से लेकर दिसम्बर तक के उस समय की हालत उन्होंने नहीं बताई, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या हेप्राटाइटिस नामक वायरस से इन्फेक्शन होता है यदि नहीं तो किन कारणों से यह बीमारी होती है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

मान्यवर; सम्मानित सदस्य ने प्रश्न पूछा है कि न्यूरोलाजी वार्ड सिरम हेप्राटाइटिस नामक वायरस बीमारी के इन्फेक्शन से ग्रस्त है ? तो इस प्रश्न को पूछने की उनकी यही मंशा रही होगी कि इस वक्त ग्रस्त है या नहीं, तो इस वक्त कोई इन्फेक्शन वहां नहीं है । यह मई 1987 का प्रश्न है, तो उस समय अमरीक सिंह को कोई बीमारी नहीं हुई, जो स्थानान्तरण की बात कही गई वह भी कहीं नहीं हुआ ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मैं जानना चाहता हूं कि लखनऊ मेडिकल कालेज के आपरेशन थियेटरों में और अनेक वार्डों में वायरस का इन्फेक्शन है । क्वीन मेरी हास्पिटल के आपरेशन थियेटर में पीलिया रोग के कीटाणु हैं जिसकी वजह से जो बच्चे वहां पैदा होते हैं उनमें से अधिकांश रोगग्रस्त हो जाते हैं । तो मैं जानना चाहता हूं कि लखनऊ मेडिकल कालेज

में कौन-कौन वार्ड किन-किन वाइरस डिजीज से ग्रस्त हैं । क्या इसकी जांच करायी गयी है यदि नहीं तो क्यों ? इनकी रोकथाम के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

मान्यवर, इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है कि पीलिया रोग महामारी रोग के रूप में फैला है या उसके कीटाणु वहां घूम रहे हैं । पीलीया रोग यदाकदा कहीं-कहीं होता है । जहां पर होता है तो उसका उपचार किया जाता है ।

जनपद फैजाबाद में मेडिकल कालेज के स्थान पर पांच सौ बेड वाले अस्पताल के खोले जाने की घोषणा का क्रियान्वयन

*13–श्री मित्रसेन (अनुपस्थित)–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में मेडिकल कालेज की स्थापना न कर 500 बेड का आधुनिक सुविधा सम्पन्न अस्पताल खोले जाने का प्रस्ताव सरकार ने स्वीकृत किया है जिसकी घोषणा मा0 स्वास्थ्य मंत्री ने कर दी है ? यदि हां, तो इसकी कौन-कौन सी औपचारिकताएं पूरी की गई हैं तथा इसका निर्माण कार्य कब तक पूरा कर लिया जायेगा ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

जनपद फैजाबाद में 500 बेड के अस्पताल के शिलान्यास की घोषणा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा की गई है ।

इस अस्पताल के निर्माण में होने वाले आवर्तक एवं अनावर्तक व्यय का अनुमान तैयार कराया जा रहा है । अनुमान तैयार होने पर संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय स्वीकृति देने पर शासन द्वारा अपेक्षित कार्यवाही की जायगी ।

*14–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

[5वें गुरुवार के लिए स्थगित]

*15–श्री सुरेन्द्र सिंह (गढ़वाल)–

[7वें सोमवार में ता0 प्र0 सं0 20 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

कृषि प्रसार एवं प्रशिक्षण योजना का प्रदेश के समस्त जिलों में लागू किये जाने की मांग

*16–श्री बदन सिंह–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि टी एण्ड वी योजना प्रदेश के केवल बनारस, फैजाबाद, गोरखपुर, और लखनऊ मण्डल में ही चालू की गयी है ? यदि हां, तो प्रदेश के अन्य मण्डलों में इस योजना को अभी तक चालू न करने का क्या कारण है ?

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल–

कृषि प्रसार एवं प्रशिक्षण योजना प्रदेश के बनारस, फैजाबाद, गोरखपुर लखनऊ एवं इलाहाबाद मण्डलों में चल रही है ।

प्रथम चरण में योजना को प्रदेश के सीमित क्षेत्र में ही संचालित किया जाना था । अन्य जनपदों में विस्तार का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि कृषि प्रसार एवं प्रशिक्षण योजना बनारस, फैजाबाद, गोरखपुर, लखनऊ एवं इलाहाबाद मंडलों में चालू की गयी है । यह जो मंडल हैं यह पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही हैं । इस योजना को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी जनपद में या मंडल में चालू न करने का क्या कारण है ?

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

श्रीमन्, माननीय सदस्य ने जो यह पूछा है कि इस योजना को पूर्वान्चल में ही क्यों लागू किया गया है पश्चिम के जिलों में क्यों नहीं प्रारम्भ किया गया तो उसके कुछ कारण थे बड़े मजबूत कारण थे ।

श्री विजय सिंह राणा–

यह मजबूत कारण कब से बन गये हैं जबसे आप मंत्री बने हैं तब से या पहले से ?

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

पहला कारण है कि लघु एवं सीमांत कृषकों की संख्या, जो पूरे प्रदेश में पूर्वान्चल में सबसे ज्यादा है । दूसरा कारण है औसत कृषि उत्पादन, हमारे पूरे प्रदेश में पूर्वी अंचल में पश्चिम के मुकाबले उत्पादन कम है । तीसरा कारण है शारदा सहायक व गंडक समादेश क्षेत्र के अंतर्गत नव सृजित सिंचन क्षमता का पूरा उपयोग, तो यह तीन मुख्य कारण थे जिसकी वजह से प्रथम चरण में इस योजना को 16 जनपदों में प्रारम्भ किया गया है । 5 और जनपदों में निकट भविष्य में इस योजना को प्रारम्भ करने जा रहे हैं ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, लघु एवं सीमान्त कृषकों की हालत को देखते हुये क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपदों में किसानों के उत्थान के लिए कृषि प्रसार एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम की आवश्यकता है या नहीं ? दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं रामगंगा परियोजना में सिंचन क्षमता में कितनी और वृद्धि हुई है ? यदि उसकी पूरी सिंचन क्षमता का उपयोग नहीं किया गया है तो इस मानक को आधार मानकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस योजना को लागू करेंगे ?

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

मान्यवर, अगर माननीय सदस्य मूल प्रश्न का उत्तर सुन लेते तो अनुपूरक प्रश्न न करते । मैंने मूल प्रश्न के उत्तर में कहा है कि प्रथम चरण में योजना को प्रदेश के सीमित क्षेत्र में ही संचालित किया जाना था । अन्य जनपदों में विस्तार का प्रस्ताव विचाराधीन है । तो माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर मैंने पहले ही दे दिया है ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, कब तक इसको लागू करेंगे ?

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

बहुत जल्दी, यथाशीघ्र ।

(रिपोर्टर्स टेबुल पर लगे दोनों माइक से गाने की आवाज आने के कारण व्यवधान के मध्य)

श्री राजेन्द्र शर्मा–

मान्यवर, जैसा मंत्री जी ने बताया कि अन्य जनपदों में विस्तार का प्रस्ताव विचाराधीन है, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वे कौन-कौन से जिले हैं, जिनमें यह योजना विचाराधीन है ?

(व्यवधान)

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

मान्यवर, मैंने अभी बताया कि यह योजना प्रदेश के बनारस, फैजाबाद, गोरखपुर, लखनऊ एवं इलाहाबाद मण्डलों में चल रही है और अन्य जनपदों में इसके विस्तार का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है और वे भी 5 जनपद हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या माननीय मंत्री जी ने जिन पांच जनपदों का उल्लेख किया है कि उनमें भी यह योजना शीघ्र लागू करने के लिए प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है, वे पांच जनपद कौन-कौन से हैं ? क्या उनमें सीतापुर जनपद भी है ?

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

उसमें मान्यवर, सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी, गोण्डा और मिर्जापुर भी है ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम पांच जनपदों में यह योजना शुरू करेंगे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नम्बर लेंगे । आपने जो पांच जनपदों का नाम बताया, वह तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में हैं । तो क्या जो माननीय मंत्री जी ने बचन दिया है, वह बचन कब माननीय मंत्री जी पूरा करेंगे ?

श्री भगवान दीन कुशवाहा–

मान्यवर, मुझे भी प्रश्न करने का मौका दे दें । प्रश्नकर्ता भी आगरा के हैं और उत्तर देने वाले भी आगरा के ही हैं ।

(व्यवधान)

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, कृषि प्रसार एवं प्रशिक्षण योजना को पहले सीमित क्षेत्र में चालू करने की बात कही, तो उसमें सब पूर्वी उत्तर प्रदेश के मण्डल लिये गये और बाद में दूसरे चरण में चालू करने की बात कही, तो उसमें भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के ही जनपद गिनाये गये, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कोई भी जनपद नहीं लिया गया, तो मैं साफ पूछना चाहता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद के बाह क्षेत्र जो डकैत ग्रस्त क्षेत्र है, फतेहपुर सीकरी और जगनेर क्षेत्र जो पठारी क्षेत्र हैं, उनमें कृषि प्रसार एवं प्रशिक्षण योजना भी चालू करेंगे ?

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

श्रीमन् माननीय सदस्य, आगरा से मैंने आपके माध्यम से निवेदन किया कि 5 जिलों में हम तत्काल, निकट भविष्य में यह योजना चालू करने वाले हैं और प्रदेश के अन्य जनपदों में भी हम यह योजना चालू करने जा रहे हैं, जिसमें आगरा भी शामिल है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, कृपा करके माइक पर बोलें ।

कृषि उत्पादन मंडी समिति फिरोजाबाद आगरा में मई जून 1988 में दो लाख चौव्वन हजार रुपये की फर्जी खरीद एवं भुगतान की शिकायत

*17–श्री रघुबर दयाल वर्मा–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा में कृषि उत्पादन मण्डी समीति फिरोजाबाद ने मई, जून, 1988 में 2 लाख 54 हजार रुपया का सामान तिरपाल, कुंडिया, छलनादरी-तख्त आदि की खरीद व्यापारियों को सुख सुविधा मद के अंतर्गत की थी ? क्या यह सत्य है कि यह समस्त खरीद कागजों पर ही की गयी तथा व्यापारियों से झूठे बाउचर प्राप्त किये गये और इसी क्रम में घाटे की क्षति पूर्ति को झूठे चैक व्यापारियों से अस्सी हजार के प्राप्त किये गये जिनका भुगतान अभी तक नहीं, हुआ ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराने की कृपा करेगी ?

श्री शिव बालक पासी–

जून 1988 में व्यापारियों को सुख-सुविधा मद के अंतर्गत रुपया–1,54,693 की खरीददारी की गई । वर्तमान में कोई अनियमितता सामने नहीं आई है किन्तु निदेशक मंडी को विस्तृत जांच के आदेश दिये गये हैं ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, आरोप पत्र मैंने दिया था, उसकी जांच किसने की और उसमें जांच के पश्चात् क्या तथ्य प्रकाश में आये ? क्या उन तथ्यों की जांच मंडी निदेशक को सुपुर्द करेंगे और क्या मंडी निदेशक से इस जांच को शीघ्र करायेंगे और सदन को सूचित करेंगे ? मान्यवर, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि यदि माननीय मंत्री जी मंडी निदेशक से जांच करा रहे हैं, तो वह किन तथ्यों की जांच करा रहे हैं और यदि अनियमितताएं नहीं पा रहे हैं, तो क्यों जांच करा रहे हैं और यह जांच कब तक पूरा करा लेंगे ?

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो अपने पत्र में आरोप लगाया था और जो मैंने आपके माध्यम से उत्तर दिया है, उसमें जो हमने जांच कराया, उसमें कोई आरोप सामने नहीं आया, लेकिन माननीय सदस्य की भावना को देखते हुए, अगर माननीय सदस्य के पास कोई तथ्य हो और वह तथ्य दे दें, तो हम उसकी भी जांच करा लेंगे और जांच के उपरान्त यदि कोई दोषी पाया जायेगा, तो उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ।

उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सलाहकार समिति द्वारा डाक्टर कौशल के संयोजकत्व में गठित उप समिति की अंतरिम रिपोर्ट पर कार्यवाही

*18–श्री सुखपाल पाण्डे (अनुपस्थित)–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सलाहकार समिति द्वारा डा0 कौशल के संयोजक के रूप में गठित उप समिति की

अंतरिम रिपोर्ट शासन को 1984 में प्राप्त हुई ? यदि हां, तो उस रिपोर्ट की संस्तुति क्या है ? क्या शासन ने उसे स्वीकार कर लिया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो शासन उक्त संस्तुतियों को कब तक स्वीकार करेगा ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां ।

समयक विचारोपरांत अधिकांश संस्तुतियों के आधार पर शासन द्वारा यथोचित निर्णय लिया गया है । संस्तुतियों का विवरण संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 138-139 पर)

सिंचाई विभाग में वर्ष 1972 व 1973 में टी0 एन्ड बी0 योजनान्तर्गत किसान सहायक पद पर की नियुक्तियों में अनियमितता की जांच

*19–श्री इकबाल अहमद (अनुपस्थित)–

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग (नलकूप) में 1972 व 1973 कृषि स्नातकों को "कृषि प्रसार निरीक्षक" के पद पर नियुक्त किया गया था ? यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी थी ? टी0 एण्ड बी0 योजना में किसान सहायक पद पर कुछ लोगों की नियुक्तियां किस आधार पर की गई हैं ? क्या 1972 व 73 में नियुक्त कर्मचारियों में से, 1973 में टी0 एण्ड बी0 योजना में नियुक्त कर्मचारियों को नियुक्त कर लिया गया है तथा 1972 के कुछ कर्मचारियों को नियुक्त नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इस अनियमितता के विरुद्ध विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है ? शेष बचे कृषि स्नातकों को किसान सहायक पद पर कब तक नियुक्त कर लिया जायेगा ?

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल–

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

वर्ष 1985 से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ट्रिपल सुपर फासफेट रसायनिक खाद की खरीद की दर एवं मात्रा

*20–श्री विजय सिंह राणा–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 1985 से प्रतिवर्ष ट्रिपल सुपर फास्फेट रासायनिक खाद किस मूल्य पर और कितने टन खरीदी ? किसानों को यह खाद किस कीमत पर उपलब्ध करायी गयी ?

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल–

उत्तर प्रदेश में ट्रिपल सुपर फास्फेट रसायनिक खाद की आपूर्ति वर्ष 1981-82 से नहीं की गयी है, अतः वर्ष 1985 से प्रतिवर्ष क्रय तथा विक्रय मूल्य का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि यह ट्रिपिल सुपर फास्फेट की खरीद और वितरण बन्द कर दिया 1985 से यह बता रहे हैं तो मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि इसको बन्द करने का क्या कारण है और इससे पहले 81-82 में जब खरीदी गयी तो उसकी कीमत क्या थी और वह किस दर पर वितरित किया गया था ?

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल–

श्रीमन्, माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा था कि 1985 से प्रतिवर्ष ट्रिपिल सुपर फास्फेट रसायनिक खाद किस मूल्य पर खरीदी गयी तो मान्यवर, मैंने अपने उत्तर में आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताया कि 1985 से कोई भी क्रय ट्रिपिल सुपर-फास्फेट का नहीं किया गया तो फिर उसका मूल्य बताने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मैंने यह पूछा कि 81-82 के बाद उसको क्रय न करने और उसका वितरण न किये जाने का क्या कारण है और इससे पहले यह क्रय किया गया और वितरित किया गया तो उसको क्या मूल्य था। यह जो बात बता रहे हैं वह तो मैंने पढ़ ली है, मैं जो पूछ रहा हूं, आप उसको जवाब दें ?

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल–

श्रीमन्, माननीय सदस्य ने पूछा कि क्यों बन्द कर दिया गया तो पहली बात तो यह है कि इस रसायनिक खाद का उत्पादन अब बन्द हो गया है कोई भी फर्म इसको बना नहीं रही है । श्रीमन्, यह जो खाद ट्रिपिल सुपर फास्फेट इस्तेमाल करते थे तो जो अम्लीय भूमि होती थी वहां यह कारगर साबित होती थी और जो भूमि क्षारीय होती थी और जहां हमारा भूमि का पी0 एच0 ज्यादा होता था वहां यह खाद पानी में घुलन-शील नहीं थी। पहाड़ों का पी0 एच0 7 से कम है वहां यह घुल जाती थी और फायदा इसीलिए यह घुलनशील नहीं होती थी दूसरा कारण यह है कि इसको फर्म बना नहीं मिलता था लेकिन मैदानी क्षेत्रों में आम तौर से पी0 एच0 क्षारीय है और 7 से ऊपर है रही है इसीलिए भारत सरकार ने एलोकेशन नहीं किया है और वितरित नहीं कर रहे हैं ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, 1981-82 में जब यह खरीदी गयी तो उसका विक्रय मूल्य और खरीदने का मूल्य क्या था ?

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल–

मान्यवर, मैं कीमत बाद में बता दूंगा ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, यहां बतायें ।

श्री अध्यक्ष–

आपस का मामला है, आपस में तय कर लीजिए, दोनों मित्र हैं ।

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

नोट :–तारांकित प्रश्न संख्या 20 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

अतारांकित प्रश्न

मुख्य चिकित्सा अधिकारी गोरखपुर द्वारा की गई अनियमित नियुक्तियों के सम्बन्ध में कार्यवाही

1—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी गोरखपुर ने इस जनपद के कार्यकाल में एक दर्जन लोगों की नियुक्तियां की हैं ? यदि हां, तो बिना पद विज्ञापित कराये एवं उचित साक्षात्कार लिए इस प्रकार की अवैध नियुक्ति करने वाले अधिकारी के विरुद्ध विभाग क्या कार्यवाही करने जा रहा है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

परियोजना अधिकारी (कृषि) गोरखपुर श्री दया शंकर लाल के विरुद्ध शिकायत एवं खुली जांच की मांग

2—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री दयाशंकरलाल परियोजना अधिकारी (कृषि) गोरखपुर के विरुद्ध प्रश्नकर्ता ने उनके इस पद पर कार्यभार ग्रहण करने के तत्काल बाद, एक शिकायती पत्र देकर खुली जांच की मांग की गयी थी ? यदि हां, तो जांच करायी गयी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ?

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

यू0 पी0 एग्रो के पास उर्वरक का स्टाक होते हुए नये उर्वरक की खरीद का औचित्य

3—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि यू0 पी0 एग्रो के पास इस समय लगभग चार हजार पांच सौ टन उर्वरक स्टाक में जमा है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि एग्रो के अधिकारी और भी उर्वरक खरीदने के लिए प्रयत्नशील हैं ? यदि हां, तो पुराने स्टाक के रुके रहते और नया स्टाक जमा करने का औचित्य क्या है ?

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल—

जी नहीं ।

1-1-89 को निगम के पास प्रदेश के जनपदों में फैले हुए 300 से अधिक विक्रय केन्द्रों पर विभिन्न उर्वरकों का कुल 52406 मी0 टन स्टाक अवशेष था ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

यू0 पी0 स्टेट एग्रो में लेखा परीक्षकों एवं वरिष्ठ लेखाकारों के रिक्त पदों पर नियुक्ति न किये जाने का कारण

4–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 राज्य कृषि औद्योगिक निगम (एग्रो) में लेखा परीक्षकों, सीनियर एकाउन्टेन्ट तथा क्लर्कों के कितने पद काफी से रिक्त हैं ? क्या यह सही है कि पदों की रिक्तता के कारण इनसे संबंधित कार्य प्राइवेट कम्पनियों के व्यक्तियों द्वारा बड़ी धनराशि खर्च करके लिया जा रहा है ? यदि हां, तो रिक्त पदों को भरने की व्यवस्था न किये जाने के क्या कारण हैं ?

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

यू0 पी0 स्टेट एग्रो लि0 में लेखापरीक्षकों के 17 तथा वरिष्ठ एकाउन्टेंट के 5 पद कई वर्षों से रिक्त हैं ।

इस निगम में वित्तीय वर्ष 1988-89 से सम्वर्ती संपरीक्षा का कार्य चार्टेड एकाउन्टेंट द्वारा कराया जा रहा है । निगमित क्षेत्र में सम्वर्ती सम्परीक्षा एक सर्वमान्य वित्तीय अनुशासन की पद्धति है । निगम के कर्मचारियों से सम्परीक्षा व्यय बाहर के चार्टर एकाउन्ट्स से सम्परीक्षा कराने का व्यय, समय, गुणवता और वित्तीय अनुशासन के कारकों की समतुल्यता के आधार पर अधिक नहीं है ।

रिक्त पदों के भरने अथवा न भरने का प्रश्न सम्वर्ती संपरीक्षा (कान्कर्रेंट आडिट) से सम्बद्ध नहीं है ।

5–हाजी मोहम्मद हयात–

[4थे सोमवार में अता0 प्र0 सं0–162 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मछलीशहर, जौनपुर के विरुद्ध जांच एवं जांच रिपोर्ट की जानकारी

6–श्री अर्जुन सिंह यादव–

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 10-5-88 जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के डा0 के0 डी0 सिंह प्रभारी चिकित्साधिकारी मछलीशहर जौनपुर के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो जांच कब एवं किस अधिकारी से करायी गई जांच रिपोर्ट क्या है ? क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि डा0 के0 डी0 सिंह कब से कब तक प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र मछली शहर जौनपुर में रहे तथा कितनी बार स्थानान्तरण आदेश किया गया तथा किन कारणों से स्थानान्तरण आदेश निरस्त किये गये और क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में व्याप्त अनियमितता के सम्बन्ध में संस्थान के कर्मचारी संघ का ज्ञापन

7—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में व्याप्त अनियमितताओं की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए उक्त संस्थान के कर्मचारियों का ज्ञापन प्रश्नकर्ता द्वारा अग्रसारित दिनांक 30 दिसम्बर, 1988 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उसमें उल्लिखित तथ्यों की जांच कराई गई ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि जांच नहीं करायी गई, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

जी हां ।

ज्ञापन पर निदेशक से आख्या मांगी गई है । आख्या प्राप्त होने पर जांच की कार्यवाही हेतु विचार किया जायगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नसबन्दी के बावजूद बच्चा पैदा होने के प्रकरण पर कृत कार्यवाही

8—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उनको प्रश्नकर्ता का ग्राम गुलरिहा, तहसील पुरवा, जि0 उन्नाव के निवासी लाउक करील के शिकायती पत्र सहित, पत्र दिनांक 29-7-88 मिला है ? यदि हां, तो नसबन्दी के बावजूद बच्चा पैदा हो जाने के इस प्रकरण पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

जी हां ।

जांच की जा रही है।

9—श्री राकेश धर त्रिपाठी—

[5वें गुरुवार के लिए स्थगित]

जनपद फर्रुखाबाद के जिला चिकित्सालय फतेहगढ़ में भर्ती मरीज श्री रहमान की मृत्यु

10—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद फर्रुखाबाद के जिला चिकित्सालय फतेहगढ़ में भर्ती पैंतालीस वर्षीय रहमान नामक मरीज को 22, 23 दिसम्बर, 88 को कुत्तों द्वारा नोंच-नोंच कर मार डाला गया ? इस दर्दनाक अमानवीय घटना के पूर्ण तथ्यों से क्या मंत्री जी सदन को अवगत करायेंगे ? मृतक के आश्रितों को सरकार द्वारा कितनी आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी गयी ? दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

जी नहीं ।

रहमान नामक मरीज की स्वाभाविक मृत्यु दिनांक 23-12-88 को रोग की तीव्रता के कारण हुई ।

शेष प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा के ग्राम खुरहन्ड के निवासी श्री विशाल की पागल पत्नी की जबरिया नसबन्दी किये जाने की शिकायत

11–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ बांदा जनपद के ग्राम खुरहन्ड के श्री विशाल का पत्रांक ए/149/सी0 एम0/88 दिनांक 30-1-88 श्री विशाल की पागल, बीमार पत्नी की जबरिया नसबन्दी कर देने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

प्रश्नगत पत्र दिनांक 30-1-88 प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा राजकीय कृषि प्रक्षेत्र अतर्रा तथा बांसी में धान शोध संस्थान तथा कृषक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की मांग

12–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक 1/76/कृषि/87 दिनांक 29-10-87 बांदा जनपद के राजकीय कृषि प्रक्षेत्र अतर्रा तथा बांसी में धान के क्षेत्र को देखते हुए धान शोध संस्थान तथा कृषक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ?

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल–

जी हां ।

वस्तुस्थिति से अवगत कराने हेतु प्रश्नकर्ता को जून 23, 1988 को पत्र भेजा गया ।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जनपद हरदोई में दवा बेचने वालों को दिए गये लाइसेंस

13–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1987-88 के दौरान जनपद हरदोई में फुटकर एवं थोक दवाइयों की बिक्री हेतु कितने लाइसेन्स मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी किये गये तथा जनपद में इस समय कुल मिलाकर कितने मेडिकल स्टोर हैं ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

केवल फुटकर औषधि विक्रय हेतु एक लाइसेन्स जारी किया गया । कुल 261 मेडिकल स्टोर हैं ।

कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् कोसीकलां, मथुरा की भूमि पर अनधिकृत कब्जा

14–श्री सरदार सिंह–

क्या कृषि मंत्री की जानकारी में है कि कुछ व्यक्तियों ने कृषि उत्पादन मण्डी परिषद्, कोसीकलां, मथुरा की भूमि पर अनधिकृत कब्जा कर रखा है ? यदि हां, तो अवैध कब्जा करने वालों के नाम पते क्या हैं तथा कब्जा खाली कराने के लिए शासन क्या कार्यवाही कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल–

जांच के आदेश दिये गये हैं । आख्या प्राप्त होने पर सक्षम स्तर पर यथोचित कार्यवाही होगी ।

निर्धन मरीजों को आर्थिक सहायता दिये जाने के मानक की जानकारी

15–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उनके दान कोष से किसी निर्धन मरीज को आर्थिक सहायता देने के क्या मानक हैं तथा प्रक्रिया क्या है ? क्या मंत्री जी कुछ मामलों में सीधे ही सचिव, स्वास्थ्य को सहायता हेतु निर्देशित करते हैं? यदि हां, तो इस विधि से सहायता पाने के क्या मानक हैं ? वर्ष 88 में बिना सी0 एम0 ओ0 से आख्या लिये ही कुल कितने मरीजों को कुल कितनी धनराशि दी गयी है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

निर्धन रोगियों को धन की उपलब्धता के आधार पर सामान्यतया एक मुश्त रु0 500 का अथवा 6 माह तक 30 रु0 प्रतिमास का अनुदान दिया जा सकता है।

अनुदान यथासम्भव जिला अधिकारी एवं मुख्य चिकित्साधिकारी की आख्या प्राप्त कर लेने पर स्वीकृत किया जाता है किन्तु अपरिहार्य स्थितियों में अत्यन्त दरिद्र एवं पीड़ित व्यक्तियों को सीधे सहायता आकस्मिक परिस्थितियों में देने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

जी हां ।

मानक उपरोक्तानुसार ही है।

ऐसे कुल रोगियों की संख्या 257 थी और उन्हें कुल रु0 1,25,585 की धनराशि अनुदान स्वरूप प्रदान की गयी ।

16–श्री शारदा नन्द अंचल–

[दि0 16-2-89 को अता0 प्र0 सं0 5 द्वारा उत्तरित]

जनपद उन्नाव के कृषि फार्मों पर वर्ष 1988 में फसल की उपज एवं उस पर हुए व्यय का ब्यौरा

17—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले में कृषि फार्मों का उत्पादन वर्ष 1988 के अप्रैल में कुल कितना हुआ ? प्रति एकड़ कितना खर्च आया तथा प्रति एकड़ कितनी उपज गेहूं, तिलहन, दलहन की प्राप्त हुई ? क्या यह सच है कि कृषि फार्मों में घाटा हुआ ? क्या मंत्री जी इसके लिए दोषी लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे ?

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल—

जी हां। उन्नाव जनपद के कृषि फार्मों का कुल उत्पादन 2728.13 कुन्तल है।

फसलवार बोया गया क्षेत्रफल प्रति एकड़ उत्पादन एवं खर्चा निम्न प्रकार है :—

क्रम-संख्या	फसल का नाम	बोया गया क्षेत्रफल (एकड़ में)	प्रति एकड़ उत्पादन (कुं0 में)	प्रति एकड़ खर्च
1	गेहूं	86·48	9·86	2108
2	जौ	8-02	8-38	1666
3	चना	13-32	3·02	1170-25
4	मटर	7-53	3-70	1491-70
5	राई	3-00	2-23	1630-00
6	आलू	26·03	65-76	6978-46

वर्ष 1987-88 में जनपद के चार प्रक्षेत्रों पर घाटा हुआ।

जांच की जा रही है। यथास्थिति कार्यवाही की जायेगी।

उत्तर प्रदेश में आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माण करने वाली सरकारी एवं अर्ध सरकारी फार्मेसियों की संख्या

18—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माण की कितनी सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी फार्मेसी हैं ? इनमें कितनी कार्य कर रही हैं तथा कितनी बन्द पड़ी हैं ? फार्मेसी बन्द रहने के क्या कारण हैं ? इन बन्द फार्मेसियों को वर्ष 1986-87 तथा 1987-88 में चलाने के लिए कितनी धनराशि के उपकरण तथा अन्य सामान दिये गये ? सामान/उपकरण दिये जाने के बावजूद फार्मेसी का कार्य प्रारम्भ न करने के लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं ? इनके विरुद्ध शासन ने क्या कार्यवाही की है तथा ये बन्द फार्मेसी कब तक कार्य करना शुरू कर देंगी ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

सूचना एकत्र की जा रही है।

नियुक्त आयुर्वेदिक चिकित्सकों को आवंटित कार्य की जानकारी

19–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि आयुर्वेद चिकित्सकों की नियुक्ति चिकित्साधिकारी तृतीय तथा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के रूप में पिछले वर्ष से हो रही है ? यदि हां, तो इनको आवंटित कार्यों का विवरण क्या है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

जी हां ।

औपचारिक कार्य-आवंटन का विषय विचाराधीन है।

सचिव मण्डी समिति, अकबरपुर के विरुद्ध शिकायत एवं जांच की मांग

20–श्री अकबर हुसैन बाबर–

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सचिव, मण्डी समिति, अकबरपुर के विरुद्ध प्रश्नकर्ता को शिकायती पत्र जिसकी प्राप्ति की सूचना शासन ने अपने पत्र संख्या 1967/एम/88-22 मार्च, 1988 तथा 2064/एम/88 दि0 7-5-88 द्वारा प्रश्नकर्ता को दी है, की जांच किस अधिकारी द्वारा करायी गयी है ? यदि नहीं तो क्यों ?

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह काशिल–

प्रश्नगत पत्र उपलब्ध नहीं हो रहा है।

श्री कोमल यादव निवासी ग्राम बेलवाडीह, बस्ती के विरुद्ध नकली रसायनिक खाद बेचने का आरोप

21–श्री द्वारिका प्रसाद–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि हिन्दुस्तान लीवर लिमि0 के ला अफसर श्री पी0 पी0 आनन्द ने खलीलाबाद (बस्ती) में दिनांक 14-11-88 को पारस डी0 ए0 पी0 के नाम से नकली खाद बेचने के आरोप में श्री कोमल यादव सा0 बेलवाडीह के विरुद्ध स्थानीय कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी थी ? यदि हां, तो आरोप क्या है ? इस सम्बन्ध में जिला कृषि अधिकारी, बस्ती ने क्या कार्यवाही की है ?

डा0 कृष्णवीर सिंह काशिल–

जी हां ।

नकली बोरे में नकली पारस डी0 ए0 पी0 उर्वरक बेचने का आरोप है।

जानकारी होने के पश्चात अवर जिला कृषि अधिकारी द्वारा कथित नकली उर्वरक का नमूना ग्रहित कर विश्लेषण हेतु प्रयोगशाला भेजा गया है।

22–श्री काशी सिंह ऐरी–

[5वें सोमवार में अता0 प्र0 सं0 5 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

वर्ष 1986 में डा0 रामचन्द्र मेला स्वास्थ्य अधिकारी, अयोध्या, फैजाबाद के विरुद्ध मेला बजट में हेराफेरी करने का आरोप

23—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में वर्ष 1986 में अयोध्या मेले के लिए डा0 रामचन्द्र, मेला स्वास्थ्य अधिकारी नियुक्त हुए थे जिन पर मेला बजट के धन में भारी हेर-फेर का आरोप लगाया गया था जिसके आधार पर वे निलम्बित कर दिए गये थे और तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री श्री लोकपति त्रिपाठी ने उक्त मामले में कार्यवाही हेतु अपर निदेशक को दिनांक 9-9-1987 को अपने आदेश संख्या—आ0 सं0 2420-ई/21/9 द्वारा निर्देशित किया था ? क्या यह सत्य है कि उन्हीं श्री रामचन्द्र को 1988 में पुनः अयोध्या मेले का मेला स्वास्थ्याधिकारी नियुक्त कर दिया गया ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है और वर्ष 1986 में डा0 रामचन्द्र के विरुद्ध लगाये आरोपों के लिये उन्हें क्या दण्ड दिया गया था ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

सूचना एकत्र की जा रही है।

वर्ष 1988 में जनपद फैजाबाद में ए0 एन0 एम0 की भर्ती में हुई घपले की शिकायत एवं जांच कराने की मांग

24—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1988 में जनपद फैजाबाद में हुई ए0 एन0 एम0 की भर्ती में काफी घपला हुआ है और लिखित परीक्षा की जानकारी चयन समिति के कुछ सदस्यों तक को भी नहीं दी गयी थी जिसके परिणाम स्वरूप चयन समिति के कुछ सदस्यों ने साक्षात्कार में बैठने से स्पष्ट इन्कार कर दिया था ? क्या यह सही है कि उसके बावजूद सी0 एम0 ओ0, फैजाबाद ने भर्ती किये जाने वाली अभ्यर्थियों की सूची को अंतिम रूप देकर उसे प्रकाशित कर दिया है ? यदि हां, तो सारे मामले की जांच कराकर दोषी लोगों को दण्डित करके और सही तथ्यों को सदन के पटल पर रखने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

जी नहीं ।

ए0 एन0 एम0 की प्रसंगत भर्ती में कोई कदाशय-पूर्ण अनियमितता नहीं हुई है ।

चयन समिति के सभी सदस्यों को लिखित परीक्षा की सूचना दे दी गयी थी ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

डाक्टर कृष्ण मुरारी चौबे निवासी ग्राम माकलपुर, पो0 सदर, जिला गोण्डा की सेवा-काल में मृत्यु हो जाने के बाद उनके आश्रितों को देय धनराशि के भुगतान न किये जाने का कारण

25–श्री फसीउर्रहमान उर्फ मुन्नन खां–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि ग्राम माकलपुर, पोस्ट परगना व तहसील–सदर, जिला गोण्डा निवासी डाक्टर कृष्ण मुरारी चौबे खमरहिया लखीमपुर खीरी स्थित होम्योपैथिक चिकित्सा सेन्टर में कार्यरत थे, का स्वर्गवास वर्ष 1987 में सेवा काल में हो गया था ? यदि हां, तो मृतक के आश्रितों को पेंशन, बीमा तथा अन्य वांछित धनराशि भुगतान न किये जाने के क्या कारण हैं ? उक्त भुगतान कब तक कर दिये जायेंगे ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पिपराइच, जनपद गोरखपुर की धाई धनपाती व अमरावती के नियमितीकरण का मामला

26–श्री सैय्यद जावेद अली सब्जपोश–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोरखपुर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पिपराइच पर श्रीमती धनपाती पत्नी श्री हुसैनी एवं श्रीमती अमरावती पत्नी राम बदन 1972 से प्रशिक्षण प्राप्त कर अस्थाई दाई पर 15 वर्षों से अधिक से 50 रुपया प्रति माह वेतन पर कार्यरत हैं जबकि सरकारी नीति के अनुसार उनका नियमितीकारण हो जाना चाहिए था ? यदि हां, तो क्या सरकार इन दोनों दाइयों को स्थाई कर, वेतन वृद्धि करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

सूचना एकत्र की जा रही है।

यू0 पी0 स्टेट हार्टिकों फैक्ट्री, खलीलाबाद, बस्ती द्वारा टमाटर की खरीद एवं आपूर्ति में घपला

27–श्री द्वारिका प्रसाद–

क्या कृषि मंत्री को ज्ञात है कि यू0 पी0 स्टेट हार्टिकों फैक्ट्री, खलीलाबाद, बस्ती द्वारा नवम्बर, 1986 से मार्च, 1987 के बीच 101 टन टमाटर खरीदा गया था जिसमें से मात्र 75 टन टमाटर ही फैक्ट्री तक पहुंचा ? क्या यह सही है कि शेष टमाटर अधिकारियों कर्मचारियों ने गबन कर लिया था, जिसके सम्बन्ध में विभाग ने जांच भी करायी थी ? यदि हां, तो इस संबंध में दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी, तो क्यों ?

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

जांच के आदेश दिये गये हैं । आख्या प्राप्त होने एवं दोषी पाये जाने पर सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध यथाविधि कार्यवाही होगी ।

यू0 पी0 स्टेट हार्टिकों फैक्ट्री, खलीलाबाद, बस्ती में नवम्बर, 1986 से मार्च, 1987 के मध्य खरीदे गये टमाटर से तैयार माल की बिक्री का ब्योरा

28–श्री द्वारिका प्रसाद–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू0 पी0 स्टेट हार्टिकों फैक्ट्री, खलीलाबाद (बस्ती) में नवम्बर, 1986 से मार्च, 1987 तक कुल कितने टन टमाटर खरीदा गया था ? उससे कुल कितना माल तैयार हुआ तथा किनने मूल्य की बिक्री गयी ?

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल–

यह प्रश्न विधान सभा के प्रथम सत्र 1989 के तीसरे गुरुवार के लिये निर्धारित श्री द्वारिका प्रसाद, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछा गया अतारांकित प्रश्न संख्या–27 से सम्बद्ध है जिसमें जांच के आदेश दिये गये हैं।

नवाबगंज, इलाहाबाद के शीतगृह का वर्ष 1985 से 1988 तक लाभ हानि एवं बिक्री का अधिकतम प्रस्ताव

29–श्री अनुग्रह नारायण सिंह,
श्री जवाहर सिंह यादव,
श्री हृदय नरायन दीक्षित तथा
श्री राकेश धर त्रिपाठी–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नवाबगंज, इलाहाबाद में स्थित शीत-गृह का सन् 1985 से 1988 तक लाभ हानि क्या है तथा क्या उक्त शीतगृह को बेचने का विज्ञापन सरकार ने कराया है ? यदि हां, तो कब और शीतगृह को खरीदने का अधिकतम प्रस्ताव क्या है ?

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल–

यह उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन का शीतगृह कथित अवधि में (चार वर्ष में) लगभग 10 लाख रुपये की हानि में रहा है। इसके विक्रय का विज्ञापन सितम्बर, 1988 में हुआ था।

यू0 पी0 स्टेट एग्रो के शीतगृह प्रदेशीय कोआपरेटिव संघ लि0 को हस्तान्तरित हो रहे हैं।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जहांगीरगंज, फैजाबाद की सहायक मिडवाइफ का वर्ष 1979 से 1985 तक का बकाया वेतन

30–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि श्रीमती विद्यावती गौड़, अटेन्डेन्ट मिडवाइफ, प्रा0 स्वा0 केन्द्र, जहांगीरगंज–फैजाबाद के "वेतन निर्धारण एरियर" वर्ष 1979 से 1985 तक का सम्पूर्ण भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा इनका भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि

उक्त विद्यावती गौड का माह मई एवं जून, 1968 का वेतन भुगतान भी अधिकारियों/कर्मचारियों की उदासीनता के कारण अभी तक नहीं हो सका है ? यदि हां, तो इसमें दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है तथा वेतन भुगतान कब तक हो जायेगा ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद फैजाबाद में सौ शैय्या वाले अस्पताल खोले जाने का प्रस्ताव एवं भूमि व्यवस्था

31–श्री गोपी नाथ वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत टाण्डा नगर पालिका में 100 शैय्या वाले अस्पताल निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या अस्पताल निर्माण कराये जाने हेतु नगर पालिका के अन्तर्गत भूमि उपलब्ध है ? यदि हां, तो अब तक अस्पताल निर्माण शुरू न कराये जाने का क्या कारण है ? कब तक अस्पताल का निर्माण शुरू करा दिया जायेगा ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

सम्प्रति 30 शैय्याओं के अस्पताल हेतु निर्माण कार्य की स्वीकृति दी गयी है एवं इस सन्दर्भ में भूमि उपलब्ध है। निर्माण कार्य यथाशीघ्र किया जायेगा। शैय्या वृद्धि एक सौ एक करने का विषय अभी अपरिपक्व है।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी, स0 वि0 स0 द्वारा जन स्वास्थ्य रक्षकों के कतिपय मांगों के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री को भेजा गया पत्र

32–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि मुख्य मंत्री को प्रश्नकर्ता का एक पत्र जन स्वास्थ्य रक्षकों की कतिपय मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किये जाने के सम्बन्ध में अगस्त, 1988 में प्राप्त हुआ था जिसकी प्राप्ति सूचना संयुक्त सचिव ने अपने पत्रांक संख्या–सी0 एम0 वि0 को–03/66-64/ई/88, दिनांक 7-9-88 द्वारा भेजी थी ? यदि हां, तो इनमें से किन-किन मांगों को सरकार ने स्वीकार करने का निर्णय ले लिया है ? शेष मांगें स्वीकार करने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

जी हां।

जन स्वास्थ्य रक्षकों के मानदेय को बढ़ाये जाने तथा उनको औषधि किट आपूर्ति किये जाने का प्रकरण भारत सरकार के स्तर पर विचाराधीन है।

मृतक कर्मचारी के आश्रितों को सेवा में लेने के तहत श्री प्रेम कुमार श्रीवास्तव, ग्रा0-पो0-रतसर, जिला बलिया का प्रार्थना-पत्र

33-श्री गौरी शंकर भइया-

क्या कृषि मंत्री को प्रश्नकर्ता की संस्तुति से श्री प्रेम कुमार श्रीवास्तव पुत्र स्व0 राम निवास लाल श्रीवास्तव, ग्राम-पोस्ट-रतसर, जनपद-बलिया उत्तर प्रदेश का एक आवेदन पत्र मृतक कर्मचारी के आश्रित के रूप में कनिष्ठ लिपिक पद पर नियुक्ति हेतु जो डाकघर बलिया से दिनांक 19-10-88 रजिस्ट्री संख्या 009 से भेजा गया है, प्राप्त हो गया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल-

प्रश्नकर्ता का दिनांक 10-10-88 का एक पत्र जो श्री प्रेम कुमार श्रीवास्तव पुत्र स्व0 श्री राम निवास लाल श्रीवास्तव को मृतक आश्रित के रूप में कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति के सम्बन्ध में है, श्री प्रेम कुमार श्रीवास्तव के प्रार्थना-पत्र के साथ प्राप्त हुआ है।

मृतक आश्रित की नियुक्ति के लिए निर्देश संयुक्त कृषि निदेशक (प्रसार) वाराणसी को दिनांक 9-2-89 को भेज दिए गये हैं।

निदेशक, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा पद्धति, उत्तर प्रदेश द्वारा अध्यक्ष की अवैध नियुक्ति की शिकायत

34-श्री शारदानन्द अंचल-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जुलाई, 1988 में निदेशक, आयुर्वेद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के अध्यक्ष श्री राम कृष्ण उपाध्याय की अवैध नियुक्ति व भ्रष्टाचार एवं गैर कानूनी कार्यों से सम्बन्धित कोई रिपोर्ट शासन को भेजी गयी है ? यदि हां, तो इस रिपोर्ट पर अब तक शासन द्वारा क्या निर्णय लिया गया है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित-

जी हां ।

यथा आवश्यक कार्यवाही के लिए मामला विचाराधीन है।

बलिया जनपद के समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर दस साल या इससे अधिक समय से रहने वाले तथा बार-बार स्थानान्तरण रुकवाने वाले कर्मचारियों की जानकारी

35-श्री शारदा नन्द अंचल-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बलिया जनपद में विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों में कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो 10 वर्ष से अधिक समय से एक स्थान पर कार्यरत हैं और उनमें कितने व्यक्ति ऐसे हैं जिनका स्थानान्तरण आदेश कई बार निरस्त किया गया है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

सूचना एकत्र की जा रही है।

36–श्री अशोक वाजपेयी–

[5वें गुरुवार के लिये स्थगित]

37–श्री हर्ष वर्धन–

[5वें गुरुवार के लिये स्थगित]

संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में वर्ष 1983 से 1987 तक लगभग पैंतीस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सेवा से मुक्त किये जाने का मामला

38–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में श्रेणी एक से चार तक के लगभग 35 अधिकारी/कर्मचारी (वर्ष 1983 में 5, वर्ष 1984 में 2, वर्ष 1985 में 2, वर्ष 1986 में 7 तथा वर्ष 1987 में 8) बिना किसी ठोस आधार के सेवा से मुक्त किये गये ? यदि हां, तो क्या सेवा मुक्त किये गये इन अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को बिना किसी ठोस आधार के सेवा मुक्त नहीं किया गया।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

महिला चिकित्सालय, फैजाबाद में प्रजनन में हुई अनियमितता के कारण एक महिला की मृत्यु का मामला

39–श्री मित्रसेन–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का कोई पत्र महिला चिकित्सालय, फैजाबाद में प्रजनन में की गई घोर अनियमितता के कारण युवती की मृत्यु विषयक दिनांक 14-12-88 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसकी जांच किस अधिकारी से कब करायी गयी ? जांच में कौन लोग दोषी पाये गये ? युवती के मृत्यु का कारण क्या है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

जी हां।

महानिदेशक से जांच कराई जा रही है।

जिला परिषद् मुरादाबाद द्वारा संचालित बछरायूं स्थित चिकित्सालय का प्रान्तीयकरण न किये जाने का कारण

40—श्री कौशिक रमाशंकर—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष 1988-89 में विभिन्न संस्थाओं द्वारा संचालित चिकित्सालयों का प्रान्तीयकरण करने हेतु क्या लक्ष्य रखा गया है और उनमें से जिला परिषदों द्वारा संचालित कितने चिकित्सालय हैं ? मुरादाबाद जिला परिषद् द्वारा संचालित बछरायूं, स्थित चिकित्सालय जिसकी सब औपचारिकताएं पूर्ण हैं, अभी तक प्रान्तीयकरण न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

वर्ष 1988—89 में 15 जिला परिषदीय चिकित्सालयों के प्रान्तीयकरण का लक्ष्य रखा गया है। जिला परिषद् चिकित्सालय, बछरायूं, जनपद मुरादाबाद का औपचारिक प्रस्ताव प्रतीक्षित है।

राजकीय आयुर्वेदिक कालेजों में वैयक्तिक सहायकों के रिक्त पदों की संख्या एवं उन पर नियुक्ति किये जाने की मांग

41—श्री मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय आयुर्वेदिक कालेजों में वैयक्तिक सहायकों के कुल कितने पद रिक्त हैं तथा क्या यह लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत हैं ? यदि हां, तो अभी तक इन पदों पर आयोग के माध्यम से नियुक्ति न कराये जाने का क्या कारण है ? उक्त पदों पर आयोग के माध्यम से नियमित नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

सूचना एकत्र की जा रही है।

राजकीय आयुर्वेदिक विद्यालय के प्रशासक की लापरवाही से सरकार द्वारा आवंटित धनराशि का आहरण न किया जाना

42—श्री मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां—

क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1985-86 में शासनादेश संख्या—4674/सेक-9/पांच-48/84, दिनांक 31-3-86 के द्वारा 25 लाख रुपये की धनराशि शासन द्वारा राजकीय आयुर्वेदिक कालेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ को स्वीकृत की गयी थी ? यदि हां, तो यह सही है कि विद्यालय के प्रशासक की लापरवाही के कारण उक्त धनराशि का आहरण नहीं हो सका ? यदि हां, तो सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद बांदा के राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, अतर्रा में वर्ष 1986-87 में सामान एवं मशीन आदि खरीदने में गड़बड़ी

43–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद के राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, अतर्रा में वर्ष 1986–87 में फार्मेसी कार्य प्रारम्भ करने के लिए मशीनें तथा सामान खरीदा गया था ? यदि हां, तो मशीनों तथा सामान का मूल्य क्या था ? इसके लिए शासन से कितनी धनराशि प्राप्त हुई थी ? क्या यह सही है कि अभी तक फार्मेसी का कार्य प्रारम्भ न किये जाने के कारण मशीनें एवं सामान खराब हो गये हैं ? यदि हां, तो अभी तक फार्मेसी का कार्य प्रारम्भ न करने की किसकी जिम्मेदारी है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी तथा इतनी कीमती मशीनें एवं सामान अभी तक रखे रहने से कालेज का कितना नुकसान हुआ ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

सूचना एकत्र की जा रही है।

तकमील उत्तिब कालेज, लखनऊ में पठन पाठन तथा शिक्षण कक्षाओं में केन्द्रीय चिकित्सा परिषद् के मानकों के अनुसार व्यवस्था का न होना

44–श्री मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि तकमीलउत्तिब कालेज, लखनऊ में पठन-पाठन, प्रयोगशालाओं तथा शिक्षण कक्षों की उचित व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो इसको सुधारने के लिए शासन के पास कोई योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उस पर कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

जी हां, भारतीय केन्द्रीय चिकित्सा परिषद् के मानकों के अनुसार अपेक्षित व्यवस्था नहीं है।

पठन-पाठन, प्रयोगशालाओं, शिक्षण कक्षों आदि के भवनों के निर्माण हेतु भूमि क्रय किये जाने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है।

तकमील-उत्तिब कालेज, लखनऊ में प्रवेश क्षमता के अनुकूल छात्रावासों के निर्माण की मांग

45–श्री मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तकमील-उत्तिब कालेज, लखनऊ के छात्र-छात्रावास की क्षमता-प्रवेश क्षमता के अनुकूल नहीं है एवं छात्रा-छात्रावास का पूर्ण अभाव है ? यदि हां, तो क्या छात्रावासों का तुरन्त निर्माण कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

सूचना एकत्र की जा रही है।

तकमीलउत्तिव कालेज, लखनऊ के भवन के जीर्णोद्धार का मामला

46—श्री मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तकमील-उत्तिव कालेज, लखनऊ के भवन के जीर्णोद्धार की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

सूचना एकत्र की जा रही है।

आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सालयों के अनुपात में चिकित्सालय एवं औषधालय खोलने का मामला

47—श्री मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन ने आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सालयों का अनुपात 80:20 रखने का निर्णय लिया था ? यदि हां, तो क्या इस अनुपात में चिकित्सालय/औषधालय स्थापित किए गए ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस समय प्रदेश में आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सालयों की संख्या कितनी है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश में कतिपय मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालयों के आशुलिपिकों से अधिष्ठान का कार्य लिए जाने का औचित्य

48—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के किन-किन जनपदों में मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालयों में नियुक्त आशुलिपिकों से अधिष्ठान संबंधी कार्य लिए जा रहे हैं ? इनसे इस तरह के कार्य लिए जाने का औचित्य क्या है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद हरदोई के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा कराए गए निर्माण कार्य का विवरण

49—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा वर्ष 1987-88 के दौरान मरम्मत एवं निर्माण कार्यों पर क्रमशः कितनी-कितनी धनराशि खर्च की गई और मरम्मत तथा निर्माण कार्यों का विवरण क्या है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

किंग जार्ज मेडिकल कालेज लखनऊ में आरक्षित प्रवक्ताओं का कोटा

50—श्री चेतराम—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किंग जार्ज मेडिकल कालेज के सरकार द्वारा अधिग्रहण करने के बाद कितने तदर्थ प्रवक्ता नियुक्त किए गए उनमें कितने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग/अल्प संख्यक वर्ग के प्रवक्ता नियुक्त हुए ? क्या इस बात का पता लगाने के लिए किसी समिति का गठन करेंगे कि उक्त वर्ग के प्रवक्ता आरक्षण के बावजूद भी न लिए जा सके तथा प्रवक्ता पद हेतु उक्त वर्ग के कितने अभ्यर्थी अलग-अलग थे ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

किंग जार्ज मेडिकल कालेज का अधिग्रहण सरकार द्वारा करने के बाद 64 तदर्थ प्रवक्ता नियुक्त किए गए । आरक्षण का कोटा पूर्ण करने की यथासम्भव चेष्टा की गई परन्तु आरक्षित वर्ग का कोई अभ्यर्थी समिति द्वारा बनाए गए मानकों को पूर्ण न कर सका । इस संबंध में विचार करने एवं सुझाव देने हेतु समिति का गठन पहले ही किया जा चुका है ।

जिला अस्पताल मथुरा के चिकित्सक डाक्टर वी0 के0 गुप्त का स्वयं रुचि पर स्थानान्तरण के बाद भी टी0 ए0, डी0 ए0 आहरण किया जाना

51—श्री कुशल पाल सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री की जानकारी में है कि जनपद मथुरा के जिला अस्पताल में कार्यरत डा0 वी0 के0 गुप्ता ने जून, 1986 में स्वयं की प्रार्थना पर अपना स्थानान्तरण जिला अस्पताल में ई0 एस0 आई0 डिस्पेंसरी मथुरा के लिए कराया था जिससे मुख्यालय का परिवर्तन नहीं हुआ ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि डा0 गुप्ता ने स्थानान्तरण यात्रा भत्ता व डिस्टरबेंस एलाउंस सरकारी नियमों के विरुद्ध लिया ? यदि हां, तो क्या शासन उक्त डाक्टर द्वारा अवैध रूप से सरकारी धन के आहरण के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जिला चिकित्सालय मथुरा में कार्यरत चिकित्सक डा0 वी0 के0 गुप्ता द्वारा श्रम विभाग के अन्तर्गत ई0 एस0 आई0 संवर्ग में कार्य करने हेतु विकल्प दिया गया था जिसे शासन द्वारा स्वीकार करते हुए उक्त संवर्ग में कार्यभार ग्रहण करने के लिए वह मई, 1986 को कार्यमुक्त हुए । इससे मुख्यालय का परिवर्तन नहीं हुआ । इनके द्वारा इस संबंध में कोई यात्रा भत्ता व डिस्टरबेंस एलाउंस नहीं लिया गया । अतः शेष प्रश्न नहीं उठता ।

कर्मचारी संघ पशुपालन विभाग बांदा द्वारा शासन को दिया गया ज्ञापन एवं कृत कार्यवाही की जांच

52—श्री राम सजीवन—

क्या पशुपालन मंत्री कृपया बतायेंगे कि पशुपालन विभाग बांदा के कर्मचारी संघ ने निदेशक पशुपालन उत्तर प्रदेश लखनऊ को एक प्रतिवेदन 7 सितम्बर, 1988 को

भेजा था जिसकी एक प्रति सचिव पशुपालन उत्तर प्रदेश शासन को भी भेजी गई थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? अभी तक कोई प्रभावी कार्यवाही न कराने के क्या कारण हैं ? क्या सम्पूर्ण प्रकरण की जांच किसी उच्च एवं निष्पक्ष अधिकारी से कराई जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पशुधन एवं मत्स्य मंत्री (श्री अरुण कुमार सिंह)–

कथित प्रतिवेदन निदेशक, पशुपालन उ0 प्र0 को प्राप्त हुआ ।

निदेशक, पशुपालन द्वारा जांच कराई गई । जांच आख्या उनके परीक्षणाधीन है ।

राजकीय आयुर्वेदिक कालेज अतर्रा, जनपद बांदा में मरीजों एवं छात्रों की संख्या घटने का कारण

53–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि आयुर्वेदिक कालेज अतर्रा (बांदा) में जब से प्राचार्य डा0 गुप्ता ने कार्यभार ग्रहण किया तो मरीज संख्या बहुत कम हुई तथा कालेज के छात्रों की कक्षाएं भी बहुत कम लगी हैं ? यदि नहीं, तो मई, 1985 से मई, 1986 तक के तथा मई, 1986 से 15 जनवरी, 1987 तक के मरीजों की तुलनात्मक संख्या का विवरण क्या है तथा मई, 1986 से 15 जनवरी, 1987 तक कितनी कक्षाएं छात्रों की लगी ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

54–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

[5वें गुरुवार के लिए स्थगित]

पश्चिमी बंगाल की भांति उत्तर प्रदेश में मछुवारों को वृद्धावस्था पेंशन दिए जाने की मांग

55–श्री मैनेजर सिंह–

क्या सरकार को ज्ञात है कि पश्चिम बंगाल योजना आयोग से स्वीकृति प्राप्त कर मछुवारों की वृद्धावस्था पेंशन देने की व्यवस्था की गई है ? यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश शासन भी वैसे ही योजना प्रदेश के वृद्ध मछुवारों के लिए लागू करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

इस प्रकार की योजना की जानकारी नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश तराई बीज निगम द्वारा बीज पैदा करने वाले किसानों से अनुचित निरीक्षण शुल्क लेने का आधार

56—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश तराई बीज निगम ने बीज पैदा करने वाले किसानों की साढ़े बारह एकड़ तक की फसल का निरीक्षण शुल्क लगभग तीन गुना बढ़ा दिया है जबकि उसके ऊपर के क्षेत्र के लिए बढ़ोत्तरी प्रति हेक्टेयर पर की गई है और इस प्रकार से लघु किसानों के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है ? यदि हां, तो सही स्थिति क्या है और निरीक्षण शुल्क में की गई वृद्धि का आधार क्या है ?

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

57—श्री राम सजीवन—

[दिनांक 16-2-89 को अता0 प्र0 सं0 96 द्वारा उत्तरित]

वर्तमान निदेशक शिक्षा एवं प्रशिक्षण स्वास्थ्य भवन लखनऊ के कार्यकाल में एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में प्रवक्ता पद पर हुई नियुक्तियों में आरक्षण कोटा पूरा न करने का कारण

58—श्री चेतराम—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान निदेशक, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ के कार्यकाल शुरू होने से दिसम्बर, 1987 तक कितने तदर्थ प्रवक्ता विभिन्न एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में नियुक्त हुए ? उनमें कितने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग/अल्प संख्यक वर्ग के प्रवक्ता नियुक्त हुए एवं कितने अभ्यर्थी प्रवक्ता पद हेतु उक्त वर्ग के अलग-अलग थे ? क्या सचिव स्वास्थ्य की अध्यक्षता में कोई समिति गठित करने पर विचार करेंगे कि उक्त काल में आरक्षित वर्ग के वर्ष 1984 में 11 एवं 1985 में 17 अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर भी उनकी नियुक्ति न किये जाने के क्या कारण थे ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

वर्तमान पदधारक दिनांक 30 जून, 1988 से कार्यरत हैं । अतः दिसम्बर, 87 तक उनके कार्यकाल में विभिन्न एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में प्रवक्ताओं के पद पर तदर्थ नियुक्तियों का प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

यह देखते हुए कि शासन द्वारा आरक्षण के प्रश्न पर विचार हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन 4 जुलाई, 1986 को हो चुका है । सचिव स्वास्थ्य की अध्यक्षता में अन्य समिति का गठन लाभप्रद नहीं होगा ।

जनपद फैजाबाद में सरकारी भवन निर्मित होने के बाद भी उच्चीकृत स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों को उन भवनों का उपलब्ध न कराया जाना

59—श्री मित्रसेन—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में कितने ऐसे उच्चीकृत स्वास्थ्य केन्द्र या उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं जिनके भवन निर्मित होने के बावजूद भी अभी तक विभाग को हस्तगत नहीं किये गये हैं जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में असुविधा और कठिनाई हो रही है ? इस उदासीनता के लिए कौन लोग दोषी हैं तथा उनके विरुद्ध कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

कृषि उत्पादन मंडी दुद्धी मिर्जापुर के निर्माण के बावजूद भी व्यापारियों को शिफ्ट न कराये जाने का कारण

60—श्री विजय सिंह—

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर में दुद्धी कृषि उत्पादन मण्डी के निर्माण हो जाने के बावजूद भी आज तक व्यापारियों का वहां पर कारोबार न कराने का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी शीघ्र ही व्यापारियों को नवनिर्मित मण्डी स्थल में शिफ्ट करने हेतु समुचित आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल—

व्यापार स्थानान्तरण के आदेश दिये जा चुके हैं ।

जिला अस्पताल बमौती तथा महिला चिकित्सालय बस्ती में कतिपय पदों के सृजन की मांग

61—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला अस्पताल बमौती तथा महिला चिकित्सालय बस्ती में कौन-कौन पद सृजित हैं ? मानक के अनुसार कितने पद सृजित होने चाहिए ? क्या सरकार मानक के अनुसार पद सृजित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

आगरा टी0 बी0 डिमान्सट्रेशन सेन्टर आगरा द्वारा यूनीसेफ द्वारा प्राप्त करोड़ों रुपये की दवाओं को बरबाद करने की शिकायत

62—श्री बदन सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री की जानकारी में है कि आगरा स्थित टी0 बी0 डिमान्सट्रेशन सेन्टर आगरा में यूनीसेफ द्वारा दी गई करोड़ों रुपयों की दवाई व्यर्थ खराब हो रही है ? यदि हां, तो इन दवाओं के प्रयोग में न लाने का क्या कारण है ? क्या यह भी

सही है कि टी0 बी0 डिमान्सट्रेशन सेन्टर आगरा में उ0 प्र0, मध्य प्रदेश व राजस्थान से आने वाले मरीजों को भर्ती करने में लापरवाही बरती जाती है ? यदि हां, तो इस सेन्टर के सुचारु रूप से संचालन के लिए सरकार प्रभावी कार्यवाही करेगी ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

केन्द्र सुचारु रूप से संचालित है ।

उत्तर प्रदेश प्रयोगशाला प्राविधिक संघ द्वारा लैब टेक्नीशियन के दो संवर्गों के सम्बन्ध में दायर रिट याचिका

63–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन द्वारा लैब टेक्नीशियन के दो संवर्गों के गठन (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) के विरुद्ध उत्तर प्रदेश प्रयोगशाला प्राविधिक संघ द्वारा कोई याचिका उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण में दायर की गयी थी ? यदि हां, तो क्या लोक सेवा अधिकरण उत्तर प्रदेश द्वारा दिए गये निर्णय दिनांक 24-11-87 का अनुपालन शासन द्वारा सुनिश्चित कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां ।

लोक सेवा अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया है ।

लैब टेक्नीशियनों को पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अतिरिक्त पदों के सृजन की मांग

64–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य सम्वर्ग में कार्यरत लैब टेक्नीशियनों को पदोन्नति के अवसर सुलभ कराने के उद्देश्य से निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश की ओर से 113 सीनियर लैब टेक्नीशियन के पद सृजन हेतु प्रस्ताव एक वर्ष पूर्व भेजा गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त पद सृजित कराये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां, ऐसा प्रस्ताव प्राप्त हुआ था किन्तु पूर्णरूपेण स्वतः पूर्ण न होने के कारण यथोचित शेष सूचना मांगी गयी है । समग्र सूचना उपलब्ध होने के पश्चात ही निर्णय लेना सम्भव होगा ।

65–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

[5वें गुरुवार के लिए स्थगित]

जनपद उन्नाव में सौर ऊर्जा से संचालित टेलीविजन सेट लगाये जाने की जानकारी

66–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सौर ऊर्जा से संचालित टेलीविजन सेट लगाये जाने की योजना स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित की जा रही है ? यदि हां, तो उन्नाव जनपद में 7 विधान सभा क्षेत्रों में से किन विधायकों के क्षेत्रों में सौर ऊर्जा से संचालित टेलीविजन सेट लगाये गये हैं ? क्या प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र पुरवा जनपद उन्नाव में किसी गांव में वर्ष 1988-89 में सौर ऊर्जा से संचालित टेलीविजन सेट लगाये जाने का प्रस्ताव है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी नहीं ।

जनपद उन्नाव में कुल 35 सौर ऊर्जा संचालित टी0 वी0 सेट्स लगाने का प्रस्ताव है । जहां अब तक पांच विधान सभा क्षेत्रों के कुल 15 केन्द्रों का चयन किया गया है जिनमें 8 केन्द्र पुरवा विधान सभा क्षेत्र के हैं । किन्तु अभी तक इन केन्द्रों में से किसी भी केन्द्र पर टी0 वी0 सेट इसलिए नहीं लगाये जा सके हैं, क्योंकि निर्धारित नीति के अनुसार किसी भी केन्द्र की ग्राम सभा द्वारा रु0 2500 का अंशदान जमा नहीं किया गया है ।

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ द्वारा वर्ष 1987-88 में कतिपय पदों हेतु आवेदन का आमंत्रण

67–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ द्वारा वर्ष 1987–1988 में फोरमैन (विद्युत, इलेक्ट्रानिकी) एवं कनिष्ठ इंजीनियर (सिविल/विद्युत) हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये थे ? यदि हां, तो उपर्युक्त पदों हेतु अंतिम तिथि तक किस-किस श्रेणी के कुल कितने आवेदन पत्र अलग-अलग दोनों पदों हेतु अभ्यर्थियों द्वारा जमा कराये गये ? इनमें से कितने अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया गया ? कितने लोगों को नियुक्ति पत्र अब तक जारी कर दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो इसका मूल कारण क्या है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां ।

वांछित सूचना निम्न प्रकार है:--

पदनाम	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	साक्षात्कार में बुलाये गये अभ्यर्थियों की संख्या	जारी किये गये नियुक्ति पत्र की संख्या
फोरमैन (विद्युत/ इलक्ट्रानिक्स)	138	56	1
जूनियर इंजीनियर (सिविल) ..	1203	18	5
जूनियर इंजीनियर (विद्युत) ..	32	15	1

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

हानिकारक खेसारी दाल की आपूर्ति के सम्बन्ध में श्री यदुनाथ सिंह वि0 स0 की शिकायती-पत्र

68--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि माह नवम्बर, 1985 में लखनऊ में हानिकारक खेसारी दाल को पकड़ने के बारे में प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र संख्या 474 मुख्य मंत्री जी को तारीख 3-12-85 को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? खेसरी दाल को कौन लाया था ? तथा उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

है ।

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

जी हां ।

माननीय श्री यदुनाथ सिंह का संदर्भित पत्र प्राप्त हुआ था परन्तु उसमें केवल एक ट्रक खेसारी दाल पकड़े जाने का उल्लेख किया गया था और उसका ट्रक नम्बर यू0 एस0 डी0 1047 था । जांच करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि जो ट्रक पकड़ा गया था उसका नम्बर यू0 आर0 एल0 4044 था, पाण्डेगंज लखनऊ की मदन लाल एण्ड कम्पनी ने 169 बोरे मटर की दाल बीरगंज, नैपाल के आदर्श दाल उद्योग से मंगवाई थी और उनका कारिन्दा श्री बाबूलाल अमौसी स्टेशन से माल छुड़ा कर पाण्डेगंज ले जा रहा था । दाल के तीन नमूनों की जांच कराकर न्यायिक दण्डाधिकारी (आर्थिक अपराध), लखनऊ की अदालत में तीन अभियोजन धारा 7/16 खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अधीन दायर किये गये हैं जिसमें दाल मंगाने वाली मदन लाल एण्ड कम्पनी, दाल भेजने वाली आदर्श दाल उद्योग बीरगंज, नैपाल मदन

लाल एण्ड कम्पनी का कारिन्दा श्री बाबूलाल और ट्रक नम्बर यू0 आर0 एल0 4044 का ड्राइवर श्री त्रिभुवन सिंह व क्लीनर श्री गोवर्धन सिंह अभियुक्त हैं । न्यायालय में धारा 244 द0 प्र0 स0 के अंतर्गत कार्यवाही चल रही है ।

69–श्री यदुनाथ सिंह–

[4थें बुधवार में अता0 प्र0 सं0 102 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बिसौली बदायूं के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी एवं कुछ कर्मचारियों द्वारा फर्जी नसबन्दी किए जाने की शिकायत

70–श्री योगेन्द्र कुमार–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग-11 द्वारा प्रेषित अर्द्ध शा0 पत्र एम-29/16-11-87-9 (228) 86 दिनांक 16 मई, 1987 के सम्बन्ध में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिसौली, जनपद बदायूं के प्रभारी चिकित्साधिकारी/कर्मचारी को फर्जी नसबन्दी के लिए दोषी पाया गया था ? उक्त प्रभारी चिकित्साधिकारी एवं कर्मचारियों के विरुद्ध अब तक क्या अनुशासनिक कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां ।

डाक्टर विष्णु सरन, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, श्री सगीर अहमद, प्रसार शिक्षक, श्री गोपी चन्द्र शर्मा तथा दिनेश चन्द्र शर्मा, स्वास्थ्य सहायक एवं श्रीमती कुसुम सक्सेना, स्वास्थ्य निरीक्षिका को निलम्बित कर अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने के आदेश शासन द्वारा जारी कर दिये गये थे किन्तु डा0 विष्णु सरन अपने निलम्बन आदेशों में उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर कार्य कर रहे हैं ।

वाहन बिहीन प्राथमिक केन्द्रों का विवरण एवं उच्चाधिकारियों द्वारा सरकारी वाहनों का अनधिकृत उपयोग

71–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कितने प्रा0 स्वा0 केन्द्र ऐसे हैं जिन पर कोई वाहन आवंटित नहीं है ? क्या प्रा0 स्वा0 केन्द्र पर वाहन आवंटित न करके उन वाहनों का प्रयोग विभाग के उच्च अधिकारियों (जिनको नियमानुसार वाहन सुविधा उपलब्ध नहीं है), द्वारा किया जा रहा है ? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

उपलब्ध सूचना अतारांकित प्रश्न संख्या–5 के उत्तर में प्रथम गुरुवार को प्रस्तुत की जा चुकी है । शेष सूचना प्राप्त की जा रही है जो समय साध्य है । समग्र सूचना प्राप्त होने पर यथाशीघ्र प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

कृषि उत्पादन मंडी समिति छिबरामऊ फर्रुखाबाद में अनुसूचित जाति के लिए रिक्त पद पर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों का चयन न किये जाने का कारण

72–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद के अंतर्गत कृषि उत्पादन मंडी समिति छिबरामऊ द्वारा वर्ष 1986-87 में कामदार पद हेतु जो कि अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षित थे, आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे ? यदि हां, तो इस एक मात्र पद के लिए कुल कितने अभ्यर्थियों द्वारा अपने प्रार्थना-पत्र जमा कराये गये थे ? क्या मंत्री जी को जानकारी है कि शासन के स्पष्ट आदेशों के बावजूद उपर्युक्त पद पर अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवार का चयन न किये जाने का मुख्य कारण क्या है ?

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल–

इस प्रकरण में जांच के आदेश दिये गये हैं ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सिद्धपुर एटा में वर्ष 1987 के सितम्बर से दिसम्बर के मध्य हुई नसबन्दी की जानकारी

73–श्री वीरेन्द्र सिंह (एटा)–

क्या स्वास्थ्य मंत्री जनपद एटा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सिद्धपुर में वर्ष 1987 के माह सितम्बर से दिसम्बर तक नसबन्दी किये गये पुरुष एवं महिलाओं की सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

श्रम साध्य एवं विस्तृत सूची होने के कारण इसे सदन के पटल पर रखना सम्भव नहीं है ।

नसबन्दी किये गये पुरुष एवं महिलाओं की विस्तृत सूची मेरे कार्यालय कक्ष में उपलब्ध है, जिसे विधायक महोदय देख सकते हैं ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शुक्ल बाजार सुल्तानपुर के चिकित्सा अधिकारी की नेता विरोधी दल द्वारा की गई शिकायत

74–श्री मूलचन्द–

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शुक्ल बाजार सुल्तानपुर के एम0 ओ0 श्री शर्मा के विरुद्ध नेता विरोधी दल का शिकायती पत्र संख्या 5974 दिनांक 16-10-88 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां । निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों के अनुपालन में डा0 एम0 जे0 शर्मा को मुख्य चिकित्साधिकारी, सुल्तानपुर द्वारा स्थानान्तरण पर दिनांक 28-1-89 को कार्यभार से मुक्त कर दिया गया है ।

माधौगंज मंडी समिति जनपद हरदोई में सहिजना कुरसठ मार्ग के निर्माण का विचाराधीन मामला

75–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई में माधोगंज मण्डी समिति के अंतर्गत सहिजना कुरसठ मार्ग-निर्माण का प्रस्ताव और प्राक्कलन विचाराधीन है ? यदि हाँ, तो अब तक स्वीकृति न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल–

जनपद हरदोई में माधोगंज मंडी समिति के अंतर्गत सहिजना कुरसठ मार्ग के निर्माण का प्रस्ताव मण्डी परिषद् में विचाराधीन है ।

धनाभाव ।

नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद के श्रमिकों द्वारा जिलाधिकारी का घेराव

76–श्री मित्रसेन–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1987 के पहले गुरुवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अता0 प्र0 सं0 134 के उत्तर के संदर्भ में क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि अब तक विस्तृत कार्यवाही क्या की गयी और कुल गिरफ्तार श्रमिकों की संख्या और उनके नाम क्या हैं तथा उनकी मुख्य-मुख्य मांगें क्या थीं ?

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल–

कुल गिरफ्तार श्रमिकों की संख्या 108 है, उनके नाम सत्यापित कराये जा रहे हैं। उनकी मुख्य-मुख्य मांगें निम्नलिखित थीं:–

1–दैनिक मजदूरी में वृद्धि

2–पूरा माह निरंतर कार्य पर लगाये रखना ।

3–दैनिक श्रमिकों को स्थाई किया जाना ।

विश्वविद्यालय को इन मांगों के प्रसंग में शासन स्तर से यथाविधि निर्देश दिया जाना सम्भव नहीं है ।

मंडी परिषद् के स्वीकृत पदों को निदेशक द्वारा बिना पूर्व सूचना के समाप्त किये जाने की शिकायत

77–श्री अशोक बाजपेयी तथा श्री मैनेजर सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मण्डी परिषद् में परिषद् से स्वीकृत पदों को बिनी किसी पूर्व सूचना के समाप्त करने का अधिकार निदेशक, मण्डी परिषद् को है ? यदि नहीं, तो दिनांक 29-4-88 को समाप्त किये गये पदों के लिए कौन उत्तरदायी है और क्या शासन उक्त अधिकारी के विरुद्ध जांच कराकर कार्यवाही करा-येगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल–

जी नहीं ।

पत्रांक 955/कैम्प दिनांक 29-4-88 द्वारा निदेशक मण्डी ने उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 के अंतर्गत गठित मण्डी परिषद् की 53 वीं बैठक दिनांक 22-4-88 के निर्णय को प्रसारित किया ।

उत्तर दायित्व निर्धारण अथवा कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

मंडी परिषद् में सक्षम तकनीकी स्टाफ होने के बाद भी निर्माण कार्य अन्य विभागों से कराये जाने की शिकायत

78–श्री अशोक बाजपेयी तथा श्री मैनेजर सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मण्डी परिषद् में निर्माण कार्य हेतु सक्षम तकनीकी स्टाफ होते हुए भी अन्य विभाग से निर्माण कराया जाता है ? यदि हां, तो किस स्तर का तथा कितनी धनराशि का कार्य कराया जाता है ? अन्य विभाग से कार्य कराये जाने का कारण क्या है ?

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल–

भवन मार्केट यार्ड, सड़क निर्माण का कार्य मंडी परिषद् द्वारा स्वंय किया जाता है ।

मंडी समितियों द्वारा लगभग बीस करोड़ रुपये को एफ0 डी0 से निकाल कर पी0 एल0 ए0 में जमा करने से हुई हानि की शिकायत

79–श्री अशोक बाजपेयी–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मण्डी समितियों का लगभग 20 करोड़ से अधिक का धन जिसमें से काफी धन फिक्स डिपाजिट में जमा था एफ0 डी0 तोड़कर पी0 एल0 ए0 में जमा कराया गया ? यदि हां, तो कितना तथा इन एफ0 डी0 के तोड़ने से मण्डी समितियों को कितने ब्याज की हानि हुई ? क्या सरकार जांच कराकर दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल–

शासनादेश सं0 ए, 1,379/दस, 88 10(3)88 दिनांक 12 फरवरी, 1988 द्वारा पी0 एल0 ए0 में धन जमा करने के आदेश दिये गये थे जिसके अनुपालन में रु0 23,83,53,000 जमा कराया गया । इसमें किसी के दोषी होने अथवा मण्डी समितियों को हानि पहुंचाने का प्रश्न नहीं उठता ।

वित्तीय वर्ष 1986-87 एवं 87-88 में प्रदेश स्तर पर नसबन्दी मद में व्यय होने वाली धनराशि का विवरण

80–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वित्तीय वर्ष 86-87 एवं 87-88 में नसबंदी कराने वालों को प्रेरित करने वालों को एवं विभिन्न अधिकारियों को

पारितोषिक (इन्सेन्टिव) के नाम पर कुल कितना-कितना धन दिया गया ? परिवार कल्याण कार्यक्रम में सहयोग करना अधिकारियों के कर्तव्य में शामिल होने पर अधिकारियों को इन्सेन्टिव के नाम पर धनराशि देने का क्या औचित्य है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

वर्ष 1986-87 में उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त करने वाले विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया गया था और इस सम्बन्ध में कुल 12,97,900 रुपए व्यय हुए थे । वर्ष 1987-88 के लिए कोई पारितोषिक अभी नहीं दिया गया है ।

परिवार कल्याण कार्यक्रम अति महत्व का राष्ट्रीय कार्यक्रम है, इसलिए इसमें विभागीय एवं गैर विभागीय अधिकारियों का पूर्ण सहयोग अपेक्षित है और इनके मनोबल को बनाये रखने के लिए उनकी उपलब्धियों के आधार पर इन्हें पुरस्कृत किया जाना भी उचित एवं आवश्यक है ।

मंडी परिषद् द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी मंडियों के कामदारों के स्थानान्तरण एवं उनका रद्द किया जाना

81–श्री दीपचन्द्र सोनकर–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि मण्डी परिषद् द्वारा उत्तर प्रदेश की सभी मंडियों के कामदारों के चालू वर्ष में स्थानान्तरण किये गये थे तथा एक माह बाद ही निदेशक मण्डी परिषद् ने सभी स्थानान्तरण रद्द कर दिये जिससे पूरे विभाग में अव्यवस्था उत्पन्न हो गई है ? यदि हां, तो स्थानान्तरण करने तथा पुनः एक माह बाद निरस्त करने का क्या औचित्य था ?

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल–

प्रशासनिक आधार पर मण्डी निदेशक ने स्थानान्तरण किए थे । विधिक त्रुटि के कारण, कि सेवा नियमावली में स्थानान्तरण की ऐसी व्यवस्था नहीं है, स्थानान्तरण निरस्त कर दिये गये ।

नवनिर्मित मंडी स्थल तालग्राम के मासिक आय-व्यय का विवरण

82–श्री संतोष चतुर्वेदी एडवोकेट–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके अर्धशा0 प0 सं0-4484/12-5-88-600/24/88 कृषि (5) अनुभाग विधान भवन दिनांक 20 अगस्त, 1988 में दी गयी सूचनानुसार दिनांक 4-1-87 से नवनिर्मित मण्डी स्थल तालग्राम में बाजार लगवाना प्रारम्भ करा दिया गया है ? उपमण्डी तालग्राम को 4-1-87 से कितना मण्डी शुल्क प्राप्त हुआ ? मासिक आय क्या रही है तथा मासिक व्यय समिति का उक्त मण्डी स्थल पर क्या रहा ?

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल–

जी हां ।

आय-व्यय का अंतिम ब्यौरा अभी उपलब्ध नहीं हो पाया है ।

निदेशक प्रशासन स्वास्थ्य विभाग के कार्यालयों के कर्मचारियों के जी0 पी0 एफ0 पास बुक न बनाये जाने की शिकायत

83–श्री राम सागर–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चिकित्सा विभाग के निदेशक प्रशासन के अंतर्गत अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों की जी0 पी0 एफ0 पास बुक बनी हैं ? यदि नहीं, तो शासन के आदेशों की अवहेलना करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी तथा पास बुकें कब तक बन जायेंगी ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

महानिदेशक को यह आदेश निर्गत कर दिये गये हैं कि वह समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर 30 जून, 1989 तक सभी अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों की जी0 पी0 एफ0 पासबुक बनाया जाना सुनिश्चित करें तथा प्रगति से शासन को अवगत करायें ।

प्रदेश के समस्त मेडिकल कालेजों में लैब टेक्नीशियन के रिक्त पदों के भरने में हो रहे विलम्ब का मामला

84–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ मेडिकल कालेज सहित प्रदेश के विभिन्न मेडिकल कालेजों में लैब टेक्नीशियन के लगभग बीस-बीस पद वर्षों से रिक्त चल रहे हैं ? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है ? क्या वर्ष 1988 में प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले कई लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति अब तक इन पदों पर की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इन पदों पर नियुक्ति हेतु कुछ आवेदन पत्र इच्छुक अभ्यर्थियों द्वारा नवम्बर, 1988 में भेजे गये थे ? यदि हां, तो उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

कृषि उत्पादन मंडी समिति माधोगंज हरदोई द्वारा 1970–80 में निर्माण करवाये गये सम्पर्क मार्गों की शिकायत

85–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई की कृषि उत्पादन मण्डी समिति माधोगंज द्वारा 1979-80 में किन-किन सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराया गया तथा अब तक उनकी मरम्मत न कराये जाने के क्या कारण हैं ?

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल–

मण्डी समिति माधोगंज जिला हरदोई द्वारा वर्ष 1979-80 में निम्न सड़कों के निर्माण कराये जाने की सूचना प्राप्त हुयी है :–

1–नयागांव-गंजे जलालाबाद

2–माधोगंज-सोलपुर

3–राधोपुर-भंगराहा

4–रूइया-शुक्लापुर

मण्डी समिति माधोगंज की मरम्मत कार्य के प्रसंग में कोई प्रस्ताव मण्डी परिषद् में विचाराधीन नहीं है ।

कोंच, जनपद जालौन में स्थित शवोच्छेदन केन्द्र के भवन के जीर्ण शीर्ण होने एवं बाल विद्यालयों के समीप होने के कारण उरई में स्थानान्तरण करने की मांग

86—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री जानकारी देने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि वर्ष 87 के अन्त में क्षेत्राधिकारी पुलिस, कोंच (जालौन) ने लिखित संस्तुति की है कि दो-दो बाल विद्यालयों के समीप स्थित अत्यन्त, जीर्ण-शीर्ण हालत वाले शवोच्छेदन गृह कोंच (जालौन) में शवोच्छेदन का कार्य बन्द करके उरई में कराया जाय ? यदि हां, तो क्या इस संस्तुति पर अमल होने लगा है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

जी हां । किन्तु कोंच (जालौन) में वर्तमान शवोच्छेदन गृह को कस्बे के बाहर ले जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है।

किसान कल्याण समिति, कुमारगंज, फैजाबाद द्वारा कृषि विश्वविद्यालय, कुमारगंज के संबंध में जिलाधिकारी, फैजाबाद को लिखा गया शिकायती पत्र

87—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रभावित किसान कल्याण समिति कुमारगंज, फैजाबाद के अध्यक्ष केशवधर दूबे द्वारा रजिस्टर्ड डाक संख्या—468, दिनांक 25-9-87 को कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज, फैजाबाद से सम्बन्धित कोई पत्र जिलाधिकारी, फैजाबाद को भेजा गया है ? यदि हां, तो मांग पत्र में अंकित बिन्दुवार विवरण क्या है और क्या प्राप्त पत्र में अंकित बिन्दुवार मांगों को पूरा कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

88—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रभावित किसान कल्याण समिति कुमारगंज, फैजाबाद के अध्यक्ष केशवधर दूबे द्वारा रजिस्टर्ड डाक संख्या—674 दिनांक 10-11-87 को जिलाधिकारी, फैजाबाद को कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज, फैजाबाद से संबंधित कोई मांग पत्र भेजा गया है ? यदि हां, तो प्राप्त पत्र में अंकित मांगों का बिन्दुवार विवरण क्या है ? क्या प्राप्त पत्र में अंकित मांगों को पूरा कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बरेली मण्डी समिति द्वारा वर्ष 1986-87 से 1988-89 में बनाये जाने वाले सम्पर्क मार्गों का प्रस्ताव

89—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1986-87 तथा वर्ष 1987-88 में बरेली मण्डी समिति, जिला बरेली द्वारा कौन-कौन से ग्रामीण सम्पर्क मार्ग निर्माणाधीन थे तथा प्रत्येक मार्ग पर कितने-कितने व्यय से किस-किस स्तर का कार्य कराया जाना प्रस्तावित था ? वित्तीय वर्ष 1988-89 में समिति द्वारा कौन-कौन से मार्ग निर्माणार्थ लिये जाने प्रस्तावित हैं ?

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल—

प्रश्नगत मण्डी समिति में सड़कों के निर्माण की वांछित सूचना निम्नवत् प्राप्त हुई है :—

वर्ष	मार्ग का नाम	धनराशि (लाख रु0 में)	कार्य का स्तर
1986-87	(1) जौहरपुर से रामपुर	1.23	लेपन
	(2) मथुरा रोड से रामपुर रोड	1.35	लेपन
	(3) शाही शेरगढ़ से बैरम नगर तक	0.27	खड़ंजा
	(4) बुधौली से पकनगला	0.36	खड़ंजा
	(5) कुआं टाण्डा से बीसलपुर तक	0.84	खड़ंजा
	(6) मुडिया से कलारी तक	0.91	खड़ंजा
1987-88	(1) बहेड़ी शीशगढ़ से पटरी मार्ग	0.78	खड़ंजा
	(2) बुखारा फरीदपुर रोड से बरकली तक	0.90	खड़ंजा
	(3) बौनिया मीरगंज से जाम तक	1.10	खड़ंजा
	(4) टांण्डा बजरिया से जागीर मार्ग तक	2.42	खड़ंजा
	(5) धौरा टांडा से अगरास तक	0.82	खड़ंजा
	(6) गेम कैनाल से नवाबगंज मार्ग तक	5.70	खड़ंजा
	(7) मीरगंज से जामरोड तक	2.90	खड़ंजा
	(8) चांदपुर से बबियाना तक	3.64	खड़ंजा
	(9) बाल्लिया शीशगढ़ से बहेड़ी कनकटी मार्ग तक	0.50	खड़ंजा
	(10) बल्लिया शीशगढ़ से काशीपुर मार्ग तक	0.96	खड़ंजा

वर्ष	मार्ग का नाम	धनराशि (लाख रु0 में)	कार्य का स्तर
	(11) शीशगढ़ बहेड़ी से जलड़िया तक	1.17	खड़ंजा
	(12) मढ़ीनाथ से सुनैया मार्ग तक	1.04	खड़ंजा
	(13) बल्लिया शीशगढ़ से मंसा खेड़ा मार्ग तक	2.07	खड़ंजा
	(14) सिसौनी से धीरपुर मार्ग तक	1.69	खड़ंजा
	(15) ग्राम लभेड़ा से फरीदपुर कैनाल के किनारे पट्टी पर	6.75	खड़ंजा
1988-89	कोई नहीं ।		

वित्तीय वर्ष 1986-87 से 1988-89 तक बिलासपुर मण्डी समिति द्वारा बनाये जाने हेतु प्रस्तावित सम्पर्क मार्गों का विवरण

90—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1986-87 तथा 1987-88 में बिलासपुर मण्डी समिति, जिला रामपुर द्वारा कौन-कौन से ग्रामीण सम्पर्क मार्ग निर्माणाधीन थे तथा प्रत्येक मार्ग पर कितने-कितने व्यय से किस-किस स्तर का कार्य कराया जाना प्रस्तावित था ? वित्तीय वर्ष 1988-89 में समिति द्वारा कौन-कौन से मार्ग निर्माणार्थ प्रस्तावित हैं ?

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल—

प्रश्नगत मण्डी समिति में सड़क निर्माण की वांछित सूचना निम्नवत् प्राप्त हुई है :—

वर्ष	मार्ग का नाम	धनराशि (लाख रु0 में)	कार्य का स्तर
1986-87	(1) बांस खेड़ा से उल्हदापुर	0.29	खड़ंजा
	(1) रामनगर से अहमदाबाद	6.40	खड़ंजा
	(2) सुलतानपुर से भटपुरा तारन तक	3.16	लेपन
1988-89	कोई सम्पर्क मार्ग निर्माणार्थ प्रस्तावित नहीं है।		

बहेड़ी मण्डी परिषद्, जिला बरेली में वित्तीय वर्ष 1986-87 से 1988-89 में बनाये जाने वाले सम्पर्क मार्गों का विवरण

91—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1986-87 तथा 1987-88 में बहेड़ी मण्डी समिति, जिला बरेली द्वारा कौन-कौन से ग्रामीण

सम्पर्क मार्ग निर्माणाधीन थे तथा प्रत्येक मार्ग पर कितने-कितने व्यय से किस-किस स्तर का कार्य कराया जाना प्रस्तावित था ? वित्तीय वर्ष 1988–89 में समिति द्वारा कौन से मार्ग निर्माणार्थ लिए जाने प्रस्तावित हैं ?

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल–

प्रश्नगत वर्षों में मण्डी समिति, बहेड़ी जिला बरेली द्वारा कोई भी ग्रामीण सम्पर्क मार्ग निर्माणाधीन नहीं थे ।

कोई भी मार्ग निर्माणार्थ विचाराधीन नहीं है।

रामपुर मण्डी परिषद्, जिला रामपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 1986-87 से 1988–89 में बनाये जाने वाले सम्पर्क मार्गों का विवरण

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1986-87 तथा 1987–88 में रामपुर मण्डी समिति, जिला रामपुर द्वारा कौन-कौन से ग्रामीण सम्पर्क मार्ग निर्माणाधीन थे तथा प्रत्येक मार्ग पर कितने-कितने व्यय से किस-किस स्तर का कार्य कराया जाना प्रस्तावित था ? वित्तीय वर्ष 1988-89 में समिति द्वारा कौन-कौन से मार्ग निर्माणार्थ लिये जाने प्रस्तावित हैं ?

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल–

प्रश्नगत मण्डी समिति में सड़क निर्माण की वांछित सूचना निम्नवत् प्राप्त हुई है :—

वर्ष	मार्ग का नाम	धनराशि (लाख रु0 में)	निर्माण स्तर
1986–87	आगा मिलक आरिफ नौरंगापुर	1·13	खड़ंजा
1987–88	(1) संकरा से अशोकपुर पट्टी तक	7·57	लेपन
	(2) बगरौंधा मार्ग की प्रथम पुलिया से नमला गनेशपुर होकर द्वितीय पुलिया तक	1·42	खड़ंजा
	(3) खंडिया माइनर से रतनपुरा समिति तक	1·26	खड़ंजा
1988–89	(1) समरथ से मोहम्मदपुर नमकार		
	(2) टाना से रामनगर		

जनपद आजमगढ़ की सदर तहसील में चकबन्दी कार्यों में धाधली के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष–

नियम 301 के अन्तर्गत 18 सूचनाएं प्राप्त हुई थीं । जिसमें से श्लाका द्वारा 7 स्वीकार हुई । पहली सूचना सर्वश्री दुर्गा प्रसाद यादव जी की, दूसरी सूचना किशन लाल जी की, तीसरी सूचना हर देव जी की, चौथी है नरेन्द्र सिंह जी की और पांचवी सरदार सिंह जी की, छठी है शिव नरायण मिश्रा जी की और सातवीं है श्री राज किशोर सिंह जी की । यह सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी जायं ।

(सदन की सहमति से सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई ।)

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन एवं शासन का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं ।

वर्ष 1981 से आजमगढ़ सदर तहसील में चकबन्दी कार्य प्रारम्भ किया गया था और चकबन्दी अधिकारियों द्वारा मनमाने ढंग से नियम विरुद्ध चकबन्दी कार्य किया जा रहा है और फर्जी प्रगति सम्बन्धी सूचनाएं शासन को दी गयी हैं और दी जा रही हैं । किसानों के चकों को चकरोड व नालियां नहीं दी जा रही हैं और ग्रामों में पहुंचने के लिए ग्राम सम्पर्कीय मार्ग नहीं दिये जा रहे हैं, बिना बादों के तय हुए चक निर्माण कार्य कराया जा रहा है । जिससे किसानों को सुविधा के बजाय असुविधा मिल रही है। ग्राम सीहीपुर में तालाब, नाले, आबादी की कीमत लगा-कर चकों में दी गयी है । ग्राम आझोपट्टी की धारा–4 का प्रकाशन 1981 में हुआ था परन्तु अभी तक ग्राम के चक नहीं बनाये गये । तहसील सदर आजमगढ़ में लगभग 50 ग्रामों के चकों का वास्तविक कब्जा परिवर्तन नहीं किया गया है जबकि शासन को फर्जी प्रगति भेजी गयी है ।

अतः आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि जनपद आजमगढ़ की सदर तहसील में हो रही चकबन्दी अनियमितताओं को दूर करने हेतु अविलम्ब कार्यवाही करे, ताकि जनता को राहत मिल सके ।]

जिला सीतापुर के जिला चिकित्सालय के वरिष्ठ अधीक्षक द्वारा की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री किशन लाल–

[मान्यवर, सीतापुर जनपद के जिला चिकित्सालय में वरिष्ठ अधीक्षक द्वारा किए जा रहे अनियमित कार्यों की ओर आप का ध्यान आकृष्ट कर जांच तथा प्रभावी कार्य-वाही की अपेक्षा करता हूं । जनवरी, 1989 में बिनी किसी विज्ञापन, रोजगार कार्यालय से नाम मांगे बिना 2 कर्मचारी नियुक्त किए गए । सार्वजनिक निर्माण विभाग के दर से 60 प्रतिशत कम पर 1987-88 में ठेका देकर भुगतान 14-4-87 को 15

टिप्पणी :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

प्रतिशत ऊपर किया । रोगी को परचा एक के बजाय दो रुपये का मिलता है । इस अतिरिक्त धन का कोई हिसाब नहीं । सील बिकती है । लोकल परचेज रजिस्टर से स्पष्ट हो जायेगा कि 90 प्रतिशत व्यय प्रमुख महत्वपूर्ण व्यक्तियों पर है । मोहताजों को दवा निःशुल्क नहीं मिलती आपरेशन के लिए साबुन, तेल, पट्टी, सुई, कठगेट सभी खरीदकर लाना होता है । पोस्ट मार्टम रिपोर्ट कार्यालय के बजाय वरिष्ठ अधीक्षक के घर पर रखी जाती है । जिससे गोपनीय रिकार्ड भी दिखाये जा सकें । प्राइवेट प्रैक्टिस का तो नंगा नाच है । शौचालय आदि गंदे पड़े हैं प्रकाश की व्यवस्था नहीं है । वरिष्ठ अधीक्षक का व्यवहार रोगियों के साथ बहुत खराब है । प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है । अनेक बार शिकायतें की गईं, परन्तु परिणाम कुछ नहीं निकला । आवश्यक है कि शासन के किसी अधिकारी से जांच कराकर कड़ी कार्यवाही की जाय ।]

जनपद बलिया में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री हरदेव–

[मान्यवर, आप का ध्यान लोक महत्व के इस अविलम्बनीय मामला की ओर ध्यान लाना चाहता हूं कि जिस सम्बन्ध में दिनांक 14-2-89 तथा 17-2-89 को सदन में पुलिस उप अधीक्षक रसड़ा श्री आर0 डी0 सिंह बलिया को बलिया रसड़ा में $2\frac{1}{2}$ वर्ष के कार्यकाल में कानून व्यवस्था को बिगड़ते तथा 200 से ज्यादा अपराध व रिश्वत खोरी के कारण तथा उसने रसड़ा तहसील में जुर्म बढ़ा दिया था और कई दर्जन कत्ल सामान्य नागरिक व प्रधानों का कराकर 302 के अपराधियों से धन उगाही करके बचाने व माला पहनाने का दोषी कार्य किया । इस कारण पूर्व पुलिस उपाधीक्षक को पी0 ए0 सी0 36वीं वाहिनी में स्थानान्तरित कर दिया गया था उसे बिना दण्ड दिये ही पुनः तहसील रसड़ा से सम्बन्धित लोक सभा सलेमपुर देवरिया में नियुक्त किया जा रहा है । क्षेत्र रसड़ा तहसील व बलिया के अपराधी तत्वों तथा इस स्मगलरों से उप-पुलिस अधीक्षक का सम्बन्ध तथा सांठगांठ है जितने जुर्म कत्ल रसड़ा तहसील में हुए हैं उन सब अपराधियों से रुपये लेने तथा संरक्षण देने की निश्चित जानकारी हुई है । एस0 पी0 देवरिया बलिया के निवासी हैं इस कारण बलिया देवरिया में ऐसे पुलिस अधीक्षक को रखने से अपराध और बढ़ेगें और कानून व्यवस्था बिगड़ेगी साथ ही मेरे लोगों के साथ साजिश एवं खतरा उत्पन्न होगा ।

अतः माननीय अध्यक्ष जी इस लोक महत्व के मामले पर तत्काल कार्यवाही करते हुए 9-2-89 को देवरिया में स्थानान्तरित किये जाने वाले स्थानान्तरण को निरस्त करके उसे कहीं दूर भेजने की मांग करता हूं ।]

जिला मेरठ की तहसील बागपत तथा सरधना में पेयजल की कमी के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री नरेन्द्र सिंह–

[मान्यवर, मैं सदन के संज्ञान में एक अत्यन्त लोक महत्व के विषय को अध्यक्ष जी की सम्मति से उठाना चाहता हूं ।

टिप्पणी :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

तहसील बागपत तथा तहसील सरधना जनपद मेरठ के अनेक गांवों का जलस्तर बहुत नीचे चले जाने के कारण पेयजल संकट उत्पन्न हो गया है । जलस्तर बराबर गत वर्षों में गिरता जा रहा है और प्रायः हैन्डपम्पस गांवों में बेकार होते जा रहे हैं । अधिकांश हैन्ड पम्पस माह मई, जून, 1988 में बेकार हो गये थे । सरकार की ओर कुछ हैण्ड पम्पस कुछ गांवों में लगाये गये थे लेकिन उनकी उपयोगिता बहुत कम लोगों को मिली है । अधिकांश जनता परगना छपरौली, परगना बड़ौत, परगना बरनावा जनपद मेरठ के नलों में पानी नहीं रहने के कारण अत्यन्त परेशान रही है । गन्दा पानी पीने के कारण अनेक लोग बीमार भी हो गये हैं । पूरे उक्त क्षेत्र में पेयजल की भीषण समस्या बनी हुई है । इसके अतिरिक्त कृषि सिंचाई ट्यूबवेल्स की अधिकांश संख्या जलस्तर नीचे जाने के कारण बेकार होते जा रहे हैं । सरकार इस गम्भीर समस्या के कारणों पर कोई ध्यान नहीं दे रही है और अभी तक इस दिशा में कोई कारगर कदम नहीं उठाया है ।

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश शासन जनपद मेरठ के उपरोक्त क्षेत्रों की गम्भीर पेयजल संकट की समस्या का निराकरण एवं उन्मूलन करें ।]

जिला मथुरा के गोकुल क्षेत्र में जंगली गायों से फसलों के नुकसान के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री सरदार सिंह–

[मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जंगली गायों का भारी जोर है । यह गायें दिन-रात खड़ी फसल में सैकड़ों के समूह में किसानों की रबी की खड़ी फसल को उजाड़ रही हैं. क्षेत्र के किसान दिन-रात सो नहीं पा रहे हैं । उनकी गाढ़ी कमायी से पैदा की गई हरी भरी फसल इन गायों के द्वारा बर्बाद की जा रही है । किसानों की प्रतिनिधि मंडल अनेक बार जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन से समस्या के बारे में कह चुके हैं, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है और किसान बुरी तरह से तबाह हो रहा है । इन गायों से ग्राम सभा नगला कोष, नगला संजा, कंजौली घाट दौलतपुर लहरौलीघाट, चौथाई, हथौड़ा, खप्परपुर, बसयी, हरदसा, महावन देहात, हस्लामपुर, रावल, लोहबन, ईसापुर, मानीगांव, आदि प्रभावित हैं । शासन ने अविलम्ब कार्यवाही नहीं की तो किसान चौड़े में लुट जायेंगे ।

अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है । सम्मानित सदन एवं सरकार का आपके माध्यम से ध्यान आकृषित करते हुए अविलम्ब उचित कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

जनपद सुल्तानपुर की तहसील अमेठी के "बार एसोसिएशन" के अधिवक्ताओं की हड़ताल के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री शिव नारायण मिश्र–

[मान्यवर, आपका ध्यान जनपद सुल्तानपुर के अंतर्गत तहसील अमेठी के बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं की हड़ताल जो विगत 2 माह से उप मण्डल 4/2 अमेठी

टिप्पणी :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

तहसील के अवैधानिक कार्य पद्धति एवं अधिवक्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार किये जाने के कारण निरन्तर चल रही है । जिससे तहसील के तमाम किसान, व्यापारी, प्रभावित हो रहे हैं तथा बार-बार न्यायालय आते हैं और लौट जाते हैं और धन का अपव्यय हो रहा है । जबकि शासन वादकारी का हित सर्वोच्च समझता है । अमेठी के "बार एशोसिएशन" से बार एशोसिएशन सुल्तानपुर भी सम्बद्ध कर दिनांक 19-2-89 से हड़ताल पर चले गये हैं । इससे सम्पूर्ण जनपद में अशान्ति व्याप्त हो गयी है तथा न्याय पाने वाले वादकारी अत्यंत परेशान हैं । सम्पूर्ण जनपद के लगभग 1200 (बारह सौ) अधिवक्ता जिले स्तर से तहसील स्तर तक हड़ताल पर चले जाने से जन-जीवन अस्त व्यस्त है ।

आप के माध्यम से अति अविलम्बनीय सूचना के माध्यम से तत्काल न्याय के लिए जनहित में अपेक्षा करते हुये आवश्यक कार्यवाही किये जाने की प्राथमिकता पर मांग करता हूं ।]

जिला वाराणसी में वरूणा नदी के जल का उपयोग न कर पाने से पीने के पानी की कमी के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री राज किशोर सिंह–

[मान्यवर वाराणसी शहर अंतर्गत मुहल्ला पुल कोहना के पास वरूणा नदी के पुल पर नदी का पानी सिंचाई, नहाने धोने, पीने आदि के लिए रोकने हेतु रेगुलेटर बने हुए हैं । हर साल बरसात के अन्त होने और आगामी बरसात शुरू होने के बीच की अवधि में रेगुलेटर गिरा कर वरूणा नदी में जल का भण्डारण किया जाता है ताकि जाड़े व गर्मी के मौसम में पानी के लिए किसी प्रकार का संकट न उत्पन्न हो और कृषि, पीने आदि के लिए भरपूर जल उपलब्ध रहे । सिंचाई विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही से रेगुलेटर खुले रह गये और वरूणा नदी का पानी बहकर बाहर निकल गया जिससे वरूणा नदी सूख गयी । किसानों की करोड़ों रुपये की फसल नष्ट हो गयी और पीने, नहाने, धोने आदि के लिए संकट उत्पन्न हो गया है । पशुओं और जीव-जन्तुओं के लिए भी परेशानी पैदा हो गयी है । पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है किसानों व जनसाधारण में आक्रोश व्याप्त है ।

अतएव इस अविलम्बनीय लोकमहत्व की सूचना सदन के संज्ञान में लाकर शासन से आवश्यक कार्यवाही एवं रेगुलेटरों को ठीक करने की मांग करता हूं ।]

औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम 300 के अन्तर्गत आज पांच सूचनाएं प्राप्त हुई हैं (1) श्री देवेन्द्र कुमार सिंह जी की जो बांट-माप विभाग के इन्सपेक्टर श्री जी0 सी0 अग्रवाल के द्वारा ललितपुर के मेले में मा0 सदस्य के साथ बुरा बर्ताव करने के संबंध में है, (2) श्री आजम खां साहब की अंशकालिक अध्यापकों द्वारा विधान भवन के समक्ष धरने के संबंध में है, (3) श्री

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

हर्षवर्धन जी का तारांकित प्रश्न अस्वीकार किये जाने के बारे में, (4) श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी की सरकारी खजाने से राजनीतिक प्रचार हेतु धन के दुरुपयोग के संबंध में, (5) श्री शारदा नन्द अंचल जी की बलिया के डी0 एम0 के खिलाफ जांच और उनके प्रोमोशन के बारे में है। इसके अलावा छठी सूचना श्री बरार जी की है जो उन्होंने दिनांक 17-2-89 को दी थी। मैं उनकी सूचना पर पत्रावली देखकर निर्णय लूंगा।

श्री देवेन्द्र कुमार सिंह जी उपस्थित नहीं हैं।

श्री आजम खां साहब की सूचना शायद अरबी मदरसों के अध्यापकों के बारे में है, कल इस पर नियम 56 में चर्चा हो चुकी है, यह नियम 300 में नहीं आती है। जहां तक श्री हर्षवर्धन जी की सूचना का प्रश्न है, अगर कोई प्रश्न अस्वीकार कर दिया जाता है तो माननीय सदस्य मेरे कक्ष में आ जायं, मैं सारा निर्णय उसी समय ले लूंगा। श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी की सूचना सूरजमुखी के बारे में है, यह नियम 300 के अन्तर्गत आती ही नहीं है। कहां सूरजमुखी और कहां नियम 300, इससे एक गलत परम्परा पड़ जायगी।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

मान्यवर, आप सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

इनमें कोई लगाव नहीं है, अगर होता तो मैं जरूर सुन लेता।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

मान्यवर, यह एक महत्वपूर्ण विषय है।

श्री अध्यक्ष–

महत्वपूर्ण जरूर है, लेकिन किसी अन्य नियम में उठा लें। मैं नम्रतापूर्वक अनुरोध करूंगा कि यह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

मान्यवर, आपकी जो व्यवस्था होती है, शिरोधार्य होती है। मैं अनावश्यक रूप से नहीं उठाता, आप इसकी ग्राह्यता पर सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

इसमें कोई लगाव नहीं है, यदि होता तो जरूर सुन लेता।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

मान्यवर, मैं केवल ग्राह्यता पर बोलूंगा।

श्री शारदा नन्द अंचल–

मान्यवर, इसी सदन के अन्दर.....

श्री अध्यक्ष–

यह नियम 300 पर रोज-रोज झगड़ा होता है....

(व्यवधान)

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

[xxx]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कुछ नहीं लिखा जायेगा । मैं बड़ी नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि यह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता ।

(व्यवधान)

....कुछ नहीं लिखा जायगा ।

(व्यवधान)

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

(व्यवधान)

[xxx]

श्री शारदा नन्द अंचल–

...(व्यवधान) तमाम आई0 ए0 एस0 भ्रष्ट अधिकारियों को प्रोन्नति दे दी गई तो ईमानदार लोगों का क्या होगा ? (घोर व्यवधान)...मैं इस पर व्यवस्था चाहता हूं, आप इस पर हरदेव जी को भी सुन लीजिए...

(घोर व्यवधान)

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

क्या व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

जिसको बुलाया है, उसको (व्यवधान) सुनें । उधर से कोई सदस्य बोल रहे हैं । इधर से कोई सदस्य बोल रहे हैं ।

श्री हरदेव–

[xxx]

श्री अध्यक्ष–

कुछ नहीं लिखा जायेगा, हरदेव जी आप बैठें । आप सब लोग बैठें ।

श्री हरदेव–

[xxx]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय हरदेव जी कुछ नहीं लिखा जायेगा, आप बैठें ।

श्री हरदेव–

[xxx]

(व्यवधान)

टिप्पणी–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री सूर्यप्रताप शाही–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें । आप लोग बैठें ।

श्री हरदेव–

[xxx]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें, कुछ नहीं लिखा जायेगा ।

श्री हरदेव–

[xxx]

(व्यवधान)

श्री सूर्यप्रताप शाही–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री हरदेव–

[xxx]

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इनको बैठाएं

श्री हरदेव–

[xxx]

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मेरा भी एक प्रश्न था ।

श्री अध्यक्ष–

आप खड़े ही नहीं हुए ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, एक मिनट सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठें, मैंने माननीय गुप्त जी को बुलाया है ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, यहां तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा था ।

श्री अध्यक्ष–

अच्छा तो मैं आपको मौका दे दूंगा ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय ब्रह्मदत्त जी खड़े हुए थे, मैं उसी के संबंध में एक बात कहना चाहूंगा । मान्यवर, यह सामान्य शिष्टाचार की व्यवस्था है कि विधायक होने के नाते,

टिप्पणी–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

अध्यक्ष सभा

चाहे वह सत्ता पक्ष के हों, अथवा विपक्ष के, उसमें कोई विभेद नहीं है और जब मंत्री किसी जिले में दौरा करेगा, तो वहां के संबंधित विधायकों को, वहां बुलाया जायेगा, चाहे वह विपक्ष के हों या सत्ता पक्ष के । माननीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी ने औचित्य का प्रश्न उठाया है, वह इसी तरह के मुद्दे को उजागर करने की बात है । मान्यवर, इनके यहां एक कार्यक्रम हुआ, उसमें केवल सत्ता पक्ष के विधायकों को बुलाया गया और जो प्रतिपक्ष के विधायक वहां जाना चाहते थे, कुछ बोलना चाहते थे, उनको न तो वहां बोलने का मौका दिया गया और न उनके लिए वहां कोई आसन आरक्षित किया गया था । इस प्रकार यह सत्ता पक्ष के विधायकों और विपक्षी विधायकों के बीच विभेद का मामला है । मान्यवर, आप कृपया उनके औचित्य के प्रश्न को सुन लें । अगर आज अनुमति न दें, तो कल के लिए अनुमति दे दें । ग्राह्यता पर लिखा गया है कि विधायक और विधायक के बीच में कोई विभेद करना संसदीय अवमानना का सवाल है और शासन द्वारा जो शिष्टाचार की राजाज्ञा है, उसकी भी यह अवमानना की गयी है । इसीलिए मेरा अनुरोध है कि आप इस पर पुनर्विचार कर लीजिए ।

श्री अध्यक्ष–

मैं बड़े ही विनम्रतापूर्वक आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर कहीं से भी इसमें नियमों के उल्लंघन का, संविधान के उल्लंघन का मामला होता हो, तो मैं इसको सुन लेता । मैं बड़े अदब के साथ द्विवेदी जी से अर्ज करूंगा कि नियम 300 के अन्दर यह आता नहीं है, लिहाजा कृपा करके अगर किसी अन्य नियम के अन्दर आप इसे उठाना चाहें, तो उठा दें, मैं देख लूंगा ।

*श्री शारदा नन्द अंचल–

मान्यवर, मैंने जो सूचना दिया है, वह बलिया के पूर्व जिलाधिकारी के बारे में है और इस मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने बड़े ही स्पष्ट रूप से कहा था कि आई0 ए0 एस0 अशोक कुमार के मामले की जांच आयुक्त वाराणसी मण्डल द्वारा कराई जायगी । यह मार्च, 1988 की बात है, और अब तक आयुक्त द्वारा जांच नहीं कराई गई । यदि उन्होंने जांच की होती तो हम लोगों से तथ्य मांगे होते । इस मामले में इधर के विधायक और उधर सत्ता पक्ष के साथी सभी लोग एक स्वर से आई0 ए0 एस0 अधिकारी अशोक कुमार की चर्चा यहां इस सदन में की है, सभी ने आरोप लगाया है । आज तक आयुक्त ने न तो हम लोगों से बयान लिया और न ही कोई तथ्य मांगे । इस विकास विरोधी, नियमों को ताक पर रखने वाले भ्रष्ट अधिकारी को प्रोन्नति दे दी गयी । यह अत्यन्त गम्भीर मामला है और मेरा इसी पर औचित्य का प्रश्न है ।

मान्यवर, इस मामले पर आपकी तरफ से व्यवस्था दी जानी चाहिए और उसकी प्रोन्नति रोकने के लिए आपकी पीठ से, सरकार का स्पष्ट निर्देश दिए जाने चाहिए । जब सदन में स्पष्ट रूप से कहा गया कि उसके खिलाफ जांच चल रही है, तो उसे कैसे प्रोन्नति दे दी गई ? जबकि छोटे-छोटे कर्मचारी लोगों को छोटी-छोटी घटनाओं को लेकर उनके विरुद्ध जांच की जाती है, उन्हें प्रतिकूल प्रविष्टि दे दी जाती है, उनकी प्रोन्नति रोक दी जाती है, लेकिन इतने महत्वपूर्ण जिलाधिकारी के पद पर बैठे व्यक्ति

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जिसने करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया है, जिसने लाखों रुपए की एन0 एस0 सी0 अपनी औरत के नाम से करके राजकीय खजाने को एन0 एस0 सी0 में जमा करवा के भ्रष्टाचार किया है, इतने बड़े भ्रष्टाचारी, गैर जिम्मेदार और इतने महत्वपूर्ण पद का दुरुपयोग करने वाले अधिकारी की जांच नहीं की जा रही है, और उसको प्रोन्नति दे दी गई है, मान्यवर, आपकी इस पर स्पष्ट व्यवस्था होनी चाहिए ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न इससे पहले भी आया था और मैंने आपके माध्यम से सूचित किया था कि मैं इसका पता लगवाकर कि जांच हो रही है, या नहीं, आपके माध्यम से सदन को सूचित करूंगा । मान्यवर, इस मामले की जांच कमिश्नर, वाराणसी द्वारा कराई जा रही है, यह जांच आंशिक रूप से हुई है, और जांच अभी पूरी नहीं हुई है । जांच पूरी हो जाने के बाद ही कोई निष्कर्ष निकाला जा सकेगा । वैसे हर चीज के लिए रूल्स और रेगुलेशन हैं, बहुत सी चीजें ऐसी हैं, जिनका इस जांच से कोई संबंध नहीं है, लेकिन अगर कोई अधिकारी ने किसी प्रकार की गलती की है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ।

(श्री मुहम्मद आजम खां के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री आजम खां जी आपका मामला नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता है । आप कृपा करके बैठ जायं ।

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैंने जो मामला दिया है, वह अंशकालिक अध्यापकों की हड़ताल के संबंध में है ।

श्री अध्यक्ष–

आप कृपा करके बैठ जायं । आप इसे कल दे दीजिए ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मेरे 16 तारीख के प्रश्नों को गलत तरीके से नियम विरुद्ध यह सरकार रद्द करा रही है, इसके संबंध में औचित्य की (इस समय 12 बजकर 35 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए) सूचना मैंने आपको दी थी। नियमों के तहत हमें अधिकार है कि लोक महत्व के मामलों पर हम सूचना प्राप्त कर सकते हैं और शासन को सुझाव देने का भी अधिकार है। जो प्रश्न किये जाते हैं उसके लिए एक प्रक्रिया निर्धारित है। इससे पहले कि आप उसे ग्राह्य कर लेते हैं। आपका कार्यालय उसका परीक्षण करता है जब वह प्राईमा फेसी में सही पाया जाता है कि उसे ग्राह्य कर लेते हैं, किन्तु शासन उस पर 3-4 महीने तक सोया रहता है। जब प्रश्न यहां आने को होता है, उसके ठीक एक दिन पहले उसे अग्राह्य करने के लिए आपसे निवेदन कर लिया जाता है। प्रश्न के रद्द किये जाने पर जब हम अपील करते हैं तो माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी कहते हैं कि यह तो आपके निर्णय को चुनौती दे रहे हैं। सरकार को तो अग्राह्य करने हेतु अपील करने का अधिकार है, किन्तु माननीय सदस्य को अपील करने का अधिकार नहीं है यह दोहरा मापदण्ड कैसे स्वीकार हो सकता है? झूठे तथ्यहीन तर्क तथा गलत बात आपके सामने रखकर सरकार प्रश्नों को अग्राह्य करवा

लेती है और हमें मौका नहीं मिलता है। प्रश्नों के संबंध में जो विशेष नियम हैं, मैं उनका उल्लेख करते हुए आपसे कहना चाहूंगा कि जब हमारे प्रश्न को एक बार आप ग्राह्य कर लें, किन्तु उसके पुन: अग्राह्य करने से पहले आप हमें सुन अवश्य लें। अब मेरे तारांकित प्रश्न संख्या–11 तृतीय सत्र 88 के (गुरु) लिए रखा गया था, जिसमें मैंने पूछा था कि कितना प्रीमियम फसल बीमा योजना के तहत काटा गया और कितना क्लेम किसानों को दिलाया गया। इस प्रकार का प्रश्न पिछले दफा भी विधान सभा में पूछे गये हैं और उसका उत्तर दिया गया है। इस प्रश्न पर सरकार ने कह दिया कि प्रश्न बहुत विस्तीर्ण है, इसलिए इसे अग्राह्य कर दिया जाय।

यह इसलिए अग्राह्य कर दिया गया कि यदि सरकार कहती कि प्रीमियम तो 50 करोड़ लिया गया किन्तु किसानों को क्लेम सिर्फ 4–5 करोड़ रुपए दिए गये हैं तो सरकार की पोल खुल जाती। नियोजन विभाग के बारे में प्रश्न किया था, उसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं। अतारांकित प्रश्न संख्या–153 जो पहले मंगलवार के लिए था। जो प्रश्न मैंने नियोजन विभाग की पुस्तिका है, उसके आंकड़ों के हिसाब से ही दिया था, जिसमें मैंने पूछा था कि कृषि क्षेत्र में कार्यरत कर्मकारों की प्रतिकर्मकर आय इसी प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत कर्मकारों की प्रति आय के मुकाबले आधे से भी कम है, क्या शासन इस विषमता को समाप्त करेगी। इस प्रश्न को यह कह कर रद्द कर दिया गया कि यह कई विभागों से संबंधित है। यह भी इसलिए अग्राह्य करवा दिया गया कि इसमें भी सरकार की पोल खुलती कि वह ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी मिटाने के लिए पूंजी निवेश नहीं कर रही है। तारांकित प्रश्न संख्या–3 जो चौथे गुरुवार के लिए था, जिसमें यह था कि कृषि खाद्यान्नों के दाम जो कम हैं तथा कृषि निवेशों के दाम जो अत्यधिक बढ़ा दिए हैं सरकार ने बढ़ाए हैं, उस संबंध में सरकार क्या कर रही है। इसे यह कह कर अग्राह्य करवा दिया गया कि यह उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आता है। मान्यवर, संविधान की अनुसूची–7 में जो लिस्ट दी गई है जिसमें समवर्ती विषय दिए गये हैं उसे मद संख्या 33 तथा 34 को आप देखें। 33 में दिया गया है "कीमत नियंत्रण"। यह सरकार कहती है कि हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। तो यह सरकार कहती है कि अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है समवर्ती सूची में लिखा है। उसमें यह लिखा है कि–

> "जहां संसद द्वारा विधि द्वारा किसी उद्योग का संघ द्वारा नियन्त्रण लोकहित में समीचीन घोषित किया जाता है वहां उस उद्योग के उत्पादों का और उसी प्रकार के आयात किए गए माल का ऐसे उत्पादों के रूप में :
>
> खाद्य पदार्थों का जिनके अन्तर्गत खाद्य तिलहन और तेल है, पशुओं के चारे का जिसके अन्तर्गत खली और अन्य सारकृत चारे हैं, कच्ची कपास का, चाहे वह ओटी हुई हो या बिना ओटी हो और बिनौले का, और
>
> कच्चे जूट का।"

इसके बाद 34 में कीमत नियन्त्रण के बारे में है।

अर्थात् संसद में भी अगर अधिनियम बनाया हुआ है तब भी समवर्ती सूची में है और

प्रदेश सरकार के अधिकार क्षेत्र में है कि नियन्त्रण करे । अनुसूची-7 में देख लें जहां लेजिस्लेटिव पावर का बंटवारा किया गया है, कहीं पर भी उल्लेख नहीं है कि उत्पादों का मूल्य राज्य सरकार निर्धारित नहीं कर सकती । महाराष्ट्र की सरकार रुई और कपास खरीदती है और मूल्य निर्धारित करती है । तो संसद ने ऐसे मामले में कानून भी बना दिया है तभी राज्य सरकार को अधिकार है, स्वतंत्र रूप से कार्यवाही करने का ।

यह सरकार अपने काले कारनामों पर परदा डालने के लिए हमारे अधिकार के प्रति, जो कि नियमावली में दिया हुआ है, उस पर गलत तरीके से आपको गुमराह करके हमारे प्रश्नों को अग्राह्य कराने की कार्यवाही करता है । करण 27 को पढ़ें– प्रश्नों में सुधार– अगर प्रश्नों में कमी रह गयी है तो उसमें स्पष्ट दिया हुआ है कि यदि किसी प्रश्न में कोई ऐसा दोष हो जिसको दूर करके कार्यालय प्रश्न को नियमानुकूल बना सकता हो तो उसको कार्यालय सुधार दे । यदि कोई ऐसा प्रश्न भी स्वीकार हो जाय जो नियमानुसार नहीं है तो सरकार को जो 15 दिन की सूचना दी जाती है उसके भीतर सरकार अभ्यावेदन कर सकती है कि प्रश्न अमुक नियम के अमुक उपबंध का उल्लंघन करता है या प्रश्न अस्पष्ट अथवा अनिश्चित है । अध्यक्ष द्वारा उस प्रश्न पर पुनर्विचार किया जा सकता है ।

अर्थात् पुनर्विचार तभी होगा जब 15 दिन में अभ्यावेदन कर देंगे । ऐसा नहीं है कि 15 दिन के बाद में अभ्यावेदन हो तब भी कर सकेंगे । ऐसी स्थिति में आप पुनर्विचार न करें और जो प्रश्न का उत्तर उनको देना हो कि क्षेत्राधिकार में नहीं है या कोई और बात हो, सदन के समक्ष आनी चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष–

ठीक है, पत्रावली देखने के बाद इस पर निर्णय लिया जायगा। अब मद संख्या–3, सचिव, विधान सभा ।

संविधान (बासठवां संशोधन) विधेयक 1988†

सचिव, विधान सभा–

माननीय उपाध्यक्ष की अनुज्ञा से संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान (बासठवां संशोधन) विधेयक, 1988 द्वारा "भारत का संविधान" में किये जाने के लिये प्रस्तावित संशोधन, जो संविधान के अनुच्छेद 368 के खण्ड (2) के परन्तुक के खण्ड (घ) के अंतर्गत आता है, के अनुसमर्थन के संबंध में राज्य सभा सचिवालय से प्राप्त पत्र को, उक्त विधेयक एवं संसद की तद्विषयक कार्यवाहियों सहित, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 182 (1) के अन्तर्गत सदन के पटल पर रखता हूं ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, एक जानकारी चाहिए । सचिव महोदय के द्वारा जो अभी सदन के

---

†छापा नहीं गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पटल पर रखा है, उसके संलग्नकों में राज्य सभा के सचिव का तो पत्र है, क्या लोक सभा के सचिव का पत्र प्राप्त नहीं हुआ है या उसको रखना आवश्यक नहीं था ?

श्री उपाध्यक्ष–

पहले लोक सभा में पारित हुआ फिर राज्य सभा में पारित हुआ, फिर दोनों सदनों के बाद यहां आया। जिस सदन से अंतिम रूप से पारित होता है, उसी का आता है ।

श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

मान्यवर, मेरा भी नियम 300 में था ।

श्री उपाध्यक्ष–

अध्यक्ष जी ने आपको पुकारा था किन्तु आप थे नहीं ।

श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

तो अब अनुमति दे दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप कल उठा लीजियेगा ।

(व्यवधान)

श्री गोपीनाथ वर्मा द्वारा अपनी नियम 301 की सूचना को स्वीकार न किए जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

[समय 12.45]

*श्री गोपीनाथ वर्मा–

मान्यवर, मैं नियम 301 पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं । मैंने नियम 301 में सूचना दी थी । आज मा0 अध्यक्ष ने कहा कि 18 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिसमें से 7 सूचनायें स्वीकार की गयी हैं । मेरी सूचना के बारे में कोई जिक्र नहीं किया । मैं इस विषय पर जानकारी चाहता हूं कि मेरी सूचना में 200 शब्द से भी कम शब्द थे ।

श्री उपाध्यक्ष–

यह सब शलाका से होता है, कोई शलाका के बिना काम नहीं होता है ।

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी द्वारा अपनी विशेषाधिकार हनन की सूचना को विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द करने की मांग

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी–

मान्यवर, कार्य सूची में मद 5 के बारे में मेरा प्रश्न है कि जो पत्र माननीय सदस्यों द्वारा मंत्रीगणों को भेजा जाता है और वे पत्र की प्राप्ति की सूचना हमें देते हैं उसके आधार पर जब हम कोई प्रश्न बाद में करते हैं तो मंत्रिगणों की तरफ से अक्सर उत्तर आ जाता है कि ऐसा कोई पत्र हमें नहीं प्राप्त हुआ है । इस पर जब हम विशेषाधिकार की सूचना देते हैं तो उस पर मंत्रीगण खेद प्रकाश करते हैं ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हमारी परेशानी यह है कि इससे हमारी मूल समस्या का समाधान नहीं होता । मुख्य सचिव महोदय को मैंने एक जिस पर उन्होंने हमें पत्र भेजा है कि उन्होंने पत्र को प्राप्त किया है । मैंने कल विशेषाधिकार की सूचना को दिया और इसकी गम्भीरता इसलिए है कि 16 नवम्बर, 1988 को मैंने एक पत्र लिखा था जिसमें अपने क्षेत्र की तमाम शिकायतों का उल्लेख किया था और उन शिकायतों को संलग्न करके भेजा था कि कहीं एक हजार रुपये बिजली का बिल जमा करने के बावजूद उसका दूसरा बिल आ गया क्योंकि बिजली विभाग के अभिलेखों में कहीं भी उसे नहीं लिखा गया है । इसी तरह कहीं ट्रांसफार्मर बदलने की या कहीं खम्भे के बारे में शिकायत का उल्लेख था । इस संबंध में मुझे चीफ सेक्रेटरी का पत्र मिला कि आपका पत्र हमने ऊर्जा सचिव के पास कार्यवाही हेतु भेज दिया है ।

इसी तरह से मैंने एक और अतारांकित प्रश्न किया था जिसके उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि 16 नवम्बर का मेरा कोई पत्र उन्हें नहीं मिला है । मेरा दूसरे बुधवार को फिर प्रश्न था जिसमें पहले बुधवार का जो उत्तर था, उसके बारे में मैंने जो विशेषाधिकार हनन की सूचना दिया था उसके साथ 16 नवम्बर, 1988 का भी पत्र मैंने भेजा था जिसके बारे में चीफ सेक्रेटरी का जवाब आया था । दूसरे बुधवार को मैंने दूसरी समस्या के बारे में प्रश्न किया था और वह प्रश्न 16 नवम्बर को जो पत्र भेजा था, उसी पर आधारित था फिर उन्होंने इन्कार कर दिया कि 16 नवम्बर का कोई पत्र उनको नहीं प्राप्त हुआ है ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पहली बार तो चलो अधिकारियों की लापरवाही हो सकती है, लेकिन दूसरी बार भी उन्होंने कह दिया कि मुझे कोई पत्र नहीं मिला, मा0 मंत्री जी फिर 16 नवम्बर के पत्र की प्राप्ति से इन्कार करते हैं । इसलिए मैं यह आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि इसके लिए आप परीक्षण करा लें । इसको यदि आप विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द नहीं करेंगे तो हम ऐसे मामले जो कि विशेषाधिकार से संबंधित हैं और कहां ले करके जायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष–

आपने जो लिखा है, उसका परीक्षण चल रहा है, परीक्षण के बाद जो निर्णय लिया जायेगा, उससे आपको अवगत कराया जायेगा ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मैंने जो विशेषाधिकार हनन की सूचना दी है उसमें फोटोस्टेट कापी भी लगा कर भेजी है जिसके बारे में मा0 मंत्री जी इन्कार करते हैं कि उनको कोई पत्र नहीं मिला है । इसमें परीक्षण क्या करना है ?

श्री उपाध्यक्ष–

जब पहली बार सूचना भेजी गयी उसके बारे में उनसे पूछना तो पड़ेगा, ठीक है, आपने फोटो स्टेट कापी लगायी है, परन्तु उनसे पूछना तो जरूरी है नहीं तो एकतरफा ही कार्यवाही हो जायेगी, इसमें थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन निर्णय हो जायेगा ।

कार्यमंत्रणा समिति द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम में संशोधन का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष–

नियम 225 के अन्तर्गत कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिशों को पढ़ा हुआ मान लिया जाय ?

(सदन की सहमति से सूचना पढ़ी हुई मानी गयी ।)

विधान सभा की कार्यमंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 22 फरवरी, 1989 की बैठक में सदन के वर्तमान सत्र के अनुमोदित कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित संशोधनों की सिफारिशें की हैं :–

1–सदन का उपवेशन दिनांक 19 मार्च, 1989 को पड़ने वाले रविवार को भी हो तथा सोमवार दिनांक 20 मार्च, 1989 को उपवेशन न हो ।

2–दिनांक 11 एवं 18 मार्च, 1989 को पड़ने वाले शनिवारों तथा 19 मार्च, 1989 को पड़ने वाले रविवार को नियम 56 एवं 300 के अंतर्गत सूचनायें न ली जायं ।

3–निम्नांकित विधेयकों पर विचार एवं पारण का प्रस्ताव निम्नवत् किया जाय :–

(1) उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1989–दिनांक 27 फरवरी, 1989 (आधा घण्टा) ।

(2) उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1989–दिनांक 28 फरवरी, 1989 (आधा घण्टा) ।

(3) उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1989, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ,– दिनांक 1 मार्च, 1989 (आधा घण्टा) ।

(4) उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1989 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ– दिनांक 1 मार्च, 1989, (आधा घण्टा ।)

(5) मोटर यान (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1989, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ,– दिनांक 2 मार्च, 1989 (आधा घण्टा) ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों से, जिसकी सूचना आज श्री उपाध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि क्या अभी जो मा0 संसदीय कार्य मंत्री ने कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों के बारे में जो प्रस्ताव किया है, उससे सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष–

[समय 12.50]

नियम 56 के अन्तर्गत आज 21 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिसमें से 10 सूचनाएं नियमानुसार चयनित की गई हैं। पहली सूचना श्री गया प्रसाद वर्मा और चौधरी महाराज सिंह की सूचना जो दिनांक 16-1-89 को जनपद इटावा के अन्तर्गत डिमोलीघाट पर नाव उलटने से 18 व्यक्तियों के डूबकर मर जाने से जिला प्रशासन द्वारा राहत कार्य न किये जाने के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना सर्वश्री अकबर हुसैन बाबर, रवीन्द्र नाथ तिवारी, हर्ष वर्धन, जयदीप सिंह बरार, सैय्यद अली अशरफी, राकेशधर त्रिपाठी, मैनेजर सिंह, कमल किशन पाण्डेय, जवाहर सिंह यादव, जौहरी लाल त्रिवेदी, शेर बहादुर सिंह, मूल चन्द्र और श्री दिवाकर विक्रम सिंह की सूचना जो दिनांक 20 अक्टूबर, 1988 को फैजाबाद में हुए साम्प्रदायिक दंगे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। तीसरी सूचना सर्वश्री अनुग्रह नारायण सिंह, गोपाल दास यादव और श्री दीप चन्द्र सोनकर की जो दिनांक 1/2-2-89 की रात में कर्नलगंज की पुलिस द्वारा हरिजन युवक बद्री प्रसाद की हत्या किये जाने के सम्बन्ध में। चौथी सूचना श्री गोपी नाथ वर्मा की जो प्रदेश में शीतगृह मालिकों द्वारा आलू उत्पादकों के सड़े हुए आलू का मुआवजा न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। पांचवीं सूचना सर्वश्री देवेन्द्र कुमार सिंह, कुंवर मानवेन्द्र सिंह, सूर्यप्रताप शाही और श्री धनराज यादव की जो तराई अनुसूचित जाति निगम के अधिकारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। छठीं सूचना सर्वश्री राजकिशोर सिंह, कौशिक रमा शंकर, राम आसरे वर्मा, राम पाल वर्मा, हरिशंकर तिवारी और श्री शारदा प्रताप की जो जनपद फैजाबाद के विधायक श्री अकबर हुसैन बाबर पर हुए प्राणघातक हमले के सम्बन्ध में। सातवीं सूचना सर्वश्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, ब्रह्म दत्त द्विवेदी जो लखनऊ एवं मेरठ में हरिजनों द्वारा धर्म परिवर्तन किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। आठवीं सूचना श्री बदन सिंह की जो आगरा जनपद की तहसील किरावली के परगना अधिकारी द्वारा फतेहपुर सीकरी की नजूल भूमि को 20 लाख रुपये लेकर कोलोनाइजर को कब्जा दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। नवीं सूचना श्री रघुबर दयाल वर्मा और श्री विजय सिंह राणा की जो जनपद आगरा के थाना मलपुरा की पुलिस चौकी डकआ की पुलिस द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। दसवीं सूचना सर्वश्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी, धनराज यादव और श्री सरदार सिंह की जो कानपुर के कपड़ा मजदूरों द्वारा रेल जाम कर देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। बाकी सूचनाएं अग्राह्य कर दी गयीं।

माननीय गया प्रसाद वर्मा (व्यवधान)

श्री हरदेव–

मान्यवर, हमारी भी यह गम्भीर सूचना सुन ली जाए। यदि जानबूझकर मेरी सूचना इसी प्रकार से नहीं सुनी जायेंगी तो कहां जाऊंगा मैं, किसे सुनाऊंगा मैं इसलिए मेरी गम्भीर इस सूचना को सबसे पहले आज सुना जाए।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आपकी सूचना भी सुनी जायेगी, कृपया अपना आसन ग्रहण करें । गया प्रसाद जी को मैंने पहले बुला लिया है, आपकी इनके बाद सुनी जायेगी ।

(शोर)

श्री गया प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, 16 जनवरी, 1989 को जनपद इटावा में यमुना नदी ।

(श्री हरदेव व अन्य कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

श्री हरदेव–

एक और दूसरी यह मान्यवर, मेरी सूचना है कि आर0 डी0 सिंह डिप्टी एस0 पी0 जो बलिया इस समय देवरिया में भेजे जा रहे हैं, हमारी तहसील रसड़ा के पड़ोस में यह जनपद है, इस अधिकारी को हमारे यहां से हटाकर कहीं दूरी के जिले में पी0 एस0 सी0 में भेजा जाय, इनको यहां पर न भेजिये, इनके जमाने में बहुत अपराध तथा कत्ल रसड़ा बलिया में हुए हैं और इनकी साजिश से स्मगलिंग भी खूब हुई है....

(घोर व्यवधान)

श्री हरदेव–

मैं बैठ रहा हूं मगर ऐसे श्री आर0 डी0 सिंह उप पुलिस अधीक्षक बलिया को देवरिया में न रखा जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

मा0 हरदेव जी आपकी बात को सुन लेंगे कृपया आसन ग्रहण करें । यह आपका कहां का मामला है और क्या है, इसे आप अपना नोट बनाकर भेज दीजिए, कृपया शांती बनाये रखें। बैठ जायं, हरदेव जी।

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, इनकी बात को सुन लीजिए, यह कहना क्या चाहते हैं इनको सुन तो लीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष–

ठीक है, जब आप लोगों का अनुरोध है तो इन्हें सुन लिया जायेगा, कृपया अपना आसन तो ग्रहण करें । मैंने गया प्रसाद जी को बुला लिया है, इसके बाद इनको सुन लिया जायेगा । कृपया आसन ग्रहण करें (घोर व्यवधान)

*श्री बाबूराम यादव–

मान्यवर, व्यवस्था का सवाल है कि अगर सत्ता पक्ष का कोई विधायक अपनी कोई बात करता है तो सत्ता पक्ष के दूसरे सदस्य जबरन उसको बोलने नहीं देते आप तो हमारे सभी के अधिकारों के रक्षक हैं इसलिए हम व्यवस्था चाहेंगे कि आप व्यवस्था दें कि जब सभी को स्वतंत्र रूप से बोलने की अनुमति है तो चाहे वह सत्ता-पक्ष का हो या विपक्ष का हो सभी को बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष–

सभी को स्वतंत्रता है। हरदेव जी की सूचना नियम 301 में थी वह स्वीकार हो गयी है और उसको पढ़ा हुआ मान लिया गया है।

श्री शारदा प्रताप–

[x x x]

श्री उपाध्यक्ष–

यह कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है। यह कुछ नहीं लिखा जायगा ।

(व्यवधान)

श्री शारदा प्रताप–

[x x x]

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

यह कुछ नहीं लिखा जायगा ।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

[x x x]

श्री उपाध्यक्ष–

कुछ नहीं लिखा जायेगा । पहले गया प्रसाद जी को सुनिये ।

श्री हरेन्द्र सिंह–

पहले आप सुन लें । व्यवस्था को सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष–

नहीं सुनूंगा, आप बैठिये ।

(व्यवधान)

श्री हरेन्द्र सिंह–

नहीं बैठूंगा, आप मेरी बात को सुन लें ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

न बैठें । आपकी व्यवस्था बाद में सुनूंगा । पहले गया प्रसाद जी को बोलने दीजिये । आप खड़े रहें । आप जबरदस्ती कर रहे हैं । आप बैठें ।

(व्यवधान)

श्री हरेन्द्र सिंह–

आप तो डांट रहे हैं, आप इंगित कर दें ।

(व्यवधान)

टिप्पणी :—[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री उपाध्यक्ष–

ऐसे सदन नहीं चलेगा जो मैं व्यवस्था करता हूं वह आपके हित में है । गया प्रसाद जी को सुन लें ।

*श्री गया प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, 16 जनवरी, 1989 को इटावा जिले के अन्तर्गत डिमोली घाट पर जमुना नदी में नाव उलटने से लगभग 18 आदमियों की मृत्यु हो गयी । मान्यवर, 16 तारीख को 11 बजे नाव नदी में डूबती है । इसके बाद प्रशासन की लापरवाही से एक भी लाश नहीं निकाली जा सकी है जिसके कारण उस क्षेत्र में भारी असंतोष है। मान्यवर, 8 दिन के बाद 3 लाशें वहां पर बरामद हुईं, एक किलोमीटर की दूरी पर । अगर प्रशासन चाहता तो निश्चित तौर पर लाशें मिल सकती थीं । लेकिन उसकी लापरवाही के कारण लाशों को नहीं निकाला जा सका । 3 लाशें 8 दिन के बाद मिली हैं उनमें से एक लाश तेजपुर के पुष्पेन्द्र सिंह की है जिसकी उम्र 18 साल की है और दूसरी लाश बड़ी बिटिया की जो जगतौली की रहने वाली है और जिसकी उम्र 17 साल की है और केशव पाल सिंह जिनकी उम्र 19 साल है वह भी जगतौली के रहने वाले हैं, इनका सबका पोस्टमार्टम हो गया है लेकिन आज तक प्रशासन ने लापरवाही करके उनको न तो कोई आर्थिक सहायता दी है और न ही उनको खोजने का प्रयास किया है। इतना ही नहीं, मान्यवर, घाट पर लोगों से अनाप-सनाप पैसा वसूल किया जाता है और इसी कारण जो लोग नाव पर बैठे थे, लापरवाही के कारण वह नाव डुबो दी गई । इसलिए मैं मांग करता हूं कि जिन लोगों का पोस्टमार्टम हो गया है उनके परिवार वालों को आर्थिक सहायता दी जाय और जिन पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने लापरवाही बरती है उनको दण्डित किया जाय ।

(चौधरी महाराज सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री राज किशोर सिंह–

मान्यवर, इसमें मेरा भी है.....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आपको भी उनके बाद समय दे दिया जायेगा । आप बैठें ।

*चौधरी महाराज सिंह–

मान्यवर, 16 तारीख को डिमोलीघाट पर जो घटना हुई उसके सम्बन्ध में मेरी निश्चित जानकारी है कि प्रशासन ने शवों को छिपाने के लिये उन्हें बोरों में भरकर उनमें पत्थर बांधकर बालू में दबा दिया जिससे कि शव बरामद नहीं हुए । तीन शव 8वें दिन तीन किलोमीटर दूर बरामद हुए । आस-पास के लोग जब नदी के पास आये तब उनका पता चला । नहीं तो उनका कोई पता नहीं चल रहा था । मेरा कहना यह है कि इस सम्बन्ध में शासन एक उच्च स्तरीय जांच बिठाये और इस मामले की पूरी छानबीन करे ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राज किशोर सिंह–

मान्यवर, मैं इस सूचना को लगातार कई दिन तक देता रहा लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया । मैंने आज भी नियम 51 के तहत लिखकर दिया है कि आप मुझे मौका दें । मान्यवर, जनपद इटावा में दिनांक 16 जनवरी की यह घटना है । जमुना नदी के किनारे डिमोलीघाट है उस पर कुछ लोग नाव पर बैठकर नदी पार जा रहे थे। बीच में नाव उलट गई और उससे 18 लोग डूबकर मौत के घाट चले गये । वहां पर कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं गया और न किसी ने उन लाशों का पता लगाने की कोशिश की । उनको कोई राहत भी नहीं पहुंचाई गई । इस घटना को लेकर पूरे क्षेत्र में भयानक आक्रोश फैल गया है । पार पट्टी और चक्करनगर क्षेत्र में जनाक्रोश फैल गया है। कुछ दिनों बाद जब लाश पानी में तैरते हुए दिखाई दीं और चील और कौवे उन्हें नोच-नोच कर खा रहे थे तब से वहां स्थिति और बिगड़ गई है। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि जिन अधिकारियों ने लापरवाही की है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाय और जो लोग मरे हैं उनके परिवारजनों को पर्याप्त धनराशि क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाय । यह मामला बहुत ही गम्भीर है, इसलिए मैं चाहता हूं कि सदन की आज की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करा दी जाय ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

उपाध्यक्ष जी, यह बहुत ही दुखद घटना है और माननीय सदस्य श्री गया प्रसाद जी वर्मा, चौधरी महाराज सिंह तथा श्री राज किशोर सिंह जी ने जो बातें कही हैं उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। इसकी जांच होनी चाहिए । इसकी जांच कर ली जायेगी और जो लोग डूब गये हैं, जिनकी लाशें मिल गयी हैं, पोस्टमार्टम हो गया है उनके परिवारजनों को शासन की तरफ से जो भी धनराशि रिलीफ के तौर पर दी जानी है, वह दिलाई जायेगी । इसे कार्यस्थगन के रूप में नहीं लेकिन शासन तत्परता से इस मामले पर अवश्य कार्यवाही करेगा और माननीय सदस्यों को भी इससे सूचित करेगा ।

(व्यवधान)

(श्री लक्ष्मी नारायण तथा श्री हरेन्द्र सिंह के खड़े होकर एक साथ बोलने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

दो आदमी खड़े हैं। मैं किसको बुलवाऊं ?

श्री लक्ष्मी नारायण–

मेरी सूचना का क्या हुआ ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आपका शलाका में नहीं आया, तो मैं क्या कर सकता हूं। आप शलाका को मानते हैं या नहीं मानते हैं, बतायें ?

श्री हरेन्द्र सिंह–

आपने हमको सुनने के लिये कहा था ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आपको नहीं सुना जायेगा ।

श्री लक्ष्मी नारायण–

आपने कहा था कि मैं आपको बाद में सुनूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष–

जब आपका शलाका में नहीं आया तो मैं क्या कर सकता हूं और सबका भी नहीं आया है।

(व्यवधान)

(श्री अकबर हुसैन बाबर का नाम पुकारे जाने पर)

श्री किरन पाल सिंह–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है (व्यवधान)

(श्री किरन पाल सिंह, श्री लक्ष्मी नारायण, श्री हरेन्द्र सिंह, श्री जगवीर सिंह के सदन के मध्य आकर एक साथ बोलने लगे)

श्री हरेन्द्र सिंह–

आपको सुनना पड़ेगा ।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें, इस तरीके से सदन नहीं चलता है। जो आपका आचरण है वह अशोभनीय है (व्यवधान) कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । आप अपने स्थान पर बैठें ।

श्री लक्ष्मी नारायण–

बिल्कुल नहीं बैठेंगे । आपको व्यवस्था का प्रश्न सुनना होगा ।

श्री उपाध्यक्ष––

आप यही तय कर लीजिये कि व्यवस्था का प्रश्न सुनता रहूं मैं सुनता रहूंगा । (व्यवधान) इस तरह से सदन नहीं चलेगा ।

श्री किरन पाल सिंह–

कोई गम्भीर विषय हो तो व्यवस्था का प्रश्न सुनना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष–

सदन का काम चलने दें (घोर व्यवधान) आप जबरदस्ती कर रहे हैं।

श्री हरेन्द्र सिंह–

बिल्कुल नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप आसन ग्रहण करें, कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। जब शलाका में नहीं आया तो मैं क्या कहूं ? (व्यवधान) इस तरह का आचरण ठीक नहीं है...

श्री किरन पाल सिंह–

सदन के विषय से संबंधित व्यवस्था का प्रश्न है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

नियम तो आपने ही बनाया है । (व्यवधान) कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा रहे हैं, अव्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं ।

श्री हरेन्द्र सिंह–

नियम 56 के सम्बन्ध में है (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मुझे मालूम है आप क्या उठाना चाहते हैं (व्यवधान) हर आदमी को मैं कैसे सुन लूंगा । (व्यवधान) शलाका में नहीं आया तो मैं क्या कर सकता हूं ?

श्री लक्ष्मी नारायण–

इस तरह से लाटरी से सदन नहीं चलेगा ।

श्री उपाध्यक्ष–

आपही ने तो बनाया है नियम (व्यवधान) माननीय सदस्यों को (व्यवधान) कृपया शांत करायें ।

श्री हरेन्द्र सिंह–

हम जनता की बात कहना चाहते हैं 85 रुपये के लिये नहीं आये हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप आसन ग्रहण करें, जब तक बैठेंगे नहीं मैं कैसे सुनूंगा ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मेरी प्रार्थना है कि दो मिनट सुन लीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष–

कैसे सुनूंगा जब तक बैठेंगे नहीं ?

(कई सदस्यों द्वारा सदन के फ्लोर पर रिपोर्टर्स की टेबिल के सामने खड़े होकर एक साथ बोलने से घोर व्यवधान)

जब तक आप लोग अपने अपने आसन पर नहीं जायेंगे तब तक आपकी क्या बात सुनी जाये ? आप लोग अपना अपना आसन ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

श्री लक्ष्मी नारायण–

लाटरी से विधान सभा नहीं चलेगी ।

श्री किरन पाल सिंह–

आप हाउस में गलत परम्परा डाल रहे हैं । लाटरी से विधान सभा नहीं चलेगी ।

श्री अम्मार रिजवी–

माननीय उपाध्यक्ष जी ने कहा है कि सम्मानित सदस्य अपना आसन ग्रहण करेंगे तो उनकी बात सुनी जायेगी । श्री किरनपाल सिंह और अन्य सभी सदस्य वरिष्ठ सदस्य हैं कृपया अपना-अपना आसन ग्रहण करें।

(कई माननीय सदस्य फ्लोर से अपने अपने आसन पर चले गये)

श्री उपाध्यक्ष–

श्री अकबर हुसैन बाबर आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष–

श्री अकबर हुसैन बाबर आप अपना आसन ग्रहण करें । इनका व्यवस्था का प्रश्न सुन लें ।

श्री किरन पाल सिंह–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है लेकिन मैं सबसे पहले अफसोस जाहिर करते हुए कहना चाहता हूं कि आपने कहा कि मुझे सब मालूम है कि आप क्या कहेंगे इसलिये अफसोस है ।

व्यवस्था का प्रश्न है कि नियमों के तहत कोई विषय उठाना चाहता हूं तो आपने कहा कि मुझे सब मालूम है कि आप क्या उठाना चाहते हैं, इसका अफसोस है । नियम 56 के अन्तर्गत, अविलम्बनीय लोक महत्व के अंतर्गत . . .।

श्री उपाध्यक्ष–

नियम 56 में मैं अब नहीं सुनने वाला हूं । आप बैठ जायें ।

श्री किरनपाल सिंह–

नियम 56 में व्यवस्था के सम्बन्ध में आपको सुनना पड़ेगा।

(श्री किरनपाल सिंह, श्री हरेन्द्र सिंह और श्री लक्ष्मी नारायण द्वारा पुनः सदन के फ्लोर पर आकर एक साथ बोलने से घोर व्यवधान)

श्री किरनपाल सिंह–

व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 56 में सुनें।

श्री उपाध्यक्ष–

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। श्री अकबर हुसैन बाबर आप बोलें।

(व्यवधान)

(सर्वश्री किरनपाल सिंह, श्री लक्ष्मी नारायण व श्री हरेन्द्र सिंह सदन के फ्लोर पर रिपोर्टर्स टेबुल के बिल्कुल सामने खड़े रहे और जोर जोर से बोलते रहे।)

श्री उपाध्यक्ष–

शर्त्तें तय हो गयी हैं . . (घोर व्यवधान) आप पहले तय कर लीजिये।

श्री किरनपाल सिंह–

हम कोई बंधुवा मजदूर नहीं हैं . . (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

इस प्रकार से हाउस नहीं चलेगा। शतरुद्र प्रकाश जी आप इनको बैठाइये। (व्यवधान) यह बैठें तभी तो मैं सुनूं। जब सदन व्यवस्थित न हो तो कैसे सुनूं? पहले आप लोग व्यवस्था बनाइये।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

आपकी इजाजत से किरनपाल जो बोल रहे थे, जब वह बोलने लगे . .

श्री उपाध्यक्ष–

उन्हें मैं 56 पर क्या सुनूं? (व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

वह ग्राह्यता पर नहीं बोल रहे थे, वह व्यवस्था के प्रश्न पर बोल रहे थे। (व्यवधान)

श्री किरनपाल सिंह–

आपने माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी का भी ध्यान नहीं रखा। हम उनके सम्मान में बैठे थे।

(श्री किरनपाल सिंह, श्री लक्ष्मी नारायण व श्री हरेन्द्र सिंह सदन के फ्लोर पर बैठ गये।)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं अकबर हुसैन बाबर को बुलवा रहा हूं, वह बोलें। (व्यवधान) अभी सदन व्यवस्थित नहीं है।

श्री विजय सिंह राणा–

वह बोल रहे थे और . . (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

वह 56 पर क्या व्यवस्था उठायेंगे . . (व्यवधान) मैं ठीक समझ रहा हूं। मैंने शलाका तो तय नहीं की, आपके दल ने तय की है यह . . . (व्यवधान) आपके दल ने तय की है और आप जानें आप का दल जानें, मैं क्या बताऊं?

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा–

आप अपने बचाव के लिए नियम बना लें और उन्हें कवच की तरह पहन-कर बैठ जायं, तो यह उचित नहीं है, इस तरह से सदन नहीं चलने पायेगा। आप किरनपाल जी को सुनिये।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

अब मैं सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित करता हूं।

(इस समय 1 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही 1 बजकर 35 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी गयी।)

1 बजकर 35 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सदन को सूचित किया कि मा0 उपाध्यक्ष ने सदन का स्थगन 1 बजकर 45 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया है।

1 बजकर 45 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।

नियम 56 के अन्तर्गत शलाका द्वारा विषयों के चयन को गलत बताते हुए विषय की महत्ता एवं अवलम्बनीयता के आधार पर सूचनाओं को प्राथमिकता पर लिए जाने का अनुरोध

श्री किरनपाल सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न मैं आपके सामने उपस्थित करने जा रहा था। मान्यवर, नियम 56 में जो विषय लिये जाते हैं वह अतिमहत्वपूर्ण और अविलम्बनीय होते हैं। उन विषयों को शलाका द्वारा चुनना और फिर सदन में सुनना उस पर मेरी आपत्ति थी, यही मैं पहले कहना चाहता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में

खासतौर से आगरा, मथुरा, मथुरा, में छाता, अलीगढ़, खैर, बुलन्दशहर, गाजियाबाद मेरठ, मुजफ्फरनगर, सिसौली, खतौली में पानी की अत्यन्त गम्भीर समस्या है। यहां तक पशुओं को भी पानी नहीं मिल पा रहा है लेकिन अफसोस की बात यह है कि सरकार की तरफ से कोई प्रबन्ध नहीं किया जा रहा है। यह विषय बहुत महत्वपूर्ण था इसी विषय को मैं उठाकर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता था। काम रोको प्रस्ताव इतना महत्वपूर्ण विषय होता है कि उसको शलाका द्वारा चुनना उचित नहीं है। जो विषय मैरिट पर आते हैं जिनका सम्बन्ध प्रदेश के ज्यादा लोगों से हो, जिससे प्रदेश के अधिकांश लोग प्रभावित होते हैं उस विषय को प्राथमिकता पर लिया जाय यही मेरी आपसे विनती थी और यही मुझे आपसे कहना था। जो मैंने पानी की समस्या के बारे में कहा है। उस पर ध्यान देकर कोई न कोई व्यवस्था अवश्य दें।

श्री राम अग्सरे वर्मा–

मान्यवर, इस सिलसिले में मैं कहना चाहूंगा कि यह शलाका की प्रणाली जो शुरू की गयी है उससे मैं समझता हूं कि इस पीठ पर चाहे आप बैठे हों या नियाज हसन साहब बैठे हों, यह उनकी कमजोरी का सबूत है जो विषय की गम्भीरता को पढ़ने के बाद उसका अंकलन न कर सकें। शलाका डालकर जिम्मेदारी को अपने ऊपर से उतार फेंकने की मैं इसे मिसाल मानता हूं। मैं चाहूंगा, इस पीठ की गरिमा और मर्यादा इस बात से साबित होगी कि जो भी सूचनाएं आयें उनको पढ़ने के बाद जो गम्भीर और अविलम्बनीय लोकमहत्व की हों उनको सुनें।

श्री उपाध्यक्ष–

पढ़ने के बाद ही निर्णय लिया जाता है।

श्री राम आसरे वर्मा–

मेरा निवेदन है कि विषय की गम्भीरता को देखकर निर्णय करें शलाका और सट्टेबाजी के साथ पूरे सदन को जोड़ा जा रहा है।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री अकबर हुसैन बाबर–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 21 अक्टूबर, को हमारे जनपद फैजाबाद में दंगे हुए मध्य चौक में दूकानें जला दी गयीं।

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, जो मैंने प्रश्न उठाया, उस पर आप व्यवस्था दे दें।

श्री उपाध्यक्ष–

उसमें बाद में व्यवस्था दे दूंगा।

श्री अकबर हुसैन बाबर–

हत्यायें हुईं और हफ्तों कर्फ्यू लगा रहा। मान्यवर, यह दंगा वहां से हुआ जहां बाबरी मस्जिद और राम जन्म भूमि का मामला उठा है, जब जज के न्यायालय में मुकदमा चल रहा था, जिलाधिकारी ने शासन के प्रतिनिधि के रूप में शान्ति-व्यवस्था बनाये रखने की जिम्मेदारी ली थी, यह शासन का बयान था। मान्यवर, जब हमारा शहर जल रहा है, तो आज शासन के लोग कुछ करने के लिए तैयार नहीं हैं। श्रीमन् यह दंगा ऐसी

स्थिति में हुआ है जबकि पूरा हिन्दुस्तान जल रहा है, पंजाब से लाशें गिर रही हैं, सारा मुल्क जल रहा है। श्रीमन् फैजाबाद में दंगा हुआ, वहां का जिलाधिकारी मौजूद था, वहां का एस0एस0पी0 मौजूद था, एक ऐसे रास्ते से जुलूस निकालने की इजाजत दी गयी, जहां से कभी जुलूस नहीं निकला था।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप ग्राह्यता पर ही बोलें।

श्री अकबर हुसैन बाबर–

मान्यवर, मैं ग्राह्यता पर आ रहा हूं, इससे बड़ी ग्राह्यता और कोई नहीं हो सकती है। अगर बाबरी मस्जिद और राम जन्म भूमि से निकले आग के शोले हमारी मातृभूमि को जला दें, इस पर यदि इस सदन में चर्चा नहीं हो सकती, तो किस विषय पर चर्चा होगी?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप ग्राह्यता पर ही बोलें।

श्री अकबर हुसैन बाबर–

मान्यवर, बाबरी मस्जिद और राम जन्म भूमि के विवाद से सारा हिन्दुस्तान जल रहा है। आज इस पक्ष और उस पक्ष के सभी लोगों की यह राय है कि आज हमारा देश खण्ड-खण्ड होने वाला है। यह मान्यवर, मात्र दंगा नहीं है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

श्रीमान् फैजाबाद के दंगों के बारे में मेरा जो कार्य-स्थगन का प्रस्ताव है, उसके बारे में बहुत से माननीय सदस्यों का इस पर प्रस्ताव है। श्रीमन् मेरा निश्चित आरोप है कि फैजाबाद में जो दंगे हुए, वह शुरू में साम्प्रदायिक नहीं थे, प्रशासन की लापरवाही के कारण यह दंगे हुए। श्रीमन् चूंकि मैं फैजाबाद जिले से आता हूं, फैजाबाद जिले का साम्प्रदायिक सौहार्द्र का एक गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। 21 अक्टूबर को जो दंगा हुआ, वह एक कलंक है। फैजाबाद के शानदार इतिहास पर उसके लिए प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेदार है। माननीय मुख्य मंत्री जी भी दंगे के बाद फैजाबाद गये थे, मैंने उनसे पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि आप मौके पर चले जायें, तो सही स्थिति की जानकारी हो जायगी। उन्होंने बड़ी कृपा करके मेरे अनुरोध को स्वीकार किया था और मौके पर गये थे, लोगों से मिले थे, अस्पताल में भी गये थे, जहां पर लोगों ने आप बीती सुनाई थी और बताया था कि पुलिस और पी0ए0सी0 ने किस तरह का निर्मम व्यवहार किया था।

मेरा निवेदन है कि शुरू में इस दंगे को अराजक और अपराधी तत्वों ने पथराव और आगजनी की घटनाओं से शुरू किया, जिसने बाद में साम्प्रदायिक रूप ले लिया और हत्या और लूट-पाट की घटनाएं हुई और सारा शहर 10 दिन तक कर्फ्यू में पड़ा रहा। बाद में वहां पर गृह मंत्री जी गयी थीं और उन्होंने हर पीड़ित परिवार को 5 हजार रुपये

त्वरित सहायता के रूप में प्रदान करने की घोषणा की थी, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, आज तक उस घोषणा का केवल दो हजार रु0 ही मिला है, बाकी रुपया नहीं मिला है। वहां पर शमशेर उर्फ बुद्धू नामक व्यक्ति को दंगाइयों ने मार कर बेहोश कर दिया और घसीटते हुए उठा ले गये थे, आज तक उसका पता नहीं है, आम चर्चा है कि उसे मार कर दंगाइयों ने लाश को नदी में फेंक दिया है। जिला प्रशासन और सरकार इस पर आज तक मौन है। बाद में वहां पर नेता विरोधी दल भी मौके पर गये थे और लोगों से मिले थे और बाद में मेरी अध्यक्षता में इस सदन के 4 सदस्यों की एक जांच समिति नियुक्त की थी। मैंने अपनी जांच रिपोर्ट माननीय मुख्य मंत्री जी को भेज दिया है। उसकी एक प्रति आपको भी भेज कर नियम 310 के अन्तर्गत इसे सदन के पटल पर रखने की अनुमति चाहा है। हमने अपनी रिपोर्ट में चार संस्तुतियां की हैं। (1) प्रदेश में साम्प्रदायिक सद्भाव स्थापित करने हेतु सरकार राम जन्म भूमि बनाम बाबरी मस्जिद विवाद का स्थायी हल पेश करे और उसे सख्ती से लागू कराये। सरकार का दृष्टिकोण सामने आने के बाद ही हमसे सहयोग की मांग कर सकते हैं और हम सहयोग या असहयोग के बारे में अपना फैसला ले सकते हैं। सरकार का यह दृष्टिकोण रहा है और बराबर घोषणाएं हुई हैं कि इस दंगे के लिए जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिम्मेदार ठहराये जायेंगे इसलिए हमने मांग की है कि जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का फैजाबाद से स्थानान्तरण कर दें। और इस दंगे के कारणों की विस्तृत जांच का कार्य माननीय उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को सौंपा जाय। हमने यह भी मांग की है कि दंगे में मारे गये लोगों को एक एक लाख रुपये क्षतिपूर्ति में दें और भविष्य में प्रत्येक जुलूसों और आयोजनों में साम्प्रदायिक सद्भावों को बिगाड़ने वाले उत्तेजक नारों, भाषणों और हथियारों आदि के प्रयोग तथा प्रदर्शन पर शख्ती से रोक लगायी जाय।

श्रीमन्, हमारी यह संस्तुति थी कि सारे दंगे की जांच किसी हाईकोर्ट के जज से कराई जाय ताकि मालूम हो कि इसके पीछे किसका हाथ रहा है, क्षति का आंकलन सामने आ सके और जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही हो सके। शासन की यह नीति रही है कि ऐसे मामलों में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक पर जिम्मेदारी डाली जाती है, उनका स्थानान्तरण कर जांच कराते हैं तो कौन सी ऐसी स्थिति है कि हमारे प्रदेश की सरकार इस मामले में इस सिद्धान्त को नहीं लागू कर रही है हमारी यह भी संस्तुति है कि सी0ओ0 सिटी श्री सोनकर को निलम्बित करके उनकी चरित्रहीनता की शिकायतों तथा शमशेर उर्फ बुद्धई का अपहरण, हत्या और उसकी लाश को नदी में फेंकने की घटना की जांच सी0बी0आई0 को सौंपी जाय और भविष्य में ऐसी व्यवस्था की जाय कि श्री सोनकर जैसे संदिग्ध और विवादित चरित्र वाले व्यक्ति तथा जांच में शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों को जिम्मेदारी के पदों पर न भेजा जाय।

हमारी रिपोर्ट में इस बात का भी स्पष्ट उल्लेख है कि घटना के दिन जुलूस के बीच में से एस0डी0एम0 सदर को टाउन एरिया की नामजदगी के पर्चों की जांच के लिए बुला लिया गया था और जुलूस का दायित्व सोनकर जैसे चरित्रहीन सी0ओ0 पर छोड़ दिया गया। मेरा अनुरोध है कि यह भयंकर मामला है आज भी फैजाबाद में लोग आतंकित हैं, उद्वेलित हैं उनको परेशानी है कि सरकार दंगाइयों के खिलाफ कुछ

नहीं कर रही है। मैंने नियम 310 के अन्दर आपको एक जांच रिपोर्ट की कापी भेजकर सदन के पटल पर ले करने की अनुमति मांगी है, मैं नहीं जानता आप इसकी कब अनुमति देंगे। मैं शासन से कहना चाहता हूं कि जो जांच रिपोर्ट मैंने दी है अगर आप डिस्एग्री करते हैं तो इस पर चर्चा स्वीकार करें। शासन अपना वर्जन लाये कि उनकी निगाह में कौन दंगे के लिए जिम्मेदार था, कितनी क्षति हुई, कितने आदमी गायब हुए?

मान्यवर, जो लोग मारे गये हैं उनके परिवारों को एक लाख रुपये देने की मांग हमने अपनी जांच रिपोर्ट में किया था तो इनको देने में क्या परेशानी है? इसलिए मैं चाहता हूं कि सारे काम को रोककर क्योंकि यह एक गम्भीर मामला है, यह ऐसी समस्या है राम जन्म भूमि और बाबरी मस्जिद की कि सारे प्रदेश में आग लगी है, इस पर चर्चा करायें। अगर सरकार कहती है कि अदालत को सौंप रहे हैं तो इसका यह कोई स्थाई हल नहीं है यह भावना से जुड़ी हुई बात है। इस समस्या के हल के लिए सरकार जो सोल्यूशन सुझाती है उसको देखने के बाद ही हमसे सहयोग या असहयोग की अपेक्षा की जा सकती है। मान्यवर, नियम 310 में मुझे अपनी उस जांच रिपोर्ट को सदन के पटल पर ले करने की अनुमति दें और सारा काम रोककर इस पर चर्चा करायें ताकि सारे तथ्य सामने आ सकें।

*श्री राम शरण दास–

यह तो काली टोपी लाल रुमाल में फंस गये हैं (हंसी) मैं यह चाहता हूं कि जो टुकड़ियां पुलिस और पी0ए0सी0 की हैं इनको आपने जो छूट दे रखी है कि जरा सा दंगा हुआ और घरों में घुस गये और लोगों को मारते हैं इस पर रोक लगायी जाय।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, यह काली टोपी क्यों बोल रहे हैं लाल रुमाल क्यों नहीं बोल रहे हैं?

*गृह राज्य मंत्री (श्री सईदुज्जमा)–

मान्यवर, यह बहुत देर से इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि यह बात कहें, उन्होंने अपनी इच्छा की पूर्ति कर ली है। मान्यवर, यह बहुत ही दुखद घटना है, इसमें सभी की जिम्मेदारी है कि ऐसा माहौल बनावें कि समाज का वातावरण ठीक रहे और ऐसी व्यवस्था रहे कि सब लोग मुहब्बत से रहें। शासन की ओर से बड़ी तत्परता बरती गयी और पूरी कोशिश की गयी। जहां तक सहायता की बात है, उसमें मृत लोगों के परिवारों को 20-20 हजार रुपये दिये गये, घायलों को 5 हजार रुपये दिये गये और जिनकी दुकानें लूटी थीं या आगजनी हुई थी उनको 15 हजार, 5 हजार, 3 हजार रुपये दिये गये। सरकारी तौर पर कुल 2 लाख 8 हजार कुछ सौ रुपये की सहायता दी गयी। सब लोगों की जिम्मेदारी है कि वहां ऐसा माहौल बनावें कि वहां शान्ति व्यवस्था का वातावरण बना रहे। सरकार सतर्क है और देख रही है कि वहां का माहौल ठीक रहे।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

श्रीमन्, मैंने निवेदन किया कि या तो जो मैंने जांच रिपोर्ट दी है, उसके बारे में कह दें कि यह गलत है। मैंने साफ मुद्दा उठाया है कि इस दंगे के लिए कौन जिम्मेदार रहा है, शासन की कितनी जिम्मेदारी रही है। शमशेर उर्फ बुद्धू के बारे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में सरकार को क्या कहना है । किसने इन दंगों को शुरू कराया, किस तरह से अधिकारियों ने कर्फ्यू पास बांटने में गड़बड़ी की ? किस तरह से कर्फ्यू पास के जरिये से शराब लाने और अफसरों के क्लब जाने के लिए पास दिये गये और पत्रकारों और डाक्टरों को पास नहीं दिये गये? इस पर चर्चा के लिए मैंने कहा कि या तो चर्चा स्वीकार करें या सरकार अपना वर्जन कह दे कि उस मामले में पूरा वक्तव्य देगी और पूरी रिपोर्ट देगी, जैसे कि हमने दी है, या कह दे कि हमारी रिपोर्ट में क्या गलती है और रिपोर्ट में जो भी संस्तुतियां हैं कि हाईकोर्ट के जज से जांच करावें, डी0 एम0 और एस0 पी0 का स्थानान्तरण करने की कार्यवाही करें, सी0 ओ0 सिटी ने जो वातावरण गन्दा किया है, इसके बारे में सरकार का क्या विचार है और राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद को हल करने के लिये क्या कर रहे हैं?

एक धार्मिक जुलूस में त्रिशुल और पड़ाकों का इस्तेमाल हुआ, इसको रोकने के लिए क्या कर रहे हैं ? सारी स्थिति सामने आ गयी है। यदि लोग इस तरह से कीड़े मकौड़ों की तरह से मरेंगे तो इसकी इजाजत किसी भी सरकार को नहीं दी जा सकती है । मैं आपका संरक्षण चाहता हूं कि या तो इस पर चर्चा करा लें और दोनों ओर से बात आ जाय या फिर अपना वर्जन सरकार लावें या फिर हमारी रिपोर्ट को 310 में लाने की अनुमति दे दें और उस पर चर्चा करा लें ।

श्री सईदुज्जमा–

मान्यवर, इस सम्बन्ध में, जैसा कि माननीय तिवारी जी ने फरमाया हम लोग पूरी सतर्कता से काम कर रहे हैं । यह एक ऐसा मसला है कि सब लोग मिलकर यह स्थिति पैदा करें कि वहां शान्ति रहे । सभी लोगों के सहयोग की जरूरत है । यहां केवल भाषण देने के बजाय लोग वहां जाकर काम नहीं करते हैं । हमारी ओर से पूरी तत्परता बरती जा रही है और हमने सूझ-बूझ से काम लिया है । वहां पर स्थिति सामान्य करने का प्रयास किया जा रहा है ।

श्री रघुवर दयाल धर्मा–

मान्यवर, मैं केवल इतना जानना चाहूंगा कि जो रिपोर्ट शासन को माननीय तिवारी जी ने भेजी है, जिसका उल्लेख यहां सदन में किया गया, यदि उसमें संदर्भित तथ्यों से आप सहमत हैं या असहमत हैं, यदि असहमत हैं तो उसमें क्या गलती है और यह खामियां दूर करने का प्रयास किया जाय, यह बता दें?

श्री उपाध्यक्ष–

यह ग्राह्यता का मामला है, तथ्यों का नहीं ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, इसमें दो बातें हैं । या तो इसको 310 में उठाने की अनुमति दें

श्री उपाध्यक्ष–

वह तो विचाराधीन है, अब इसको छोड़ दें ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, आप इसको चर्चा के लिए स्वीकार कर लें ।

श्री उपाध्यक्ष–

आपका कहना ठीक है, आपकी बात ठीक है ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अपराधियों को पकड़ने में नाकाम इलाहाबाद की बोखलाई और पगलाई पुलिस निर्दोष और बेगुनाह लोगों को मार रही है। 1/2 फरवरी की रात्रि में इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज के कर्मचारी नेता बद्री प्रसाद की निर्मम हत्या कर दी गयी, उनके बूढ़े मां बाप के सामने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गयी और लाश गायब करने का प्रयास किया गया। दो दिनों तक आई0 टी0 आई0 फैक्ट्री बन्द रही, उससे करोड़ों रु0 की क्षति हुई। हम लोगों के पहुंचने, कर्मचारियों की भीड़ इकट्ठा होने पर तथा जुलूस अनशन होने पर मजबूरन उस घटना की रिपोर्ट लिखी गयी। रिपोर्ट लिखने के बावजूद कोई कार्यवाही आज तक नहीं हुई। 3 फरवरी को आई0 जी0 बेदी ने आश्वस्त किया था कि 10 दिन के अन्दर गिरफ्तारी कर ली जायेगी। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। हम लोग और भाई गोपालदास यादव जी, अध्यक्ष महोदय के चेम्बर के सामने 13 फरवरी को अनशन पर बैठे थे। एक हफ्ते के अन्दर उन लोगों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया गया। वह एक हफ्ता भी बीत गया लेकिन अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। बल्कि उन को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। सी0 आई0 डी0 की जांच नियुक्त हुई, उसने भी कोई रिपोर्ट नहीं दी है। उल्टे उस घटना से जुड़े लोग इनके मां बाप को धमकाया जा रहा है जिससे जनता में उत्तेजना व्याप्त है। बद्री प्रसाद की हत्या के पहले इसी प्रकार नरेश हरिजन की हत्या कर दी गयी थी। उसके बाद सहानगंज पुरुषोत्तम लाल को पीट-पीट कर कर्नलगंज थाने में हत्या कर दी गयी थी मैं कहना चाहता हूं कि इलाहाबाद की पुलिस को उत्तर प्रदेश सरकार का संरक्षण प्राप्त है। वहां निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है। चुनाव के दौरान वहां जिन पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति हुई थी, उनको संरक्षण दे रहे हैं, उनका बचाव कर रहे हैं। मान्यवर, आपके समक्ष आश्वासन देने के बावजूद भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। मान्यवर, अगर समय रहते कार्यवाही नहीं हुई तो मैं कहना चाहता हूं कि वहां की जनता नियमों कानूनों आदि को भूलकर, विवश होकर सड़कों पर आ जायेगी, वहां आपकी पुलिस की संख्या बहुत कम है, निर्दोष बेगुनाह लोगों की संख्या बहुत है, फिर उससे जो स्थिति पैदा होगी, वह बहुत भयंकर होगी। मान्यवर, बद्री प्रसाद की हत्या और इन हत्याओं के पुलिस हत्यारे अपना गैंग बना रखे हैं और अलग-अलग थानों में अपनी नियुक्ति कराके बेगुनाह लोगों की हत्या कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराने तथा बद्री प्रसाद की विधवा और 3 अनाथ बच्चे हैं, उनको मुआवजा दिलाने की मांग करता हूं।

*श्री गोपाल दास यादव–

मान्यवर, इलाहाबाद में जून में जो उपचुनाव हुआ, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने कनिष्ठ इंस्पेक्टरों को खुलदाबाद और नैनी में नियुक्त कराया था यह सोचकर कि उनके द्वारा बूथ कैपचरिंग करायेंगे। लेकिन इसका क्या अंजाम हुआ, शासन ने इतनी छूट दी थी कि वह बेलगाम हो गये थे। 23-9-88 को परवेज आलम को शाहगंज थाने की पुलिस ने पकड़ा था और उसे कोतवाली पुलिस को दे दिया, वहां के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इंस्पेक्टर ने उसकी हत्या कर दी, निर्दोष परवेज आलम को बर्बरतापूर्वक इंस्पेक्टर ने मारा । मारने के बाद, जो दोषी इंस्पेक्टर था, उसको जेल न भेज कर, एक सिपाही को जेल भेजा गया । उस सिपाही ने लिखित दिया कि मैंने हत्या नहीं की है, इंस्पेक्टर दोषी है । उसके ऊपर दबाव पड़ा और वह महीनों जेल में रहा । खुलदाबाद थाने का इंस्पेक्टर गुरुतेग बहादुर नगर में करेली स्कीम में एक साबुन निर्माता के यहां घर गया । थाने का इंचार्ज दरोगा प्रेमी वहां गया, वहां मौजूद मुस्लिम महिला ने कहा कि यहां पर कोई मर्द मौजूद नहीं है लेकिन उस युवती की बात उसने नहीं मानी और वह उस घर में अन्दर घुसता चला गया और उसने कहा कि तुम लोग नकली साबुन बनाते हो उस युवती ने कहा कि मुझसे कोई वास्ता नहीं है । उसकी अस्मत को लूटने के लिए वह दरोगा अन्दर घुस गया । अपनी इज्जत बचाने के लिए उस महिला ने बाथरूम में जाकर दरवाजा बन्द कर दिया और कास्टिक पोटाश पीकर अपनी जान दे दी । उसके बाद वहां पर जिलाधिकारी के यहां धरना दिया गया, एफ0 आई0 आर0 भी हुई, उसके बावजूद भी वहां के इंस्पेक्टर ने कार्यवाही नहीं की, जिसका अन्जाम यह हुआ कि तारीख 1/2 की रात को बद्री प्रसाद, ऐसा नवयुवक जिसके खिलाफ दफा 34 की कोई सूचना नहीं थी, उसके घर में घुसकर पुलिस ने निर्मम हत्या की । मान्यवर, आप जाकर देखें कि कैसे उसके बच्चे रोते हैं, कैसे उसकी विधवा बिलख रही है । इसके विरोध में हम लोगों ने प्रदर्शन किया, धरना दिया । ये आपके मंत्री बड़ी अकलियत का दावा करते हैं, मंत्री बनाये गये हैं, कहते हैं जांच करवायेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि पहले इनकी जांच कराई जाये, यह पुलिस के लोगों को संरक्षण दे रहे हैं । मान्यवर, मेरी मांग है कि इस महत्वपूर्ण मसले पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराई जाय, नहीं तो पुलिस इन लोगों के इशारे पर हत्या पर हत्या करती रहेगी । आज जो हरिजन हैं, अल्पसंख्यक हैं, वह ऐसा सोचने लगे हैं कि क्या हम इस प्रदेश के नागरिक नहीं हैं । मान्यवर, मेरा फिर अनुरोध है कि सदन की कार्यवाही रोककर इस मामले पर चर्चा कराने की कृपा करें ।

श्री सईदुज्जमा–

मान्यवर, मामले को बहुत गम्भीरता से लिया जा रहा है और सी0 आई0 डी0 को इसकी जांच दे दी गयी है । ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इस मामले को गम्भीरता से न लिया जा रहा हो । कोई भी कर्मचारी/अधिकारी अगर गलती करता है, वह दोषी है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी । संबंधित थाने में जो भी पुलिसकर्मी थे, उनको हटा दिया गया है और मैंने मान्यवर, इनसे कहा है कि यह मेरे कक्ष में आ जायें, इसमें निर्णय ले लिया जाएगा । सरकार की तरफ से इसमें कोई संरक्षण देने वाली बात नहीं है । कोई भी अधिकारी हो, थानेदार हो, उसको बचाने के लिए कोई बात नहीं है । आज ही मैंने कुछ कागजात मंगाये हैं, आप मेरे कक्ष में आ जाइये, निर्णय ले लिया जाएगा ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, इसमें अभियुक्त नामजद हैं और जो मृतक उसकी मां उससे लिपटी हुई थी, उसकी मां को उससे घसीटकर उसकी हत्या कर दी गयी, उसकी पूरी धोती

खून से लथपथ थी, उसकी लाश को गायब करने का प्रयास किया गया वह अस्पताल तक साथ थी। उसने इन लोगों को पहचाना है और उन लोगों का नाम लिखाया है। इसमें सी0आई0डी0 जांच की तो कोई जरूरत ही नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि लीपापोती करने के उद्देश्य से सी0 आई0 डी0 को जांच दी गयी है, इस तरह की जितनी भी जांचे हो रही हैं उसमें पुलिस कर्मियों को बचाया जा रहा है ऐसा लगता है कि अपराधियों को बचाने के लिए जांच दी गयी है। किसी ने भी जांच की मांग नहीं की, अपने आप इन्होंने सी0 आई0 डी0 को जांच दे दी। मान्यवर, अध्यक्ष महोदय के समक्ष यह बात हुयी थी कि सी0 आई0 डी0 10 दिन के अन्दर अपनी प्राइमरी रिपोर्ट देगी, उसके आधार पर गिरफ्तारी की जायगी। आज 23 तारीख हो गयी है, प्राइमरी रिपोर्ट नहीं दी गयी और यह जांच की बात कर रहे हैं। मान्यवर, अगर इस तरह बेगुनाहों को मारा जायगा, तो बेगुनाहों का खून रंग लायेगा। काली टोपी लाल रूमाल, के संबंध में मा0 राम शरण दास जी ने मजाक किया था किन्तु यह सही में लाल हो सकती है। मैं चाहता हूं कि जो वार्ता अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में हुयी है, उसका पालन करायें और गिरफ्तारी करने के आदेश दें।

श्री सईदुज्जमा–

मान्यवर, जो भी बात हुयी है, उससे इन्कार नहीं किया जा रहा है। यह मेरे कक्ष में आ जायें, मैंने वहां के कागजात मंगाये हैं, वहीं निर्णय हो जायगा।

श्री उपाध्यक्ष–

आज शाम तक दे दें।

श्री राम आसरे वर्मा–

जब नामजदगी कराई गयी है, तो उसके बाद गिरफ्तारी में देर नहीं होनी चाहिए। सी0 आई0 डी0 अपनी जांच कर रही है, जांच के बाद जैसी स्थिति होगी, उसके अनुसार कार्यवाही की जायगी। लेकिन अभी नामजदगी के बाद गिरफ्तारी न कराया जाना शंका पैदा करता है।

श्री सईदुज्जमा–

मान्यवर, नीयत पर शंका करने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। हम तो पूरे कटिबद्ध हैं, जिसने भी गलत काम किया है, सी0 आई0 डी0 जांच के बाद उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायगी, इसके लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूं। यह मेरे कक्ष में आ जायें, इसका निस्तारण हो जायगा।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि एक-दो तारीख की रात में हत्या की गयी और उसे पुलिस द्वारा फर्जी मुठभेड़ दिखाया गया, सी0 आई0 डी0 जो हैं, वह आपकी बहुत काबिल है। आज 23 दिन हो गये, सी0 आई0 डी0 ने क्या प्राइमरी रिपोर्ट दी, यह मैं आपसे जानना चाहता हूं?

श्री गोपी नाथ वर्मा–

मान्यवर, यह इलेक्ट्रिक शॉक लगा देंगे, इनके कमरे में कौन जायेगा ?

श्री सईदुज्जमा–

मान्यवर, 10 दिन का समय दिया गया था, वह रिपोर्ट आने वाली है, आप कक्ष में आ जायें, सारी बात हो जायगी।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, वक्तव्य दिलवा दें।

श्री उपाध्यक्ष–

पहले रिपोर्ट तो आने दीजिये। आज शाम की ही बात तो है।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, 23 दिन से यह चल रहा है। जो कार्यवाही यह करें, उसे वक्तव्य में ले आवें।

*श्री गोपी नाथ वर्मा–

मान्यवर, प्रदेश में शीतगृह मालिकों द्वारा आलू उत्पादकों के सड़े हुए आलू का मुआवजा न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में मैंने कार्य स्थगन का प्रश्न दिया है। मान्यवर, उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि किसानों से जो 3 रुपए अतिरिक्त किराया लिया गया है, उसकी वापसी कर दी जाय और सरकार ने जो निर्धारित किया है, उसी आधार पर लिया जाय । आज इसकी वजह से करोड़ों रुपये किसानों का यह शीत गृह के मालिक व सरकार खा गई है, किन्तु आज तक उनका वह पैसा वापस नहीं किया गया है। कोल्ड स्टोरेज में किसानों का आलू सड़ गया है । इस मामले को लेकर पूरे प्रदेश में किसान आन्दोलित हैं और मांग कर रहे हैं कि जो पैसा उनसे अतिरिक्त लिया गया है, उसे वापस किया जाय । मान्यवर, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि फैजाबाद के टाण्डा तहसील में एक साकेत कोल्ड स्टोरेज है, जहां 35 हजार बोरे आलू के सड़ गये हैं, लाखों रुपये का नुकसान हो गया है, किन्तु आज तक मुआवजा नहीं दिया गया है। 21-10-1988 को परगनाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक व शीतगृह मालिकों के बीच एक समझौता हुआ कि एक समझौता हुआ कि एक महीने के अन्दर भुगतान कर दिया जायेगा, किन्तु आज तक भुगतान नहीं किया गया । किसान आन्दोलन कर रहे हैं। इसके बाद जिलाधिकारी ने आदेश जारी किया कि एक महीने के अन्दर 50 से 55 रुपये प्रति क्विन्टल के हिसाब से भुगतान कर दिया जाय । अब स्थिति यह है कि शीत गृह मालिकों ने अन्दर से ताला लगा दिया है और किसानों ने बाहर से । आलू सड़ रहा है । इस महत्वपूर्ण मसले पर स्वयं कृषि मंत्री जी यहां पर नहीं हैं । मैं चाहूंगा कि आप कृषि मंत्री जी को बुलवा लें और उन्हें निर्देश दें ।

संसदीय कार्य एवं सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, श्री वर्मा जी ने जो मामला उठाया है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह सत्य है कि आलू के मामले में किसानों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । कुछ उन्होंने उदाहरण भी दिये हैं। मैं इसकी जानकारी कर लेता हूं । किन्तु मान्यवर, आप इसे वक्तव्य के लिए स्वीकार कर लें । जनरल पालिसी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

का भी माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है और फैजाबाद का भी एक जिक्र किया है। इसके बारे में मैं समझता हूं कि सारी सूचना सदन में आनी आवश्यक है । जब सारी सूचना आ जायेगी, तभी इस पर कुछ कहा जा सकता है।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

आलू उत्पादक किसान और शीतगृह मालिक, इनके सम्बन्ध में जो समस्या है उस पर केवल वक्तव्य के लिए माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने अनुरोध किया है । मैं अनुरोध करता हूं कि दो घण्टे की चर्चा करा दें । यह सारे प्रदेश के किसानों का महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष–

ठीक है, आप बैठें ।

श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

मान्यवर, तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम को ललितपुर में महुआ फूल और बहुआ बीज खरीदने का काम सौंपा गया था जिसके द्वारा आदिवासी शहरिया जातियों को इनका उचित मूल्य दिलाया जा सके किन्तु ललितपुर जनपद के उप क्षेत्रीय प्रबन्धक, डी0 एन0 सिंह द्वारा पिछले 6 महीनों के अन्दर दो करोड़ रु0 का घोटाला करके महुआ फूल बीज एवं तेंदू पत्तों की खरीद की गयी है। महुआ फूल की खरीद के सम्बन्ध में खरीदते समय मार्केट में 240 रु0 और 230 रु0 प्रति क्विन्टल था, उसको 290 रु0 की दर से खरीदकर 15082 क्वि0 में 8 लाख रु0 का घोटाला किया । महुआ फूल की बिक्री की मार्केट में 600 रु0 थी, जबकि उन्होंने 340 रु0 प्रति क्विंटल की दर से बेचकर उसमें 38 लाख रु0 का गबन किया गया । महुआ बीज में 20 लाख रु0 का घोटाला किया । इस प्रकार टोटल 71 लाख रु0 का घोटाला किया और गरीब आदिवासियों को जो शहरिया उचित मूल्य मिलना चाहिए था, वह उन्हें न देकर स्वयं हड़प लिया इसी प्रकार तेंदू पत्ती को 16000 कुन्टल मात्रा 1000 प्रति क्विन्टल की दर से एक करोड़ चौसठ लाख का बिकना चाहिए था, उसे मात्र 64 लाख रु0 में बेचकर निगम को एक करोड़ रु0 की आर्थिक क्षति पहुंचायी । इस प्रकार एक करोड़ 80 लाख रु0 बिचौलियों से सांठ-गांठ करके उन्होंने स्वयं हड़प लिया । मैं चाहता हूं कि सदन की समस्त कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा हो तभी तथ्य सामने आ पायेंगे ।

*श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, इस सरकार के भ्रष्टाचार के आकंठ डूबे रहने का एक और उदाहरण । निगमों के भ्रष्टाचार के बारे में तो चर्चा होती रही है, किन्तु सारे रिकार्ड तोड़ दिए इस अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने और इसके अधिकारियों ने । विगत 6 महीने में 2 करोड़ रु0 का घोटाला और धांधली की है और 2 करोड़ रु0 का अनुचित लाभ प्राप्त किया है। यही हालत ललितपुर में भी हुई है लेकिन मैं पहले मिर्जापुर की ओर ध्यान आकृष्ट करूंगा । वहां पर निगम को अनुसूचित जातियों, आदिम जातियों और वनवासियों के लिये 20-सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उचित मजदूरी और उचित दाम की व्यवस्था करनी थी तेंदू पत्ती, महुआ फूल और महुआ बीज के लिए । ललितपुर के उप क्षेत्रीय प्रबन्धक ने 15087 क्वि0 से अधिक की खरीद 270 रु0 प्रति क्वि0 की दर से की जब कि 230 रु0 प्रति क्वि0 के भाव से बिक रहा था । वह जो खरीद किया वह आदिम जातियों और आदिवासियों से न खरीदकर मध्य प्रदेश के तस्करों द्वारा लेकर किया । महुआ फूल की खरीद इनके केन्द्र द्वारा की गयी है और उसमें 8 लाख रु0 से अधिक की धांधली की गयी है। मान्यवर, यह तो चुरहट लाटरी काण्ड से भी बड़ा काण्ड हो गया । उसे फिर 340 रु0 प्रति क्वि0 के भाव से बेच दिया, जिस समय कि कीमत 600 रु0 प्रति क्वि0 थी, जब कि कन्हैया लाल एण्ड ब्रदर्स ने उसी को खरीदने के लिए 475 रु0 प्रति क्वि0 का आफर दिया था । लेकिन 475 रु0 के टेण्डर को अस्वीकार करते हुए उसने उसके टेण्डर से 48 लाख रु0 ललितपुर में डी0 एम0 सिंह ने हड़प लिया । इसके ऊपर से महुआ-बीज की खरीददारी 650 रुपये क्विन्टल की दर से की गयी लेकिन कागजात में उसे 850 रुपये क्विन्टल की दर से शो किया गया जबकि इसका बाजार भाव उस समय 650 रु0 ही था बल्कि इससे भी कम था ललितपुर महरौली दोनों के बाजार भाव की उपेक्षा करके महुआ-बीज की खरीददारी में 20 लाख रु0 का गबन किया गया है ।

श्री उपाध्यक्ष–

मा0 शाही जी, अब आप बैठिये ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, यह इतना गम्भीर मामला है, इसकी गम्भीरता को आप समझ नहीं रहे हैं । वहां 16 हजार के तेंदू पत्ता की खरीद की गयी जिसकी कीमत बाजार में 1 करोड़ 64 लाख रु0 थी लेकिन उसे डी0 एम0 सिंह ने 64 लाख रु0 में बेच दिया । इसी तरह से तेंदू पत्ता में भी उसने नाजायज तरीके से आमदनी की है कि 50 लाख रु0 की बन विभाग को रायल्टी देनी होगी, इसमें [xxx] की भी शय थी ।

श्री उपाध्यक्ष–

मा0 शाही जी, अब इसे खतम करिये ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, आप रोक देते हैं, अभी पूरी बात तो आयी ही नहीं है। तो मैं कह रहा था कि इस तरह से निगमों के द्वारा आदिम जातियों के क्षेत्र में जो रायल्टी दी गयी थी उसको इतनी आसानी से हड़पने के लिये तराई बीज निगम काम कर रहा है। इसी तरह की तीन एफ0आई0आर0 मिर्जापुर में भी दर्ज की गयी । व्यापक रूप में भ्रष्टाचार इस निगम ने किया है । इस पूरे प्रकरण की ग्राह्यता को देखते हुए, इसकी अविलम्बनीयता को देखते हुए, इसके लोक महत्व को देखते हुए, इसलिये इस पर रोक लगाये जाने के लिये मेरा आपसे अनुरोध है, आप इस पर चर्चा को स्वीकार करें क्योंकि इससे बड़ा महान मुद्दा आज सदन में है नहीं, इसलिये मैं इस पर चर्चा की मांग करता हूं ।

टिप्पणी:–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा)–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन में यह कहना चाहूंगी कि यह जो आपने इस समय बात उठायी है, यह अविलम्बनीय लोक महत्व की बात नहीं है । लेकिन मैं सम्मानित सदस्यों को जिन्होंने इस प्रश्न को उठाया है ,वे हैं सर्वश्री देवेन्द्र कुमार सिंह, कुंवर मानवेन्द्र सिंह, सूर्य प्रताप शाही व धनराज यादव, उनसे मैं यह कहना चाहूंगी कि आपने इस संबंध में जिन अनियमितताओं की बात कही है, इसके अन्दर भी आपके माध्यम से जो बिन्दु उठाये गये हैं और जिनको कि आप हमारे संज्ञान में लाये हैं, इसमें शीघ्रातिशीघ्र जांच कराते हुए, क्योंकि बहुत सारे बिन्दु आपने बतलाये हैं, मैं आपको आश्वासन देना चाहूंगी कि जो-जो दोषी व्यक्ति हैं, उनके प्रति सख्त से सख्त कदम उठाये जायेंगे । मैं इतना और निवेदन करना चाहती हूं कि मुझे हमारे माननीय सदस्यों का भी सहयोग अपेक्षित है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मैंने अपने कार्यस्थगन प्रस्ताव के साथ ही वहां के बाजार के रेट भी लगाये हैं क्योंकि उसने वहां लेजर से रेट की कापी फाड़ कर फेंक दी थी । मेरा निवेदन है कि क्योंकि यह इतना गम्भीर मामला है, घोटाले का मामला है, सारे कागजात मौजूद हैं, आप आज ही जिलाधिकारी को निर्देशित करें कि वह सारे कागजात प्रिजर्व करवायें अन्यथा उसकी धांधली करके और रेट्स में फर्क करके करोड़ों रुपयों को हड़प कर लिया जाएगा । इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि विषय की गम्भीरता को देखते हुये कि जनपद ललितपुर और मिर्जापुर में दोनों स्थानों पर इस प्रकार से चोरियां हो रही हैं, इसलिए इस पर चर्चा बहुत आवश्यक है ।

श्रीमती दीपा–

मान्यवर, मैं चाहूंगी कि जितने भी माननीय सदस्य हैं, अगर उनका सहयोग हमें मिलेगा तो कार्यवाही अवश्य होगी और जो इस वक्त उनके हाथ में इससे संबंधित पेपर्स हैं, वह हमें भिजवा दें और इस संबंध में यहां पर जो विचार-विमर्श हुआ है, उनके आधार पर ही सारी कार्यवाही आसानी से हो पायेगी ।

(एक साथ कई मा0 सदस्यों के खड़े होने से घोर व्यवधान)

श्री शारदा प्रताप–

मान्यवर, जब माननीय मंत्री जी ने सारे तथ्यों को स्वीकार करते हुए आरोपों को मान लिया है तो इस पर चर्चा स्वीकार ही होनी चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री अम्मार रिजवी–

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने सारे सदन के अन्दर विशेषतौर पर जिन सम्मानित सदस्यों ने इस विषय में कहा या प्रश्न उठाये, उन सभी से सहयोग का आग्रह मा0 मंत्री जी ने किया है और साथ ही साथ अपने कक्ष में आकर समझने को जो कहा है, फिर वह सारे आफर्स विथ्ड्रा किये जाते हैं

(हंसी)

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की नियत में समझता हूं कि ठीक नहीं है, यदि मा0 मंत्री जी ने कहीं कक्ष में बाहर से ताला लगा दिया, इसलिए वहां पर इनके कक्ष में जाना हम लोगों का उचित न होगा, जो सूचना मा0 मंत्री जी वहां देना चाहती हैं, वह यहीं पर दे दें (हंसी) ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मेरी सूचना का क्या हुआ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है ?

श्री उपाध्यक्ष–

नहीं आपकी सूचना अग्राह्य हो चुकी है, इसलिए उस पर कुछ भी सुनना सही नहीं है, कृपया अपना-अपना आसन ग्रहण करें ।

(एक साथ कई माननीय सदस्यों के खड़े होने और बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर यह मामला जो अभी कई माननीय सदस्यों ने उठाया है, इस पर चर्चा अवश्य होनी चाहिए, इसे आप कृपया स्वीकार कीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष–

ठीक है, इस पर मैं एक घंटे की चर्चा स्वीकार करता हूं ।

(एक साथ कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर घोर व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर मेरी सूचना का क्या होगा, उसे भी सुन लीजिए जो बहुत ही महत्व-पूर्ण है, मान्यवर सुन लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप अपना आसन ग्रहण करें ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, माननीय राज किशोर सिंह जी को सुन लीजिए इनका मामला अकबर हुसैन बाबर से सम्बन्धित है, जिन पर प्राणघातक हमला किया गया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है ।

श्री उपाध्यक्ष–

ठीक है, आप विराजें, मैं माननीय राज किशोर सिंह को सुन लूंगा क्योंकि इनका मामला एक विधायक से सम्बन्धित है ।

श्री राज किशोर सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष जी फैजाबाद जनपद के अंतर्गत अकबरपुर तहसील का चौराहा है, उस चौराहे से ही सटी हुयी दुकान पर माननीय सदस्य, श्री अकबर हुसैन बाबर गए हुए थे । मान्यवर यह घटना दिनांक 10-11-88 की दिन की है वहीं पर बदमाशों के गिरोह से भरी एक जीप आयी, जिससे सभी खतरनाक हथियारों से लैस थे, उतरते ही दनादन फायर शुरू कर दिए और कई बम फेंके । माननीय सदस्य ने वहां

पर रखे लकड़ी के एक बक्से की आड़ लेकर अपने को बचाने की कोशिश की और सौभाग्य से वे बाल-बाल बच गये । उसी समय 3-4 मिनट पहले से हमलावरों के आने से वहां के भूतपूर्व विधायक और वर्तमान सांसद तहसील में मौजूद थे, एस0 डी0 एम0 मौजूद थे, डी0 वाई0 एस0 पी0 मौजूद थे और पी0 ए0 सी0 की टुकड़ी वहां पर लगी हुई थी । उस समय इन लोगों ने, जो काली माई का मंदिर है वहां से जलूस से निकाल कर जीप से चल दिये हैं और रास्ते में हनुमान मंदिर पड़ता है, वहां पर इन लोगों ने बम रखा था, जिससे जब जलूस वहां से गुजरे तो बम फट जाये और हिन्दू और मुस्लिम झगड़ा शुरू हो जाये । वहां की पुलिस खामोश रही । वह लोग अदालत में हाजिर हुये और उनके खिलाफ एन0 एस0 ए0 लागू हुआ । छोटे पान्डे हैं, उनके खिलाफ एन0 एस0 ए0 लगा, उसकी मंजूरी के लिए शासन में मामला आया तो शासन ने उसको नामंजूर कर दिया और एन0 एस0 ए0 से छूट गये । बाकी लोगों के खिलाफ भी एन0 एस0 ए0 है और मुझे पूरी उम्मीद है कि शासन उनको भी छोड़ देगी । यह बहुत बड़ा गिरोह है । यह गिरोह शराब का धन्धा करता है । इनके पास इतनी सम्पत्ति हो गयी है कि पुलिस और अधिकारियों को खरीद लेते हैं । इसमें राजस्व के भी अधिकारी सम्मिलत रहते हैं और उनसे यह लोग हैसियत का प्रमाण पत्र बनवाते हैं और यह लोग सालवेन्सी का फर्जी प्रमाण पत्र बसदेव सिंह, कृष्णानंद राय, चन्द्र भान सिंह के नाम बनवा कर अकबरपुर और उसके आस पास के शराब के ठेकों को ले लेते हैं । यहां पर एक बी0 एन0 के0 जी0 कालेज है, उस कालेज के पास इस गिरोह ने अपना मकान बनवाया है । उस कालेज की 88 लड़कियों को उठा ले गये हैं और उनके साथ बलात्कार किया और इससे भयभीत होकर लड़कियां वहां से नाम कटाकर अन्यत्र चली गयीं और इस सम्बन्ध में वहीं की स्थानीय पुलिस कुछ नहीं करती है । वह उनसे मिली हुई है और कांग्रेस के लोग भी उनसे मिले हुए हैं । वह लोग अकबर हुसैन को मार डालना चाहते हैं, यह तो एक संयोग की बात थी कि वह बाल-बाल बच गये, वरना उसी दिन मार दिये जाते । यह लोग हिन्दू मुस्लिम दंगा कराना चाहते थे । यह बहुत ही गम्भीर मामला है, सुरक्षा का सवाल है, एक विधायक की सुरक्षा का सवाल है आप सदन की कार्यवाही को रोक कर इस पर चर्चा करा दें ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, 10-11-1988 को माननीय सदस्य अकबर हुसैन बाबर जो वहां के विधायक हैं, उन पर हमला हुआ । घातक हथियारों से लैस होकर हमला किया गया और संयोग से वह बच गये । मान्यवर, किस तरह से घटना घटी और उसका क्या कारण रहा और उस घटना में कौन-कौन लोग शामिल थे इन सारे तथ्यों की जानकारी हमें बाबर साहेब से ही मिल सकती है, वह यहां पर बैठे हैं । मैं चाहूंगा कि जिस तरह से घटना घटी है, उसको बाबर साहेब से सुन लें और उसी से सारे तथ्य सामने आ जायेंगे । उनकी सुरक्षा आज भी खतरे में है और जिस खूंखार गिरोह का जिक्र राज किशोर जी ने किया है, वह उनके पीछे पड़ा हुआ है और उन बदमाशों को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है । एक विधायक की सुरक्षा का सवाल है, इस पर आप चर्चा करा दें । अकबर हुसेन जी को भी आप सुन लें ।

श्री अकबर हुसैन बाबर–

मान्यवर, जैसा कि घटना के बारे में राज किशोर जी ने विस्तार से बताया, मैं इतना कहना चाहूंगा कि जिस गिरोह का जिक्र किया गया है उस पर दर्जनों मुकदमें चल रहे हैं । इस गिरोह का कोई भी सदस्य ऐसा नहीं है जिसका आपराधिक इतिहास न रहा हो । मान्यवर, चाहे रामलीला के जलूस का सवाल हो या और कोई मौका हो यहां हिन्दू मुस्लिम झगड़ा कभी नहीं हुआ । बारावफात के दिन हिन्दुओं ने मुसलमानों का जलूस निकालने में अगुवाई की और रामलीला खेलने में मुसलमानों ने हिन्दुओं की अगुवाई की । इसका मकसद यह था ताकि वहां पर साम्प्रदायिक दंगे हों । फैजाबाद जनपद में दंगे तो हो ही गये थे । मान्यवर, हमलावर आये वे जीपों पर बैठे हुये थे उन्होंने मेरे ऊपर हमला किया । दीपावली के दूसरे दिन काली जी का एक जलूस उसी मार्ग से आया जिस मार्ग पर मेरे ऊपर हमला हुआ था । उन्होंने वहां पर एक जीवित बम हनुमान जी के मंदिर में रख दिया ताकि जलूस आने के बाद और मेरे मरने के बाद यह कह दिया जाय कि बम फेंका गया था और यह समझा जाय कि वहां पर हिन्दु मुस्लिम दंगे हुये । मान्यवर, इस मौके पर तहसील में एस0 डी0 एम0, डी0 वाई0 एस0 पी0 बैठे हुये थे । पी0 ए0 सी0 भी वहां पर लगी हुयी थी । मान्यवर, जिस समय यह घटना हुई उसी बीच तीन-चार मिनट पहले वर्तमान सांसद और भूतपूर्व विधायक अपने स्टेनगन धारी अंग-रक्षकों के साथ आ गये थे, बाद में वे भी चले गये ।

श्रीमन्, इस घटना का जो मुख्य कारण है उसके बारे में मैंने पहले ही शासन को लिख दिया था और इस गिरोह की सूचना शासन को दे दी थी कि वहां पर डिग्री कालेज की छात्राओं को परेशान किया जा रहा है । 88 छात्राओं ने उस कालेज से अपना नाम कटवा दिया, वह पढ़ नहीं पा रही हैं । मेरा दुर्भाग्य यह है कि मैंने इस गिरोह के बारे में शासन को लिखा और शासन ने मेरी सारी लिखा-पढ़ी पुलिस को जो कि इस गिरोह के साथ मिली हुई है को दे दिया । इस घटना के अपराधियों पर एन0 एस0 ए0 लागू किया गया । वहां पर विधि विभाग के कोई सचिव हैं, जो थानों से पैसा लेते हैं, उनके बारे में शिकायत है कि वे पैसा लेने में तेज हैं । उनको एन0 एस0 ए0 लागू होने पर भी छोड़ दिया गया । वहां पर हजारों रुपये का शराब का धन्धा हो रहा है और इससे सभी पुलिस के अधिकारी हिस्सा पा रहे हैं । इस प्रकार मान्यवर, मैंने खुला व्योरा रख दिया है और यह छपने के बाद मेरे ऊपर दुबारा हमला होगा ।

श्री शारदा प्रताप–

माननीय उपाध्यक्ष जी, हम सब लोग जो यहां पर सदन में बैठे हैं ऐसी घटनाओं से चिन्तित हैं । इसके पूर्व दो घटनायें एक कानपुर में और दूसरी विपक्ष के विधायक श्री रणजीत सिंह की देवरिया में हुई । मान्यवर, 10-11-88 को अकबरपुर में जो बाबर साहब के साथ घटना हुई डिग्री कालेज की छात्राओं के साथ जिस तरह से व्यवहार हुआ जिससे वे कालेज से अपना नाम कटवा कर घर बैठ गई । दूसरी तरफ शराब का धंधा जोरों पर है उसमें सत्ता पक्ष के लोग इन्वाल्व हैं, नामजद रिपोर्ट लिखाई गई है, एन0 एस0 ए0 स्थानीय पुलिस ने लगाई और शासन स्तर पर एन0 एस0 ए0

बिदड़ा कर लिया गया । मान्यवर, इन्हीं सब बातों को लेकर बाबर साहब ने जो चिट्ठी लिखी वह सारे कागजात अपराधियों के पास पहुंच गये, यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है । आज बाबर साहब की जिन्दगी खतरे में है । इसलिए आप शासन को निर्देशित करें कि वह उनकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था करे और उस स्थानीय गिरोह के खिलाफ सख्त कार्यवाही हो । वहां के जो कोतवाल और सम्बन्धित पुलिस के अधिकारी हैं उनका अविलम्ब स्थानान्तरण किया जाय ।

*गृह मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी)–

मान्यवर, माननीय सदस्य के ऊपर एक हमला हुआ और उसके बाद ईश्वर की कृपा है कि उनको कोई चोट नहीं आई, खतरे से बच गये । यह हमारा फर्ज है कि जो भी वह अपनी सुरक्षा की आवश्यकता समझते हों, वह बतायें, उस पर अविलम्ब कार्यवाही की जायेगी । इसमें जो भी अभियुक्त हैं मैं कहना चाहती हूं कि 10 ता0 की यह घटना है 16 तारीख को यह सब लोग गिरफ्तार कर जेल भेज दिये गये । इसके अतिरिक्त समस्त अभियुक्तों के विरुद्ध एक्सप्लोसिव एक्ट के अंतर्गत जितने भी आरोप पत्र हैं न्यायालय में प्रस्तुत किये जा चुके हैं और अभियोग न्यायालय में विचाराधीन है वह चीज अलग है और यह चीज अलग है ।

आपने जो लड़कियों की बात कही उसकी भी जांच करायेंगे और अगर किसी प्रकार की चीज आती है तो उनकी सुरक्षा के लिए भी कार्यवाही करेंगे । एक बात मैं और कह दूं हमारे माननीय सदस्यों ने कुछ कहा गृह मंत्री को कुछ लाल पीले की संज्ञा दी गयी तो हो सकता है आज लाल पीला हो काला हरा नीला, या फिर सफेद पीला फिर शायद कुछ और हो । तो चाहे लाल पीला हो या काला नीला हो उससे नाम नहीं बदलता है, दल नहीं बदल सकता है, हमारे सिद्धांत नहीं बदल सकते हैं । हमने जो जनता को बचन दिये हैं, वह पूरे होंगे ।

श्री राम आसरे वर्मा–

माननीया मंत्री जी ने सही जवाब न देकर इस मामले की गम्भीरता को कम कर दिया । मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि माननीय सदस्य अकबर हुसैन बाबर को जो सुरक्षा खतरे में है क्योंकि उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि 10 तारीख को उन पर हमला हुआ । तो वह बता दें कि उनकी सुरक्षा के बारे में क्या-क्या प्रयास अब तक किये गये हैं ?

(व्यवधान)

श्री शारदा प्रताप–

सुरक्षा की क्या व्यवस्था की गयी ? 10 तारीख की यह घटना है कहा गया कि 14 या 16 तारीख को वह एरेस्ट कर लिए गये जब कि दो महीने बाद वह स्वयं कोर्ट में गये लेकिन पुलिस ने एरेस्ट नहीं किया । यह गलत इन्फारमेशन दे रही हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

एक स्पष्टीकरण चाहूंगा माननीय बाबर जी का स्पष्ट आरोप है कि कतिपय पुलिस के अधिकारियों की साजिश से यह हमला हुआ । उनकी किस्मत ठीक थी वह बच गये । तो जो आशंका है कि अमुक-अमुक अधिकारी उन्हें मरवाना चाहते हैं तो अगर वह वहां बने रहेंगे तो फिर सुरक्षा कैसे होगी । तो जिन अधिकारियों को बाबर जी ने आरोपित किया है अगर सरकार की नीयत साफ है तो उन अधिकारियों को वहां से तत्काल हटा देना चाहिए । इसका आश्वासन वह दें ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

मान्यवर, सरकार की नियत बिलकुल साफ है । माननीय सदस्य ने जो नाम बताये हैं जांच कर तुरन्त कार्यवाही करेंगे जो सही बात होगी उसमें बगैर विलम्ब के कार्यवाही शीघ्र से शीघ्र की जायेगी ।

श्री राम आसरे वर्मा–

उनकी सुरक्षा किस तरह कर रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष–

श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री गोपाल दास यादव, श्री दीप चन्द्र सोनकर जी का जो मसला है उसे वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रहा हूं ।

श्री गोपी नाथ वर्मा के मसले पर एक घंटे की चर्चा स्वीकार की जाती है ।

श्री देवेन्द्र कुमार सिंह, कुंवर मानवेन्द्र सिंह, श्री सूर्य प्रताप शाही और श्री धनराज यादव की सूचना पर एक घंटे की चर्चा स्वीकार की जाती है ।

श्री लक्ष्मी नारायण, श्री जगवीर सिंह, श्री कुशल पाल सिंह आदि की सूचना पर एक घंटे की चर्चा स्वीकार की जाती है ।

श्री विजय सिंह राणा–

हमारे मामले में क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष–

सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

श्री विजय सिंह राणा–

नहीं इससे काम नहीं चलेगा । (व्यवधान) इससे कोई राहत नहीं मिलेगी ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

इसमें वक्तव्य दिलवा दें क्योंकि 7 निर्दोष लोगों को जेल भेज दिया गया है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

ठीक है, वक्तव्य स्वीकार किया जाता है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री गया प्रसाद वर्मा–

डिभौली घाट, जमुना नदी, में नाव उलट गयी थी उसकी जांच करायें और राहत के सम्बन्ध में मंत्री जी बता दें ?

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, जिस समय प्रश्न आया था तो कहा था कि जांच करवायेंगे और दूसरी बात जो लाशें मिल गयी हैं उनका पोस्टमार्टम करायेंगे और जो लाशें आइडेण्टीफाई हो गयी हैं उनके आश्रितों को सहायता दी जायेगी ।

[समय–2.50]

वित्तीय वर्ष 1989–90 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा †

*श्री नेकचन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, कल माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने का आरम्भ किया था तो कहा गया था कि कल जारी रखेंगे, इसलिए आज उसी क्रम में मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश की सरकार ने जो ऐतिहासिक निर्णय लिया है ऐसे तबके के लिए जो असंगठित है, जो मौन रहकर खेतों में काम करता है, जो शोषित और पीड़ित है उनकी मजदूरी 18 रुपये करने का जो निर्णय लिया है उसके लिए मैं बधाई देता हूं । लेकिन दूसरी ओर कटौती का प्रस्ताव रखने वाले लोग जो बड़े किसानों और व्यापारियों को संरक्षण देते हैं उन्हें यह निर्णय अच्छा नहीं लगा ।

श्रीमन्, जहां एक ओर हमने उन खेतिहर मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने का प्रयास किया है वहीं दूसरी ओर हमारी सरकार ने इस वर्ष ढाई लाख हरिजन आवासों की व्यवस्था किया है । इससे निश्चित रूप से हमारी सरकार का लक्ष्य समाजवाद की ओर है जिसका नेतृत्व श्री नारायण दत्त तिवारी जी कर रहे हैं । हमारी सरकार ने उन लोगों को जो गरीब, दलित और शोषित हैं उनको छत देने का प्रयास किया है, उनको रोटी देने का प्रयास किया है जिनको आज बहुत ही इन चीजों की आवश्यकता है । यह समाजवादी और क्रांतिकारी कदम उठाकर हमारी सरकार आगे बढ़ रही है ।

मान्यवर, दूसरी ओर शिक्षा के क्षेत्र में जो निर्णय सरकार ने लिया है जहां एक ओर गांव के गरीबों के बच्चों को आठवीं कक्षा तक नि:शुल्क शिक्षा हासिल होगी वहीं दूसरी ओर जो भवनहीन विद्यालय हैं, जैसे कि मैंने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल पास किया है वहीं, आज यह गौरव हासिल है कि उत्तर प्रदेश का कोई भी प्राइमरी पाठशाला इस वर्ष भवनहीन नहीं रहेगा, इसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं । श्रीमन्, आज जो अन्य क्रान्तिकारी निर्णय हुए हैं, उनके बारे में बताना चाहता हूं । पिछले वर्ष से मैं कहना चाहता हूं, जिस जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान अलोकतान्त्रिक तरीके से प्रदेश की तमाम चुनी हुई संस्थाओं को भंग किया गया था, हमारी सरकार ने उन संस्थाओं

†दिनांक 21-2-89 की कार्यवाही से ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

को पुनर्जीवित किया है, वहीं दूसरी ओर लोकतान्त्रिक तरीके से उनके चुनाव करा-कर जनतन्त्र को मजबूती देने का प्रयास किया है। मैं इसके लिए अपनी सरकार को बधाई देता हूं। हमारे दल के महान नेता माननीय राजीव गांधी जी रोजाना बल दे रहे हैं पंचायतीराज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, पंचायतीराज व्यवस्था के माध्यम से जनतन्त्र को मजबूत करने के लिए, लोकतन्त्र को मजबूत करने के लिए और सबसे बड़ी ताकत इन्हीं संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधियों को देने की बात कह रहे हैं। उसके बारे में हमारी सरकार आज और भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रही है। उसके लिए मैं अपनी सरकार को कोटि-कोटि बधाई देता हूं।

मान्यवर, सबसे बड़ी ताकत हमारा जनतन्त्र है और हम इन जनतान्त्रिक तरीके से अपने देश को और आगे ले जाने में कामयाब हो रहे हैं किन्तु उसके विरुद्ध विरोध पक्ष में बैठे हुए लोग ढोंग करने का प्रयास करते हैं। इस निर्णय से यह साबित हो गया है कि हमारी सरकार का और हमारा जनतन्त्र में, समाजवाद में, और धर्मनिरपेक्षता में विश्वास है। हम अपने संविधान में दी हुई इन्हीं भावनाओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं।

हमारे जनपद में विगत समय में कानपुर में एक नए मंडल का सृजन किया गया है, उसके माध्यम से इटावा, फर्रुखाबाद और कानपुर को एक नई सुविधा प्राप्त हुई है। उससे एक ओर शासन का विकेन्द्रीकरण हुआ है और दूसरी ओर कानपुर देहात में एक नई तहसील का निर्माण किया गया है, जिसका नाम रसूलाबाद है। इसके सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि नई तहसील का तो सृजन किया गया है, जो एक अच्छी बात है, लेकिन उसमें जब तक ब्लाकों का संविलयन सुचारु रूप से नहीं होगा, जबतक वहां पर एक नये विकास खण्ड का भी सृजन नहीं होगा, इसका विशेष लाभ नहीं पहुंच पाएगा। जबतक शिवराजपुर, रसूलाबाद और तम्बौर ब्लाकों से कुछ हिस्सा काटकर एक नए ब्लाक का गठन नहीं किया जाता है, तब तक इसका हमें और वहां की जनता को सही लाभ नहीं प्राप्त हो सकेगा। अतः मैं अपनी जनप्रिय सरकार से निवेदन करता हूं और मांग करता हूं कि हमारे कानपुर देहात में एक नया विकास-खण्ड अवनहा का शीघ्र निर्माण किया जाए।

कानपुर देहात में पिछड़े जिले की सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन उनको खत्म करने की ओर भी तमाम ताकतें लगी हुई हैं। मैं अपने प्रदेश की लोकप्रिय सरकार से यह निवेदन करता हूं कि तमाम बड़े-बड़े प्रतिष्ठान जो गांव में जाकर लगे हैं, जिनके माध्यम से हमारी बेरोजगारी की समस्या हल हो रही है और हमारी आर्थिक उन्नति हो रही है, उस विकास के रथ को एक नवजात शिशु के रूप में पौष्टिक-आहार की बड़ी जरूरत है। उसके माध्यम से यह तेजी से आगे बढ़ेगा और बड़े जनपद की श्रेणी में पहुंचकर कानपुर देहात का नाम देश में आगे आएगा।

इस क्रान्तिकारी बजट के समर्थन के साथ-साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी हमारे प्रदेश में जो महाकुम्भ हुआ, जिसमें देश के कोने-कोने से और दुनियां भर के विभिन्न देशों से लोग एक बहुत बड़ी तादाद में आए, जो एक ऐतिहासिक मिलन था, उसमें अमावस्या के दिन डेढ़ लाख लोगों ने गंगा में स्नान किया था, परन्तु इतनी विशाल भीड़ के बावजूद वहां पर कोई भी दुर्घटना नहीं होने पाई। साथ ही वहां पर

कानून व्यवस्था, परिवहन व्यवस्था और खाद्य व्यवस्था को लेकर जो अच्छा कार्य हुआ उसके लिए सरकार सराहना और बधाई की पात्र है । महाकुम्भ के अवसर पर हमारी सरकार ने बहुत ही सुनियोजित और अच्छे ढंग से कार्य किया है । उसने दुनिया के कोने-कोने से आए लोगों, किसानों और विभिन्न धर्मावलम्बियों को काफी राहत पहुंचाई है और संगम स्नान में सुविधा प्रदान की है । इसके लिए मैं अपनी सरकार का स्वागत करता हूं और इस बजट का समर्थन करता हूं । जय हिन्द ।।

श्री राज किशोर सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है वह 11506.34 करोड़ रुपये का है कुल प्राप्तियां 9,635.03 करोड़ रुपये का है । इसमें उन्होंने घाटा दिखाया है 57.78 करोड़ का, उसमें 99.25 मिलाकर 157.03 हुआ । मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने कुछ घोषणायें की जिसके लिए हमारे सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य बहुत ढोल पीट रहे हैं । इन्होंने कहा कोई कर नहीं लगाया, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह टैक्स लगाते हैं जैसा कि पिछले वर्षों में भी देखा गया है । बसों का किराया बढ़ाया गया । मनोरंजन कर बढ़ाया गया और भी इसी तरह का जनता के ऊपर बोझ डालकर इन्होंने घाटे को पूरा किया है । इस साल भी यही कर रहे हैं इस साल भी लच्छेदार बातें कही गई हैं । बजट भाषण में इसलिए कर नहीं दिखाया गया है ताकि जो चुनाव होने वाले हैं, अगले चुनाव में कांग्रेस आई को वोट मिले, लेकिन यह उनकी गलत समझ है जनता खुद समझती है, यह लोग जिस तरह से जनता को धोखा देते आ रहे हैं और इस बजट के बाद भी यह यही करने वाले हैं । इन्होंने कहा कि कक्षा–8 तक की फीस माफ किए दे रहे हैं । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने कक्षा–5 तक भी फीस माफ नहीं किया है यह उनसे भी विकास शुल्क ले रहे हैं, दो रुपया विकास शुल्क लिया जाता है और यह माफी की बात कह रहे हैं । यह इनका [xxx] आश्वासन है इसमें कोई दम नहीं है । जहां दूसरी पार्टियों का राज्य है जैसे पश्चिम बंगाल है वहां कक्षा–5 के बच्चों को भोजन दिया जाता है । जो गरीब बच्चे हैं उनको वर्दी भी मंगाकर दी जाती है । यहां यह कहते हैं कि बालाहार देते हैं आप उत्तर प्रदेश में कितने जिलों में बालाहार दे रहे हैं अगर कहीं दे भी रहे हैं तो सड़ा-गला दे रहे हैं, जिसको खाने से कई बच्चे मर भी चुके हैं इस संबंध में पहले प्रश्न भी उठाया जा चुका है । विदेशों से जो सामान आता है और जो सड़ा-गला गोदामों में पड़ा रहता है उस सड़े-गले सामान को बच्चों को और धात्री को दिया जाता है । जहां विपक्ष की सरकार है पश्चिम बंगाल में । वहां कक्षा–12 तक शिक्षा माफ है। आप आजादी के 42–43 वर्ष के बाद भी माफ नहीं कर रहे हैं ।

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में 1 लाख 12 हजार 560 गांव हैं और आपकी प्राइमरी पाठशालायें हैं 69 हजार 865 गांव में हैं । प्राइमरी पाठशाला के लिए इन्होंने कोई एलान नहीं किया कि कोई नयी प्राइमरी पाठशाला खोली जायेगी । मान्यवर, जो पाठशालायें खोली भी गई हैं वह इतनी दूर हैं कि

नोट:–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

बच्चों को एक किलोमीटर से दो किलोमीटर तक जाना पड़ता है। जब प्रदेश के कुछ लोग इन बच्चों को पढ़ाने के लिए विद्यालय खोले जाने की मांग करते हैं और कहते हैं कि आप अनुदान दे दीजिए। मान्यवर, जब जूनियर हाई स्कूल, जिनको सहायता प्राप्त नहीं है उन्होंने यहां आकर प्रदर्शन किया कि हमको अनुदान की सूची पर ले लीजिये। शासन द्वारा जितने असहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल हैं, माध्यमिक विद्यालय हैं उन सबको अनुदान देने के बारे में इस बजट भाषण में मुख्य मंत्री जी ने कोई बात नहीं कही है। इसी तरह से छात्रों के लिये होस्टल बनाने की बात है जो नहीं बनाये गये हैं। लड़के पढ़ने जाते हैं उनके लिये रहने के स्थान न मिलने के कारण उनको परेशानी होती है। इस सरकार ने जो अनुसूचित जातियों के लिए छात्रवृत्तियां थीं उसमें कमी कर दी है तथा जो पिछड़ी जातियां और कमजोर जातियां थीं उनके कल्याण के लिये भी कोई बात इस बजट में नहीं कही गयी है। इसलिए यहां पर जो शिक्षा के मामले में कहा गया है कि हम उसके लिए बड़ा काम कर रहे हैं वह बहुत गलत बात है। अभी उत्तर प्रदेश में 1981 की जनगणना के अनुसार 27.2 प्रतिशत लोग ही शिक्षित हैं। हो सकता है कि इसमें थोड़ी सी बढ़ोत्तरी इधर हो गयी हो। हमारा प्रदेश देश में सभी प्रान्तों के नीचे पिछड़े सूची के ऊपर 5वें नम्बर पर आता है। नागर हवेली, अरुणांचल प्रदेश आदि को छोड़कर सबसे नीचे है और यहां पर सरकार कह रही है कि शिक्षा के लिए बड़ा इन्तजाम किया जा रहा है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में युवा रोजगार कार्यक्रम यानी शिक्षित बेरोजगार योजना और स्वत: रोजगार योजना की चर्चा की है। इसमें पता नहीं है कि कितने लोगों को रोजगार मिला है।

यह जो नयी योजनायें घोषित की गई हैं उससे पहले इस बात की घोषणा होनी चाहिए थी कि जो लोग आजकल बेरोजगार हैं और सड़कों पर उतर आये हैं उनको रोजगार दिया जायगा। विधान भवन के सामने तमाम बेरोजगारों का धरना चल रहा है। डाक्टर लोग अनशन कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि हमारे प्रदेश के जितने डाक्टरों ने दूसरे प्रदेश में जाकर डिग्री प्राप्त की है उन लोगों को काम नहीं दिया जायगा। यह बड़े खेद की बात है। अगर हमारे प्रदेश से कोई लड़का चला जाय और डाक्टरी की डिग्री लेकर आये तो उसको काम नहीं मिलेगा यह उचित नहीं है। इससे इंटर स्टेट झगड़े पैदा होंगे। हमारे प्रदेश में ग्रेजुएट इंजीनियर्स की संख्या 5 हजार है जो धरना दे रहे हैं। इसी तरह से 80 हजार डिप्लोमा होल्डर्स हैं जो अनशन कर रहे हैं। 3 हजार अंशकालिक अध्यापक भी धरना दे रहे हैं और 20 हजार तदर्थ शिक्षक हैं जो धरना दे रहे हैं। इसके अलावा प्रौढ़ शिक्षा के जो 600 पर्यवेक्षक हैं उनके लिये भी बहुत समस्या उत्पन्न हो गयी है कि कहां इनका समायोजन होगा। आप मान्यवर, देखें कि सिंचाई विभाग के कर्मचारी, जल निगम के कर्मचारी अपनी-अपनी मांगों को लेकर अनशन कर रहे हैं। सरकार ने इन कर्मचारियों के लिए समता कमेटी बनायी है जिसके बारे में आज तक रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की गयी है कि सरकार ने क्या तय किया है। अनेक विभागों में आज हड़ताल चल रही है। कचहरियों में भी हड़ताल शुरू हो

गयी है जो बहुत खतरनाक स्थिति का सूचक है कि आगे आने वाले दिनों में भयंकर हड़ताल हो सकती है और सरकार की सारी मशीनरी ठप हो सकती है । मान्यवर, इसके अतिरिक्त इसमें जो बातें कही गयीं मजदूरों की मजदूरी की, उसमें एक बात कह दिया कि हमने एक जनता साड़ी की मजदूरी 12 रु0 से 15 रु0 कर दिया है । श्रीमन्, हमारा जो मूल्य सूचकांक है, वह इतना बढ़ा है, महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गयी है इस दौर में कि 12 रु0 से 15 रु0 कोई माने नहीं रखता है और सबसे बड़ी बात यह थी कि पिछले वर्ष हमारे प्रदेश में बुनकरों का बड़ा जबरदस्त आन्दोलन हुआ, जिनको सूत नहीं मिला । मान्यवर, गोरखपुर में आन्दोलन हुआ और गोरखपुर के अगल-बगल के इलाके में हुआ, लेकिन इस सरकार ने सूत की व्यवस्था नहीं की और उन्होंने, जो पावर मिल के बड़े-बड़े मालिक थे, उनकी मदद किया । मान्यवर, बनारस जनपद के अन्दर इतना बड़ा कालीन का रोजगार होता है और हजारों हजार बुनकर वहां पर काम करते हैं, लेकिन उनकी मजदूरी का जब प्रश्न आया, तो हमारे श्रम मंत्री, जो मजदूरों के बीच में तय हुआ था, उसको उन्होंने काट कर दूसरा रेट बनाया ।

मान्यवर, कानपुर के अन्दर रेल का चक्का जाम हुआ । कानपुर के अन्दर टेक्सटाइल मजदूरों के लिए 60 रु0 अन्तरिम सहायता के लिए सरकार ने फैसला किया, लेकिन आज तक नहीं दिया और एक ऐसे गन्दे किस्म का एवार्ड दिया गया, जिससे मजदूरों के सारे अधिकार छीने जा रहे हैं। इस तरह से मजदूरों के लिए घड़ियाली आंसू बहा देने से काम नहीं चलता है। आपने अब तक मजदूरों के रहने के लिए कौन सी कालोनी बना दिया है ? मान्यवर, जो निगम के अन्दर मजदूर काम करते हैं, उनमें बहुत बड़ा भेद-भाव रखा गया है। उसमें जितने मस्टर रोल पर काम करने वाले कर्मचारी हैं, वे वर्कचार्ज पर काम कर रहे हैं और वे वर्षों से काम कर रहे हैं, लेकिन उनके विनियमितीकरण की कोई भी घोषणा बजट में नहीं की गयी है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह मजदूरों के साथ बहुत बड़ी हमदर्दी है, या उनके साथ शत्रुवत व्यवहार है ? मान्यवर, मजदूर ही हमारे देश की रीढ़ हैं। इनकी मजदूरी मुख्य मंत्री ने 18 रु0 कर दिया । मान्यवर, 20 सूत्री कार्यक्रम में लिखा है कि ठेके पर कोई काम नहीं होगा, लेकिन सारा काम ठेके पर एन0 आर0 ई0 पी0 और आर0 एल0 जी0 ई0 पी0 में ठेके पर होता है, चाहे इन्दिरा आवास योजना ही क्यों न बने, सारा काम ठेके पर होता है, तो फिर मान्यवर कहां से सही काम हो सकता है । आप फर्जी काम कहां पर कराते चले जा रहे हैं । वह 18 रु0 की मजदूरी कभी भी ठीक से नहीं मिल सकती है । उनको मजदूरी 11 रु0 मिलेगी और ठेकेदार ले जायगा और उसमें से कुछ इंजीनियर को देगा और कुछ अधिकारी खा जायेंगे और सड़कों पर मिट्टी छिड़क कर रह जायगा । (इस समय 3 बज कर 13 मिनट पर अधिष्ठाता श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए) इसलिए यह जो बात कही गयी है, इसके साथ-साथ वह भी कहना है कि इस ठेकेदारी प्रथा को बिलकुल समाप्त किया जायगा और इसके लिए कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायगी, ताकि कोई भी काम ठेके से न हो ।

मान्यवर, बजट भाषण में हरिजन कल्याण के बारे में चर्चा की गयी, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हरिजन कल्याण विभाग में तीन-तीन साल से विकलांगों के और विधवाओं के प्रार्थना-पत्र पड़े हुए हैं, कहते हैं कि पैसा नहीं है। क्यों नहीं इसमें एलान किया गया जैसे कक्षा 8 तक फीस माफ कर दिया और सबको काम देने जा रहे हैं, तो क्यों नहीं एलान किया कि ये जो 3-3 साल से विधवाओं और विकलांगों के प्रार्थना-पत्र पड़े हुए हैं, उनका निपटारा होगा। विधवाओं को पेंशन 60 रु0 मिलती है, वह कोई पेंशन है, यह कम से कम 100 रु0 होनी चाहिए। आज हरिजनों की हालत यह है कि हरिजन लोग सवर्णों के हाथ मारे जाते हैं, एफ0 आई0 आर0 होती है, लेकिन जो सरकारी नियम है, उसका भी आज पालन नहीं हो रहा है। वह भी नहीं पालन हो रहा है और जो मारे जाते हैं उनको 10 हजार फौरन दिया नहीं जाता है, बलात्कार की घटना में 5 हजार दें, मामूली चोट पर 2 हजार दें, यह भी नहीं है। वह कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है तो आप यहां सदन में एलान करें लेकिन वहां वह चीज न हो तो यह बहुत दुखद बात है। दूसरी बात है कि महिलाओं के बारे में बहुत आंसू मुख्य मंत्री जी ने बहाया है तो जैसे मुख्य मंत्री को महिलाओं के साथ बड़ा प्यार है, उनके साथ बहुत हमदर्दी है और इतना महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है कि शायद किसी जमाने में हुआ हो। जब दुशासन द्रौपदी की चीर ऐसे ऐसे खींचते चले जा रहे थे। आज न जाने कितनी द्रौपदी का चीर हरण हो रहा है। अरे आप लोग तो दुशासन स्वरूप बैठे हुए हैं, आप कृष्ण नहीं बनना चाहते हैं आप पूरे प्रदेश को दुशासन के हाथ में सौंपना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारी बहू बेटियों के साथ बलात्कार होता रहे। शर्म की बात है कि उत्तर प्रदेश के अन्दर इस तरह की घृणित घटनाएं हो रही हैं और हमारी बेटियों जो पढ़ने जाती हैं उनको उठा लिया जाता है और उनके साथ बलात्कार होता है क्यों नहीं इसको रोकने की कोशिश की जा रही है। दहेज के नाम पर हमारी बहुओं की हत्या की जा रही है लेकिन क्या कोई कड़ा कानून है।

(एक सदस्य द्वारा श्री देवी लाल का नाम लेने पर)

देवी लाल से हमसे क्या मतलब है, देवी लाल की बात करने चले हो। तो मान्यवर, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसकी कोई घोषणा मुख्य मंत्री ने नहीं की है और महिलाओं का नाम ले लिया जिससे यकीन हो जाय कि महिलाओं के बारे में कुछ घोषणा होगी।

मान्यवर, निर्बल आवास योजना का बड़ा ढोल पीटा जा रहा है। यह जो आवास बने हुए हैं यह साल भर से ज्यादा चलने वाले नहीं हैं। यह सब काम ठेकेदारी पर होता है। आवास चाहे हरिजनों के बन रहे हों या मुसहरों के बन रहे हों, अगर उनको बनवाना हो तो यह उन्हीं को सौंप दें और कम से कम 10,000 रुपये का एलान करके तो मैं बड़ा प्रसन्न होता। 10 हजार रुपये उनको दें कि आप देख-रेख करें आपके सरकारी कर्मचारी देख-रेख करें। मान्यवर, मैं झांसी गया था अनुसूचित जाति वाली कमेटी में तो हमने उनसे पूछा था कि 6 हजार रुपये में कैसे बन गया तो उन्होंने कहा कि 4 हजार रुपये अपने लगाये और अपना श्रम लगाया। तो यह मैं

सरकार से लागू कराना चाहता हूं कि इसकी घोषणा होनी चाहिए कि उनको पैसा दिया जायेगा और वह अपनी मेहनत लगा कर उसको तैयार करेंगे । एक मर्तबा मैं बता रहा हूं कि यह मकान तैयार भी होता है तो इसमें 3 हजार आर0 एल0 जी0 ई0 पी0 का है और एक हजार और किसी का है और 2 हजार रुपया लोन के रूप में दे रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता–

अब आपका एक मिनट बचा है ।

श्री राज किशोर सिंह–

मान्यवर, सिंचाई के मामले में इन्होंने राजकीय नलकूपों को लगाने की कोई बात नहीं की है । मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो पूर्वान्चल को इन्होंने नोएडा जैसा औद्योगिक क्षेत्र बनाने की बात कही है तो नाम तो ले लिया पूर्वान्चल का और सब काम चला गया पश्चिमांचल में । जो पूर्वी क्षेत्र पिछड़ा हुआ है उनके लिए अधिक से अधिक उद्योग लगाने की कोशिश होनी चाहिए । हमारे देहाती इलाकों में नदियां हैं उन नदियों पर पुलों का अभाव है। हमारे बनारस में वरूणा नदी पर पुल की जरूरत है और वहां नहीं बनाया जा रहा है तो मैं चाहता हूं कि सरकार धन दें और पुलों के निर्माण के लिए अधिक से अधिक धन दे । मत्स्य पालन और पशुपालन, इसमें क्या पालन हो रहा है किसी और का या सिर्फ अपना पालन हो रहा है और जो दिखाई पड़ा कि यहां के तमाम मंत्री लोग, देश जल रहा है, प्रदेश जल रहा है लोग भूखों मर रहे हैं लेकिन हमारे मंत्रीगण भत्ता बनाने में लगे हुए हैं । 3-3 लाख के करीब भत्ते हैं । मान्यवर, आपका (कृषि मंत्री का) भी 3 लाख नहीं होगा । यह खर्च कम कीजिए । यह प्रदेश के ऊपर बड़ा संकट आया है। मान्यवर, उद्योग धंधों की हालत खराब है, चौपट हो रहे हैं। हमारे प्रदेश के लगभग एक हजार कारखाने बन्द हैं और मजदूरों को बेकार बना दिया गया है । बनारस में हरी कटीलाइजर में अवैध तालाबन्दी हो गयी है । इसी तरह से मिल बन्दी, तालाबन्दी हो रही है और मजदूर बेकार होते जा रहे हैं और ट्रेड यूनियन के अधिकार समाप्त हो रहे हैं । असंगठित मजदूरों के लिए मुख्य मंत्री ने कुछ नहीं कहा। हजारों-हजार असंगठित मजदूर हैं, उनके लिए कोई कानून लागू नहीं किया गया है और वे बंधुवा मजदूरों की तरह से काम कर रहे हैं। चीनी मिलों के लिए बने वेज बोर्ड द्वारा किसी विसंगति को दूर करने का प्रयास नहीं किया गया है और भी उद्योगों में जो लोग लगे हुए हैं, उनके वेतनमानों में अंतर है, इसको दूर किये जाने की आवश्यकता है । कताई मिलों के मजदूरों के लिए कुछ नहीं कहा है । कताई मिल, स्टेट व कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल सब जगह अन्याय चल रहा है ।

श्री अधिष्ठाता–

आपका समय समाप्त हुआ ।

(चौधरी भगवती प्रसाद का नाम पुकारे जाने पर उन्होंने अपना भाषण आरम्भ कर दिया, किन्तु श्री राज किशोर सिंह भी बोलते रहे, जो कि सुनाई न पड़ने के कारण लिखा नहीं जा सका ।)

चौधरी भगवती प्रसाद–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि मौजूदा बजट की सामान्य चर्चा पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । मान्यवर सर्वप्रथम मैं मौजूदा बजट का हार्दिक स्वागत और समर्थन करता हूं । श्रीमन्, यह समर्थन मात्र औपचारिकता नहीं है, हकीकत पर आधारित है । मैं इस बजट का इसलिए समर्थन करता हूं कि यह बजट प्रस्तुत करने का सौभाग्य एक ऐसे व्यक्तित्व को मिला जिसको भारत की सर्वोच्च संसद में बजट प्रस्तुत करने का अवसर मिला था और देश के कोने-कोने से मजदूरों ने, हरिजनों ने शोषितों ने, छात्रों ने, किसानों ने, बल्कि सबने उन बजट की प्रशंसा की थी । इस सदन में भी उन्हीं श्री तिवारी द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया आज इस बजट की चर्चा भी पूरे प्रदेश के कोने-कोने में, ग्रामीण अंचल में, इंटीरियर इलाके में, हरिजनों की बस्तियों में, उन पिछड़े हुए इलाकों में, जहां पेयजल की समस्या बनी हुई है, सब जगह हो रही है और इस बजट की प्रशंसा की जा रही है । उनको ऐसा लगता है कि इस बजट से उनका सर्वांगीण विकास होगा । श्रीमन्, मैं इसके लिए मा0 मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं । मान्यवर, इस बजट में सबसे खास बात यह है कि इसमें समाजवाद का पुट है, और कांग्रेस के उसूलों के मुताबिक बजट है। इसलिए मैं मा0 मुख्य मंत्री जी का स्वागत और अभिनन्दन करता हूं। श्रीमन् मैं तिवारी जी के होशोखिरद, उनकी बुद्धिमत्ता और बजट की निपुणता की दाद देता हूं। श्रीमन्, निश्चित रूप से इस बजट के माध्यम से प्रगति की नई ऊंचाइयों का मार्ग प्रशस्त होगा। इस बजट के माध्यम से जो शोषित हैं, पीड़ित है विकास का ख्वाब भी मन में नहीं रखते हैं, वहां भी कल्याणकारी योगदान इस बजट के माध्यम से उन तक पहुंचाया जा सकेगा। श्रीमन्, मुख्य मंत्री जी ने कल पूर्वी उत्तर प्रदेश के औद्योगीकरण के लिए सिर्फ कहा नहीं है बल्कि उसके लिए 10 करोड़ का कोष भी स्थापित किया है। पूर्वी इलाकों के लोग उनसे आशान्वित हैं कि वहां का औद्योगीकरण होगा और उस क्षेत्र का विकास होगा। अभी दूसरे पक्ष के साथी कह रहे थे कि असंगठित मजदूरों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गयी। मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि असंगठित मजदूरों के लिए बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है केन्द्र सरकार की, इस सम्बन्ध में मा0 राजीव जी द्वारा एक आयोग की स्थापना की गयी है। उनके विकास के लिए जो कृषि स्नातक बेरोजगार लोग हैं, उनको कृषि रोजगार के माध्यम से लाभ पहुंचाया जायगा। इसके अलावा कृषि स्नातकों को विशेष रोजगार मुहैय्या कराने की बात मुख्य मंत्री जी ने की है। जो वैज्ञानिक हैं, कृषि स्नातक हैं, उनको लाभ पहुंचाने के लिए कृषि क्षेत्र का सर्वांगीण विकास किया जायगा। कुटीर ज्योति योजना के माध्यम से 2 लाख 16 हजार झोपड़ियों में रहने वालों को बिजली कनेक्शन प्रदान करने की बात है। ऐसे झोपड़ियों में बिजली कनेक्शन देने की बात है जहां के लोग दीपावली का त्योहार भी अंधकार में मानते रहे हैं। उनको यह सुविधा मुहैय्या कराकर माननीय मुख्य मंत्री जी ने निश्चय ही प्रशंसनीय काम किया है, प्रशंसनीय कदम उठाया है। मजदूरों की मजदूरी की दरों में वृद्धि करके, हथकरघा उद्योग में लगे मजदूर और एन0 आर0 ई0 पी0 आर0 एल0 जी0 पी0 योजनाओं में लगे मजदूरों को लाभ पहुंचाया है । हथकरघा

मजदूरों की मजदूरी 12 रु0 से बढ़ाकर 15 रु0 और एन0 आर0 ई0 पी0/आर0 एल0 जी0 पी0 के कामों में लगे मजदूरों की मजदूरी 13.50 रु0 से बढ़ाकर 18 रु0 करके एक प्रशंसनीय कदम उठाया है। इस तरह से मजदूरी बढ़ाकर रोजगार मुहैयया कराने की व्यवस्था की है। मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस बजट में एक ऐसी भी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो प्रदेश भर में रिक्शा चालक हैं जो खास तौर से तीर्थ स्थानों पर और खास तौर से जिला मुख्यालयों में स्टेशनों के बाहर खड़े रहते हैं, उन्हें विश्राम के लिए विश्रामालय होना चाहिए और गर्मियों के दिनों में उनको पीने का पानी मुहैय्या करने की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही उन विश्रामालयों में एक टेलीविजन सेट की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वे लोग भी देश प्रदेश में हो रही गतिविधियों और विकास को जान सके और देख सके और इस दिशा में आगे बढ़ सकें। इसी के साथ-साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि एक तरफ वित्त विहीन मान्यता आप विद्यालयों को दे रहे हैं और दूसरी तरफ अनौपचारिक शिक्षा प्रौढ़ शिक्षा पर करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं जहां इन संस्थाओं में वित्त विहीन मान्यता दे रहे हैं, वहां टाट कुर्सी बैठने और पढ़ने-पढ़ाने की सुविधा आदि है वहां आप वित्त विहीन मान्यता दे रहे हैं, मेरा सुझाव है कि वित्त विहीन मान्यता न देकर वित्त सहित मान्यता दें, ताकि वे विकास कर सकें। इसी के साथ-साथ यह कहना चाहता हूं कि जिन इलाकों में डिग्री कालेज नहीं खुले हैं, मिर्जापुर में हलिया-लालगंज के बीच में एक डिग्री कालेज की मांग बहुत दिनों से की जा रही जब तक उस पर अमल हो, तब तक के लिए इन्टरमीडियेट कालेज में साइंस की मान्यता दे ताकि कुछ लड़के आगे बढ़ सकें। हलिया विकास खण्ड में पंवारी इण्टर कालेज है जो इस सम्बन्ध में सारी औपचारिकता पूरी करता है। उस विद्यालय की साइंस की मान्यता दे देनी चाहिए। मिर्जापुर की सदर तहसील उद्योग विहीन है। चूंकि गैस लाइन सुल्तानपुर तक आ चुकी है इसलिए गैस पर आधारित भारी उद्योग हलिया और लालगंज के बीच में जो इलाका है वहां लगाया जाय ताकि आजादी के पहले से जो वहां के लोग उद्योग का ख्वाब देख रहे हैं, वह पूरा हो सके, वहां उद्योग लग सके। श्रीमन मिर्जापुर-रीवां रोड नेशनल हाइवे है। वहां लालगंज में रोडवेज का प्रतीक्षालय नहीं है नेशनल हाईवे से होकर जाने वाले लोगों के लिए, लालगंज में प्रतीक्षालय की व्यवस्था होनी चाहिए। इसकी वहां काफी मांग है हमारा इलाका ऐसा है छियानवे विधान सभा का कि छियानवे विकास खण्ड हो, लालगंज विकास खण्ड हो हलिया विकास खण्ड हो, वहां टेंकरों के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। वहां पेयजल का कार्य तेजी के साथ नहीं चल रहा है। श्रीमन् का निकट भविष्य में वहां पेयजल की और भीषण समस्या होगी मैं चाहूंगा कि भारी संख्या में वहां पर हैंड पम्प लगावे जायं ताकि आने वाली चुनौतियों का सामना किया जा सके। हलिया विकास खण्ड में जंगली इलाका है वहां पशुओं के चारे की कोई व्यवस्था नहीं है। मेरा सुझाव है कि शासन की नीति के मुताबिक मैं आपके माध्यम से शासन से कहना चाहूंगा कि वहां जो पुराना जंगल है उसे पशुओं के चारे के लिए खोल दिया जाय ताकि पशु वहां जाकर घास आदि खा सकें। इससे उस पुराने जंगल की क्षति नहीं होगी। मान्यवर दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि छियानवे विधान सभा क्षेत्र में कार्यरत लिफ्ट योजनाओं में अपेक्षित सुधार

नहीं हो रहा है । हमारे यहां झीगुरा हवाई पट्टी है वह क्षतिग्रस्त है मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो सिविल इवीयेशन विभाग है वह उसको गंभीरता से देखें। उस हवाई पट्टी का जीर्णोद्धार शासन से कराने की व्यवस्था करायें ताकि उसका उपयोग हो सके । मान्यवर, परसों माननीय नेता विरोधी दल बोल रहे थे कि इंजीनियरिंग कालेज न खोले जायें बेरोजगारी बढ़ रही है । मान्यवर पढ़ाई करना और नौकरी करना दो अलग-अलग बातें है । इंजीनियरिंग पढ़कर नौकरी में आये यह जरूरी नहीं है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए विद्यालय या विश्वविद्यालय खोले जाते है । नेता विरोधी दल के मुख से यह बात अच्छी नहीं लगी उनके इस वक्तव्य की सम्प्रति आलोचना हो रही है । यह बात उनके बौद्धिक दिवालियापन का द्योतक है । यह बात केवल बाहर सुनने वाले लोग ही नहीं बल्कि विश्वविद्यालय के लोग भी जब इसको सुनेंगे, तो क्या कहेंगे ? मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक शेर कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा :—

"चांदनी रात बड़ी नागवार लगती है,
रात की रानी की खुशबू अंगार लगती है,
मांग और पूर्ति का संयोग बनाने वाले,
पानी और प्यास का संयोग बनाने वाले,
प्यास बुझती है, मगर बार-बार लगती है ।"

इसी के साथ, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और माननीय नेता विरोधी दल द्वारा रखे विरोध प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं । श्रीमन् यह बजट इस आदरणीय सदन का आखिरी बजट है और इसके बाद यह लोग इधर ही बैठेंगे । इस चुनाव के बाद इन्हें उधर बैठने का मौका नहीं मिलेगा, इसके लिए 8-9 महीने सब्र इन लोगों को करना होगा । श्रीमन्, मेरी अपेक्षा थी कि यह बजट चुनावी होगा । माननीय नारायण दत्त तिवारी जी मुख्य मंत्री हैं, यह वित्त मंत्री भी हैं, बड़े ही विज्ञ पुरूष हैं, जानकार हैं, एक्सपर्ट भी हैं, वह कुछ अच्छी चीज कर तो सकते नहीं थे, क्योंकि उनके हाथ बधे हुए हैं, लेकिन कह तो सकते ही थे, ऐसी मुझे अपेक्षा थी । लेकिन इस बजट भाषण को पढ़कर, सुनकर मुझे बड़ी निराशा हुयी । उन्होंने इस प्रदेश को कुछ भी नहीं दिया, इसमें उनकी मजबूरी हो सकती है, इनकी सरकार की मजबूरी हो सकती है लेकिन हम और इस प्रदेश की जनता इस मजबूर सरकर को बर्दाश्त करने के लिए अब बिल्कुल तैयार नहीं है । जो सरकार बेरोजगारों को रोजगार की गारन्टी न दे सकें, जो सरकार कृषि उत्पादों के किसानों को सही मूल्य न दिला सके, जो सरकार श्रम का उचित मूल्य न दिला सके, उस सरकार को एक मिनट भी रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए । माननीय मुख्य मंत्री जी ने क्या दिया, उन्होंने कक्षा 8 तक फीस माफ कर दी, यह कोई नयी बात नहीं है । ऐसी बहुत सी सरकारें हैं, जहां 12 वीं कक्षा तक फीस माफ है, लड़कों को आने जाने के लिए बसों का फ्री पास है, दोपहर का भोजन मिलता है । कक्षा 8 तक फीस माफ कर देना कोई बड़ी बात नहीं है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, तामिलनाडु के चुनाव में माननीय प्रधान मंत्री जी गये थे और उन्होंने एम0 जी0 आर0 की सरकार और जनता दल की सरकार की जनता धोती के लिए सुपर फ्लुअस एक्सपेंडीचर बनाये जाने की वजह से खुलकर आलोचना की थी और बाद में इसी बात के लिए प्रधान मंत्री जी ने स्वतः 23 सौ करोड़ रुपया फाइनेन्स से देने की बात कही । मान्यवर, आप स्वंय देखें कि जब हमने यह किया, तो उसे गलत कहा और जब जनता ने थपेड़ा मारा, तो सरकार ने उसे स्वीकार किया और उसी बात को आप कर रहे हैं । मैं अधिष्ठाता महोदय, कहना चाहूंगा कि किसानों के लिए इस सरकार ने कुछ भी नहीं दिया । यह बजट 157 करोड़ के घाटे का बजट है, यह घाटा कहां से पूरा करेंगें, टैक्स किस पर लगायेंगें, कहां से वसूली करेंगें । बिरला से तो वसूली यह कर नहीं सकते, जिस पर विद्युत परिषद् का अरबों पैसा पड़ा हुआ है, तमाम पैसा सेठों की तिजोरियों में बन्द है, आपके अन्दर इतनी ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है कि आप उस पैसे को निकालकर किसी अच्छे काम में खर्च करें। छः हजार के मकान बनाने की बात आयी, 6 हजार का मकान कैसा बनता है, यह आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ऐसा मकान 1 साल के बाद टिक नहीं सकता । दूसरी बात यह कि आप 4 हजार उसे दे रहे हैं, और 2 हजार उससे ले रहे हैं और पैसा जा रहा है खण्ड विकास अधिकारी के पास । जो पैसा आप उसे दे रहे हैं, उसमें से 25 परसेन्ट तो कमीशन में चला गया । आज श्रीमन् स्थिति इतनी भयावह हो गयी है, ऐसी स्थिति मैंने कभी देखी नहीं । मैंने बार-बार कहा है और आज भी कह रहा हूं कि जो मार्जिनल किसान हैं, छोटे किसान हैं, उनको जो पैसा आप देते हैं, उसमें से 10 से 20 परसेन्ट पैसा कमीशन में खाया जा रहा है, इस पर इस सरकार की कोई बंदिश नहीं है, कोई अंकुश नहीं है । हमारे जैसे लोग भी जब किसी को सिफारिश करके भेजते हैं, तो भी बाबू कहता है कि ठीक है 10 फीसदी लेंगें, वैसे 15-20 परसेन्ट से तो कम लेते ही नहीं हैं । जो पैसा दिया जा रहा है, वह कहां जा रहा है ? इसे आप क्या देख रहे हैं । प्रधान मंत्री जी ने शायद यह कहा था कि जो 6 रुपए हम देते हैं, उसमें से 5 रुपए बिचौलिए खा जाते हैं । आपकी सरकार इसे स्वीकार करती है। आपको शर्म आनी चाहिये। जो यह 5 रुपए खा रहे हैं उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं । इसमें आपकी सरकार/अधिकारी आपके संगठन भागीदार हैं । आज इन पर क्यों नियंत्रण नहीं किया जा रहा है । जो पैसा दिया जा रहा है। आप उसकी गारन्टी दें। हम कटौती नहीं करेंगें बल्कि और जोड़ने के लिए कहेंगे ।

आज बेरोजगारों की फौज बढ़ती जा रही है । अभी श्री अकबर भाई ने बताया कि एक कोई बी0 डी0 शर्मा हैं। 3-3 बार एक्सटेन्सन दिया जा चुका है। अभी एक मजदूर की हत्या करवा चुके हैं। इससे पूर्व भी वह एक दर्जन से अधिक मजदूरों की हत्या करवा चुके हैं । कारखाना बन्द पड़ा हुआ है । मजदूरों की जायज मांगों को नहीं माना जा रहा है । माननीय मंत्री जी आपको तो इस कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है । 1982 में चीनी मिलों के लिए एक शासनादेश हुआ था कि जो रिटायर्ड श्रमिक हैं उनके वारिसों को उनकी योग्यता के अनुसार भर्ती किया जायेगा ।

सरकार ने कहा भी था कि भर्ती किया जा रहा है, किन्तु कोई भर्ती नहीं की जा रही है । आपका जी0 एम0 शासनादेशों की सीधे-सीधे उल्लंघन करता है और उसके खिलाफ वह कोर्ट में जाता है । ऐसे अधिकारियों को सैक कर देना चाहिए ।

शिक्षा की बात कही गई है । मैं कहना चाहता हूं कि 1980 से आज तक कोई भी प्राइमरी स्कूल नहीं खुला है । बी0 टी0 सी0 ट्रेन्ड अध्यापक पड़े हुए हैं । जिन पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च हुआ है। 2 हजार से अधिक डिप्लोमा लिए हुए बालक एग्रीकल्चर के क्षेत्र में घूम रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है । आज पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है । नगरपालिका गोरखपुर का प्रशासक कोटिया ने सरकारी खजाने से 50 लाख रुपए राजस्थान के बैंक में जमा करा दिये । आर0 बी0 आई0 के क्या इन्सट्रक्सन हैं ? यह इसलिए किया गया कि उनसे कहा गया कि यदि आप 50 लाख रुपए हमारे यहां जमा करा देंगे तो हम आपके दो रिश्तेदारों को मैनेजर बना देंगे । 70 मीटर सड़क बनाई गई और 8 लाख रुपए खर्च किया गया । आपने इसकी जांच की । क्या आपने उस अधिकारी को हटाया । आज भी वह वहीं पर है । राममढ़ परियोजना में जो प्लेनेट बन रहा है, उसके लिए दिल्ली की एक फर्म को 40 लाख रुपए का एडवान्स में पेमेन्ट कर दिया गया । वह फर्म है ही नहीं और न ही सामान आया और न आज तक काम ही शुरु हुआ। इस प्रकार के कारनामें आपके कोटिया के हैं। उनको हटाने की जांच कराने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। हम क्यों पैसा दें, जो हमारे पसीने की कमाई है, जो 13 करोड़ जनता की मेहनत मशक्कत की कमाई है, उसके दुर्विनियोग पर अंकुश लगाने की सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है ।

जहां तक शान्ति व्यवस्था की बात है। चुनाव की बात कही। चुनाव हुए, लेकिन आपकी कृपा से नहीं हुए । यह हाईकोर्ट का फैसला था कि चुनाव कराये । चुनाव में जो नंगा नाच हुआ अपराधियों का और अधिकारियों का, अपराधियों और अधिकारियों की मिलीभगत से चुनाव कराये गये । निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए हैं वरना गोरखपुर नगरमहापालिका में आपने कहा कि 60 आदमियों में से 4 आदमी जीते । जब 4 आदमी जीतेंगे तो महापौर कैसे हो जायेगा । इससे साफ जाहिर है कि पैसे पर खरीदा गया हमारे ईमान को ।

यह जो बजट है निराशाजनक है, निरर्थक है । माननीय मुख्य मंत्री जी की कोई नीति नहीं है, [xxx] इस सरकार को रहने का अधिकार नहीं है। आपने जो अवसर दिया बोलने के लिए उसके लिए धन्यवाद । जयहिन्द ।

डाक्टर रजनीकान्त दत्त–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आर्थिक कार्यक्रमों का जब भी निष्पादन होता है तो उसके कुछ डायरेक्टिव प्रिन्सीपिल्स होते हैं, निर्देश बिन्दु होते हैं । जब तक निर्देश बिन्दुओं की विवेचनात्मक व्याख्या न कर ली जाय कोई भी आय-व्ययक के लेखे-

टिप्पणी–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

जोखे की चर्चा एक लफ्फाजी के सिवाय कुछ नहीं हो सकती । मैं बताना चाहूंगा उन्हीं निर्देश बिन्दुओं के सम्बन्ध में । वर्ष 87-88 में कृषि उत्पादन में 1.2 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई, जब कि शताब्दी का सबसे भयंकर सूखा पड़ा था । ऐसी ही स्थिति 79-80 में थी, लेकिन उस वक्त कृषि का उत्पादन 4.7 प्रतिशत कम हुआ जब कि उस समय जो सूखा पड़ा था वह इस समय के सूखे से कहीं कम था । औद्योगिक उत्पादन जो दूसरा निर्देश बिन्दु है, 70-71 को आधार वर्ष मानें तो औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक जो 86-87 में 347.1 प्रतिशत था वर्ष 87-88 में 373.8 प्रतिशत हो गया अर्थात् 26.7 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई । मंहगाई में 87-88 में 9.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई जब कि 79-80 में 21 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी । ताप एवं पन बिजली उत्पादन में 7.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई । प्लाण्ट लोड फैक्टर 47.8 प्रतिशत था, कहीं-कहीं वह 90.7 प्रतिशत तक पहुंच गया है, जो स्वयं में एक कीर्तिमान है । अर्थ व्यवस्था में जो करिश्मा हुआ उसका कारण था आर्थिक नियोजन ने अदभुत लचीलापन और सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता और एक संवेदनशील प्रशासन । इसके नतीजे सामने आने थे । आज प्रदेश के विकास की दर 12.5 प्रतिशत है । राजकीय आय में 2.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । 70-71 में प्रति व्यक्ति आय 7.3 प्रतिशत थी, आज 21.9 प्रतिशत थी, कहां तक गिनायें आलू हो, चाहे गन्ना हो चाहे कच्चा सूत हो, चाहे सीमेंट हो, सबकी उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई है । कल मान्यवर, विरोधी पक्ष से यह कहा जा रहा था कि परिवार कल्याण मंत्रालय के अन्तर्गत जो परिवार नियोजन का कार्यक्रम चल रहा है, उससे जो उपलब्धियां होनी चाहिए थीं, वह उपलब्धियां नहीं हुई एक्सप्लोजन आफ पापुलेशन पर नियंत्रण इसलिए नहीं हो सका। वह यह भले ही कहें परन्तु हमने गर्भवती स्त्रियों के लिए बहुत अच्छा प्रबन्ध किया है । आज कोई भी गर्भवती स्त्री ऐसी नहीं होगी कि जिसे टिटनेस टाक्साइड का इंजेक्शन न लगा हो । आज गर्भवती स्त्रियों को पौष्टिक आहार देने की व्यवस्था है जिससे कि जो अब बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनमें व्याधियों से लड़ने की अवरोधात्मक शक्ति है। इससे नवजात शिशुओं की मृत्यु दर में कमी आयी है। नसबन्दी हो रही है। जो लोग फर्जी नसबन्दी की बात करते हैं मैं कहता हूं कि वे स्वयं सक्षम हैं, वे ऐसे केसेज के बारे में जानकारी दें, वे जानकारी नहीं देते हैं, वे जानकारी दें ताकि जिससे कि परिवार कल्याण योजना को नुकसान पहुंच रहा है या जिनके जरिये से नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जा सके । जिन लोगों को ग्रीन कार्ड ईश्यू किये गये हैं उनके लिए यह कम्पलसरी कर दिया जाय कि एक ग्रीन कार्ड धारक को कम से कम एक ऐसे नसबन्दी के केस को देना होगा ।

इसी तरह की और भी बहुत सी बातें सामने आयीं। मैं इस संबंध में आपको बताना चाहूंगा यह बजट जो मा0 नारायण दत्त तिवारी जी ने प्रस्तुत किया है इसका 80 प्रतिशत गांव के गरीब किसानों, मजदूरों, समाज के निर्बल और कमजोर वर्ग के लोगों, स्त्रियों, लघु उद्योग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिये है । अगर कोई यह कहता है कि ऐसा नहीं है, तो मैं सोचता हूं कि वह बहुत बड़े भ्रम में है ।

मान्यवर, इसके सन्दर्भ में, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में खोनवा बाजार एक जगह है जहां पर लकड़ियों के खिलौने के कारीगर हैं । वर्षों पहले आज उन्हें 5 हजार रुपये लोन के रूप में दिये गये थे। उसके बाद वनों का राष्ट्रीयकरण हुआ, उनको लड़ीकियां मिली नहीं। आज वह 5 हजार रुपये का लोन बढ़ करके 15 या 16 हजार रुपये हो गया है। यह लोन आखिरकार कारीगरों को सहायता देने के लिए दिया गया था जो कि आज बढ़ करके उनकी चिन्ता का कारण बन गया है। मेरा कहना है कि भले ही आप उनको सब्सीडी न दीजिए लेकिन उनसे ब्याज या चक्र-वृद्धि ब्याज तो न वसूल कीजिए । ब्याज न लेने के विषय में सरकार को कोई न कोई कदम अवश्य ही उठाना चाहिये ।

मान्यवर, इसी तरह से हस्त शिल्प कला कुटीर गृह उद्योग में जो कच्चा माल इस्तेमाल में आता है, मेरा सदन के माध्यम से निवेदन है, उसे किसी भी प्रकार से शुल्क से मुक्त किया जाय और उसका मारकेटिंग विपणन के लिए, कोई प्राविजन करना चाहिए ।

इसके अतिरिक्त हमारे यहां जय नारायण नामक एक स्कूल है। जब वाराणसी की आबादी 2.5 लाख थी तब वहां जितने स्कूल थे और आज जब वहां की आबादी 12.5 लाख की है तब भी वहां एक स्कूल नया नहीं खोला गया । सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि सन् 1814 का स्कूल जो है, आज उसको भी खत्म करने की चेष्टा की जा रही है । जय नारायण इण्टरमीडिएट कालेज को एक साजिश के तहत खत्म करके उसे आज बेचने जा रहे थे, जिसका हम लोगों ने विरोध किया और उसको सुरक्षित किया । इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहूंगा कि आप कृपया सरकार को संरक्षण दें, ताकि इस प्रकार की कोई गड़बड़ियां भविष्य में न हों वैसे कहना तो बहुत कुछ था और बहुत ही मजबूती के साथ मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस जैसा बजट शायद ही पहले कभी आया हो, और इस प्रकार माननीय नारायण दत्त तिवारी जी के रहते हुए आज 80 फीसदी प्रदेश की जनता, जो देहाती क्षेत्रों में रहने वाली है, की आकांक्षाएं कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई हैं, उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति होगी, जो अन्य किसी भी माध्यम से पूरी नहीं होगी, इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं ।

*श्री देव कुमार यादव–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने सामान्य बजट में चर्चा के लिए मौका दिया। अभी माननीय ओझा जी कह रहे थे कि यह बजट चुनाव के पहले का बजट है और हम लोगों ने माननीय नारायण दत्त तिवारी जी से बहुत सी अपेक्षाएं कर रखी थीं और हमारी स्वयं की ही कुछ ऐसी धारणा थी और हम लोग यह महसूस कर रहे थे कि माननीय तिवारी जी इस बजट के माध्यम से प्रदेश के विकास के लिए और कानून और व्यवस्था की महत्वपूर्ण जो समस्याएं हैं, उनके समाधान के लिए निश्चित रूप से कुछ कारगर घोषणायें करेंगे । मान्यवर, इस वक्त प्रदेश में, जन-मानस में लगभग 4-5 वर्षों से लगातार अस्थिरता और तनाव का वातावरण पैदा हुआ

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है, उसकी जड़ें, आपके माध्यम से, शासन से, इस सदन के समक्ष निवेदन करना चाहता हूं कि इतनी गहरी हो गयी हैं । बाबरी मस्जिद और राम जन्म भूमि का मसला प्रदेश के हर घर के चूल्हे की दीवारों तक पहुंच गयीं हैं, और ऐसी ताकतें, जो साम्राज्य-वादियों के इशारे पर, वह ताकतें जो सीमाओं में हमारी मुल्क की सेना से पराजित हो गयीं थीं और वह ताकतें जो बहुत ही शर्मनाक हो गयी थीं, इस प्रदेश को तोड़ना चाहती हैं और आज 460 वर्षों के बाद फिर साम्राज्य वादियों के इशारे पर बाबरी मस्जिद और राम जन्म भूमि का मसला उठाकर हमारे दिलों की कीलों को हिला कर रख दिया है । इसलिए मैं आपके माध्यम से प्रदेश की सरकार से और केन्द्रीय सरकार से कहना चाहता हूं कि हमारी लोकतंत्रता, अखण्डता और आजादी के हक में नुकसान पहुंचाने का नजरिया रखते हैं, इन मसलों को ध्यान में रखते हुए, इस मसले के हल के लिए जल्द से जल्द कोई कारगर कदम उठाकर इस बात का सबूत देना चाहिए कि हम किसी की क्रीड़ाओं में आने वाले नहीं हैं क्योंकि आज क्रीड़ाओं का ही दौर है और हर जगह इन्हीं का विकास हो रहा है और ऐसी ताकतें इनके द्वारा न केवल कांग्रेस पार्टी को आपके शासन को तोड़ डालेंगी। बल्कि देश को ही तोड़ डालेंगी। इसके समाधान के लिए मैं आपसे भी और केन्द्रीय सरकार से भी कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द सुझाव का कोई रास्ता निकालना चाहिए । क्योंकि यदि देश रहेगा तो सब कुछ रहेगा, देश रहेगा तो लोकतंत्र, अखण्डता और आजादी सब कुछ रहेगी, ऐसी सूरत में फिर हम रोटी-रोजी की लड़ाई, विकास की व कानून-व्यवस्था की लड़ाई लड़ सकेंगे, लेकिन यदि देश ही टूट गया तो न इधर के बैठने वाले रहेंगे और न उधर के बैठने वाले रहेंगे, तब इस देश का बड़ा ही अनर्थ होगा । लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि न बजट भाषण में और न राज्यपाल के अभिभाषण में साहस का परिचय दिया गया है, लेकिन समय के रहते यह होना चाहिए ।

दूसरी अपेक्षा यह थी कि बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या के लिए कोई ऐसी घोषणा की जायेगी, जिससे जो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि आजादी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो आज नवजवान कहता है कि रोजगार हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है । हमारे संविधान में भी समाजवादी समाज की बात कही गयी है । तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान कहा था और समाज-वादी समाज की घोषणा की थी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि केवल घोषणा से ही कुछ नहीं हो जायेगा, अगर आप उसके लिए कुछ ठोस कदम नहीं उठायेंगे । तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपको ईमानदारी से समाजवाद लाना है तो समाजवाद का पहला लक्षण है कि काम के अधिकार को मौलिक अधिकारों में जोड़ा जाये। सोवियत रूस में 1917 में सामाजिक क्रान्ति हुई थी और 1930 में बेरोजगारी को समाप्त कर दिया और जो आखिरी दफ्तर था उसको बन्द कर दिया गया । उन्होंने मौलिक अधिकारों में काम के अधिकार को जोड़ा था । अब वहां पर बेरोजगारी का कोई प्रश्न नहीं रह गया है ।

आप दूर की बात को छोड़ दें, यहीं विधान सभा की बात को ले लें । विधान सभा से निकलने पर आप देखेंगे कि विभिन्न सेवाओं के लोग अपनी-अपनी समस्याओं

को लेकर धरना दिये हैं। शिक्षित अध्यापक महिलायें धरने पर बैठी हैं, बेरोजगार इंजीनियर अनशन पर बैठे हैं । तदर्थ शिक्षक आमरण अनशन पर हैं और इस बारे में सी0 आई0 डी0 भी आपको रिपोर्ट नहीं देती है कि वह धरना देते हैं । माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि 50 लाख शिक्षित बेरोजगार प्रदेश में हैं और उनके लिए आपने एक पैसे की भी घोषणा नहीं की है । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी जब बजट भाषण का जवाब दें, तो इन बातों का जवाब अवश्य दें और इस संबंध में कोई न कोई घोषणा अवश्य होनी चाहिए । मान्यवर, मैंने उस दिन भी कहा था कि इस बजट भाषण में कुछ अंचलों के विकास की समस्याओं के बारे में चर्चा है, लेकिन बुन्देलखण्ड जिसको राजा साहेब के जमाने में डाकू प्रभावी क्षेत्र घोषित किया गया था, इस पर जब मैंने उनसे कहा कि पुलिस जिसको चाहेगी उसको दफा 16 और दफा 392 में बन्द कर देगी और उनकी 9 महीने तक अदालत में कोई सुनवाई न होगी, तो उन्होंने कहा था कि इसके लिए विश्व बैंक से योजना आयी है, इसलिए ऐसा किया गया है ।

(लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, मैं पार्टी का नेता हूं और उसी हिसाब से मुझको समय मिलना चाहिए । इलेक्शन कमीशन ने हमारी पार्टी को मान्यता दी है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप यहां पर एक स्वतंत्र विधायक की तरह से हैं । अब आप अपनी बात को समाप्त करें ।

श्री देव कुमार यादव–

तो मान्यवर, मैं कह रहा था कि पुलिस का उत्पीड़न बढ़ रहा है । वहां पर क्या हो रहा है ? बांदा जनपद में और बुन्देलखण्ड में 80 लाख जनता आज एक-एक बूंद पानी के लिए तरस रही है । बुन्देलखण्ड की जनता ने एक नारा दिया है–

न खेत को पानी और न पेट को पानी ।

बिना सींच के खेती बारी, हम न देंगे मालगुजारी ।

मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह किसी को वहां पर भेजकर पता लगवा लें। सूखा पड़ा हुआ है, नहरों में पानी नहीं है, नलकूप सूखे पड़े हैं। कमासिन ब्लाक में 9 फरवरी से नहर नहीं चल रही है, तालाब सूख गये हैं और राहत कार्य नहीं हो रहे हैं, लोग गांवों को छोड़कर भाग रहे हैं और आपने ऐसे पुलिस अधिकारियों को भेज रखा है जो वहां के लोगों का उत्पीड़न कर रहे हैं। लाखों रुपया पैदा कर रहे हैं और जब इस समय मैं सदन में बोल रहा हूं मेरे जनपद में 10-11 साल के छोटे-छोटे बच्चे डकैतों की हिरासत में हैं और लाखों रुपये की फिरौती मांग रहे हैं। आज आये दिन यह घटनायें हो रही हैं। [समय 4 बजे] वहां पर एक प्यारे लाल गुप्ता हैं उनको मार दिया और बाद में उसी के ऊंट से पुलिस वाले कुर्की का माल लेकर डकैतों के जरिये पेड़ से टांग दिया और उस पर 16 गोलियां मारीं। मेरी मांग है कि इस तरह के अधिकारियों को आप हटाइये और कम से कम उनके जीवन की रक्षा

कीजिये। आप विकास करिये या न करिये लेकिन उनकी सुरक्षा कीजिये बुन्देलखण्ड का विकास कीजिये। इन शब्दों के साथ मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

*श्री अमिताभ अनिल दुबे–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस सामान्य बजट की चर्चा पर बोलने का अवसर दिया। अभी कई दिनों से महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर तथा माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर मैं अपने विरोध पक्ष के सम्मानित सदस्यों के विचारों को सुन रहा था। हमारे नेता विरोधी दल ने इस बजट के बारे में कहा कि यह एक स्वादहीन बजट है। जनता पर इस उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोई कर नहीं लगाया है, किसानों को कोई राहत नहीं दी है। मैं कहना चाहता हूं अपने विरोध पक्ष के साथियों से, जिन्होंने इस बात को कहा और कर न लगने से उनको इस बात का अफसोस हुआ, दुःख हुआ। इस प्रदेश की जनता पर कर लगाया जाता तो वे कितना हल्ला मचाते। आज माननीय मुख्य मंत्री जी के प्रयास से 1989-90 की वार्षिक योजनाओं के लिये 2970 करोड़ रुपये का परिव्यय उत्तर प्रदेश को मिला है जो विगत वर्षों की अपेक्षा 290 करोड़ रुपया अधिक है। इसके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं। इस बजट को देखने से मे महसूस होता है कि यह अपने में सर्वांगीण बजट है। इतने बड़े प्रदेश के अन्दर जहां साढ़े 12 करोड़ की आबादी है समाज का कोई ऐसा तबका नहीं है चाहे महिलायें हों, बेरोजगार नौजवान हों, अनुसूचित जाति के हों, जनजाति के हों, चाहे विधवा और विकलांग हों उनके लिये कल्याणकारी और नवीन योजनाओं को देकर जो बजट मुख्य मंत्री जी ने पेश किया है, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। विशेष रूप से जो हमारे विपक्ष के साथी उठ रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई नई घोषणायें नहीं की गई हैं, कोई नया काम नहीं हुआ है। जिस प्रकार से माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रदेश के साढ़े बारह हजार प्राइमरी विद्यालयों को जब कि हम लोग क्षेत्र में जाते थे, जनता के बीच में जाते थे, उनको बनवाने की मांग होती थी तो आज प्रदेश के सभी जो भवन-हीन विद्यालय थे उनको बनवाने का फैसला किया है। इसी तरह से कक्षा 8 तक के छात्र छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा की घोषणा उन्होंने की है, कृषि स्नातकों को जो रोजगार मुहैय्या करने का अवसर दिया है, स्वतः रोजगार योजना के द्वारा बेरोजगार नौजवानों को आगे बढ़ाने का जो अवसर दिया समाज के अन्दर जो हमारे कृषि मजदूर हैं, खेतिहर मजदूर हैं, रिक्शा चालक हैं, इक्का तांगे वाले लोग हैं, स्कूटर और टेम्पो चलाने वाले लोग हैं। इनके बीमा की जो नयी योजना चलाई है उसके द्वारा लाभ मिलेगा इसके लिये मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं।

समाज के सबसे पिछड़े हुये दबे हुये लोगों को आवास देने के लिये सरकार ने योजना बनाई है और एक वर्ष के अन्दर ढाई लाख आवास हरिजन और निर्बल वर्ग के लोगों के लिए बनेंगे। सरकार का ध्यान इनको ऊपर उठाने के लिए गया है इसके लिए वह बधाई के पात्र हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसी तरह हमारी सरकार का ध्यान व्यापारियों की कठिनाइयों की तरफ भी गया है उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिये और उनका निराकरण करने के लिये व्यापार मित्र का गठन किया है जो एक उच्चस्तरीय कमेटी होगी जिसकी अध्यक्षता माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं करेंगे। इस प्रकार उनकी समस्याओं का समाधान हो सकेगा।

हमारे पत्रकार भाइयों के लिये पत्रकार कल्याण कोष की स्थापना की गयी है। महिलाओं के कल्याण के लिये एक अलग से महिला कल्याण निगम बनाने की बात की गयी है। इससे हमें विश्वास है कि जिस कमजोर वर्ग पर सदन चिंतित रहता था उनकी ओर विशेष ध्यान दिया गया है।

अब मैं अपने गाजीपुर जनपद की ओर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। आजादी की लड़ाई में कुर्बानी देने में गाजीपुर का विशिष्ट स्थान रहा है और आज भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा स्वतंत्रा संग्राम सेनानी गाजीपुर के ही हैं। यह सही है कि हमारा जनपद पिछड़ा हुआ है इसके पिछड़ेपन को दूर करने के लिये पार्लियामेंट में स्व0 गहमरी जी ने आवाज उठाई थी और उसी के परिणाम स्वरूप पटेल आयोग का गठन हुआ था और उसकी संस्तुतियों पर वहां कुछ काम हुये लेकिन आज भी कुछ संस्तुतियों का कार्यान्वियन न होने के कारण गाजीपुर जनपद पिछड़ा हुआ है। आज उत्तर प्रदेश में जब सारी जगहों पर जिला परिषदों और नगर पालिकाओं के चुनाव हुये लेकिन गाजीपुर नगर पालिका के चुनाव नहीं हो सके कुछ अधिकारियों की लापरवाही के कारण और परिसीमन के कारण चुनाव नहीं हो पाये। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि स्थानीय कमियों को दूर करने के लिये तत्काल गाजीपुर नगर पालिका के चुनाव कराये जायं। यह चुनाव न होने के कारण वहां सैकड़ों वर्ष के बने हुये शौचालय खराब पड़े हैं। मैं तीन साल से लिखता आ रहा हूं लेकिन फण्ड्स न होने का कारण बता कर वह बन नहीं पा रहे हैं। मैं मांग करता हूं कि इसके लिये विशेष धन की व्यवस्था की जाय जिससे सैकड़ों साल से जीर्ण शौचालय बन सकें।

हमारे यहां आवश्यकता से अधिक आलू का उत्पादन होता है प्रदेश में सबसे अधिक आलू पैदा होता है। इसलिये वहां कृषि पर आधारित आलू का कारखाना लगाया जाय जिससे आलू पैदा करने वाले किसानों को लाभकारी मूल्य मिल सके।

इस समय वहां जो ज्वलंत समस्या है वह ट्रान्सफारमर की कमी की है जिसके कारण सिंचाई ठीक से नहीं हो पा रही है। ट्रांसफार्मरों के आवंटन का तरीका ठीक नहीं है जिससे गाजीपुर को ट्रांसफारर्मर नहीं मिल पा रहे हैं। इसके अलावा गाजीपुर के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये बड़े कारखाने देने की आवश्यकता है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।।

श्री अमिताभ अनिल दुबे–

मान्यवर, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे वर्ष 1989-90 के बजट पर बोलने का समय दिया। मान्यवर, वित्त मंत्री जी जोकि इस समय मुख्य मंत्री भी हैं उनके बजट

भाषण को मैंने पढ़ा है। उन्होंने कम से कम 5 दर्जन स्थानों पर "किया जायेगा" शब्द का इस्तेमाल किया है। देखकर मुझे प्रसन्नता हुई कि कुछ करने का वायदा किया है लेकिन 4 अहम मुद्दे इस प्रदेश के सामने हैं जिससे सरकार की छवि भी सुधर सकती है लेकिन उस सम्बन्ध में उन्होंने बजट भाषण में कुछ नहीं कहा है। मान्यवर जो 11,506 करोड़ रुपया मांगा जा रहा है उसमें समस्या यह है कि इसका 40 प्रतिशत भाग बिचौलिये खा जायेंगे और शेष धन में से भी सभी लाभार्थी तक नहीं पहुंच पायेगा। मान्यवर, जो भी काम करने के वायदे किये जा रहे हैं इसकी गति बहुत धीमी है और जो काम हो रहे हैं वह घटिया हो रहे हैं। मान्यवर, यदि सुझाया गया होता कि बिचौलियों को समाप्त किया जायेगा और अब वे कमीशन खा नहीं पायेंगे, ऐसी पद्धति लागू की जायेगी कि रुपया लाभार्थियों तक पहुंच जायेगा और काम की गति तेज होगी एवं ऐसा कुछ किया जायेगा कि घटिया निर्माण नहीं होगा तो 11,506 करोड़ रुपये मांगने का औचित्य था। लेकिन इन चार अहम मुद्दों पर मुख्य मंत्री जी ने कुछ नहीं कहा है जिसके लिए उनको कुछ कहना चाहिए था। लेकिन आगे उन्होंने कहा है कि गरीबी की रेखा के नीचे जितने लोग थे उनकी संख्या घटी है। मान्यवर, मैं नहीं समझ पाता हूं कि इनकी संख्या कैसे घट रही है ? जबकि महंगाई 5 सालों में 50 प्रतिशत और बेरोजगारी भी 50 प्रतिशत बढ़ी है। तो महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती जाये तो गरीबी की रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या कैसे घटेगी, यह अजीब बात है। यह इन्हीं के शासन में हो सकता है। इसलिये इसकी जांच कराना होगा।

मान्यवर, गरीबी की रेखा के नीचे रहने वालों की मृत्यु दर देखें, तो इसके मेरे पास प्रमाण हैं जिनको आगे रखूंगा तो मृत्यु दर बढ़ी है क्या इसके ही कारण गरीबी की रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या घटने की बात कहते हैं लेकिन वास्तव में यह घटी नहीं है।

मान्यवर, एक और निवेदन करना है कि यदि वित्त मंत्री कहते कि गांव-गांव में कारखाने लगायेंगे और महात्मा गांधी के आदेशों का पालन होगा गांव में चीजें बनायेंगे और नगर में उनको बेचने का काम करेंगे बड़े उद्योगपतियों को आवश्यक वस्तुओं का निर्माण नहीं करने दिया जायेगा, ऐसा करते तो मैं मान लेता कि गरीबी की रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या कम होगी, लेकिन सरकार आज करोड़पतियों और अरब पतियों के हाथ बिकी है और गांव-गांव में छोटे एवं मध्यम उद्योग न खोलकर बेरोजगारी उन्मूलन का कोई काम नहीं किया गया है।

मान्यवर, कृषि उत्पादन बढ़ाने की बात कही गई है। छोटे और बड़े किसानों को अलग-अलग बांटकर देखा जाय तो छोटे किसानों का उत्पादन नहीं बढ़ता है। सच तो यह है कि छोटे किसानों का उत्पादन घट रहा है। सरकार को चाहिए था कि वह छोटे किसानों को ब्याजमुक्त ऋण देने की घोषणा करती और उनके कर्जे माफ करने की घोषणा करती। सरकार छोटे किसानों को जोत बही और सींच बही देने की बात करती तो जब उन्हें ऋण ब्याज मुक्त मिलता और उनके कर्जे माफ हो जाते उन्हें जिससे नौकरशाही के पंजों से मुक्ति मिल जाती तो उनका भी उत्पादन बढ़ता लेकिन सरकार आज 80 प्रतिशत छोटे किसानों को लाभ नहीं दिला पा रही है।

मान्यवर, गन्ना मूल्य बढ़ाने की बात की गयी। तो मैं बताना चाहता हूं कि 1978 से 1988 के बीच 10 सालों में, गन्ने का दाम डेढ़ गुना बढ़ा है लेकिन इन 10 सालों में चीनी का दाम ढाई गुना बढ़ा है। इससे साफ है कि गन्ना किसानों का शोषण किया जा रहा है और सरकार पूंजीपतियों से मिली है।

मान्यवर, बस्ती में सीमेंट नहीं है जिससे ट्यूबवेल बनने बन्द हैं। निर्माण कार्य बन्द है, पुलिया बनाने का कार्य बन्द है। सीमेन्ट के लिए हाहाकार मचा हुआ है। सीमेंट का कहीं उत्पादन नहीं है और सीमेंट का उत्पादन बढ़ने के सम्बन्ध में [xxx] बात कही गयी है।

अब मैं मान्यवर, वृक्षारोपण के सम्बन्ध में बात करना चाहता हूं। वृक्षारोपण 104 परसेंट उपलब्धियों की बात कही गयी है। किन्तु इसमें भी कहीं सच्चाई नहीं है। यदि ऐसा है तो फिर वर्षा में क्यों नहीं वृद्धि हुई है और माटी की उर्वरा शक्ति में क्यों नहीं वृद्धि हो रही है। वनों का यही लाभ है कि उनकी वृद्धि के साथ साथ वर्षा और मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है। वृक्षारोपण की यही पहचान है। इससे सिद्ध है कि 104 परसेंट वृक्षारोपण वृद्धि की जो बात कही गई है वह गलत है। इसका कारण यह है कि केवल कागज पर पेड़ लगे हैं।

शिक्षा के सम्बन्ध में, बजट में 8वीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा देने की बात कह दी गयी है। किन्तु आपके स्कूलों और शिक्षा की क्या दुर्व्यवस्था और दयनीय दशा है वह भी देखने की बात है। आज भी माहरी भी निःशुल्क शिक्षा के स्कूलों में अपने बच्चों को भेजने के लिए कतई तैयार नहीं है। उसे 20-25 रुपया फीस देकर गैर सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ने भेजना सुगम जाता है। तो निःशुल्क शिक्षा के साथ, यदि अच्छी शिक्षा की बात कही गयी होती तो अच्छा होता। एक शिक्षा सभी के लिए हो, समान शिक्षा हो और अच्छी शिक्षा हो और उसके बाद उसके साथ निःशुल्क शिक्षा हो तभी इस निःशुल्क शिक्षा का कोई लाभ है, अन्यथा नहीं।

मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने की जो बात कही गई है कि बुनकरों और खेतों में काम करनेवाले मजदूरों की दैनिक मजदूरी 12 रुपये से बढ़ाकर 15 रुपये कर दी गया है और 13.50 से 18 रुपये कर दी गयी है, उसके सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा कि महंगाई बढ़ी है 15 से 50 परसेंट उसके बावजूद उसकी मजदूरी 12 से 15 रुपये सवाया करने से उनको क्या लाभ मिलेगा। इस तरह की सस्ती वाहवाही लूटने से कोई लाभ नहीं है। इस बढ़ती हुई महंगाई और गिरते हुए रुपये के मूल्यों की तुलना में जो 12 पैसे के बराबर है 12 रुपये से 15 रुपये मजदूरी करने का कोई लाभ मजदूरों को नहीं है।

इस बजट में सरकार द्वारा विद्युतीकरण की बड़ी बात कही गयी है खैर सरकार ने झूठी वाहवाही इसमें भी लूटने का प्रयास किया है। आपकी इस सम्बन्ध में जो नीति है, जो शर्त है वह यह है कि 10 घर पर एक खम्भा लगेगा। अगर किसी गांव में 200 घर हैं तो 20 खम्भे लगेंगे। जहां से बिजली चलेगी उससे लेकर गांव तक 20 खम्भे लगेंगे अगर यह 20 खम्भे गांव के बाहर ही खत्म हो गये तो गांव में बिजली नहीं पहुंच पाएगी। इस तरह से गांव में बिजली लग गई परन्तु वास्तविकता तो यह है कि गांव में बिजली नहीं पहुंची। इस तरह से आपकी इस शर्त से गांव का विद्युतीकरण नहीं होगा।

टिप्पणी:—[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

अतः इस 10 घर पर एक खम्भे की शर्त को समाप्त कर दिया जाए, तो मैं समझता हूं कि उनके लक्ष्य की पूर्ति हो सकती है। इसके अलावा आपका विभाग सन् 71 की जनगणना पर काम कर रहा है। बजट में कहा गया कि जो लोग गरीबी रेखा से नीचे होंगे उनके घर विद्युतीकरण कर दिया जाएगा, और उनको एक बल्ब दिया जाएगा और उनसे साढ़े सात रुपया लिया जायगा। इस तरह से उनके यहां जिनको एक समय का खाने को नहीं है, वस्त्र बिना रहने को मजबूर है, विद्युतीकरण का साढ़े सात रुपया कहां से देंगे। इसमें यदि यह कहा गया होता कि उनके घर के अंधेरे को उजाले में बदल दिया जायगा और उनसे कुछ नहीं लिया जाएगा तो मैं समझता और उनके घर का अंधेरा दूर हो पाता। लेकिन इस तरह से एक बल्ब दिया जाएगा और वह भी जलेगा नहीं।

अब मैं कुछ शान्ति व्यवस्था के बारे में कहना चाहता हूं। दहेज हत्याएं 87 में 703 थीं और 88 में 993 हो गयीं। उसी प्रकार से हरिजन उत्पीड़न के मामले 87 में 3906 थे जो 88 में बढ़कर 4250 हो गये हैं। जब दहेज हत्यायें बढ़ी हैं, हरिजन उत्पीड़न बढ़ा है और बढ़ता जा रहा है और निर्बल, गरीब, कमजोर और बेसहारा लोगों के जान की रक्षा नहीं है तो कानून व्यवस्था की स्थिति को अच्छा कैसे कहा जा सकता है? यह स्थिति उत्तरोत्तर और खराब हुई है।

प्रदेश में वृद्धों और विधवाओं को पेंशन दी जाती है, किन्तु पेंशन पाने की लालसा में उनकी दरख्वास्तें पिछले तीन वर्षों से पेंडिंग पड़ी हैं और उन्हें पेंशन नहीं मिल पाती है। जिलों में कहा यह जाता है कि जिन विधवाओं, वृद्धों और विकलांगों को पेंशन मिल रही है, उनमें से जब किसी की किसी वर्ष मृत्यु हो जायेगी तो उसमें उतने ही नए लोगों की वृद्धि कर दी जाएगी, यानी उन्हें पेंशन लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा। यानी उनसे आशा यह की जाती है कि वह मानते रहें कि कोई विधवा वृद्ध या विकलांग जल्दी मर जाए तो उनका काम बन जाए। होना तो इसमें यह चाहिए कि एक सूची बनाई जाए सबके लिए कि इसमें कितना धन लगेगा, और उस धन की पूर्ण व्यवस्था कर उनको सही तरीके से लाभ पहुंचाया जाता। हमारे पास मान्यवर, समय की कमी है, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, फिर भी जो बांध हैं, पुलियां हैं। इनका निर्माण... आप जांच करा लीजिए। 1985-86, 1986-87 की स्वीकृति की बहुत सी सड़क, बहुत से भवन, बहुत से पुल, अस्पताल आदि ऐसे हैं जिनका आज तक निर्माण नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में 11 हजार 506 करोड़ की मांग बांसी और भौगढ़ जिला सिद्धार्थनगर में मिनी औद्योगिक संस्थान 1986-87 में स्वीकृत परन्तु आरम्भ नहीं की गई, जिसका कि कोई औचित्य नहीं है इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सन्तान बड़थ्वाल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। प्रदेश का यह बजट प्रदेश के चहुंमुखी विकास विशेषकर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों का बहुमुखी विकास की तरफ ले जाने वाला बजट है। इस विशाल प्रदेश की करीब-करीब हर जगह को, हर क्षेत्र की समस्याओं का निदान करने की कोशिश की गई है। मान्यवर, आने वाले वर्षों में रोजगार योजना, आवासीय योजना, पूर्वांचल में बड़

उद्योगों की स्थापना की योजनाएं बनाई गई हैं और महिलाओं के लिए पत्रकारों के लिए योजनाएं बनाई हैं इसमें सभी वर्गों का समावेश करने की चेष्टा की गई है। पिछले दिनों भयंकर सूखा और बाढ़ की स्थिति के बावजूद बगैर कर लगाए बजट बनाना अपने आप में एक मिसाल है। यह माननीय तिवारी जी की विलक्षण अर्थशास्त्रीय बुद्धि और समाजवाद और विकास का परिचायक है। एक बार पूरा सदन राजनीतिक परम्पराओं को छोड़कर, विपक्ष को सत्तापक्ष का विरोध करना ही है, इन बातों से उठकर देखें, तो यह प्रदेश का सर्वांगीण विकास करने वाला बजट है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है।

मान्यवर, दोनों पक्षों ने विस्तार से अपनी बातों को रखा है मैं अपने क्षेत्र के बारे में कुछ बातें कहना चाहूंगा। मेरा क्षेत्र सीमान्त बद्रीनाथ है, यह तीन बार्डर से मिला है। यहां का जन-जीवन बहुत विषमता और कठिनाइयों से भरा है। मान्यवर, विष्णु प्रयाग परियोजना जो है इसमें लाखों रुपया खर्च हो चुका है। उसे शीघ्र चालू किया जाय वन अधिनियम के कारण सड़कें अधूरी पड़ी हैं सारे काम अधूरे हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि पहाड़ों की विषम परिस्थितियों को देखते हुए खाद्यान्न पर ट्रांसपोर्ट सब्सिडी देने की योजना है, लेकिन मैं दोनों पक्षों से कहना चाहता हूं कि वन अधिनियम के कारण, विशेषकर पहाड़ी जिलों में बहुत विषम कठिनाई उत्पन्न हो गई है। 12 से 15 किलोमीटर तक की सड़कें बनी हैं और आगे नहीं बन रही हैं, नहरें अधूरी हैं कोई काम नहीं हो रहा है मान्यवर, हम चाहेंगे कि भारत की प्लानिंग कमीशन इसके लिए नयी सेल गठित करे। जिस तरह उत्तर प्रदेश सरकार ने खाद्यान्न पर सब्सिडी दी है उसी तरह खाना बनाने की गैस पर, मिट्टी के तेल पर सरिया सीमेन्ट आदि पर इस ट्रान्सपोर्ट सब्सिडी के साथ 50 प्रतिशत कन्ज्यूमर सब्सिडी भी होनी चाहिए, क्योंकि वहां लकड़ी नहीं मिलती है दिन भर की थकी महिलाएं जब शाम को चूल्हा बालती हैं तो उन्हें बड़ी कठिनाई होती है, तो अगर 50 प्रतिशत अगर कन्ज्यूमर सब्सिडी मिलेगी तो जन-जीवन सही रहेगा। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में और पहाड़ों में विशेषकर जड़ी-बूटियां सबसे ज्यादा उत्पन्न होती हैं। वहां पर एक जड़ी-बूटी संस्थान बनाने की बात बहुत दिनों से चल रही है। मैं चाहूंगा कि गुप्तकाशी में इसकी एपेक्स संस्था खोली जाय और पौड़ी तथा अल्मोड़ा में इसकी शाखाएं खोली जायं। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां नागनाथ पोखरी तहसील की मांग बहुत दिनों से चली आ रही है। सैनिकों की विधवाओं को 60 किलोमीटर पेंशन के लिए जाना पड़ता है इसलिए नागनाथ पोखरी को तहसील घोषित किया जाय। इसी तरह से थराली उप तहसील जो है उसको तहसील का दर्जा दिया जाय। मान्यवर, राजकीय महाविद्यालय, गोपेश्वर में पी0 जी0 तथा पुस्तकालय का भवन बनाने की मांग बहुत दिनों से की जा रही है। इन भवनों के न होने से छात्रों को बहुत कठिनाइयां होती हैं। अगर वहां पर पढ़ाई के लिए पूरे साधन नहीं होंगे तो हमारे यहां के छात्र मैदानी छात्रों के मुकाबले में कम्पटीशन में नहीं आ पायेंगे। अतः राजकीय महाविद्यालय, गोपेश्वर तथा राजकीय महाविद्यालय, अगस्तमुनि, दोनों के भवनों को बनाने की कृपा की जाय।

मान्यवर, हमारे यहां का चमोली जनपद भारतीय संस्कृति का प्रतीक है । वह भगवान बद्रीनाथ और भगवान केदारनाथ की पवित्र भूमि है । चमोली में महाकवि कालिदास की जन्मस्थली कार्बमठा है । वहां पर यह कवि कालिदास का स्मारक बनाने के लिए 10 लाख रुपए स्वीकृत किए जाने की मैं मांग करता हूं ।

मान्यवर, इन्दिरा आवास योजना में धन बढ़ाया गया है लेकिन जहां तक पर्वतीय जनपदों का संबंध है मैं समझता हूं कि वहां इतनी धनराशि से काम नहीं चलेगा । मुझे खुशी है कि इन्दिरा आवास योजना से लोगों को काफी राहत मिल रही है और उसके लिए मैं अपनी सरकार को बधाई देना चाहता हूं । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिए पर्वतीय क्षेत्र में जो मापदण्ड रखा गया है उसको बढ़ाया जाय । इलेक्ट्रानिक्स के संबंध में पर्वतीय क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया जा रहा है जिसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं । मेरा निवेदन है कि चमोली जनपद में इलेक्ट्रानिक्स की एक बड़ी इकाइयां खोली जायं । जहां तक सीमान्त और पर्वतीय क्षेत्र के हरिजनों का प्रश्न है उनकी हालत खराब है मैं समझता हूं कि उन पर जो 10 हजार तक के कृषि के संबंध में कर्जे हैं उनको माफ करने की घोषणा करने की कृपा करें ।

इन शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि वन अधिनियम जो जनजीवन के लिए कठिन साबित हो रहा है उसमें सुधार करने की आवश्यकता है । इसमें शीघ्र ही सुधार करने की आवश्यकता है । इसमें शीघ्र ही सुधार करने की कृपा की जाय । धन्यवाद ।

*श्री गोपीनाथ वर्मा–

मान्यवर, वर्ष 1989-90 की बजट चर्चा में आपने मुझे भाग लेने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में किसानों के हितों की सुरक्षा करने की बात कही है । मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में 1337 फसली का, भूमि का मूल्यांकन कराया गया था, बन्दोबस्त कराया गया था । 30-40 साल होने को आए मौजूदा समय में सरकार उसी 1337 फसली के आधार पर निर्माण कार्यों के लिए भूमि को अर्जित करती है । मौजूदा समय में राजस्व विभाग द्वारा जो अर्जित भूमि का मुआवजा दिया जाता है वह पूरे प्रदेश में साढ़े 3 हजार रुपए प्रति एकड़ दिया जाता है । जब काश्तकार किसी भूमि का बैनामा कराने जाता है तो उससे 20 हजार रुपए फी एकड़ के हिसाब से स्टाम्प शुल्क लिया जाता है । एक तरफ किसान को साढ़े तीन हजार रुपए प्रति एकड़ की दर से मुआवजा दिया जाता है दूसरी तरफ 20 हजार रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से उससे स्टाम्प शुल्क लिया जाता है जो सरासर किसान के साथ अन्याय है । अगर फिर से जमीन का बन्दोबस्त कराया जाय और मूल्यांकन कराया जाय तो किसानों को 40 हजार रुपए प्रति एकड़ मिलेगा । लेकिन मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि हम किसानों के हितों की सुरक्षा करेंगे, लेकिन किसानों के बारे में उन्होंने जो कुछ कहा है, उस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं । किसानों की जमीनों पर सिंचाई के नाम पर किसानों की बिना सहमति के नालियां बना कर निर्माण पर आने वाली लागत किसानों से वसूल कर रहे हैं । यही नहीं, उक्त समस्त नालियां

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

फर्जी निर्माण दिखा कर करीब 2 करोड़ रुपया फैजाबाद में टाण्डा विधान सभा क्षेत्र के किसानों से वसूल किया जा रहा है, जिसमें आर0 सी0, कुर्की, वारण्ट जारी करके गिरफ्तारी की जा रही है। दूसरी ओर कहते हैं कि हम 20 घण्टे बिजली देते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि 3 घण्टे से ज्यादा बिजली नहीं दी जाती है और इस सर्दी के मौसम में किसान अपने खेतों की सिंचाई सुचारु रूप से नहीं कर पा रहा है।

मान्यवर, आप बुनकरों की बात करते हैं। हमारे यहां करीब 50 हजार बुनकर हैं। उद्योग चलाने के लिए प्रति पावर लूम 6 हजार रुपए दिए गए थे, जिसका ब्याज माफ किए जाने हेतु 1983-84 में तत्कालीन उद्योग मंत्री माननीय बीर बहादुर सिंह ने घोषणा की थी, परन्तु ब्याज माफ नहीं किया गया और मूलधन के साथ एकबारगी ब्याज भी वसूल किया जा रहा है और जिन बुनकरों द्वारा पैसा देने में असमर्थता जाहिर की जा रही है, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, उनकी सम्पत्ति कुर्क की जा रही है। करीब 150 बुनकर टाण्डा में गिरफ्तार किए गए, जिसके कारण बुनकरों में असंतोष और आतंक व्याप्त है। बुनकरों के बने हुए कच्चे माल के खरीदने की कोई व्यवस्था नहीं है और न ही फिनिशिंग, रंगाई, छपाई आदि की कोई व्यवस्था है। उनके बने हुए कच्चे माल को टके बराबर सरकार खरीद रही है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा है और वे अपना घर-बार छोड़कर अन्यत्र भाग रहे हैं।

मान्यवर, शिक्षकों के बारे में मैं कहना चाहता हूं। सेवा-मुक्त शिक्षकों को पेंशन एक निश्चित तिथि को न देकर उन्हें 4-5 महीने बाद दी जाती है, जिसके कारण उन्हें अपने परिवार की रोजी-रोटी चलाने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। मान्यवर, आजकल बेरोजगार नौजवानों की एक फौज खड़ी हो रही है, क्योंकि उन्हें रोजगार पर न लगाकर उन्हें अपने रहमों-करम पर छोड़ दिया गया है, जिसके कारण वे अपराधिक प्रवृत्ति के होते जा रहे हैं और हिंसात्मक वारदात करते हैं। उन्हें अपने कर्मों के कारण जेल भी जाना पड़ता है, जिससे उनकी जिन्दगी खतरे में होती जा रही है। मान्यवर, प्रदेश में सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल व सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को तत्काल अनुदान सूची में 89-90 के सत्र में लाया जाय, जिससे शिक्षकों को निर्धारित वेतन व अन्य सुविधाएं प्राप्त हों और सुचारु रूप से शिक्षण कार्य चलता रहे। मान्यवर, गवर्नमेंट विद्यालयों में फर्स्ट क्लास के छात्रों के प्रवेश लिए जाते हैं, इसलिए उन विद्यालयों के रेजल्ट अच्छे आते हैं। मान्यवर, जो प्राइवेट विद्यालय हैं, उनमें कमजोर छात्रों को भर्ती किया जाता है, और उन्हें मेहनत से पढ़ाया जाता है, जिससे वे फर्स्ट क्लास का नम्बर पाते हैं। वे प्राइवेट विद्यालय सुचारु रूप से चलाए जाते हैं और अच्छी पढ़ाई करते हैं, परन्तु सरकारी विद्यालयों में ऐसा नहीं हो रहा है। मान्यवर, प्रदेश में हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट कक्षाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्र जो शिक्षा ले रहे हैं, उन्हें छात्रवृत्ति देना सरकार ने बन्द कर दिया है और दूसरी तरफ उनसे शिक्षा शुल्क वसूल किया जा रहा है और जो छात्र शुल्क नहीं दे रहे हैं, उनके नाम काटे जा रहे हैं, उन्हें प्रैक्टिकल परीक्षा में बैठने से वंचित किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर जनपद फैजाबाद, टाण्डा में एच0 टी0 इण्टर कालेज में उक्त कार्यवाही की जा रही है। मान्यवर, टाण्डा में छात्राएं इण्टरमीडिएट तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद आगे की शिक्षा नहीं प्राप्त

कर पाती हैं, क्योंकि वहां पर कोई भी कन्या डिग्री कालेज नहीं है। वहां पर एक कन्या डिग्री कालेज तत्काल खोलने की व्यवस्था की जाय। मान्यवर, दूसरी तरफ मैं सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में भी कुछ कहना चाहता हूं।

मान्यवर, जनपद फैजाबाद के अंतर्गत थाना इब्राहिमपुर में ग्राम दुर्गापुर को एक नवजवान, जिसकी उम्र 18 वर्ष थी, उसका अपहरण उसी गांव के बगल ताम ईसापुर का एक गुण्डा, शातिर बदमाश बब्बन पाण्डेय ने 4-5 लोगों के सहित माह मई, 1988 में अपहरण कर लिया और 36 हजार रुपये फिरौती के रूप में राम चन्द्र के पिता भग्घू वर्मा से लिया और फिरौती पाते ही अपराधियों ने राम चन्द्र की हत्या कर लाश को टुकड़े-टुकड़े करके ईसापुर गांव के बगल स्थित राइस मिल के करीब गड्ढा खोद-कर गाड़ दिया। उक्त लाश को थाना इब्राहिमपुर को पुलिस ने बरामद किया और नामजद अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया, लेकिन अब उक्त शातिर बदमाश बब्बन पाण्डेय जमानत पर रिहा होकर क्षेत्र में पहुंच गया है।

(इस समय 4 बजकर 36 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

और माह फरवरी में ग्राम दुर्गापुर में एक नौजवान का पुनः अपहरण करने की नीयत से जबरन मारूती गाड़ी पर बैठाकर भागना चाहते थे और इसी पकड़-धकड़ में अपराधियों ने अपहरण किये नौजवान पर कट्टे से गोली दागी परन्तु बच गये। यही नहीं अपराधी ने ग्राम के अगल-बगल के निवासियों से 4–4 हजार रुपये फिरौती मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर नहीं दोगें तो एक-एक को मार डालूंगा जिसका आतंक पूरे इब्राहिमपुर में व्याप्त है जनता इस आतंक से बहुत परेशान है और स्थिति यहां तक पहुंच रही है कि जनता स्वयं विवश होकर अपराधियों से निपटने पर आमदा हो जायेगी। उक्त दशा में एक बहुत बड़ी अप्रिय घटना घटित हो सकती है इस दशा में उस अपराधी के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही करके गिरफ्तार कर उसे जेल भेजा जाय। मान्यवर, मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। जैसे इरीगे-शन या पी0 डब्लू0 डी0 है इसमें मान्यवर, उनका पुल बनाया जाता है, बिल्डिगें बनायी जाती हैं। मान्यवर, जैसे एक बिल्डिंग एक लाख रुपये बनती है तो यह पता लगाया जाय कि एक महीने, दो महीने या साल भर कितने दिन चलेगी। अगर एक बिल्डिंग एक लाख रुपये में बनी तो उसमें देखा जाय कि कितनी सरिया लगी, कितनी सीमेन्ट लगी और कितना लेबर लगा और पूरी कास्ट कितनी आई। इस कास्ट को लगाने के बाद मान लीजिए उस बिल्डिंग की लाइफ 20 वर्ष रखी गयी और 20 वर्ष के अन्दर अगर वह टूट जाती है तो पी0 डब्लू0 डी0 के जो ठेकेदार हैं, इंजीनियर हैं या एस0 डी0 ओ0 हैं और जो अधिकारी सम्मिलित हिस्सेदार रहे हैं तो यह धनराशि उनकी सम्पत्ति से उनकी तनख्वाह से रिकवर कर ली जाय तो वह इंजीनियर, ठेकेदार गलत तरीके से निर्माण कार्य नहीं करेगा। लेकिन यह इसको नहीं करना चाहते हैं क्योंकि यह उनसे [xxx] लेते हैं, उन लोगों से यह चुनाव लड़ने के लिए लेते हैं उनसे करते हैं इसीलिए उन पर कोई अंकुश लगाने का काम नहीं करते हैं।

नोट–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे परिवार नियोजन को सीमित करने के लिए कि जिनके तीन बच्चे हों और उसके बाद चौथा बच्चा पैदा होगा तो उसकी नसबन्दी कराना अनिवार्य कर दिया जाय । मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर सरकार के अन्दर कोई नैतिकता है, कोई कूवत हिम्मत है, साहस है तो आप एक बात कह दीजिए कि जिनके तीन बच्चे हैं और चौथा बच्चा पैदा करता है तो उनसे आप प्रतिवर्ष 5 हजार रुपया टैक्स लेंगे तो इससे जो पैसा देंगे वह बच्चा पैदा करेंगे । जैसा कि आपके मंत्रिमंडल के कुछ जिम्मेदार मंत्री इस प्रस्ताव को रखने के लिए अपने साथियों से विचार किया करते हैं । लेकिन आप परिवार नियोजन को सीमित करने के बारे में कोई कार्य नहीं कर रहे हैं । परिवार नियोजन को सीमित करने के नाम पर प्रतिवर्ष करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं लेकिन परिवार सीमित न होने के बजाय बढ़ रहा है । मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में शिक्षा के नाम पर असंतोष फैल रहा है ।

मान्यवर, हमारे जनपद फैजाबाद में इण्टरमीडिएट कालेज है, डिग्री कालेज है लड़कों का । तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने टांडा के उप चुनाव में घोषणा किया था कि एक कन्या डिग्री कालेज खोल दिया जायेगा परन्तु ऐसा नहीं किया गया है । मान्यवर, मैं सबसे बड़ी बात यह कहना चाहता हूं कि तत्कालीन मुख्य मंत्री वीर बहादुर सिंह जी ने अप्रैल 88 में 21 करोड़ की लागत के एक पुल का शिलान्यास किया लेकिन जब मैंने बजट देखा तो एक भी पैसा उस पुल के नाम पर आवंटित नहीं हुआ है । मैं पूछना चाहता हूं कि तत्कालीन मुख्यमंत्री ने जब शिलान्यास कर दिया और करीब 3 लाख रुपये शिलान्यास के ऊपर खर्च कर दिये लेकिन उसके लिए एक भी पैसा आपने 89-90 के बजट में नहीं रखा है , अब पुल कैसे बनेगा ? आप प्रदेश के किसानों को, भोली-भाली जनता को गुमराह करने का काम करना चाहते हैं । मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि अगर आपका यह रवैया रहा तो 90 के चुनाव में आपका असली चेहरा सामने आ जायेगा और आपको प्रदेश की कुर्सी पर बैठने का जो अधिकार मिला है उससे पूर्णरूपेण वंचित हो जायेंगे इसलिए आपको अपना ख्याल ठीक रखना पड़ेगा । आप पूरे प्रदेश में हरिजनों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं और सम्प्रदायिक दंगा करा रहे हैं । इसकी सारी जिम्मेदारी इस प्रदेश में बैठे हुए जिम्मेदार लोगों की है । इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

(श्री हरदेव के खड़े होने पर)

(समय 4.40 बजे)

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठें, 5 बजे लेखानुदान होगा ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष–

नियम 51 के अन्दर 9 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिनमें श्री शिव नारायण मिश्र की सूचना को स्वीकार किया है और बाकी को अस्वीकार किया है।

प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों तथा महाविद्यालयों के तदर्थ शिक्षकों को नियमित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर वक्तव्य का स्थगन

श्री उपाध्यक्ष–

जो वक्तव्य के लिए था, वह स्थगित कर दिया गया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, यह जो मद संख्या 11 थी यह मैं समझता हूं कि प्रदेश के हजारों शिक्षकों से सम्बन्धित है उसको स्थगित करने का क्या कारण है ?

श्री उपाध्यक्ष–

जल्दी लगवा देंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, शासन तो जानबूझकर शिक्षकों के मामले में स्वयं टाल रहा है तो इसका आपको कारण दर्शाना होगा, मैं जानना चाहता हूं कि इसमें जो कारण दर्शाये हैं वह क्या है ? अगर गोपनीय न हो तो कृपया बता दें । क्योंकि सरकार का रवैया है कि वह शिक्षा का विकास या तदर्थ शिक्षकों के मामले का समाधान नहीं करना चाहती । वे बेचारे प्रदर्शन कर रहे हैं, अनशन पर बैठे हैं। अगर कोई खास कारण न हो तो सरकार को और समय न दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

मंत्री जी ने परीक्षण के लिये और सूचना एकत्र करने के लिये समय की मांग की है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, और कोई कारण दर्शाया गया होता तो बात थी, परीक्षण क्या करना है ? पिछले सत्र में यह मामला उठाया गया । इस साल 5-7 दिन पहले सूचना चली गयी तो 5–7 दिन में परीक्षण नहीं कर सके, यह नीतिगत मामला है, इस पर सरकार यथासमय फैसला नहीं कर सकी तो उससे दूसरा निकम्मापन क्या होगा ? मेरा अनुरोध है कि इनको निर्देशित करने का कष्ट करें कि इसे आज ही लिया जाय और इसको स्थगित करने की अनुमति न दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

इसको जल्दी करवा देंगे ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, क्या इसके लिये कोई तिथि निश्चित कर देंगे । यह 30 हजार माध्यमिक शिक्षकों और 10 हजार डिग्री कालेजों के शिक्षकों का मामला है । लोग एक माह से क्रमिक अनशन कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं एक बार फिर बल देना चाहता हूं कि आज ही आप कोई समय दे दें । कल के लिए तिथि निर्धारित कर दें । अगर कल के लिये तिथि नहीं देते हैं तो मैं कहूंगा कि सरकार जानबूझ कर इस मामले को हल नहीं करना

चाहती हैं, यह मेरा आरोप है । अतः जैसा मा0 तिवारी जी ने कहा कि यह 30 हजार शिक्षकों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसको बर्दाश्त करने को हम तैयार नहीं हैं। इसलिये कल की तिथि दे दें ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, इसको सोमवार को ले लिया जाय ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, कल कर दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

मंत्री जी ने 15 दिन का समय मांगा है।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, मैं अनुरोध करूंगा कि जो सूचना है उसको सम्मानित सदन के सामने रख दें तो मा0 सदस्य संतुष्ट हो जायेंगे । मा0 सदस्य ने जो बात कही, हमको भी अध्यापकों से हमदर्दी है, इसलिये इसको सोमवार को ले लें ।

श्री उपाध्यक्ष–

ठीक है, मण्डे को हो गया ।

गोरखपुर में अधिवक्ताओं द्वारा 31 जनवरी, 1989 से न्यायालय के बहिष्कार के परिणामस्वरूप उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य

एक सदस्य–

वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लिया जाय ?

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

गृह मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी)–

[प्राप्त सूचना के अनुसार बिक्री-कर कार्यालय, गोरखपुर के परिसर प्रवेश मार्ग पर श्री पारस निषाद नामक व्यक्ति द्वारा श्री महेन्द्र यादव एडवोकेट की शह पर नई फल/जूस की दुकान लगाई गई थी जिसके लिए सक्षम अधिकारी से अनुमति नहीं ली गयी थी । दिनांक 30-1-89 को लगभग 11 बजे आकस्मिक निरीक्षण के समय श्री आर0 के0 त्रिपाठी, सहायक बिक्री-कर आयुक्त (शासकीय) ने मार्ग अवरुद्ध देखकर दुकान हटाने के निर्देश दिये । जिस पर कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच कहा-सुनी और मार-पीट हुई जिसके संबंध में दोनों पक्षों की लिखित तहरीर पर थाना–कैन्ट, गोरखपुर में क्रास-केस दर्ज किये गये । यह कहना असत्य है कि अधिवक्ताओं पर बिक्रीकर कार्यालय के अधिकारियों ने असामाजिक तत्वों से मिलकर प्राणघातक हमला कराया । वस्तुतः दुकान हटाने के प्रश्न पर दोनों पक्षों में मार-पीट

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

की घटना हुई जिसमें श्री महेन्द्र यादव एवं बिक्री-कर कार्यालय लिपिक श्री राम नरेश मिश्र को साधारण चोटें आयीं । रिपोर्ट लिखने में विलम्ब की बात निराधार है, क्योंकि घटना लगभग 11 बजे घटित हुई और उभय पक्षों की रिपोर्ट लगभग 12.30 बजे तक थाना–कैन्ट पर दर्ज कर ली गई थी । जैसे ही अधिवक्ता थाना कैन्ट पर आये उनकी रिपोर्ट तत्काल दर्ज कर ली गयी । प्रदर्शन के द्वारा रिपोर्ट दर्ज किये जाने की बात असत्य है । पुलिस द्वारा दोषी व्यक्तियों को संरक्षण देने का आरोप निराधार है और न ही अधिवक्ताओं को अनावश्यक रूप से उत्पीड़ित और आतंकित किया जा रहा है । अधिवक्ता अपनी कतिपय मांगों को लेकर न्यायालयों का बहिष्कार कर रहे हैं । जिससे जनपद के न्यायिक कार्य पर विपरीत प्रभाव पड़ा है । दिनांक 13-2-89 को जिलाधिकारी द्वारा प्रकरण में मजिस्टीरियल जांच के आदेश दिये गये हैं।]

श्री हर्षवर्धन–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी को अवगत कराना चाहूंगा कि यह जो वक्तव्य दिया गया है, यह पूरी तरह से सत्य से परे है। इसमें कहा गया है कि श्री महेन्द्र यादव, एडवोकेट की शह पर परिसर मार्ग पर दुकान रखी गयी, मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस तरह की कोई शिकायत थी कि महेन्द्र यादव की शह पर दुकान रखी गयी । यह तथ्य कहां से जानकारी में आया । परिसर मार्ग पर जो दुकान रखी गयी उसको हटाने के लिए आदेश जिलाधिकारी के माध्यम से आया, या सेल्स टैक्स के लोग किस कानून के अन्तर्गत उस दुकान को हटाने लगे ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

मान्यवर, मा0 सदस्य ने जो कहा, इसके बारे में सूचना जितनी अच्छी तरह से हो सकती थी, जांच करने के उपरान्त ही बयान दिया गया है। उसके बाद भी आपका कहना है तो जांच करेंगे । ये सारी बातें तथ्यों के आधार पर ही आपके सामने रखी गयी हैं।

श्री हर्षवर्धन–

मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो कहा गया कि महेन्द्र यादव की शह पर लगायी गयी, यह तथ्य शासन की जानकारी में कहां से आया ? जो यह दुकान लगायी गयी, उसको हटाने के लिये, यह दुकान उनके परिसर में नहीं है, वह नगरमहापालिका की सीमा में आती है, उसको जिलाधिकारी या अन्य किसी सक्षम अधिकारी से अनुमति लेकर ही हटाया जा सकता है, उसको सेल्स टैक्स के अधिकारी कैसे हटाने लगे ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

मान्यवर, यह दुकान परिसर प्रवेश मार्ग पर थी जिससे रास्ता अवरुद्ध हो रहा था । उन्हीं लोगों ने कहा था कि इसे हटाया जाय । आपके पास कोई ऐसी सूचना है कि उनके द्वारा शिकायत नहीं करायी गयी कोई और के द्वारा शिकायत की गयी । वह हो तो बता दें ?

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

इसमें है कि अधिवक्ता अपनी मांगों को लेकर न्यायालयों का बहिष्कार कर रहे हैं, वह कतिपय मांगें क्या हैं और उन मांगों के समाधान के लिये शासन द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

उनकी मांगें यह थीं—दिनांक 30-1-89 को स्थानीय घटना के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र यादव एडवोकेट की रिपोर्ट में नामजद अधिकारी (सहायक आयुक्त) (शासकीय) श्री आर0 के0 त्रिपाठी एवं कर्मचारियों को तत्काल निलम्बित करके उन्हें गिरफ्तार किया जाय (2) अधिवक्ता पर दर्ज कराये गये फर्जी मुकदमे वापस लिये जायं और भविष्य में ऐसी कार्यवाही रोक दी जाय (3) बिक्री कर अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे अभियुक्त के बहकावे में न आयें (4) सम्बन्धित अभियुक्त तथा उनके मेली मददगार गवाहों को धमकी दे रहे हैं उन्हें तत्काल रोका जाय (5) बिक्री कर परिसर में जितनी भी अवैध दुकानें अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सांठगांठ से धन उगाही के लिये हैं उन्हें तत्काल हटाया जाय (6) अधिवक्ता बन्धु श्री महेन्द्र यादव को जो शारीरिक एवं मानसिक चोटें पहुंच गयी हैं इसका मुआवजा सरकार द्वारा दिया जाय । यह मांगें थीं ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

वक्तव्य में माननीया मंत्री जी ने दो बातें कही हैं एक तो उनको जो जांच के जरिये तथ्य पता लगे उसमें यह है कि महेन्द्र यादव की शह पर यह दुकान लगायी गयी थी (2) प्रदर्शन के द्वारा रिपोर्ट दर्ज किये जाने की बात असत्य है। मैं जानना चाहता हूं कि इन दोनों बातों की जांच किस अधिकारी ने की । क्या उसकी जांच रिपोर्ट माननीया मंत्री जी के पास है वह जांच रिपोर्ट क्या है? जिलाधिकारी द्वारा प्रकरण में जो मजिस्ट्रेट जांच के निर्देश दिये गये हैं उसके टर्म्स आफ रेफरेंस क्या हैं ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

इसके लिए मजिस्ट्रियल इन्क्वायरी निर्णीत हुई थी उसमें टर्म्स आफ रिफ्रेन्स में यही है कि शीघ्र से शीघ्र जांच की जाय सारे तथ्य जो हैं उनको एकत्रित कर लिया जाय ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

इसमें है कि दुकान हटाने के प्रश्न पर दोनों पक्षों में मारपीट की घटना हुई जिसमें श्री महेन्द्र यादव एवं बिक्री कर कार्यालय लिपिक को साधारण चोटें आईं । मेरी सूचना है कि श्री महेन्द्र यादव अभी तक कोमा में है जिस दिन से उन्हें यह चोटें लगी हैं । श्री महेन्द्र यादव की जो डाक्टरी मुआयना हुआ था उसकी इन्जरी रिपोर्ट बता दें, क्या है,, इसी तरह से बिक्री कर कार्यालय लिपिक को क्या-क्या चोटें आईं । जो मुकदमा कायम हुआ इन दोनों पर वह किन धाराओं में हुआ है ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

मान्यवर, अपनी सूचना अनुसार साधारण चोटें आयीं । धारायें अभी देखकर बता रहे हैं ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

श्री महेन्द्र यादव का मेडिकल इक्जामिन हुआ है, उसकी रिपोर्ट बता दें ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

एक बात अवश्य कहना चाहूंगी कि जो चोटें आयी हैं वह साधारण हैं । जो घटना घटी है उसके आधार पर वहां का जो जनमानस है वातावरण ऐसा है कि लोग नहीं चाहते हैं कि अदालत का काम रोका जाय । बल्कि यह कहा गया कि जुलूस परिसर में घुस गया लोगों ने मारपीट करने का प्रयास किया । एक वहां महिला बैठी हुई थी, उससे छेड़छाड़ हुई । धारा अलग से बता देती हूं लेकिन यह जो मैंने बताया कि यह चीज भी अलग से है ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जो मेडिकल इक्जीमिनेशन हुआ, उसकी रिपोर्ट क्या है, उसे पढ़ दें, जो चोटें आयी हैं, वह वाइटल पार्ट पर हैं, नान वाइटल पार्ट पर हैं, यह बता दें ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

मान्यवर, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि वहां पर बिक्रीकर कर्मचारियों द्वारा विरोध करने पर.

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मुझे बहुत अफसोस है कि मंत्रिमंडल की ओर से गृह मंत्री होने के नाते मंत्री जी खड़ी होती हैं, लेकिन जो पूछा जा रहा है, उसका जवाब वह नहीं दे रही हैं । आज शान्ति और व्यवस्था की इतनी बदतर हालत है, जिसका एक कारण यह गृह मंत्री भी हैं । मान्यवर, साफ-साफ पूछा जा रहा है कि जो मेडिकल रिपोर्ट आयी है, उसको आप पढ़कर बता दें । माननीय हर्ष वर्धन जी उसी जिले के हैं, यह बता रहे हैं कि महेन्द्र यादव अभी भी कोमा की स्थिति में हैं । वहां पर 14 दिन हड़ताल रही, उसके बाद भी सरकार इस तरह का उत्तर दे रही है । मान्यवर, इससे ज्यादा हृदयहीन, असंवेदनशील सरकार और कोई हो ही नहीं सकती है । अगर यह मेडिकल रिपोर्ट नहीं बता पा रही हैं, तो आप वक्तव्य स्थगित करा दें और फिर पूरी जानकारी के साथ वक्तव्य फिर से आना चाहिए । आज शान्ति व्यवस्था इतनी बदतर हो गयी है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती ।

श्री उपाध्यक्ष–

मेडिकल रिपोर्ट की जानकारी चाहते हैं, वह आप दे दें ।

गृह राज्य मंत्री (श्री सईदुज्जमा)–

मान्यवर, महेन्द्र यादव की इन्जरी रिपोर्ट में लिखा है :–

2½ सी0 एम0 एक्स0 ओ0 4 सी0 एम0 स्कलओवर लेफ्ट साइड हेड । 8 सी0 एम0 फार्म लेफ्ट इयर स्वेलिंग 5 सी0 एम0 एक्स 4 सी0 एम0 ओवर

दि हेड स्वेलिंग 3 सी0 एम0 एक्स 2 सी0 एम0 ओवर आक्सीपिटल रीजन 8 सी0 एम0 एबव फ्राम अपर मार्जिन आफ नेक 2 सी0 एम0 एक्स ओ0 4 सी0 एम0 स्किन डीप ओवर लैटरल रिस्ट आफ राइट हैंड 1 सी0 एम0 एबव फ्राम रूट आफ इनडेस फिंगर ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मान्यवर, इन्जरी रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है कि अन्डर आबजरवेशन वाइटल पार्ट पर है, हेड पर इन्जरी है । मान्यवर, महेन्द्र यादव कोमा की स्थिति में हैं । कम से कम उनकी स्थिति की जानकारी सदन को दिला दीजिए । इन चोटों को साधारण चोटें किस आधार पर कह दिया ? अभी फाइन्डिंग्स कम्पलीट नहीं हैं ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

मान्यवर, मैं एक लाइन और पढ़कर सुना दूं जब हजारों की भीड़ इकट्ठा हो हो गयी और स्थिति बिगड़ने लगी, उसके बाद पुलिस द्वारा कार्यवाही की गयी, जिसमें 4 अधिवक्ताओं के गिरने से साधारण चोटें आयीं, घायलों को जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार कराया गया ।

*श्री काजी कलीमुर्रहमान–

मान्यवर, यह अधिवक्ताओं का बड़ा ही गम्भीर मामला है, अधिवक्ताओं की पिटाई की गयी है और माननीय हर्ष वर्धन जी ने शुरू में ही कहा कि मंत्री जी तथ्यों को छिपा रही हैं और जो पूछा जा रहा है, उसको नहीं बता रही हैं । जो रिपोर्ट आयी हैं, उसमें कहीं नहीं बताया गया है कि उस परिसर में कितनी दुकानें हैं । क्या राम नरेश बाबू की सर्विसेज टर्मिनेट नहीं की गयी थी, जिसने अपने अधिकारियों को मारा था । मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी तथ्यों को छिपा रही हैं, यह अधिवक्ताओं का मामला है और पूरे गोरखपुर में हड़ताल चल रही है । और इन पर कार्यवाही न करने से जनता में बड़ा रोष है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अधिवक्ताओं पर जो जुल्म हुआ है, उस पर माननीय मंत्री जी कोई कार्यवाही नहीं कर रही हैं । इससे पहले कि पूरे प्रदेश में अधिवक्ताओं की हड़ताल हो माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पर मौजूद हैं, उन्हें इसका समाधान करना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप प्रश्न करें ।

श्री काजी कलीमुर्रहमान–

सेल्स टैक्स के परिसर में कितनी दुकानें हैं ? क्या वह सारी दुकानों को हटाने के लिए गये थे ? श्री राम नरेश मिश्रा जो बाबू है और उसका जिस अधिवक्ता के साथ झगड़ा बताया गया है, अधिकारियों को मारने के आरोप में उसकी सेवायें समाप्त की गईं कि नहीं ? क्या वह अदालत से फिर सेवा में रख लिया गया है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

मान्यवर, इसकी सूचना मेरे पास नहीं है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, जो मेडिकल रिपोर्टें आई हैं, उसकी गम्भीरता को देखते हुए जो चोटें आई हैं, उसके आधार पर माननीय मंत्री जी ने बताया कि चोटें साधारण किस्म की हैं। माननीय सदस्य जो इस सदन के सदस्य भी हैं, श्री हर्ष वर्धन जी की निजी जानकारी है कि वह आज तक कोमा में हैं। वकीलों की हड़ताल जारी है। 10-12 रोज का समय हो गया है। क्या अधिवक्ताओं की हड़ताल रोकने के लिए सरकार ने कोई कार्यवाही की। अधिवक्ताओं को गम्भीर चोटें आई हैं। क्या इस घटना की कोई उच्च स्तरीय जांच कराई जायेगी, जिसमें स्थानीय अधिकारी शामिल नहीं किये जायेंगे। शासन स्तर से किसी अधिकारी को भेजकर या एक कमेटी बनाकर इसकी जांच कराई जायेगी ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

मान्यवर, अधिवक्ताओं की हड़ताल को समाप्त करने का पूरा प्रयास हुआ है। हड़ताल अवश्य समाप्त कराई जायेगी। अधिवक्ता हमारे समाज के ऊंचे स्तर के लोग होते हैं, जो जनता का न्याय कराते हैं। न्याय को सुरक्षित करने के लिए हमें विवेक से सोचना होगा कि इसकी व्यवस्था किस प्रकार की जायेगी। जनता के लोग इनके पास न्याय की गुहार लेकर जाते हैं। मजिस्टीरियल इन्कवायरी में दोनों पक्ष के लोग हैं ताकि जांच साफ हो। कई बार उनसे हड़ताल समाप्त करने का प्रयास भी किया गया, किन्तु वह इसका बहिष्कार कर देते हैं। जनता को कठिनाई हो रही है। मजिस्टीरियल इन्कवायरी के अतिरिक्त भी यदि किसी और इन्कवायरी की जरूरत होगी तो हम उसके लिए तैयार हैं। यह मैं अवश्य कह देती हूं कि हड़ताल को जल्दी से जल्दी समाप्त करने का प्रयास किया जायेगा।

[समय 5.00 बजे]

वित्तीय वर्ष 1989-90 के एक भाग के लिए लेखानुदान

वित्त राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्तीय वर्ष 1989-90 के एक भाग के लिए लेखानुदान प्रस्तुत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रतियां बांट दी जायं।

(प्रतियां वितरित की गयीं)

श्री अकबर अहमद (डम्पी)–

माननीय मुख्य मंत्री जी के क्षेत्र का मामला है, मुख्य मंत्री जी मौजूद हैं, आप मुख्य मंत्री जी को बुलाइए।

[श्री अकबर अहमद (डम्पी) के सदन के फ्लोर पर आ जाने से घोर व्यवधान]

श्री उपाध्यक्ष–

आसन ग्रहण करिये, अभी आपको भी सुनूंगा।

श्री अकबर अहमद (डम्पी)–

मुख्य मंत्री को बुलवाइए नहीं तो सदन नहीं चलेगा ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप आसन ग्रहण करिये, यह प्रक्रिया समाप्त हो जाय, फिर सुनूंगा ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

[x x x]

(घोर व्यवधान)

[श्री जयदीप सिंह बरार तथा श्री अकबर अहमद (डम्पी) द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर घोर व्यवधान]

श्री उपाध्यक्ष–

कुछ नहीं लिखा जायगा । जो कुछ आप बोल रहे हैं लिखा नहीं जायगा

[श्री जयदीप सिंह बरार तथा श्री अकबर अहमद (डम्पी) एक साथ बोलने का प्रयास करते रहे जिससे सदन में पुनः घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया]

श्री नेक चन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, यह इस पीठ की अवमानना है, आप इनको इंगित करिये ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप अपना स्थान ग्रहण करें या सदन छोड़ें ।

[श्री अकबर अहमद (डम्पी) सदन के फ्लोर से अपनी सीट की ओर तो चले गये किन्तु खड़े होकर बिना अनुमति लगातार बोलते रहे, जो कि माइक बन्द होने के कारण समझ में नहीं आया]

श्री उपाध्यक्ष–

कुछ नहीं लिखा जा रहा है । आप या तो आसन ग्रहण करिये या सदन छोड़िए।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री नेक चन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, लेखानुदान पेश करते समय ये व्यवधान पैदा कर रहे हैं, इनको इंगित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय अकबर अहमद, आप अपना आसन ग्रहण करिये या फिर सदन को छोड़िये ।

(व्यवधान)

नोट–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष की आज्ञानुसार कार्यवाही से निकाला गया ।

श्री उपाध्य..

अब हम उठते हैं कल 11.00 बजे तक के लिये ।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 05 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
23 फरवरी, 1989

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'क'

(देखिए ता0 प्र0 सं0 18 का उत्तर पीछे पृष्ठ. 28 पर)

1--पब्लिक सेक्टर फर्मों से जो माल लिया जाता है वह केवल वही माल हो जो फर्में स्वयं बनाती हों। लोन लाइसेन्स पर बना हुआ माल यदि उनसे लिया जायेगा तो छोटे उद्योगपतियों को हानि हो सकती है।

2--यू0पी0डी0पी0एल0 को 90 प्रतिशत मूल्य का भुगतान जो केवल माल भेजे जाने की आर0आर0 पर कर दिया जाता है, को तुरन्त रोका जाये तथा समस्त क्रय शासन के नियमानुसार किया जाये।

3--सी0एम0एस0डी0 तथा जिला स्तर पर खरीदी गयी दवाओं के व्यावहारिक दृष्टिकोण से टेस्टिंग के संबंध में उपलब्ध कालेजों की फार्माकोलोजी लैब का उपयोग किया जावे एवं पब्लिक एनालिस्ट के पास बैक्लाग होने के कारण एवं उसकी स्थिति को देखते हुए एक नई कम्बाईन्ड लैब बनाने की संस्तुति भी की है। इस संबंध में दिनांक 10-9-1984 की बैठक में डा0 अनवार खां अध्यक्ष ने यह आश्वासन दिया था कि वे 50 बीघा जमीन अतरौली जिला अलीगढ़ में उक्त लैब बनाने हेतु फ्री दिलवाने को तैयार है। इस प्रस्ताव पर शासन स्तर पर परीक्षण कर लिया जाय।

4--इस्माल स्केल इन्डस्ट्रीज को पहले पब्लिक सेक्टर अन्डरटेकिंग के मुकाबले 15 प्रतिशत का प्रिफरेन्स मिलता था यदि अब इसे बन्द कर दिया गया हो तो इसे पुनः चालू करने पर विचार कर लिया जाये।

5--वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा काटन, गांज एवं बैन्डेज "यूपिका" के माध्यम से खरीदी जाती है जिस पर यूपिका को कमीशन दिया जाता है जबकि इनका इस कार्य में कोई योगदान नहीं होता तथा यह कमीशन की रकम बेकार हो जाती है। अतः संस्तुति यह है कि सी0एम0एस0डी0 सीधे ही क्रय अनुमोदित फर्मों से कर ले, इस प्रकार यूपिका को दिये जाने वाले धन की बचत हो सकती है।

6--उद्योग निदेशक कानपुर द्वारा जो दर अनुमोदन प्राप्त किया जाता है उनका फाइनलाइजेशन मार्च तक अवश्य कर दिया जावे तथा अनुमोदन काल पूरे वर्ष तक प्रभावित रहे। तथा टुकड़ों में अनुमोदन न किया जाये। जोकि लघु उद्योगपतियों अन्य इकाईयों को भी लाभदायक होगा और विभाग सही दर पर माल खरीद सकेगा। जिससे शासन के धन की बचत होगी।

7--यू0पी0डी0पी0एल0 के चेयरमैन के पद पर स्वास्थ्य सचिव की नियुक्ति पर आपत्ति की गयी क्योंकि यदि स्वास्थ्य सचिव उक्त संस्था के चेयरमैन रहते हैं तो सम्भावनाएं यह हैं कि चिकित्सा विभाग के अन्य अधिकारी जो सचिव के अधीनस्थ हैं उक्त संस्था के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने में हिचकिचायेंगे तथा पूर्ण न्याय हो सकेगा।

8--सी0एम0एस0डी0 के कार्यकलापों को देखते हुए इस कार्य हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या में बढ़ोत्तरी करने की संस्तुति की गई है जिसके लिये उचित प्रस्ताव स्वास्थ्य सेवा निदेशक से मंगवाया जाना उचित होगा। यह कार्यवाही अविलम्ब करने से कार्य कुशलता में तेजी आयेगी।

9--सी0एम0एस0डी0 वर्तमान में अलग-अलग कई भवनों एवं हिस्सों में कार्य कर रही है जिसके लिये संस्तुति की गई है कि एक उचित भवन का प्राविधान किया जाये जहां पूरा सी0एम0एस0डी0 एक ही जगह सुव्यवस्थित ढंग से सुरक्षित रखा जा सके।

10--स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज को जो माल वे बनाते हैं उसके लिये क्रय के लिये प्रोत्साहन किया जाये जो बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत आता है।

11--अलग-अलग सेवाओं के लिये आवश्यक दवाओं की लिस्ट उपलब्ध होनी चाहिये। जिन पर स्थानीय आवश्यकतानुसार रद्दोबदल किया जा सके। इस प्रकार की लिस्ट डी0जी0एस0 एण्ड डी0 के पास उपलब्ध है। जो उनसे प्राप्त की जा सकती है।

12--इस बात पर भी विचार करने की संस्तुति की गई कि क्या क्षेत्रीय स्तर पर भी मेडिकल स्टोर बनाये जा सकते हैं ? इसमें क्या लाभ हो सकता है ? इस विषय पर विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता होगी ।

13--सी0एम0एस0डी0 द्वारा बिलों का समय से भुगतान न होने के कारण एवं सेक्शन 80 की नोटिस प्राप्त होने पर विलम्ब से भुगतान करने पर ब्याज का भी भुगतान करना पड़ता है इससे शासन को धन की हानि होती है। सभी बिलों का समय से भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

13 (अ)--सी0एम0एस0डी0 द्वारा बिलों के समय से भुगतान न करने पर सेक्शन 80 की नोटिस के बाद भी कोई भुगतान न करने पर कोर्ट में मुकदमें चलते हैं और डिग्री भी होती है। इस पर शीघ्र रोक लगाने हेतु उचित कार्यवाही करने के आदेश दिये जायं ताकि विभाग का रुपया मुकदमों की पैरवी एवं डिग्री आदि में व्यर्थ व्यय न हो सके ।

14--वर्तमान में फार्मूलेरी में 326 ऐटम हैं उन्हें कम करने की संस्तुति की गई। दिल्ली में सब सेन्टर्स के लिये 40-50 एव प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिये मात्र 140 आइटम दर्शाये गये हैं। वहां जनस्वास्थ्य कार्यकर्ता को 10-12 आइटम ही दिये जाते हैं। इसी प्रकार इस प्रदेश की फार्मूलेरी में भी आइटम संख्या कम की जाये ।

15--निदेशालय से जो ग्रान्ट जिलों में भेजी जाती है उसका काफी बड़ा हिस्सा निदेशालय में रोक लिया जाता है तथा उससे मार्च के अन्तिम सप्ताह में अतिरिक्त ग्रान्ट के रूप में दिया जाता है जिसका कोई औचित्य नहीं है। वर्ष के अन्त में इतनी बड़ी धनराशि को थोड़े समय में व्यय करने में वित्तीय अनियमिततायें भी होती हैं। अतः यदि आवश्यक ही समझा जाये तो न्यूनतम मात्र में ही उक्त धन अतिरिक्त ग्रान्ट के लिये ही रोका जाये जिसे फरवरी या मार्च में जिलों को आवंटित कर दिया जाये। साधारणतः कुल धनराशि का 5-10 प्रतिशत तक ही रोकने की संस्तुति की गई है।

16--जो दवायें पब्लिक सेक्टर फर्म बनाती हैं उन्हें उन्हीं कोटेशन पर न्यूनतम दर वाली पब्लिक सेक्टर फर्म से खरीदा जाये और यदि यू0पी0डी0पी0एल0 की दर न्यूनतम न हो तो उन्हें यह मौका दिया जाये कि यदि वे न्यूनतम दर वाले फर्म की दर पर माल सप्लाई कर सकें तो उन्हें प्राथमिकता दी जाये ।

17--समिति ने यह रिमार्क किया था कि लैब के इन्चार्ज निदेशक हैं तथा यू0पी0डी0पी0एल0 के चेयरमैन स्वास्थ्य सचिव हैं। अतः लैब से यू0पी0डी0पी0एल0 की सही रिपोर्ट मिल पाना कठिन है।

18--सी0एम0एस0डी0 में जो दवाओं का क्रय होता है उसके लिये जिलों से मांग पत्र मंगाना परम आवश्यक रक्खा जाये तथा उसी के आधार पर दवायें क्रय की जायें क्योंकि सी0एम0एस0डी0 ही जिले को आधे से ज्यादा ऐसी दवायें सप्लाई करती हैं कि जिनका वहां कोई भी प्रयोग नहीं होता है। जिलों के चिकित्सालयों में वे दवायें बेकार रहती हैं और जो वहां की आवश्यकताओं की दवायें हैं वह चिकित्सालयों में उपलब्ध नहीं है अतः जनता को बाजार की दवाओं पर निर्भर रहना पड़ता है जो कि किसी भी दशा में उचित नहीं है। और शासन का भारी व्यय व्यर्थ की दवायें खरीदने पर होता है। इसे तुरन्त रोका जाय और सी0एम0एस0डी0 की इस परम्परा को तुरन्त समाप्त किया जाये कि वह स्वयं बिना जिलों की मांग पत्र के दवाओं का परचेज कर लें। यह मामला समिति भारी गम्भीर समझती है।

पी0एस0यू0पी0-एल0 15 विधान सभा (27)--1989-813।